FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 21, अंक 20

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001
27 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....53....
Date....23/9/2002....

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 20, मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001/27 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–3
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
प्रश्नकाल का निलंबन	3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 400	4–75
अतारांकित प्रश्न संख्या 4216 से 4445	76–355
सभा पटल पर रखे गए पत्र	355–383
राज्य सभा से संदेश	384
लोक लेखा समिति	
सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	384
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	384
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	385
श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां से अठारहवां प्रतिवेदन	385
रेल अभिसमय समिति	
तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	386
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
संसद भवन पर आतंकवादी हमला	386–389
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	386
नियम 193 के अधीन चर्चा	
संसद भवन पर आतंकवादी हमला	389–421, 429–435, 436–506
श्री मुलायम सिंह यादव	389
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	403
श्री शिवराज वि. पाटील	411
श्री अनंत गंगाराम गीते	429
श्री सोमनाथ चटर्जी	436
श्री चन्द्रशेखर	445
श्री के. येरननायडू	450
कुमारी ममता बनर्जी	453
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	459
श्री उमर अब्दुल्ला	475
श्री राशिद अलवी	486
श्री आदि शंकर	493
श्री पी.एच. पांडियन	494
श्री प्रभुनाथ सिंह	498
श्रीमती कांति सिंह	501

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	422–429
(एक) गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	422
(दो) महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों की सूची में लोधी जाति को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	422
(तीन) महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.जी. महाजन	423
(चार) बिहार के नवादा जिले में झारखण्ड सीमा से लगते हुए रजौली क्षेत्र में फाइरिंग रेंज की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	423
(पांच) उत्तर प्रदेश में जाफराबाद-जंघई रेल लाइन की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	424
(छह) पृथक तेलंगाना राज्य बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री ए. नरेन्द्र	424
(सात) लघु विनिर्माण इकाइयों के हितों की रक्षा करने हेतु एल्युमिनियम पर आयात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार शिंदे	424
(आठ) बिहार में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	425
(नौ) कर्नाटक में कोत्तूर और हरिहर के बीच बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोलूर बसवनागौड़	426
(दस) यूरिया विनिर्माताओं द्वारा ली गई अधिक राजसहायता की वसूली किए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एस. बराड़	426
(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में कॉफी बागान लगाने की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	426
(बारह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चिलबिला रेलवे क्रॉसिंग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	427
(तेरह) महाराष्ट्र में काम के बदले अनाज योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जारी रखे जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश रामराव जाधव	427
(चौदह) मुंगेर में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना करने हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	428
(पन्द्रह) दीघा समुद्र तट को भारी कटाव से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पण्डा	428
संसद भवन पर आतंकवादी हमले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मृत्यु के बारे में उल्लेख	435–436
स्टॉक मार्केट घोटाले और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	506
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	507

लोक सभा

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001/27 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को अपने चार भूतपूर्व सहयोगियों—अर्थात श्री गुडीवडा गुरुनधा राव, श्री हारूभाई मेहता, श्री मंगल राम प्रेमी और श्री अरंगिल श्रीधरन के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री गुडीवडा गुरूनधा राव 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश के अन्नकापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व, श्री गुडीवडा गुरूनधा राव 1989 से 1994 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक सुयोग्य सांसद, श्री राव ने 1998-99 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में गहन रुचि ली।

श्री गुडीवडा गुरुनधा राव का निधन 22 नवम्बर, 2001 को 46 वर्ष की आयु में गुर्दे की बीमारी के कारण हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ।

श्री हारूभाई मेहता 1984 से 1989 तक गुजरात के अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। एक सुयोग्य सांसद, श्री मेहता ने 1987 से 1989 तक संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री मेहता व्यवसाय से एक वकील और शिक्षाविद् थे। उन्होंने 1980 से 1984 के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुजरात राज्य विधिक सेवा और परामर्श बोर्ड तथा गुजरात विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री मेहता ने आदिवासियों और अन्य पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने आदिवासियों से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय समिति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु गठित समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। एक लोकप्रिय मजदूर संघ नेता होने के नाते श्री मेहता, विभिन्न मजदूर संघों से जुड़े रहे। श्री मेहता साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे तथा उन्होंने अंग्रेजी और गुजराती में अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री हारूभाई मेहता का निधन 1 दिसम्बर, 2001 को 68 वर्ष की आयु में भावनगर, गुजरात में हुआ।

श्री मंगल राम प्रेमी 1980 से 1984 और 1991 से 1997 तक उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में सातवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। पूर्व में श्री प्रेमी 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री प्रेमी एक विशिष्ट संसदविद् थे और उन्होंने 1984, 1991-1992 तथा 1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य और 1993 से 1995 तक रेलवे संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री प्रेमी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री प्रेमी व्यवसाय से एक कृषक थे तथा वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। वह राज्य में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अधिक कार्य किया। 1994 के दौरान 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के सदस्य के रूप में काम किया।

श्री मंगल राम प्रेमी का निधन 11 दिसम्बर, 2001 को 76 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री अरंगिल श्रीधरन 1967 से 1970 तक केरल के बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चौथी लोक सभा के सदस्य थे। वह 1988 से 1994 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे श्री श्रीधरन एक योग्य प्रशासक थे और उन्होंने 1990 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1968 से 1970 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री श्रीधरन ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री श्रीधरन ने किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अथक रूप से कार्य किया।

एक मजदूर संघ नेता के रूप में श्री श्रीधरन विभिन्न मजदूर संघों से जुड़े रहे। श्री अरंगिल श्रीधरन का निधन 13 दिसम्बर, 2001 को 78 वर्ष की आयु में कोजीकोड, केरल में हुआ।

माननीय सदस्यगण जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली पुलिस के चार सुरक्षाकर्मी, सर्वश्री नानक चंद-सहायक उपनिरीक्षक, रामपाल-सहायक उपनिरीक्षक, ओम प्रकाश-हवलदार और घनश्याम-हवलदार, सीआरपीएफ की महिला सिपाही श्रीमती कमलेश कुमारी, संसद के वाच एंड वार्ड में सुरक्षा सहायक, श्री जगदीश प्रसाद यादव और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक माली, श्री देसराज ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

संसद भवन के वाच एवं वार्ड के अन्य कार्मिक, श्री मातबर सिंह नेगी-सुरक्षा सहायक, जो कि आतंकवादी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गये थे का निधन 16 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

हम अपने इन भूतपूर्व सहयोगियों और सुरक्षा कर्मियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों को सभा की संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्नकाल का निलंबन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के सम्बन्ध में गृहमंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्त पर नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हेतु मुझे तीन सूचना प्राप्त हुई हैं। जैसाकि आज नेताओं की बैठक में निर्णय हुआ कि हम प्रश्नकाल निलंबित कर सकते हैं और गृह मंत्री जी वक्तव्य दे सकते हैं। इस मामले पर सीधे चर्चा शुरू की जा सकती है। श्री रामजीलाल सुमन, जिनका बैलट में प्रथम स्थान है, इस मामले पर चर्चा शुरू कर सकते हैं हम सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.06$^1/_2$ बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विस्थापित कश्मीरी परिवार

***381. श्री रामदास आठवले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवादी और अशांति के कारण कश्मीर से विस्थापित परिवारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जम्मू और कश्मीर में तथा राज्य से बाहर कैंपों में रह रहे विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) विस्थापित कश्मीरियों की सुरक्षित वापसी का वातावरण तैयार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अब तक कितने परिवार अपने घरों को वापस लौट आए हैं और विस्थापित हुए कुल परिवारों की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में आंतकवाद और अशान्ति के कारण लगभग 55.666 परिवार विस्तापित हो गए हैं इनमें से लगभग 4597 कश्मीरी पंडितों के परिवार जम्मू के आप्रवासी शिविरों में, 238 परिवार दिल्ली में और 18 परिवार चंडीगढ़ में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) कश्मीर आप्रवासियों को वापस भेजने और उन्हें फिर से बसाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक कार्य-योजना तैयार की है। कार्य योजना के प्रथम चरण में, 2122 परिवारों को 1065 मकानों में फिर से बसाने का प्रस्ताव है। ये मकान कश्मीरी पंडितों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में खास-खास समूहों में हैं जहां पर पहले ही सुरक्षा उपलब्ध है। शुरूआत के तौर पर श्रीनगर और बदगाम जिलों में 15 समूहों में बंटे 166 घरों की शिनाख्त की गयी है। जिन्हें आप्रवासियों की आपसी के लिए सुरक्षित समझा जाता है। इन घरों के मालिकों से सम्पर्क स्थापित करने और राज्य सरकार द्वारा घोषित पुर्नवास पैकेज के आधार पर वापसी के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

उपलब्ध रिपोर्टें के अनुसार, अभी तक कोई भी परिवार वापस जाने के लिए राजी नहीं हुआ है।

राज्यों की राजधानियों में ''हडको हाटों'' की स्थापना

***382. श्री रामपाल सिंह:**
श्री शिवाजी माने:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुन्दर सस्ते और टिकाऊ मकानों के निर्माण के लिए लोगों को नई प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री और आवास-ऋणों के बारे में आवश्यक सूचना देने हेतु राज्यों की राजधानियों में ''हडको हाटों'' की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन ''हाटों'' द्वारा कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है और ये कब तक काम करना शुरू कर देंगी और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी;

(घ) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में हडको को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी, हां। नूतन भवन तकनीकों, निर्माण सामग्री, किफायती और टिकाऊ मकानों के निर्माण के लिए आवास ऋणों तथा आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा चलाई जा रही सभी केन्द्रीय स्कीमों और अन्य हडको स्कीमों के बारे में जनता को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन देने के लिए राज्य की राजधानियों में ''हडको-हाट'' की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचार-विमर्श में आया है। इसका स्पष्ट ब्यौरा तैयार करने के लिए सचिव (शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।

(घ) से (च) समिति के विचारार्थ विषयों में समन्वयकर्ता और कार्यकारी एजेंसी के रूप में भवन सामग्री और शिल्प विकास परिषद (बीएमटीपीसी) के साथ मिलकर सभी राज्य की राजधानियों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ''हडको हाट'' की स्थापना करने और ''निर्मिति केन्द्र'' अभियान का विस्तार करने तथा उपयुक्त शिल्प बावत प्रदर्शन प्रोजेक्ट लगाने में बीएमटीपीसी के कार्यकलापों का विस्तार करने के बारे में सिफारिशें करना है। समिति की सिफारिशें मिलने के बाद स्कीम राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

नक्सलवाद की समस्या

***383. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान आज की तिथि तक नक्सलवादियों/पीपुल्सवार ग्रुप द्वारा की गई हिंसक घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उनमें मारे गये/घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है और इन वारदातों में कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवादियों/पीपुल्सवार ग्रुप की गतिविधियों से निपटने के लिए समन्वय समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्यों के नाम क्या है;

(घ) क्या 7 अक्तूबर 2001 को 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार विभिन्न नक्सलवादी ग्रुपों ने मिलजुलकर काम करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है और नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने हेतु संयुक्त कार्य-बल की स्थापना की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) नक्सलवादियों/पीपुल्सवार ग्रुप की समस्या से निपटने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ञ) इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री में (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 (30 नवम्बर तक) के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा, मारे गए व्यक्तियों की (संख्या विवरण-I) तथा ऐसी घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति (विवरण-II) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों के बहु-आयामी रूप को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्र का गठन 26.6.1998 को किया गया था। इस समन्वय केन्द्र में गंभीर तौर पर प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समन्वय केन्द्र का कार्य है - वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा और समन्वय करना, प्रत्येक राज्य के बारे में कार्य योजना पर निगरानी रखना तथा समस्या के बारे में विकास तथा सुरक्षा पहलुओं पर सिफारिशें करना।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.) तथा सी.पी.एम.एल-पीपल्स वार-(पी.डब्ल्यू.) ने अगस्त 2001 में पटना में एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें परस्पर शत्रुता समाप्त करके सुरक्षा बलों तथा अन्य ''वर्ग शत्रुओं'' के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने की घोषणा की गई। यह रिपोर्ट भी मिली है कि भारतीय वामपंथी उग्रवादी ग्रुप तथा नेपाल के माओवादियों के बीच परस्पर संपर्क है।

(ङ) राज्य सरकारों को इन बातों से आगाह कर दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट ताल-मेल करके नक्सली ग्रुपों पर कड़ी नजर-रखी जा रही है।

(च) से (ज) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में समेकित कार्य योजना प्राप्त हुई है जिसमें विकास के साथ-साथ सुरक्षा पहलू भी शामिल हैं। इस योजना के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग को सिफारिशें की गई हैं। योजना आयोग ने संस्थागत उपाय करने के लिए कुछ मुद्दे उठाए हैं ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके तथा जनता के व्यापक सहयोग से वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके। आयोग ने इस संबंध में एक विस्तृत रणनीति तैयार करने का सुझाव भी दिया है, जिसके कुछ पहलुओं का समर्थन किया जा सकता है। संबंधित राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति दिनांक 1.4.96 से किए व्यय से लागू की गयी है। जब तक राज्यों को 80.37 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई है।

प्रभावित राज्यों में पुलिस बलों द्वारा समविन्त काईवाई करने के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है।

(झ) और (ञ) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। अत: वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय करने हैं तथा ठोस कदम उठाने हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन्हें कारगर ढंग से लागू किया गया, जैसे राज्य पुलिस बल की प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देना, समस्या को समग्र रूप से निपटाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करना, गुप्तचर सूचना प्राप्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अर्ध-सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराना आदि।

सी.पी.एम.एल. पीपल्स वार (पी.डब्ल्यू.) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी.) और उनके फार्मेशनों तथा अग्रिम संगठनों को हाल ही में आतकवाद निवारण अध्यादेश 2001 के तहत उग्रवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण I

वामपंथी उग्रवादी हिंसा का राज्यवार ब्यौरा

घटनाएं (मृत्यु)

राज्य	1999	2000	2001 (नवम्बर, 30)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	602(151)	425(113)	408(173)

1	2	3	4
झारखंड	*	*	315 (186)
बिहार	481(378)	595(363)	151(97)
छत्तीसगढ़	*	*	79(30)
उत्तर प्रदेश	5(1)	4(4)	21(12)
उड़ीसा	5(-)	15(3)	19(12)
महाराष्ट्र	40(15)	35(11)	19(4)
मध्य प्रदेश	95(47)	86(52)	17(2)
पश्चिम बंगाल	4(3)	4(2)	8(3)
तमिलनाडु	8(1)	5(-)	1(-)
कर्नाटक	5(2)	7(2)	-
केरल	-	2(-)	-
राजस्थान	1(-)	-	-
योग	1246(598)	1179(550)	1038(518)

*ये राज्य नवम्बर, 2000 में ही अस्तित्व में आए थे। 1999 तथा 2000 के आंकड़े भूतपूर्व एकीकृत राज्य अर्थात बिहार जिसमें झारखंड शामिल है तथा मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है के सम्मुख दर्शाए गए हैं।

विवरण II

वामपंथी उग्रवादी ग्रुप द्वारा क्षतिग्रस्त संपत्ति (रु. लाखों में)

राज्य	1999	2000	2001 (नवम्बर, 30)
आंध्र प्रदेश	548.13	485.66	2025.82
झारखंड	*	*	330.40
बिहार	46.15	226.84	9.00
छत्तीसगढ़	*	*	0.80
मध्य प्रदेश	13.40	67.82	12.40
महाराष्ट्र	33.32	32.53	42.64
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	1.00
उड़ीसा	शून्य	2.24	शून्य
कर्नाटक	12.00	.45	शून्य
योग	653.00	815.54	2422.06

*ये राज्य नवम्बर, 2000 में अस्तित्व में आए थे। 1999 तथा 2000 के आंकड़े भूतपूर्व एकीकृति राज्य अर्थात बिहार जिसमें झारखंड शामिल है तथा मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल हैं, के सम्मुख दर्शाए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रमीण विकास के लिए सी.आई.आर.डी.ए.पी. और ए.ए.आर.आर.ओ. द्वारा दी गई सहायता

***384. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक (सी.आई.आर.डी.ए.पी.) तथा एफ्रो एशियन रूरल रिकंसट्रक्शन आर्गनाइजेशन (ए.ए.आर.आर.ओ.) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सदस्य देशों को किस तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास में किस सीमा तक वृद्धि दर्ज की गई है और गरीबी उन्मूलन में कितनी सफलता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल इन एशिया एंड पैसिफिक (सिरडैप) तथा एफ्रो-एशियन रूरल रिकंसट्रक्सन आर्गनाइजेशन (आरो), जिसका नाम अब एफ्रो-एशियन रूरल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (आरडो) है, के अंतर्गत फिलहाल देश में कोई परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। सिरडैप ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के जरिए विगत में अनेक परियोजनाओं में सहायता दी है। सिरडैप और आरडो सदस्य देशों को अनुसंधान, कार्य अनुसंधान/प्रायोगिक परियोजनाओं, प्रशिक्षण और सूचना तथा संचार के प्रयोजनों हेतु सहायता उपलब्ध कराते हैं। इन दो संगठनों द्वारा प्रयोजनाओं से सदस्य देशों को सामान्यतया अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा नीति निर्धारण में सहायता मिलती है।

आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु आप्रवास कानून

***385. कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए आप्रवास कानूनों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु इन कानूनों में किये गये/किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विदेशियों का प्रवेश, रुकना, इधर-उधर जाना और प्रस्थान करना, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 तथा इन अधिनियमों के अधीन बने नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है। इन कानूनों की पुनरीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। आवश्यकता पड़ने पर इनमें जरूरी संशोधन किए जाते हैं। किसी भी वर्ग के विदेशियों द्वारा की जाने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए इन अधिनियमों/नियमों में अनेक प्रकार की व्यवस्था की गई है। आतंकवादियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अलग से कोई आप्रवासन कानून नहीं है।

(ख) और (ग) विदेशियों की अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करने और रोकने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों के तहत सरकार ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम,1920 में दण्ड के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि करके इसमें पहले ही संशोधन कर दिया है। सरकार ने 1998 में राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 का उल्लंघन करने के लिए वर्तमान 5 वर्ष की अधिकतम सजा को 8 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। आतंकवादियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक गैर-विधायी कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं- सीमा-सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करना, जमीन और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा पर सड़कों और बाड़ निर्माण के कार्यक्रमों में तेजी लाना, सीमा चौकियों पर निगरानी टावरों की संख्या में वृद्धि करना और निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करना।

[अनुवाद]

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

***386. श्री भर्तुहरि महताब:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज की तिथि तक आबंटित धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई और खर्च न की जा सकी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग किए जाने के बारे में कोई मूल्यांकन किया है/प्रयुक्त धनराशि की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करवाकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (चालू वर्ष) के लिए राज्यवार आबंटन, रिलीज, खर्च तथा खर्च न की गई शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए निधियों के संबंध में इसी तरह का विवरण-II संलग्न है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पेयजल आपूर्ति) वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान शुरू की गयी थी। वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 (चालू वर्ष) के लिए राज्यवार आबंटन रिलीज, खर्च तथा खर्च न की गई शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण-III सलंग्न है।

चालू वर्ष के लिए उपरोक्त कार्यक्रमों के संबंध में खर्च न की गई शेष राशि के बारे में सूचना चालू वित्तीय वर्ष के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी।

(ग) और (घ) जहां तक निधियों के उपयोग का संबंध है, राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र था ऑडिट प्रमाणपत्र भेजने होते हैं। ये विवरण प्रत्येक वर्ष दूसरी किस्त रिलीज करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने की पूर्व शर्तें हैं। कार्यक्रम की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाने वाली आवधिक रिपोर्ट के जरिए भी की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नगरानी करने हेतु पयेजल आपूर्ति विभाग के क्षेत्र अधिकारी भी राज्यों का आवधिक दौरा करते हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है राज्य सरकारों को सुझावों और उपचारी कार्रवाई करने के बारे में सूचित किया जाता है।

विवरण-I

1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन, रिलीज, खर्च तथा खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये में)

		1998-99					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.98 को आदिशेष	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	31.3.99 को खर्च न की गई शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	9991.36	9991.36	9991.36	9991.36	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	242,96	3623.00	2163.82	2406.78	1408.12	998.66
3.	असम	2187.34	6120.00	6417.00	8604.34	3222.87	5381.47
4.	बिहार	2119.74	11768.50	0.00	2119.74	850.24	1269.50
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	505.46	283.75	0.00	505.46	37.18	468.28
7.	गुजरात	1422.99	5860.51	6951.35	8374.34	6310.99	2063.35
8.	हरियाणा	713.56	2190.91	2025.04	2738.60	2186.43	552.17
9.	हिमाचल प्रदेश	81.62	1967.07	2913.27	2994.89	1992.50	1002.39
10.	जम्मू और कश्मीर	3215.65	5514.58	4659.41	7875.06	2635.00	5240.06
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	1021.57	9177.40	10070.63	11092.20	8336.08	2756.12
13.	केरल	729.87	4673.49	4673.49	5403.36	3158.62	2244.74
14.	मध्य प्रदेश	0.00	11063.07	11061.14	11061.14	10488.04	573.10
15.	महाराष्ट्र	0.00	13301.46	16384.68	16384.68	41891.94	0.00
16.	मणिपुर	301.53	1330.00	666.74	968.27	357.07	611.20
17.	मेघालय	9.24	1425.00	1709.00	1718.24	1127.65	590.59
18.	मिजोरम	190.31	1018.00	1017.66	1207.97	1200.40	7.57
19.	नागालैंड	646.04	1058.00	796.90	1442.94	755.34	687.60
20.	उड़ीसा	2374.59	5236.47	4793.75	7168.34	4352.52	2815.82
21.	पंजाब	247.55	10668.62	2205.28	2452.83	1102.62	1350.21
22.	राजस्थान	267.07	10954.54	11941.63	12208.70	10686.04	1522.66
23.	सिक्किम	0.00	434.00	401.12	401.12	725.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1506.11	7922.54	10527.51	12033.62	13151.14	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	1262.00	2128.95	2128.95	2128.95	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	2318.00	18537.93	16297.06	18615.06	18605.18	9.88
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
28.	प. बंगाल	1166.63	7169.63	6426.91	7593.54	5852.13	1741.41
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	4.40	12.50		4.40	0.00	4.40
30.	दा.न. हवेली	58.00	12.50		58.00	0.00	58.00
31.	दमन व दीव	0.00	12.50		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दिल्ली			5.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप		12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	25.99	5.00		25.99	1.79	24.20
	जोड़	21356.22	143611.83	136223.70	157579.92	152555.20	31973.38

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000					
		1.4.99 को आदिशेष	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	31.3.2000 को खर्च न की गई शेष राशि
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	12534.37	12534.37	12534.37	12576.45	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	998.66	2476.00	1980.80	2979.46	2979.46	0.00
3.	असम	5381.47	4180.00	2090.00	7471.47	5564.58	1906.89
4.	बिहार	1269.50	9380.00	4690.00	5959.50	869.99	5089.51
5.	छत्तीसगढ़	--	-	-	-	-	-
6.	गोवा	468.28	352.92	0.00	468.28	510.96	0.00
7.	गुजरात	2063.35	8264.42	7442.20	9505.55	17307.00	0.00
8.	हरियाणा	552.17	2582.63	2407.24	2959.41	2605.14	354.27
9.	हिमाचल प्रदेश		3119.82	3075.09	4077.48	4115.04	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	5240.06	6381.44	3190.72	8430.78	2337.00	6093.78
11.	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	2756.12	11518.53	11409.40	14165.52	10548.12	3616.40
13.	केरल	2244.74	5905.62	4568.30	6813.04	4227.56	2585.48
14.	मध्य प्रदेश	573.10	12947.59	12330.44	12903.54	12338.77	564.77
15.	महाराष्ट्र	0.00	18663.81	17302.37	17302.37	18846.54	0.00
16.	मणिपुर	611.20	907.00	0.00	611.20	235.01	376.19
17.	मेघालय	590.59	2282.40	779.20	1369.79	1044.01	325.78

1	2	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	7.57	1630.29	696.00	703.57	688.91	14.66
19.	नागालैंड	687.60	724.00	579.20	1266.80	765.08	501.72
20.	उड़ीसा	2815.82	6645.97	4847.93	7663.75	3407.73	4256.02
21.	पंजाब	1350.21	2358.80	2320.64	3670.85	1810.60	1860.25
22.	राजस्थान	1522.66	17377.66	12002.50	13525.16	9660.22	3864.94
23.	सिक्किम	0.00	695.59	695.59	695.59	696.59	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	8958.28	8958.28	8958.28	18095.73	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	2021.55	1662.00	1662.00	1662.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	9.88	19800.17	14825.12	14835.00	16084.02	0.00
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
28.	प. बंगाल	1741.41	7008.15	5606.45	7347.86	7337.74	10.12
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	4.40	12.50	0.00	4.40	0.00	4.40
30.	दा.न. हवेली	58.00	12.50	0.00	58.00	0.00	58.00
31.	दमन व दीव	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	24.20	5.00	0.00	24.20	10.13	14.07
	जोड़	31973.38	168772.00	135993.84	167967.22	156323.38	31498.25

		2000-01					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2000	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	31.3.01 को खर्च न की गई शेष राशि*
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	11600.00	11600.00	11600.00	11600.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	4365.00	2182.50	2182.50	2163.45	19.05
3.	असम	1906.89	7372.00	5459.78	7366.67	3925.93	3440.74

1	2	15	16	17	18	19	20
4.	बिहार	5089.51	4661.00	0.00	5089.51	3719.39	1370.12
5.	छत्तीसगढ़	–	1580.00	1580.00	1580.00	2311.52	0.00
6.	गोवा	0.00	1404.00	888.59	888.59	712.71	175.88
7.	गुजरात	0.00	7085.00	16255.00	16255.00	14618.75	1636.25
8.	हरियाणा	354.27	1943.00	1880.18	2234.45	2920.12	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5091.00	5091.00	9787.78	6654.99	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	6093.78	8788.00	3694.00	9787.78	8654.99	3132.79
11.	झारखंड	4719.00	2359.50	2359.50	0.00	4246.15	4246.15
12.	कर्नाटक	3617.40	10350.00	8165.12	11782.52	10230.83	1551.69
13.	केरल	2585.48	5746.00	4022.42	6607.90	4471.59	2136.31
14.	मध्य प्रदेश	564.77	9529.00	9529.00	10093.77	9522.40	571.37
15.	महाराष्ट्र	0.00	16934.00	16934.00	16934.00	15862.71	1071.29
16.	मणिपुर	376.19	1475.00	0.00	376.19	17.07	359.12
17.	मेघालय	325.78	1716.00	1644.08	1969.86	1519.67	450.19
18.	मिजोरम	14.66	1226.00	1161.99	1176.65	1048.81	127.84
19.	नागालैंड	501.72	1275.00	822.61	1324.33	1195.54	128.79
20.	उड़ीसा	4256.02	6213.00	3106.50	7362.52	2585.48	4777.04
21.	पंजाब	1860.25	2383.00	1783.00	3643.25	2790.82	852.43
22.	राजस्थान	3864.94	16361.00	16361.00	20225.94	16164.70	4061.24
23.	सिक्किम	0.00	650.00	325.00	325.00	513.18	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	7308.00	7308.00	7308.00	9341.50	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	1521.00	1521.00	1521.00	1580.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	12472.00	10884.83	10884.83	6422.26	4462.57
27.	उत्तरांचल	–	2304.00	2304.00	2304.00	3257.57	0.00

1	2	15	16	17	18	19	20
28.	प. बंगाल	10.12	7895.00	7837.31	7847.43	7846.77	0.66
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	4.00	13.00	0.00	4.40	0.00	4.40
30.	दा. न हवेली	58.00	7.00	3.50	61.50	3.05	58.45
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	14.07	5.00	0.00	14.07	14.07	0.00
	जोड़	31498.25	163996.00	144703.91	176202.16	148115.35	34634.37

		2001-02					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2001 को आदिशेष*	आबंटन	रिलीज**	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च*	खर्च न की गई शेष राशि*
1	2	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	13044.00	6522.00	6522.00	5178.00	1344.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.05	4476.00	2238.00	2257.05	0.00	2257.05
3.	असम	3440.74	7561.00	3780.50	7221.24	1410.90	5810.34
4.	बिहार	1370.12	7274.00	0.00	1370.12	0.50	1369.62
5.	छत्तीसगढ़	0.00	3877.00	1938.50	1938.50	1130.88	807.62
6.	गोवा	175.88	1455.00	727.50	903.38	0.00	903.38
7.	गुजरात	1636.25	7837.00	7376.30	9012.55	4905.51	4107.04
8.	हरियाणा	0.00	2200.00	1100.00	1100.00	943.73	156.27
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5552.00	2776.00	2776.00	937.46	1838.54
10.	जम्मू व कश्मीर	3132.79	9896.00	4948.00	8080.79	7188.78	892.01
11.	झारखंड	4246.15	3619.00	0.00	4246.15	0.00	4246.15
12.	कर्नाटक	1551.69	12414.00	6207.00	7758.69	3339.96	4418.73

1	2	21	22	23	24	25	26
13.	केरल	2136.31	6331.00	3165.50	5301.81	1392.16	3909.65
14.	मध्य प्रदेश	571.37	8877.00	4438.50	5009.87	4438.50	571.37
15.	महाराष्ट्र	1071.29	19159.00	9579.50	10650.79	6494.22	4156.57
16.	मणिपुर	359.12	1643.00	0.00	359.12	23.17	335.95
17.	मेघालय	450.19	1760.00	880.00	1330.19	241.43	1088.76
18.	मिजोरम	127.84	1257.00	628.50	756.34	566.63	189.71
19.	नागालैंड	128.69	1308.00	1308.00	1436.79	654.00	782.79
20.	उड़ीसा	4777.04	6522.00	3131.78	7908.82	1424.06	6484.76
21.	पंजाब	852.43	2277.00	1685.50	2537.93	883.42	1654.51
22.	राजस्थान	4061.24	18705.00	9352.50	13413.74	6680.46	6733.28
23.	सिक्किम	0.00	536.00	268.00	268.00	119.28	148.72
24.	तमिलनाडु	0.00	7956.00	7956.00	7956.00	3978.00	3978.00
25.	त्रिपुरा	0.00	1559.00	779.50	779.50	652.38	127.12
26.	उत्तर प्रदेश	4462.57	13269.00	6634.50	11097.07	3601.76	7495.31
27.	उत्तरांचल	0.00	3356.00	1678.00	1678.00	1510.00	168.00
28.	प. बंगाल	0.66	8773.00	4386.50	4387.16	3385.16	1002.00
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00	4.40
30.	दा. न हवेली	58.45	7.00	0.00	58.45	0.00	58.45
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	34634.37	182523.00	93486.08	128120.45	61080.35	67040.10

*अनंतिम

**16.11.2001 की स्थिति के अनुसार

+16.11.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के नुसार

नोट 1: 2000-2001 के दौरान बिहार के सामने दर्शाये गये खर्च में झारखण्ड को हस्तांतरित करने के लिए राज्य वित्त आयोग को लौटाई गई 1886.65 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

नोट 2: छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तरांचल राज्य 2000-2001 के दौरान बनाये गये थे।

विवरण-II

1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान डीडीपी वाले क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की गतिविधियों हेतु निधियों के संबंध में आवंटन, रिलीज, खर्च तथा खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये में)

		1998-99					
क्र.सं.	डीडीपी वाले राज्य	1.4.98 को आदिशेष	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	31.3.99 को खर्च न की गई शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	140.25	42.08	42.08	95.60	0.00
2.	गुजरात	429.81	400.00	200.00	629.81	704.85	0.00
3.	हरियाणा	0.00	1452.43	1452.43	1452.43	1062.13	390.30
4.	हिमाचल प्रदेश	7.94	41.08	26.32	34.26	18.31	15.95
5.	जम्मू व कश्मीर	75.90	52.82	0.00	75.90	0.00	75.90
6.	कर्नाटक	182.16	957.58	478.79	660.95	322.01	338.94
7.	राजस्थान	501.16	4564.84	4564.88	5066.00	3733.51	1332.49
	कुल	1195.97	7609	6764.46	7961.43	5936.41	2153.58

		1999-2000					
क्र.सं.	डीडीपी वाले राज्य	1.4.99 को आदिशेष	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	31.3.2000 को खर्च न की गई शेष राशि
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	गुजरात	0.00	400.00	400.00	400.00	2629.65	0.00
3.	हरियाणा	390.30	1450.43	1450.43	1840.73	1208.30	632.43
4.	हिमाचल प्रदेश	15.95	41.08	32.86	48.81	12.32	36.49
5.	जम्मू व कश्मीर	75.90	52.82	0.00	75.90	0.00	75.90
6.	कर्नाटक	338.94	957.58	0.00	338.94	320.29	18.65
7.	राजस्थान	1332.49	4564.84	3651.87	4984.36	2221.28	2763.08
	कुल	2153.58	7607.00	5535.16	7688.74	6301.84	3526.55

क्र.सं.	डीडीपी वाले राज्य	2000-01 1.4.98 को आदिशेष	आबंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च*	31.3.01 को खर्च न की गई शेष राशि
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	1659.00	1659.00	1659.00	1078.50	580.50
2.	गुजरात	0.00	400.00	1230.00	1230.00	2700.69	0.00
3.	हरियाणा	632.43	19.00	19.00	651.43	1150.89	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	36.49	587.00	293.50	329.99	293.80	36.19
5.	जम्मू व कश्मीर	75.90	282.00	0.00	75.90	0.00	75.90
6.	कर्नाटक	18.65	509.00	254.50	273.15	238.60	34.55
7.	राजस्थान	2763.08	4151.00	4151.00	6914.08	3876.22	3037.86
	कुल	3526.55	7607.00	7607.00	11133.55	9338.70	3765.00

क्र.सं.	डीडीपी वाले राज्य	2001-02 1.4.01 को आदिशेष*	आबंटन	रिलीज**	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च+	31.3.02 को खर्च न की गई शेष राशि +
1	2	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	580.50	845.68	422.84	1003.34	0.00	1003.34
2.	गुजरात	0.00	400.00	400.00	400.00	151.99	248.01
3.	हरियाणा	0.00	906.64	454.32	454.32	309.87	144.45
4.	हिमाचल प्रदेश	36.19	7.41	3.71	39.90	3.66	36.24
5.	जम्मू व कश्मीर	75.90	209.88	0.00	75.90	0.00	75.90
6.	कर्नाटक	34.55	1133.74	566.87	601.42	0.00	601.42
7.	राजस्थान	3037.86	5794.65	2897.33	5935.10	1170.74	4764.45
	कुल	3765.00	9300.00	4745.07	8510.07	1635.28	6873.61

*अनंतिम ** 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार

+ 16.11.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

विवरण-III

2000-01 तथा 2001-02 के दौरान (16.11.01 की स्थिति के अनुसार) पीएमजीवाई आरडीडब्ल्यू के अन्तर्गत आवंटन, रिलीज तथा खर्च

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001			
		आवंटन	रिलीज	खर्च	31.3.01 को खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	2840.90	2840.90	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2550.00	2550.00	1380.75	1169.25
3.	असम	3301.00	1346.78	-	1346.78
4.	बिहार	3291.90	2154.37	1499.93	654.44
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	-	471.00
6.	गोवा	31.20	5.85	5.85	0.00
7.	गुजरात	2590.85	2590.85	2590.85	0.00
8.	हरियाणा	471.20	471.20	471.20	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3077.00	3077.00	3077.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	2573.80	1286.85	-	1286.85
11.	झारखण्ड	1016.85	1016.85	-	1016.85
12.	कर्नाटक	1127.00	1127.00	415.95	711.05
13.	केरल	1400.00	518.10	214.57	303.53
14.	मध्य प्रदेश	1803.55	1803.55	853.27	950.28
15.	महाराष्ट्र	2414.00	2414.00	2414.00	0.00
16.	मणिपुर	728.40	364.20	-	364.20
17.	मेघालय	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
18.	मिजोरम	1006.00	1006.00	937.32	68.68
19.	नागालैण्ड	1322.00	1322.00	1322.00	0.00
20.	उड़ीसा	2478.25	2478.25	1864.81	613.44
21.	पंजाब	1616.00	1616.00	454.72	1161.28
22.	राजस्थान	2158.00	2158.00	1319.87	838.13

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	600.00	600.00	600.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1571.85	1571.85	1571.85	0.00
25.	त्रिपुरा	1328.00	2033.22	1327.17	706.05
26.	उत्तर प्रदेश	6727.00	6727.00	5000.00	1727.00
27.	उत्तरांचल	188.40	188.40	-	188.40
28.	पश्चिम बंगाल	5873.00	5874.00	1258.65	4615.35
29.	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	154.00	154.00	154.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	37.89	37.80	37.80	0.00
31.	दमन व दीव	54.50	54.50	45.50	20.00
32.	दिल्ली	200.00	200.00	120.00	80.00
33.	लक्षद्वीप	64.93	64.93	52.90	12.03
34.	पांडिचेरी	71.55	71.55	71.55	0.00
35.	चण्डीगढ़	119.20	119.20	119.20	0.00
	कुल	56259.03	51315.20	33010.61	18304.59

		2001-02					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.01 को आदिशेष	आवंटन	रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई शेष राशि
1	2	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	2841.00	1420.00	1420.00	175.88	1244.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	1169.25	1441.20	761.50	1930.75	306.10	1624.65
3.	असम	1346.78	3051.00	1525.50	2872.28	-	2872.28
4.	बिहार	654.44	2457.90	1228.50	1882.94	4.35	1878.59
5.	छत्तीसगढ़	471.00	881.20	440.60	911.60	-	911.60
6.	गोवा	0.00	30.20	15.10	15.10	-	15.10
7.	गुजरात	0.00	3265.20	1632.60	1632.60	874.00	758.60
8.	हरियाणा	0.00	471.20	235.60	235.60	129.10	106.50
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3650.00	1861.00	1861.00	669.60	1191.40

1	2	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू व कश्मीर	1296.85	7167.00	0.00	1286.85	–	1286.85
11.	झारखण्ड	1016.85	759.20	379.60	1396.45	–	1396.45
12.	कर्नाटक	711.05	1127.00	563.50	1274.55	–	1274.55
13.	केरल	303.53	3426.00	1713.00	2016.53	–	2016.53
14.	मध्य प्रदेश	950.28	1460.62	729.50	1679.78	–	1679.78
15.	महाराष्ट्र	0.00	3105.07	1552.58	1552.58	–	1552.58
16.	मणिपुर	364.20	1473.15	0.00	364.20	–	364.20
17.	मेघालय	0.00	954.60	477.30	477.30	–	477.30
18.	मिजोरम	68.68	1500.00	750.00	818.68	226.30	592.38
19.	नागालैण्ड	0.00	405.00	230.35	230.35	–	230.35
20.	उड़ीसा	613.44	2003.80	1001.90	1615.53	648.22	967.12
21.	पंजाब	1161.28	1000.50	500.25	1661.53	930.73	730.80
22.	राजस्थान	838.13	3179.00	1589.50	2427.63	814.27	1613.36
23.	सिक्किम	0.00	978.00	489.00	489.00	252.06	236.94
24.	तमिलनाडु	0.00	1500.00	750.00	750.00	0.00	750.00
25.	त्रिपुरा	706.05	1700.00	144.78	850.83	370.00	480.83
26.	उत्तर प्रदेश	1727.00	7534.00	3767.00	5494.00	.	5494.00
27.	उत्तरांचल	0.00	188.40	492.45	246.22	–	434.62
28.	पश्चिम बंगाल	4615.35	5403.00	2701.50	7316.85	1258.65	6058.20
29.	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	0.00	215.00	–	0.00	–	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	0.00	51.60	–	0.00	–	0.00
31.	दमन व दीव	20.00	53.00	–	20.00	6.92	13.08
32.	दिल्ली	80.00	385.00	–	80.00	–	80.00
33.	लक्षद्वीप	12.03	69.30	–	12.03	7.97	8.06
34.	पांडिचेरी	0.00	12.09	–	0.00	32.98	0.00
35.	चण्डीगढ़	0.00	100.00	–	0.00	–	0.00
	कुल	18304.59	64203.48	26706.38	45010.97	6703.13	38340.82

आर डी डब्ल्यू - ग्रामीण पेयजल

नोट : संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में योजना आयोग पीएमजीवाई के तहत संघ राज्य प्रशासनों को एकमुश्त राशि आवंटित करता है जिसमें अन्य के साथ-साथ पीएमजीवाई के सभी घटक शामिल हैं तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन को संघ राज्य क्षेत्रों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है।

अवैध प्रवासियों को वापस भेजना

***387. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश में अवैध प्रवासियों का जल्द पता लगाने और उन्हें वापस भेजने संबंधी सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशियों विषयक संशोधन विधेयक, 2000 लाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सरकार ने विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 पर सिफारिशें करने के लिए उसे विधि आयोग को भेजा था, जिसे 1998 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधि आयोग ने सितंबर, 2000 में अपनी रिपोर्ट दी है। देश में अवैध प्रवासियों का पता लगाने तथा उनके निर्वासन के लिए आयोग ने जो प्रमुख सुझाव दिए उनमें शामिल हैं- आप्रवासी अधिकरण स्थापित करना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, एक अलग आप्रवास कॉडर बनाना, विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए वर्तमान पांच वर्ष की अधिकतम सजा को आठ वर्ष तक बढ़ाना इत्यादि।

सरकार ने सजा बढ़ाने के संबंध में की गई सिफारिश स्वीकार कर ली है तथा उसे विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 में शामिल कर दिया गया है। सरकार ने अन्य संशोधनों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। अत: राज्य सभा में प्रस्तुत किए जा चुके विधेयक पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

उर्वरकों पर राजसहायता

***388. श्री पी.सी. थामस:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय उर्वरकों पर दी जाने वाली राजहायता को कम किया गया है या समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में किसानों को उपलब्ध सभी प्रकार की राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) प्रतिधारण मूल्य सह-राजसहायता योजना के तहत आने वाले एकमात्र उर्वरक ''यूरिया'' के निर्माताओं को सरकार प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जमा शुद्ध लागत पर 12% कर पश्चात लाभ) तथा यूरिया के सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य के अन्तर के रूप में राज-सहायता देती हैं। यूरिया एककों के प्रतिधारण मूल्य एकक-वार निर्धारित किये जाते हैं। सरकार, रियायत योजना के अन्तर्गत आने वाली नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के निर्माताओं और आयातकों को निर्दिष्ट दरों पर रियायत भी देती है क्योंकि इन उर्वरकों के लिए निर्दिष्ट किये अधिकतम खुदरा मूल्य उत्पादन की लागत से कम हैं। एस एस पी के सिवाय नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर रियायत की दरों को कच्चे मालों/मध्यवर्तियों (अमोनिया तथा फास्फोरिक एसिड) के मूल्यों तथा विनिमय दर के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डी ए पी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अनुसार तिमाही आधार पर समायोजित किया जाता है। राजसहायता/रियायत योजना का प्रयोजन किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने के साथ-साथ उर्वरक निर्माताओं को उनकी शुद्ध पूंजी पर मुनासिब लाभ प्रदान करना है।

जैसाकि नीचे दी गई तालिका में गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों पर संवितरित की गई राजसहायता/रियायत की राशि से स्पष्ट है, राजसहायता/रियायत पर व्यय में वृद्धि हुई है।

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	अवधि	यूरिया और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों पर संवितरित की गई राजसहायता/रियायत की कुल राशि
1.	1998-99	11387.16
2.	1999-2000	13244.07
3.	2000-01	13800.00

अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा को प्रोत्साहन

***389. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम बनाने गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है और कितनी धनराशि खर्च की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं:

(1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन कार्यक्रम;

(2) मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

2. इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय लाभाविन्त होता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्कूलों में ऊर्दू शिक्षकों की नियुक्ति; और राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद की दो अन्य योजनाएं, अर्थात्;

(2) उर्दू में डेस्क टाप प्रकाशन कंप्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम; और

(3) उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

सामुदायिक पालिटेक्निक की केंद्रीय योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी लाभान्वित होते हैं।

3. उपर्युक्त के अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिनमें शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

4. गत तीन वर्षों के दौरान योजना बजट और व्यय तथा इस वर्ष का बजट अनुमान विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों का योजनावार बजट एवं किया गया व्यय तथा इस वर्ष के लिए बजट अनुमान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	13.00	13.52	15.00	11.43	18.00	16.70	20.00
2.	मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	7.00	6.74	10.00	4.61	12.00	6.61	12.00
3.	उर्दू में डी टी पी कम्प्यूटर अनुप्रयोग (एन.सी.पी.यू.एल)	0.50	0.49	2.30	2.24	3.53	3.15	4.90
4.	उर्दू, अरबी एवं फारसी में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता (एन.सी.पी.यू.एल.)	0.06	0.05	0.18	0.16	0.20	0.20	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाएं (यू.जी.सी.)	0.50	0.75**	0.50	0.49	1.00	1.08	1.00
6.	अल्पसंख्यक सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)	2.00	2.34	2.00	2.43	2.50	2.72	3.00
7.	उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति #	0.80	–	0.50	–	1.75	–	1.00

**उस वर्ष व्यय मूल बजट अनुमान से अधिक था।

#कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकारों से कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

वन भूमि से इतर परती भूमि के विकास के लिए निगमित निकायों का सहयोग

*390. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन भूमि से इतर परती भूमि के विकास में निगमित निकायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के द्वारा वन भूमि से इतर परती भूमि के कितने क्षेत्रफल का विकास किया गया; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितना निवेश किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों तथा निजी किसानों के स्वामित्व वाली वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए अन्यों के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने हेतु निवेश संवर्धन योजना (केन्द्रीय क्षेत्र) वर्ष 1994-95 से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता तथा प्रवर्त्तकों के अंशदान की भी व्यवस्था है ताकि लाभार्थियों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता और प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1258.70 लाख रुपये के कुल निवेश के साथ 893 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है।

विवरण

निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता तथा प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(क) संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता का ब्यौरा*

(1)	सामान्य श्रेणी (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी काम हो।
(2)	छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का 30 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।

(3)	(क) सीमांत किसान (अलग/अलग/समूह में) (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपयों, जो भी कम हो।
(ख) प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा		
(1)	सामान्य श्रेणी (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत
(2)	छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत
(3)	(क) सीमांत किसान (अलग-अलग/समूह में) (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	शून्य, तथापि, परियोजना के कार्यान्वयन के समय पर स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

*आर्थिक सहायता के परिकलन के प्रयोजन के लिए फार्म के लिए फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों के लिए कुल लागत 20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्कूलों/कालेजों को अपनाना

***391. श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्कूलों/कालेजों, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र के स्कूलों/कालेजों से राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.एस.) के अन्तर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा अपनाये जाने हेतु चयन किये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दक्षिण क्षेत्र के स्कूलों से 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 6 प्रस्तावों को खेल अवस्थापना और प्रतिभा की उपलब्धता के आधार पर अपनाये जाने हेतु अनुमोदित किया गया था। अपनाये जाने के लिए अनुमोदित स्कूल निम्नलिखित हैं:

1. स्पेस सेंटर स्कूल, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)
2. बसवेश्वरा कम्पोजिट जूनियर कालेज, बागलकोटे (कर्नाटक)
3. मैरी मैथ्स हाई स्कूल, पंथलामपदम (केरल)
4. कारमेल हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम, त्रिचूर (केरल)
5. प्रो. अन्नौस्वामी हाई स्कूल, बहौर (पांडिचेरी)
6. डोमाइन सेवियो हायर सैकेण्डरी स्कूल, तिरूपट्टूर, वेल्लोर (तमिलनाडु)

तथापि, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की समीक्षा करने संबंधी निर्णय का अनुपालन करते हुए, उपर्युक्त स्कूलों को अपनाये जाने का काम आस्थगित रखा गया है।

विश्व बाल दिवस

392. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के विकास हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष संघटक योजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

***393. डा. विक्रम सरकार:**
श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वर्ष 1978 से विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजाति उपयोजना (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें और कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजाति उपयोजना (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत उनके शुरू होने के समय से बनाई गई/लागू की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये मांगी गई और प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत मात्रात्मक रूप से कितना लाभ प्राप्त हुआ और क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार और सहारा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने संसाधनों का बहाव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ओर करने के लिए अपने कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में विशेष प्रावधान किए हैं। एस सी पी और टी एस पी के शुरू करने से पूर्व से कार्यक्रम/योजनाएं ये थीं—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा), गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुओं की योजना और जवाहर रोजगार योजना। इन स्कीमों का 1.4.1999 से पुनर्गठन किया गया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक संशोधित योजनाओं को प्रारंभ किया गया जिनमें से सभी योजनाओं में विशेष घटक योजना (एस सी पी) तथा जनजातीय उप योजना (टी एस पी) के लिए भी प्रावधान हैं। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों अर्थात्-सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) का विलय कर दिया गया है और 26.9.2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) प्रारंभ की गई है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि स्वरोजगारियों के 50 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे जबकि, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वार्षिक आबंटन का 22.50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के लिए निर्धारित है। सुनिश्चित रोजगार योजना जो सभी ग्रामीण गरीबों के लिए हैं, में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। ''संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'' (एस जी आर वाई) में भी गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए सुरक्षा का प्रावधान हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ प्रयुक्त किया जाना है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान है कि वे पेयजल आपूर्ति के प्रावधान की निधियों का न्यूनतम 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए इस्तेमाल करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होने वाली जरूरतों को हल करने के लिए समय-समय पर पुनः निर्मित/पुनर्गठित किया जाता रहा है और इसलिए इन्हें अलग-अलग तरीके से संचालित किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से समग्र अवधि के लिए इनका विस्तार नहीं रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी निधियों और योजनावार उनकी उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

7वीं, 8वीं और 9वीं योजनाओं के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनावार केन्द्रीय रिलीज और निधियों का उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	7वीं पंचवर्षीय योजना		8वीं पंचवर्षीय योजना		नौवीं पंचवर्षीय योजना	
		केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जेआरवाई×/जेजी एसवाई	213911.74	245807.66	1457626.05	1748723.35	788800.87	962048.27
2.	आई ए वाई ××	60742.89	78062.84	313420.74	377250.70	639446.01	810837.16
3.	आईआरडीपी ×××/ एसजीएसवाई	146525.76	331582.17	244711.67	487664.98	270114.11	459569.48
4.	ई ए एस@			603024.78	530022.79	783400.72	1033141.35

×योजना अप्रैल, 1989 में शुरू हुई, नौवीं योजना में नवम्बर 2001 तक उपयोग

××इन्दिरा आवास योजना 1985-86 में जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में शुरू हुई थी और यह 1.1.96 से एक स्वतंत्र योजना बन गई।

×××आईआरडीपी 1.4.99 से एसजीएसवाई के रूप में पुनर्गठित की गई है। नौवीं योजना की उपलब्धियां जुलाई, 2001 तक की हैं।

@ई ए एस को 1993-94 के दौरान शुरू किया गया था और नौंवीं योजना के लिए उपलब्धियां सितम्बर, 2001 तक की हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सुदृढ़ बनाया जाना

***394. श्री अमर राय प्रधान:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की समूची व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वर्तमान प्रणाली को सुचारू बनाने तथा कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए अब तक कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केवल श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य, से इस सम्बन्ध में दो पत्र प्राप्त हुए थे। इन पत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय मुक्त स्कूल द्वारा जारी की गई विवरणिका में विस्तृत ब्यौरे पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि छात्रों को कोई असुविधा न हो तथा आवेदकों को अपने आवेदन-पत्र हिन्दी में भी भरने का विकल्प दिए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, को माननीय संसद सदस्य के पत्रों से अवगत करा दिया गया था।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवरणिका 2001-2002 को अब स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में तैयार किया गया है जिससे राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के छात्रों को हो रही असुविधाएं और कठिनाइयां दूर होंगी। आवेदन-पत्रों पर भली-भांति कार्यवाही करने तथा अपने कार्यों को निपटाने के लिए प्रत्यायित संस्थाओं के समन्वयकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समय-समय पर प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित करता है। छात्रों को आवेदन-पत्र हिन्दी में भी भरने का विकल्प प्रदान किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य

***395. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अगस्त, 2001 तक जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) और राजीव गांधी पेयजल मिशन

(आर.जी.डी.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और कितने गांव लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य ग्राम स्तर पर आवश्यकता आधारित ग्रामीण ढांचे का सृजन करना है। यह कार्यक्रम 1.4.99 से शुरू किया गया तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित है। कार्यक्रम को ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों का ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के ब्यौरे वार्षिक रिपोर्टों के जरिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त किये जाते हैं। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए उपलब्ध ब्यौरों का संलग्न विवरण-I में उल्लेख किया गया है। जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 (अगस्त, 2001 तक) शुरू किए गए कार्यों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। 1998-99, 1999-2000 तथा 2001-02 (16 नवम्बर, 2001) के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई ग्रामीण बसावटों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ख) जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए सभी ग्राम पंचायतों को सीधे ही केन्द्रीय निधियां रिलीज की जाती हैं। ग्राम पंचायतों को जारी की गई निधियों के ग्राम-वार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। कार्यक्रम के आरंभ से अब तक (1999-2000) जारी की गई केन्द्रीय निधियों के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे विवरण-IV में संलग्न है3।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां मुहैया कराई जाती हैं। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत मुहैया कराई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण I

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियां

वर्ष	सड़कें					पुलिया					स्कूल भवन				
	शुरू किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./(सं.)	खर्च (रु. लाख में)	शुरु किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई कि.म./सं.)	खर्च (रु. लाख में)	शुरू किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./ सं.	खर्च (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1999-2000	99672	79205	21506	37768.50	21323.82	23671	17101	6837	9538.3	4252.94	22959	17576	14159	15232	7797.06
2000-2001	163900	131851	3979	60293.00	35341.63	32659	24204	9055	15637	6600.53	37600	29307	7878	24903	-

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियां

वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र					वर्क-शेड				
	शुरु किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./सं.)	खर्च (रु. (लाख में)	शुरु किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./सं.)	खर्च (रु. (लाख में)
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1999-2000	2330	1840	490	1592	931.12	4234	2916	1344	2743	625.38
2000-2001	4658	3679	979	3183	1859.5	8460	5826	2686	5480	1237.51

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियां

वर्ष	विपणन सुविधाएं					विविध				
	शुरु किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./सं.)	खर्च (रु. (लाख में)	शुरु किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण हुए कार्यों की सं.	चल रहे कार्यों की सं.	इकाई (कि.म./सं.)	खर्च (रु. (लाख में)
1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1999-2000	2147	1529	651	1454	360.53	44329	29702	15078	26613	9422.93
2000-2001	4288	054	1300	2904	707.06	88658	59404	30156	53226	18811.92

विवरण II

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य

वर्ष	कार्यों की स्थिति (सं. में)		
	पूर्ण कार्य	प्रगतिधीन कार्य	कुल कार्य
1999-2000	698448	262409	960857
2000-01	884652	279681	1164333
2001-02	262704	414476	677180

विवरण III

1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई बसावटों की संख्या (16.11.2001 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर की गई बसावटों की संख्या			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3400	3100	3000	1109
2.	अरुणाचल प्रदेश	101	300	126	2
3.	असम	2707	3460	2826	248
4.	बिहार	8485	864	50	4
5.	छत्तीसगढ़	-	-	7294	1867
6.	गोआ	20	26	8	-
7.	गुजरात	1806	1656	995	174
8.	हरियाणा	733	683	570	176

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1295	1643	2448	764
10.	जम्मू व कश्मीर	685	423	539	0
11.	झारखण्ड	–	–	99	–
12.	कर्नाटक	8451	5626	5506	1044
13.	केरल	522	392	235	41
14.	मध्य प्रदेश	16351	10579	8246	1764
15.	महाराष्ट्र	10348	4690	5608	689
16.	मणिपुर	225	175	20	17
17.	मेघालय	481	390	340	40
18.	मिजोरम	190	210	202	1
19.	नागालैण्ड	62	44	98	33
20.	उड़ीसा	7318	4968	1865	36
21.	पंजाब	155	216	258	16
22.	राजस्थान	5540	6158	10254	4182
23.	सिक्किम	130	130	130	14
24.	तमिलनाडु	7974	6300	6617	1983
25.	त्रिपुरा	764	746	995	90
26.	उत्तर प्रदेश	28117	15572	3473	29
27.	उत्तरांचल	–	–	350	153
28.	प. बंगाल	6916	6191	6317	2018
29.	अंडमान निकोबार	15	15	20	–
30.	दादर व नागर हवेली	63	70	57	11
31.	दमन व दीव	0	0	0	0
32.	दिल्ली	62	0	0	–
33.	लक्षद्वीप	3	3	3	2
34.	पांडिचेरी	14	7	7	0
	कुल	112933	74637	68556	16507

विवरण IV

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान आबंटन तथा रिलीज

(क) आवंटन तथा रिलीजें

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			रिलीज		
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र (मार्च)	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9319.52	3106.51	12426.03	9617.32	3205.45	12822.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	204.90	68.30	273.20	142.71	47.57	190.28
3.	असम	5324.02	1774.67	7098.69	3787.01	1262.21	5049.22
4.	बिहार	30529.68	10176.56	40706.24	28484.06	9493.74	37977.80
5.	गोवा	137.12	45.71	182.82	124.11	41.37	165.48
6.	गुजरात	3508.04	1169.35	4677.39	3508.03	1169.23	4677.26
7.	हरियाणा	2063.84	687.95	2751.79	2063.87	343.94	2407.81
8.	हिमाचल प्रदेश	869.16	289.72	1158.88	1752.41	584.08	2336.49
9.	जम्मू व कश्मीर	1075.71	358.57	1434.28	897.74	299.22	1196.96
10.	कर्नाटक	7037.56	2345.85	9383.41	7037.56	2345.62	9383.18
11.	केरल	3157.73	1052.58	4210.30	3157.72	1052.47	4210.19
12.	मध्य प्रदेश	15474.69	5158.23	20632.92	16926.38	5641.56	22567.94
13.	महाराष्ट्र	13911.52	4637.17	18548.70	13911.47	4636.69	18548.16
14.	मणिपुर	356.92	118.97	475.89	115.54	38.51	154.05
15.	मेघालय	399.88	133.29	533.17	132.18	44.06	176.24
16.	मिजोरम	92.53	30.84	123.38	92.37	30.79	123.16
17.	नागालैंड	274.30	91.43	365.73	223.90	74.63	298.53
18.	उड़ीसा	10659.61	3553.20	14212.82	15974.14	5324.18	21298.32
19.	पंजाब	1003.01	334.34	1337.34	975.08	324.99	1300.07
20.	राजस्थान	5343.85	1781.28	7125.14	5343.85	1781.11	7124.96

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	102.45	34.15	136.60	102.45	34:15	136.60
22.	तमिलनाडु	8240.50	2746.83	10987.33	9163.14	3054.07	12217.21
23.	त्रिपुरा	644.43	214.81	859.23	487.95	162.63	650.58
24.	उत्तर प्रदेश	33598.18	11199.39	44797.57	33593.14	11196.59	44789.73
25.	प. बंगाल	11846.03	3948.68	15794.71	10800.26	3599.73	14399.99
26.	अ. नि. द्वीप समूह	93.87	0.00	93.87	13.00	0.00	13.00
27.	दा. न. हवेली	61.96	0.00	61.96	30.98	0.00	30.98
28.	दमन व दीव	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	47.06	0.00	47.06	23.53	0.00	23.53
30.	पांडिचेरी	91.91	0.00	91.91	45.96	0.00	45.96
	कुल	165500.00	55058.39	220558.40	168527.86	55788.57	224316.43

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 2000-01 तथा 2001-02 (दिसम्बर, 2001 तक) के दौरान आबंटन तथा रिलीज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			रिलीज			संशोधित आबंटन			रिलीज		
		केन्द्र (2000-01)	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र (2001-02)	राज्य	कुल	केन्द्र (12.12.01)	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8727.55	2908.89	11636.45	8224.23	2741.14	10965.37	9921.52	3307.17	13228.70	3089.61	1029.87	4119.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	456.91	152.29	609.19	367.68	122.55	490.23	519.38	173.13	692.51	228.46	76.15	304.61
3.	असम	11872.04	3956.95	15828.99	0.00	0.00	0.00	13495.28	4498.43	17993.71	6747.64	3249.21	8996.85
4.	बिहार	16476.68	5491.27	21967.95	13707.02	4568.55	18275.57	18730.78	6243.59	24974.37	8481.93	2823.98	11295.85
5.	छत्तीसगढ़	5094.75	1698.25	6793.00	3604.68	1201.44	4806.12	4197.65	1399.22	5596.87	2191.34	730.45	2921.79
6.	गोवा	128.41	42.80	171.21	128.41	82.80	171.21	145.98	48.66	194.64	64.21	21.40	85.61
7.	गुजरात	3285.21	1094.96	4380.17	3273.12	1090.93	4364.05	3734.65	1244.88	4979.54	1596.02	532.01	2128.03
8.	हरियाणा	1932.75	644.18	2576.93	1863.61	621.14	2484.75	2197.16	732.39	2929.55	1466.76	488.92	1955.68
9.	हिमाचल प्रदेश	813.95	271.29	1085.24	661.34	220.42	881.76	925.31	308.44	1233.74	656.07	218.69	874.76
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1007.38	335.76	1343.14	720.25	240.06	960.31	1145.20	381.73	1526.93	645.52	215.17	860.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	12113.79	4037.93	16151.72	9644.14	3214.71	12858.85	13771.01	4590.34	18361.34	5804.56	1934.75	7739.01
12.	कर्नाटक	6590.54	2196.63	8787.17	5165.38	1721.62	6887.00	7492.16	2497.39	9989.55	6701.64	2233.88	8935.52
13.	केरल	2957.15	985.62	3942.77	2725.50	908.41	3633.91	3361.70	1120.57	4482.27	1478.67	492.89	1971.56
14.	मध्य प्रदेश	9397.00	3131.85	12528.85	10574.87	3524.60	14099.47	12276.64	4092.21	16368.86	12276.62	4092.21	16368.83
15.	महाराष्ट्र	13027.87	4342.19	17370.07	9673.91	3224.31	12898.22	14810.16	4936.72	19746.88	7405.07	2468.36	9873.43
16.	मणिपुर	795.90	265.27	1061.17	530.58	176.84	707.42	904.72	301.57	1206.30	276.54	92.18	368.72
17.	मेघालय	891.69	297.20	1188.89	763.61	254.51	1018.12	1013.61	337.87	1351.48	445.86	148.62	594.84
18.	मिजोरम	206.33	68.77	275.10	206.33	68.77	275.10	234.54	78.18	312.72	117.27	39.09	156.36
19.	नागालैंड	611.66	203.87	815.53	454.48	151.48	605.96	695.29	231.76	927.05	466.03	155.34	621.37
20.	उड़ीसा	9982.52	3327.17	13309.70	8971.67	2990.26	11971.93	11348.19	3782.73	15130.91	5542.80	1847.60	7390.40
21.	पंजाब	939.30	313.07	1252.37	901.02	300.31	1201.33	1067.80	355.93	1423.73	855.59	285.20	1140.79
22	राजस्थान	5004.41	1667.97	6672.39	4781.45	1593.66	6375.11	5689.04	1896.35	7585.39	5689.05	1896.35	7585.40
23.	सिक्किम	228.45	76.14	304.60	228.45	76.14	304.59	259.69	86.56	346.25	114.23	38.08	152.31
24.	तमिलनाडु	7717.07	2572.10	10289.17	7716.72	2571.98	10288.70	8772.80	2923.27	11697.06	4386.39	1462.13	5848.52
25.	त्रिपुरा	1437.02	478.96	1915.97	1437.02	478.96	1915.98	1633.50	544.50	2178.00	1627.61	542.54	2170.15
26.	उत्तर प्रदेश	1960.17	653.39	2613.56	1513.13	504.38	2017.51	2228.37	742.79	2971.17	980.17	326.72	1306.89
27.	उत्तरांचल	29503.89	9833.58	39337.47	25274.21	4930.54	30204.75	33540.13	11180.04	44720.18	17167.73	5722.58	22890.31
28.	प. बंगाल	11093.58	3697.49	14791.07	9469.13	3156.06	12625.19	12611.24	4203.75	16814.98	8202.38	2734.13	10936.51
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	84.64	0.00	84.64	54.04	0.00	54.04	96.21	0.00	96.21	42.32	0.00	42.32
30.	दा. न. हवेली	55.87	0.00	55.87	54.23	0.00	54.23	63.51	0.00	63.51	27.94	0.00	27.94
31.	दमन व दीव	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	48.23	21.22	0.00	21.22
33.	पांडिचेरी	86.00	0.00	86.00	66.56	0.00	66.56	97.76	0.00	97.76	43.00	0.00	43.00
	जोड़	164550.00	54745.85	219298.85	132756.77	44252.26	177009.03	187060.00	62241.1	249301.17	104829.95	34898.49	139728.44

विवरण-V

2000-01 तथा 2001-02 के दौरान पी.एस.जी.वाई. आर.डी.डब्ल्यू. के अन्तर्गत रिलीज

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज 2000-2001	2001-2002*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	1420.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2550.00	761.50
3.	असम	1346.78	1525.50
4.	बिहार	2154.37	1228.50
5.	छत्तीसगढ़	471.00	440.60
6.	गोवा	5.85	15.10
7.	गुजरात	2590.85	1632.60
8.	हरियाणा	471.20	235.60
9.	हिमाचल प्रदेश	3077.00	1861.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1288.85	0.00
11.	झारखण्ड	1016.85	379.60
12.	कर्नाटक	1127.00	563.50
13.	केरल	518.10	1713.00
14.	मध्य प्रदेश	1803.55	729.50
15.	महाराष्ट्र	2414.00	1552.58
16.	मणिपुर	364.20	0.00
17.	मेघालय	1000.00	477.30
18.	मिजोरम	1006.00	750.00
19.	नागालैंड	1322.00	230.35
20.	उड़ीसा	2478.25	1001.90
21.	पंजाब	1616.00	500.25
22.	राजस्थान	2158.00	1589.50
23.	सिक्किम	600.00	489.50
24.	तमिलनाडु	1571.85	750.00
25.	त्रिपुरा	2033.22	144.78
26.	उत्तर प्रदेश	6727.00	3767.00
27.	उत्तरांचल	188.40	246.22
28.	पश्चिम बंगाल	5874.00	2701.50
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	154.00	
30.	दादर व नगर हवेली	37.80	
31.	दमन व दीव	54.50	
32.	दिल्ली	200.00	
33.	लक्षद्वीप	64.93	
34.	पांडिचेरी	71.55	
35.	चण्डीगढ़	119.20	
	कुल	51315.20	26706.38

आर.डी.डब्ल्यू - ग्रामीण पेयजल * 16.11.2001 तक

1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा डी.डी.पी.के. अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी. के अन्तर्गत रिलीज				डी.डी.पी. के अन्तर्गत रिलीज			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002*	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	9991.36	12534.37	11600.00	6522.00	42.08	0.00	1659.00	422.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	2163.82	1980.80	2182.50	2238.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	6417.00	2090.00	5459.78	3780.50				
4.	बिहार	0.00	4690.00	0.00	0.00				
5.	छत्तीसगढ़	-	-	1580.00	1938.50				
6.	गोवा	0.00	0.00	888.59	727.50				
7.	गुजरात	6951.35	7442.20	16255.00	7376.30	200.00	400.00	1230.00	400.00
8.	हरियाणा	2025.04	2407.24	1880.18	1100.00	1452.43	1450.43	19.00	454.32
9.	हिमाचल प्रदेश	2913.27	3075.08	5091.00	2776.00	26.32	32.86	293.50	3.71
10.	जम्मू व कश्मीर	4659.41	3190.72	3694.00	4948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	-	-	2359.50	0.00				
12.	कर्नाटक	10070.63	11409.40	8165.12	6207.00	478.79	0.00	254.50	566.87
13.	केरल	4673.49	4568.30	4022.42	3165.50				
14.	मध्य प्रदेश	11061.14	12330.44	9529.00	4438.50				
15.	महाराष्ट्र	16364.68	17302.37	16934.00	9579.50				
16.	मणिपुर	666.74	0.00	0.00	0.00				
17.	मेघालय	1709.00	779.20	1644.08	880.00				
18.	मिजोरम	1017.66	696.00	1161.99	628.50				
19.	नागालैंड	796.90	579.20	822.61	1308.00				
20.	उड़ीसा	4793.75	4847.93	3106.50	3131.78				
21.	पंजाब	2205.28	2320.64	1783.00	1685.50				
22.	राजस्थान	11941.63	12002.50	16361.00	9352.50	4564.84	3651.87	4151.00	2897.33
23.	सिक्किम	401.12	695.59	325.00	268.00				
24.	तमिलनाडु	10527.51	8958.28	7308.00	7956.00				
25.	त्रिपुरा	2128.95	1662.00	1521.00	779.50				
26.	उत्तर प्रदेश	16297.06	14825.12	10884.83	6634.50				
27.	उत्तरांचल	-	-	2304.00	1678.00				
28.	प. बंगाल	6426.91	5606.45	7837.31	4386.50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान निकोबार		0.00	0.00	0.00				
30.	दादर व नगर हवेली		0.00	3.50	0.00				
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00					
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00					
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00					
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00					
	कुल	136223.70	135993.84	144703.91	93486.08	6764.46	5535.16	7607.00	4745.07

*16.11.01 तक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कृत्य और अनुसंधान के संघटक

***396. श्री साहिब सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की संरचना उसके कृत्य और अनुसंधान के संघटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. में प्रतिवर्ष औसतन कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की सहभागिता और इसकी भागीदारी से किसी आय का सृजन भी हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एन.सी.ई.आर.टी. में सूचना प्रौद्योगिकी के और आदान जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो सचूना प्रौद्योगिकी की भागीदारी हेतु कौन-सी संदर्शी योजना बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं। परिषद के पांच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं जो क्रमशः अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थिति हैं। इसका अन्य घटक अर्थात व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पंडित सुन्दरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान) भोपाल में स्थित हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति नामक स्थायी समिति भी है जिसका कार्य देश में स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण करके शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार का संवर्धन करना है। शैक्षिक नीति के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से अपने विभिन्न विभागों तथा घटकों से संकाय सदस्यों के दल बनाकर यह परिषद राष्ट्रीय स्तर के अध्ययनों हेतु सामग्री तैयार करके उनका कार्यान्वयन भी करती है।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में हुआ औसत खर्च इस प्रकार है:

योजनेतर	योजनागत	कुल
80.64 रु.	8.17 रु.	88.81 रु.

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पाठ्यचार्य मार्ग-निर्देश और पाठ्यविवरण तैयार किया है। यह परिषद शीघ्र ही इन

पाठ्यचर्या मार्गनिर्देशों और पाठ्यविवरण के आधार पर बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं निकालेगी। यह परिषद नई पाठ्यचर्या के आधार पर शैक्षिक साफ्टवेयर भी तैयार करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपने कार्यकरण के लिए दिल्ली स्थित एन.आई.ई. परिसर के साथ अपने विभिन्न घटकों को "स्थानीय क्षेत्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क" की स्थापना करने वाली है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर आधारित ग्राफिक और एनिमेशन तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में सूचना देने के उद्देश्य से इसने वेबसाईट बनाई है।

ग्रामीण सड़कें

***397. श्री के. येरननायडु:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान 1,000 से अधिक और 1,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) वर्ष 2001 तक (दसवीं योजना अवधि के अन्त) 500 लोगों से अधिक की आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क संपर्कता मुहैया कराने की दृष्टि से दिसम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी।

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए निधियों के आबंटन और कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.00
3.	असम	75.00
4.	बिहार	150.00
5.	छत्तीसगढ़	87.00
6.	गोवा	5.00
7.	गुजरात	50.00
8.	हरियाणा	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00
11.	झारखंड	110.00
12.	कर्नाटक	95.00
13.	केरल	20.00
14.	मध्य प्रदेश	213.00
15.	महाराष्ट्र	130.00
16.	मणिपुर	40.00
17.	मेघालय	35.00
18.	मिजोरम	20.00
19.	नागालैंड	20.00
20.	उड़ीसा	175.00
21.	पंजाब	25.00
22.	राजस्थान	130.00
23.	सिक्किम	20.00

1	2	3
24.	तमिलनाडु	80.00
25.	त्रिपुरा	25.00
26.	उत्तर प्रदेश	315.00
27.	उत्तरांचल	60.00
28.	प. बंगाल	135.00
29.	अ. व. नि. द्वीपसमूह	10.00
30.	दा.न. हवेली	5.00
31.	दमन व दीव	5.00
32.	लक्षद्वीप	5.00
33.	पांडिचेरी	5.00
	कुल	2370.00

*वर्ष 2001-2002 के लिए आंवटन को पिछले वर्ष के स्तर पर रखा गया है।

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान निश्चित किए गए लक्ष्य और प्रगति

क्र. सं.	राज्य	1000 + की आबादी			500-999 लोगों की आबादी			250-499 लोगों की आबादी		
		सड़कों से न जुड़ी बसावटों- की सं.	2000-01 में कवर की गई सं.	2001-02 में कवर की गई सं.	सड़कों से न जुड़ी बसावटों की सं.	2000-01 में कवर की की गई सं.	2001-02 में कवर की गई सं.	सड़कों से न जुड़ी बसावटों की सं.	2000-01 में कवर की सं.	2001-02 में कवर की गई सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश*	106	48	0	223	64	0	933	27	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	65	0	11	123	3	37	346	0	60
3.	असम	3491	56	856	3070	4	80	2224	6	17
4.	बिहार*	11547	322	0	7606	73	0	5822	31	0
5.	छत्तीसगढ़	2635	0	324	6134	0	128	6839	0	67
6.	गोवा	3	1	2	8	4	4	9	3	6
7.	गुजरात	401	12	159	2306	54	232	3052	0	1
8.	हरियाणा	1	0	0	2	0	0	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	236	16	65	866	54	147	2297	131	98
10	जम्मू एवं कश्मीर*	840	25	0	984	26	0	1165	7	0
11.	झारखंड	2534	243	319	4427	150	117	6396	137	62
12.	कर्नाटक*	275	40	0	256	21	0	603	20	0
13.	केरल	2224	29	148	2306	3	33	885	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मध्य प्रदेश	2383	554	488	6819	98	97	17218	66	85
15.	महाराष्ट्र*	224	49	0	841	16	0	2454	15	0
16.	मणिपुर	28	12	15	151	25	35	336	25	14
17.	मेघालय	14	0	4	196	0	33	702	0	29
18.	मिजोरम	37	3	17	114	3	6	124	1	7
19.	नागालैंड	29	0	10	83	29	1	62	31	3
20.	उड़ीसा	3856	542	750	6786	379	273	7447	209	172
21.	पंजाब	90	65	25	460	24	234	351	0	6
22.	राजस्थान	3088	341	619	6695	0	0	5299	0	0
23.	सिक्किम	17	0	9	138	0	4	175	0	9
24.	तमिलनाडु	768	339	84	1345	409	217	1535	75	47
25.	त्रिपुरा	203	26	18	706	56	32	1182	101	65
26.	उत्तर प्रदेश	121141	2956	981	18584	392	33	16290	59	0
27.	उत्तरांचल*	100	1	0	524	16	0	1439	5	0
28.	प. बंगाल	11478	422	722	8837	69	0	5061	60	94

*इन राज्यों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

शिक्षा-प्रणाली में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम

***398. श्री पी. डी. एलानगोवन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा-प्रणालियों में रोजगारोन्मुखी डिग्री/डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सरकार की कोई नई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पुराने पाठ्य विवरण के संबंध में कोई छानबीन कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सुरुचि सम्पन्नता और आत्मिक क्षेत्रों में मानवीय विकास का संवर्धन करना है। अत: समग्र अर्थ में शिक्षा का संबंध केवल रोजगारोन्मुख शिक्षा से ही नहीं है अपितु उससे कहीं अधिक है। तथापि, इस बात पर ध्यान देते हुए कि विद्यार्थी समाज में अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक भूमिका निभा पाए समूचे शैक्षिक परिदृष्य में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय स्तर पर यह शिक्षा + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय के रूप में दी जा रही है। अधिकतर विश्वविद्यालयों और कालेंजों में प्रथम डिग्री स्तर पर तृतीय स्तरीय व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जा रहा है। सामुदायिक पॉलिटेक्निकों सहित सभी पॉलिटेक्निकों द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा अन्य संस्थाओं द्वारा भी दी जा रही है जिनमें जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों को भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुदान देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद और कुछ सम-विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी गांधीवादी पद्धति के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है।

कालान्तर में शिक्षा प्रणाली का यह भी प्रयास होगा कि वह छात्रों में उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर बढ़ाए।

राष्ट्रीय इक्विटी कोष

***399. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से होने वाली आय से राष्ट्रीय इक्विटी कोष (नेशनल इक्विटी फंड) की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कोष का किस प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने की संभावना है; और

(ग) इसका उपयोग कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) विनिवेश से प्राप्त अर्थागम का एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव समय-समय पर उठाया जाता रहा है। विनिवेश आयोग ने भी विनिवेश कोष स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस मुद्दे पर विचार भी किया गया है और फिलहाल सरकार की सोच नितान्त रूप से इस प्रकार के कोष स्थापित करने के पक्ष में नहीं है।

(ख) और (ग) विनिवेश की प्राप्तियों को भारत सरकार की अन्य प्राप्तियों के समान ही भारत के संचित कोष में जमा कराया जाता है। भारत के संचित कोष से किए जाने वाले व्यय में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों का परिव्यय शामिल होता है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में उल्लेख किया है, वर्ष 2001-2002 के दौरान विनिवेश से 12 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति में से 7000 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना में सहायता प्रदान करने, कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने और ऋण के बोझ को कम करने के लिए किया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए की प्रत्याशित आय के वसूल हो जाने की दशा में 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में योजना को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।

यह उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों का प्रत्येक वर्ष का कुल वार्षिक व्यय (सामाजिक तथा आधारभूत संरचना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि) उन वर्षों में विनिवेश की प्राप्तियों से कहीं अधिक होता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे

***400. श्री भान सिंह भौरा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों (डी पी ई पी) के अंतर्गत प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों (ड्राप आउट) की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) पुनर्गठित कोहॉर्ट पद्धति अपनाकर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के बारे में लगातार दो वर्षों अर्थात 1998-99/1999-2000 के आकड़ों का उपयोग करके 13 राज्यों के 131 जिलों के संबंध में एक अध्ययन किया गया है। इस प्रकार का एक और अध्ययन 102 जिलों के संबंध में लगातार दो वर्षों अर्थात 1999-2000/2000-2001 के आंकड़ों का उपयोग करके किया गया है। इन अध्ययनों के अनुसार पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की राज्यवार, कक्षावार दर इस प्रकार है:

राज्य	कक्षा							
	1998-99/1999-2000				1999-2000/2000-2001			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
असम*	25.4	14.5	7.9	-	37.6	11.2	13.9	-
कर्नाटक*	4.2	3.1	5.6	-	5.7	4.6	7.4	-
केरल*	0.9	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-
पश्चिम बंगाल*	8.1	7.2	5.0	-	13.1	7.2	8.0	-
बिहार	23.1	15.7	16.4	13.9	14.3	11.6	13.8	12.5
गुजरात	4.6	4.6	5.1	7.3	5.5	5.0	6.3	5.5
हरियाणा	6.3	5.6	4.9	0.5	5.4	7.3	9.7	4.5
हिमाचल प्रदेश	1.7	3.3	2.2	2.0	0.7	3.2	2.4	2.8
मध्य प्रदेश	5.9	0.5	9.3	0.5	8.6	2.0	10.9	3.7
महाराष्ट्र	5.4	3.9	4.6	7.3	7.0	4.3	5.0	9.8
उड़ीसा	6.3	6.9	9.5	9.7	3.0	9.1	12.0	10.8
तमिलनाडु	6.4	4.1	2.6	3.6	4.8	1.1	0.8	2.2
उत्तर प्रदेश	12.7	11.3	12.8	9.2	16.0	9.7	16.6	13.0

*इन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक हैं।

(ग) विभिन्न सर्वेक्षणों में अभिचिह्नित कारणों के आधार पर छोड़ने की दर कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) समुदाय द्वारा हाजिरी की मानीटरिंग।

(2) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए सूक्ष्म आयोजना और परिवार सर्वेक्षण।

(3) बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखने हेतु अभियान चलाना।

(4) स्कूल में बच्चों को बनाए रखने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार।

(5) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम/स्कूल वापसी शिविरों आदि का आयोजन।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. के अध्यापक

4216. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद हैं;

(ख) ऐसे कितने पद हैं जिन पर अनुसूचित जातियों के अध्यापक कार्यरत हैं;

(ग) इन विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. के अध्यापकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय

विद्यालय समिति में शिक्षकों के पदों की कुल संख्या तथा उनमें से नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों के कुछ पद रिक्त हैं।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों के पदों की कुल संख्या के ब्यौरे तथा उनमें से नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

संस्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्तमान अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या	नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)
31987	3161	*

नवोदय विद्यालय समिति

संस्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्तमान अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या	नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)
8168	1380	168

*केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

औषधि व्यापारियों के लिए लाइसेंस

4217. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक डीलर के लिए, औषधियों के वितरण, भण्डारण और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधि और प्रसाधन अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने का है जिससे उपभोक्ताओं को लाइसेंस प्राप्त खुदरे फार्मेसिस्टों के माध्यम से ही औषधियों की आपूर्ति हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) औषधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस विभिन्न श्रेणियों में मंजूर किए जाते हैं तथा फार्म 20-बी और 21-बी में थोक बिक्री लाइसेंस, फार्म 20 और 21 में औषध की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, फार्म 20-ए और 21-ए के तहत औषधों की बिक्री के लिए परिसीमित लाइसेंस और होम्योपैथी औषधों की बिक्री के लिए फार्म 20-डी और 20-ई। औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के भाग 6 और 6(क) के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा और बिक्री लाईसेंस की शर्त निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है कि उपभोक्ता को औषधों की सप्लाई केवल लाइसेंसशुदा खुदरा फार्मासिस्ट के माध्यम से की जानी है।

दिल्ली पुलिस हेतु नीति नियोजन समूह

4218. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में दिल्ली पुलिस के वित्तीय ढांचे के अध्ययन के लिए नीति नियोजन समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो दल ने क्या मुख्य सिफारिशें/सुझाव दिये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस और अन्य कुछ केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वित्तीय ढांचे को सुदृढ बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक नीति नियोजन ग्रुप गठित किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस के बारे में दी गई मुख्य सिफारिशों में बढ़ाई गई वित्तीय शक्तियों को दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने और दिल्ली पुलिस के लेखा तथा परीक्षा ढांचे को सुदृढ करने से संबंधित है।

पत्रकारों द्वारा माफिया सरगना छोटा शकील को सूचनाएं देना

4219. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराध का समाचार देने वाले कतिपय पत्रकार अपराध जगत के माफिया छोटा शकील को सूचनाएं पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। ऐसा कोई भी मामला आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है। इस समय मुंबई पुलिस, पत्रकारों के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के बारे में किसी भी मामले की जांच पड़ताल नहीं कर रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को निधियां जारी करना

4220. श्री जय प्रकाश: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को शिकायतें मिली हैं कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को निधियां जारी होने में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय निकायों को सीधे ही निधियां आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि-5 के अनुसार, ''स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ स्थानीय शासन अर्थात, नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला परिषदों, खनन बंदोबस्त प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के गठन और शक्तियां'' राज्य के विषय हैं। इसके मद्देनजर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों के लिए स्थानीय निकायों को सीधे धन आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दमन और दीव में सड़कें

4221. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव में जिला पंचायतों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की तुलना में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को और अधिक मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायतों को क्रमशः उनके द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई के अनुपात में निधियों के आबंटन के लिए सूत्र तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र में जिला पंचायतों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की तुलना में पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों की अधिक मरम्मत करने और रखरखाव करने की जरूरत नहीं है तथा सभी श्रेणियों की सड़कों के रखरखाव के लिए निधियां, जरूरत और निधियों की उपलब्धता के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

[हिन्दी]

संवर्ग परिवर्तन संबंधी समिति

4222. श्री राजो सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य से झारखंड राज्य के सृजन के बाद राज्य संवर्ण में आवंटन को लेकर अखिल भारतीय सेवा और राज्य संवर्ण के अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) इन दो राज्यों के बीच राज्य पुलिस प्रशासन का अंतर-परिवर्तन कब तक किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) दो समितियां गठित की गई हैं एक, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बिहार और झारखड में आवंटन करने के उत्पन्न मामलों की जांच करने के लिए और दूसरी उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लिए राज्य सेवा अधिकारियों की अनंतिम आवंटन सूची तैयार करने और राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए।

(ख) भूतपूर्व बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से 22 अभ्यावेदन, आई एफ एस अधिकारियों से 17 अभ्यावेदन और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से 51 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। बिहार और झारखंड के राज्य सेवा अधिकारियों की अनंतिम सूची अभी अधिसूचित नहीं की गई है। सूची अधिसूचित होने के बाद ही अभ्यावेदन प्राप्त होंगे। तथापि, समिति को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अस्थायी आवंटन आदेशों के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्य पुलिस सेवाओं सहित राज्य सेवा अधिकारियों के अंतिम आवंटन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

सेन्टूर होटल का विनिवेश

4223. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई और दिल्ली स्थित सेन्टूर होटलों का विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) संतूर होटल एयरपोर्ट मुम्बई, संतूर होटल जुहू बीच, मुम्बई सहित होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के अलग-अलग कारोबारों का और संतूर होटल एयरपोर्ट दिल्ली का (सेफेयर दिल्ली सहित) मंद बिक्री के आधार पर अर्थात चल रही कंपनी के रूप में विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। विधिवत प्रक्रिया अपनाने के बाद इन परिसंपत्तियों के लिए नवम्बर, 2001 के दौरान बोलियां आमंत्रित की गयी थी। संतूर होटल जुहू बीच मुम्बई के संबंध में तुलिप स्टार होटल्स लि. की सहायक कंपनी सैसर्स तुलिप हॉस्पीटेलिटी सर्विसेज प्राइवेट लि. से प्राप्त 153 करोड़ रुपए की बोली को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मुम्बई और दिल्ली स्थित संतूर एयरपोर्ट होटलों की बोलियों को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि ये बोलियां उन संबंधित आरक्षित मूल्यों से कम थी जो तय किये गये थे।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों की पिछली सेवा की गणना

4224. श्री संतोष मोहन देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने अध्यापकों की केन्द्रीय विद्यालय से जुड़ने से पूर्व की सेवाओं की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्यापकों द्वारा उन मान्यताप्राप्त विद्यालयों जो कि राज्य सरकारों से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, में की गई सेवा की गणना पेंशन के लिए भी की जाती है;

(ग) चंडीगढ़ क्षेत्र से अध्यापकों द्वारा की गई पिछली सेवाओं की गणना हेतु लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इतने अधिक विलम्बन के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछली सेवा की गणना के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। इस संबंध में विभिन्न शर्तों जैसे किसी अन्य विभाग में नियोजन के लिए उचित माध्यम से आवेदन करना, वर्तमान शिक्षकों के लिये निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 31.12.90. से पहले विकल्प का प्रयोग करना, पिछले विभाग(गों) द्वारा यथानुपात सेवानिवृति लाभों का परित्याग करना, आदि को पूरा करना आवश्यक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) दो स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के मामले को कुछ और आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने के लिये शिक्षकों के संबंधित कार्यालयों/शिक्षकों के साथ उठाया गया है जिनके प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम रूप देने के लिये इन मामलों की जांच की जायेगी।

आदिवासियों के कल्याण हेतु योजनाएं

4225. श्री जे.एस. बराड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उनके मंत्रालय में वेतन, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते तथा आदिवासियों के लिए केन्द्रीय योजनाओं पर अलग-अलग कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ख) आदिवासियों के लिए चालू केन्द्रीय योजनाओं, उनके पूरा होने की तिथि और उनके लिए किए गए बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय एक अलग मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग होकर अक्तूबर, 1999 में अस्तित्व में आया और तत्कालीन मंत्रालय के संयुक्त बजट के अंतर्गत कार्यशील हुआ। अत: यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते, वेतन आदि का कोई अलग लेखा-जोखा वर्ष 1999-2000 के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय में 2000-2001 के दौरान वेतन, यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते आदि पर किया गया व्यय निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)		
		टी ए/डी ए	वेतन	केन्द्रीय योजना
1.	1999-2000	-	-	559.72
2.	2000-2001	016	1.21	715.07

(ख) इस मंत्रालय में जनजातियों के लिए चल रही केन्द्रीय योजनाओं का विवरण संलग्न है। ये योजनाएं सतत् स्वरूप की हैं?

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान (2000-01)
1	2	3
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	500.00
2.	अनच्छेद 275(1)	300.00
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	63.00

1	2	3
4.	जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास	10.50
5.	जनजातीय लड़कों के छात्रावास	10.00
6.	अखिल भारतीय या अतंर्राज्यीय स्वरूप परियोजना	0.50
7.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	4.00
8.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	3.50
9.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	7.00
10.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	11.00
11.	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	12.00
12.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	27.00
13.	ग्राम अन्न बैंक	2.00
14.	समेकित आदिम जनजातीय समूहों का विकास	14.50
15.	कोचिंग एवं सम्बद्ध	1.20
16.	पुस्तक बैंक	0.80
17.	प्रतिभा उन्नयन	0.30
18.	जनजातियों के राष्ट्रीय संस्थान	3.50
19.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	12.50
20.	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान	24.00
21.	सूचना तथा मास मीडिया	1.50
22.	गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	0.40
23.	विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय समुदायों/प्रतिनिधियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान	0.20
24.	राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम	2.00
25.	ट्राइफेड में निवेश	1.00
26.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	27.00
	कुल	1040.00

दावा करने पर कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को भुगतान

4226. **डा. संजय पासवान** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि किसी कर्मचारी का पिछले सात सालों से कोई अता-पता न हो और तदन्तर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है तो क्या उसकी सारी देयतायों का भुगतान उसके उत्तराधिकारी द्वारा दावा करने पर उसे कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली जोन-3, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दावा किए जाने के दो वर्षों के बीत जाने के बाद भी ऐसे कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सामान्यत: क्या समय-सीमा निर्धारित की जाती है; और

(घ) सरकार का विचार ऐसे सभी लम्बित मामलों में शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केवल दो ऐसे मामले लंबित हैं क्योंकि दावेदार द्वारा अपेक्षित कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार को दिया गया स्थान

4227. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज में स्थानीय दुकानों और फेरी वालों के लिए उद्दिष्ट स्थलों सहित वहां सामुदायिक केन्द्र के लिए निर्धारित स्थान को दिल्ली सरकार को अपने साइबर सेन्टर बनाने के लिए दे दिया है; और

(ख) सांविधिक मास्टर प्लान में यथाअभिकल्पित और पहले से अनधिकृत रूप से मौजूद एवं नागरिकों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई स्थानीय आवश्यकताओं की 500 दुकानों और 110 पटरी वालों के लिए क्या वैकल्पिक योजना तैयार की गई है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसने वसंत कुंज में एक स्थानीय तथा सुलभ शॉपिंग सेंटर की योजना बनायी है जिसमें अनौपचारिक सेक्टर अर्थात् फलों एवं सब्जी के लिए स्टॉल/प्लेटफार्म तथा रिपेयर शॉप (मरम्मत की दुकानें) के लिये 62 दुकानों का प्रावधान है।

द्वारका में मकानों के आवंटन में अनियमितताएं

4228. **श्री रामजी मांझी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका के सेक्टर 19 में नेवल ड्राफ्ट्समेन एसोसिएशन को 104 मकानों के आवंटन के संबंध में कुछ अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) क्या इन सभी मकानों को भवन निर्माताओं को बेच दिया गया है और उनके मौलिक आवंटियों के बारे में डी.डी.ए. के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त आवंटन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस जांच में कोई सफलता मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अखिल भारतीय नौसेना ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन जिसमें केवल सरकारी (नौसेना) कर्मचारी शामिल हैं, अत: इसे एक सरकारी संगठन मानते हुए एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम (ई.एच.एस.) के फ्लैट आबंटित करने का निर्णय किया गया था। यह एसोसिएशन 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत है। तदनुसार एसोसिएशन को द्वारका और नासिरपुर में टाईप ''ए'' और ''बी'' के 104 ई.एच.एस. फ्लैट आबंटित किए गए।

एसोसिएशन के नाम से मांग एवं आवंटन-पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दो गलतियां हुई:-

(1) एसोसिएशन को सरकारी संगठन मानते हुए फ्लैट आबंटित किए गए थे अत: प्राधिकार संकल्प सं. 105/96 के अनुसार जो छूट एसोसिएशन के लिए अनुमेय नहीं थी, उसे दी गई।

(2) परिवर्तन प्रभार, जिन्हें कुल विक्रय लागत में शामिल किया जाना चाहिए था, को शामिल नहीं किया गया।

उपर्युक्त दोनों गलतियां ध्यान में आने के बाद डी.डी.ए. ने गलतियों को ठीक करने के बाद में एसोसिएशन को संशोधित मांग एवं आबंटन-पत्र भेज दिए हैं।

(ख) डी.डी.ए. ने बताया है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने फ्लैट भवन निर्माताओं को बेच दिए हैं अथवा नहीं, इसकी उन्हें कोई सूचना नहीं है। तथापि, डी.डी.ए. को एसोसिएशन के 104 मूल सदस्यों की पूरी सूची मिली है जो एसोसिएशन के पद धारकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

एन.आर.आई. और ओ.सी.बी. निवेश

4229. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के मामले में एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश को विदेशी निवेश के रूप में माना जा रहा है जबकि इन्डियन एयरलाइन्स और अन्य उद्योगों में इसे भारतीय निवेश के समकक्ष माना जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) स्वदेशी एयरलाइंस क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइंस के मामले में, अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा किए जाने वाले विनिवेश को निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:

"(1) कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी न होने के अध्यधीन 40 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।

(2) अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा शत-प्रतिशत निवेश।

(3) स्वविवेचित मार्ग उपलब्ध नहीं है।"

एयर इंडिया जैसे गैर-स्वदेशी एयरलाइन में विदेशी निवेश के संबंध में कोई अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति नहीं है। एयर इंडिया विनिवेश के लिए, अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकाय को धारिता को विदेशी धारिता मानने का, सरकार का निर्णय एक नीतिगत निर्णय है, जो बीमा और दूरसंचार क्षेत्रों में पूर्ववर्ती उदाहरणों के विश्लेषणों सहित प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

बी.टी. कपास का बीज

4230. श्री सईदुज्जमा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग बी.टी. कपास बीज आदि को जारी करने पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) क्या यह सही है कि यह उस बी.टी. कपास बीज को देने में निर्धारित मानदंडों को सुनिश्चित करने में असफल हो गया है जिसे गुजरात में बड़े पैमाने पर उगाया गया है, जैसे कि इस आशय का समाचार दिनांक 9.11.2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी नहीं। "घातक सूक्ष्मजीवों, जीन संवर्धित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण" के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम ई पी ए-1986 की नियमावली-1989 के तहत आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर सी जी एम) के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी विभाग केवल संस्तुति करने वाला निकाय है। आर सी जी एम जीन संवर्धित जीवों (जी एम ओ) और उनके उत्पादों पर अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्य करते समय जैव सुरक्षा मुद्दों की जांच करती हैं। नियमावली 1989 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में स्थापित आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) बड़े पैमाने पर खेत परीक्षणों के अनुमोदन और जी एम ओ के व्यापारीकरण के लिए जिम्मेदार है।

(ख) से (घ) मैसर्ज नवभारत सीड्स प्रा. लि. अहमदाबाद ने आर सी जी एम द्वारा किसी जैव सुरक्षा मूल्यांकन और जी ई

ए सी से अनुमति प्राप्त किए बिना गुजरात में पराजीनी बी टी कपास के बीजों का विपणन किया है। सरकार ने ई पी ए, 1986 का उल्लंघन करने के संबंध में दाण्डिक कार्रवाई करने के लिए 12.11.2001 को अहमदाबाद में मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत में मैसर्ज नवभारत सीड्स प्रा.लि. अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है।

अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन

4231. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई शिफारिशों के आधार पर अपराध प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों, न्यायालयों की टिप्पणियों तथा राज्य सरकारों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994, जिसमें 49 खंड हैं तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए दि. 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति, जिसने संशोधन विधेयक 1994 पर विचार किया, ने 17 खंडों में परिवर्तन का सुझाव दिया है। सरकार का एक खंड को छोड़कर समिति के सभी सुझावों को स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

इसी दौरान सरकार ने न्यायमूर्ति वी एस मालीमथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु उपायों पर विचार करेगी। समिति के व्यापक विचारार्थ विषय हैं जिनमें कार्यविधिक तथा विधियां शामिल हैं। अत: न्यायमूर्ति मालीमथ समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधनों पर समग्र रूप से मत बनाने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण विकास संबंधी निधियों के उपयोग पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

4232. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की ग्रामीण वित्त रिपोर्ट 1998 के अनुसार समेकित ग्रामीण विकास निधियों का लाभ गैर-निर्धन लोगों को गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न भोजन योजना

4233. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार को कुछ राज्य सरकारों से मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यानों के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा I-V के बच्चों के नामंकन आंकड़ों के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। मौजूदा वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के संबंध में, उनके द्वारा दिये गये संशोधित नामांकन आंकड़ों के आधार पर, अतिरिक्त आवंटन किया गया।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2001-2002 के लिए खाद्यान्न का आवंटन (मात्रा क्विंटल में)		
		गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	2327536.20	2327536.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	43050.00	43050.00
3.	असम	0.00	917166.30	917166.30
4.	बिहार	1706533.20	469230.90	2175764.10
5.	गोवा	0.00	24085.20	24085.20
6.	गुजरात	437095.35	437095.35	874190.70
7.	हरियाणा	242481.95	242481.94	484963.89
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	200581.20	200581.20
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	214977.60	214977.60
10.	कर्नाटक	356998.49	1204475.21	1561473.70
11.	केरल	0.00	466936.00	466936.00
12.	मध्य प्रदेश	1462571.16	443544.50	1906115.66
13.	महाराष्ट्र	0.00	2937570.29	2937570.29
14.	मणिपुर	0.00	83894.40	83894.40
15.	मेघालय	0.00	125733.60	125733.60
16.	मिजोरम	0.00	29471.70	29471.70
17.	नागालैंड	0.00	47899.20	47899.20
18.	उड़ीसा	0.00	992219.20	992219.20
19.	पंजाब	497925.00	0.00	497925.00
20.	राजस्थान	1866498.90	0.00	1866498.90
21.	सिक्किम	0.00	24201.00	24201.00
22.	तमिलनाडु	0.00	1160108.60	1160108.60
23.	त्रिपुरा	0.00	142396.50	142396.50
24.	उत्तर प्रदेश	3138704.40	1612619.70	4751324.10
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	2874425.70	2874425.70

1	2	3	4	5
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	11538.30	11538.30
27.	चंडीगढ़	5598.60	0.00	5598.60
28.	दादरा और नगर हवेली	0.00	7639.14	7639.14
29.	दमन और दीव	0.00	4524.58	4524.58
30.	दिल्ली	202106.60	0.00	202106.60
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	0.00	12469.80	12469.80
बनाये गये नये राज्य				
33.	झारखंड	54314.70	571356.60	625671.30
34.	उत्तरांचल	17241.00	192128.00	209369.00
35.	छत्तीसगढ़	0.00	815326.40	815327.40
	भारत	9988069.35	18636684.11	28624753.46

उर्वरक उद्योग का विनियंत्रण

4234. डा. रामचन्द्र डोम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले छह वर्षों के दौरान उर्वरक उद्योग से नियंत्रण पूर्ण-रूपेण हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) आर्थिक नीति के उदारीकरण तथा सुधारों की नीति को ध्यान में रखते हुए यूरिया के अलावा उर्वरकों की अन्य सभी किस्मों पर से मूल्य संचलन तथा वितरण नियंत्रण पहले ही समाप्त कर दिया गया है। सरकार सभी तीनों किस्म की उर्वरकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेटिक तथा पोटाशिक के मामले में एक ओर तो इसकी भौतिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा दूसरी ओर किसानों को मुनासिब मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टि से नियंत्रणमुक्त व्यवस्था लागू करने का इरादा रखती है। उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति तैयार करके सरकार के इस इरादे को ठोस कार्यवाही योजना में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति तथा व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, जिनकी जांच की जा रही है, पर सरकार के निर्णय सम्मिलित होंगे।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में पाठ्यक्रम

4235. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितनी सीटें स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

राजस्थान में समुदाय आधारित जल संसाधन विकास परियोजना

4236. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कोई समुदाय आधारित जल संसाधन विकास परियोजना को मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) क्या राजस्थान सरकार ने अब तक स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत निम्नलिखित पांच जल संसाधन विकास परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की हैं:

(1) धौलपुर जिले में जल एकत्रीकरण ढांचों के निर्माण के लिए विशेष परियोजना,

(2) झालावाड़ जिले के डाग ब्लाक में समुदाय प्रबंधित जल संसाधन विकास परियोजना के लिए विशेष परियोजना;

(3) बरान जिले में जल संसाधन विकास के लिए एस जी एस वाई की विशेष परियोजना;

(4) चंदा का तालाब, ब्लाक तलेरा, जिला बूंदी में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग और समुदाय प्रबंधित जल एवं मृदा संरक्षण के लिए विशेष परियोजना; और

(5) वन प्रभाग, टौंक के चयनित क्षेत्र में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना

इनमें से, क्रम सं. (1) से (3) की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं को परियोजना जांच समिति के समक्ष इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रुप-हाऊसिंग सोसायटी द्वारा नियमों का अनुपालन न करना

4237. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों द्वारा नियमों का अनुपालन न करने, आबंटितियों को समय पर आबंटन-पत्र न देने और अपूर्ण आवासों का आबंटन करने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली स्थित ऐसी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भूमि के आबंटन के पश्चात् निर्माण कार्य को पूरा करने में 10 वर्ष से ज्यादा समय लिया है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी किसी सोसायटी के बारे में जानकारी है जिन्होंने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कब्जा पत्र नहीं दिया है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आवासों का ड्रा निकाला गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सोसायटियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है जिससे कि वर्तमान में कठिनाई का सामना कर रहे आबंटितियों को इस कठिनाई से बचाया जा सके?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। रजिस्ट्रार कार्यालय, सहकारी सोसायटी, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यदि कोई समूह आवास सहकारी सोसायटी, दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 तथा नियमावली, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो इस अधिनियम की धारा 54/55 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत एक जांच करवाने के बाद सोसायटी की प्रबंधन समिति को हटाने के लिए दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 32 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हटाने के बाद सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए सोसायटी के कार्यों के प्रशासक हेतु एक प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। तथापि, संबंधिक नागरिक प्राधिकरणों द्वारा फार्म ''सी'' व ''डी'' जारी करने तथा 90% निर्माण का कार्य पूरा होने का पता लगाने के लिए सोसायटी के संबंधित वास्तुकार द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिए जाने के बाद ही ड्रा आफ लाट्स के लिए सोसायटी की सदस्यता निकासी की जाती हैं। सदस्यों को फ्लैटों का निर्णायक आबंटन डीडीए द्वारा किया जाता है।

(ग) डीडीए की नीति के अनुसार, समूह आवास सोसायटियों द्वारा भूखंड पर निर्माण, भूमि का कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष (2 वर्ष + 3 वर्ष माफी अवधि) की अवधि के अंदर पूरा किया जाना अपेक्षित है। निर्माण में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब को निधारित दरों पर कंपोजिशन फीस अदा करने पर नियमित किया जाता है। ऐसी 134 सोसायटियां हैं, जिन्होंने 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं किया है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अवैध कालोनियों की संख्या में वृद्धि

4238. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में अवैध कालोनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान कथित रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से कई कालोनियां बस गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध कालोनियों में वृद्धि रोकने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना के शासु संघटक के अंतर्गत हुडको को धन जारी करना

4239. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1989-96 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के शासु संघटक के अन्तर्गत हुडको को 117.17 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह जारी की गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप आवास हेतु सहायता उपलब्ध कराने और शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उन्नयन करने का उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु जारी की गई समस्त धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंगारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हडको द्वारा सूचित किया गया है कि 676885 रिहायशी मकानों के सुधार के लिए 412 स्कीमें मंजूर की गई थी, जिसमें हडको ऋण 251.57 करोड़ रुयये व भारत सरकार की सब्सिडी 49.20 करोड़ रु. सहित परियोजना लागत 337.53 करोड़ रु. है। कुल स्वीकृत ऋण/सब्सिडी में से एजेंसियों ने 181.84 करोड़ रु. का ऋण तथा 41.67 करोड़ रु. की सब्सिडी प्राप्त की है। (विवरण) दिनांक 11.12.2001 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 428303 मकान पूरे हो चुके हैं और 41003 मकान निर्माणाधीन हैं। उपर्युक्त प्रगति 72% ऋण मंजूरी तथा 85% सब्सिडी में से हैं। स्कीमें 30.11.1997 से बंद कर दी गई हैं।

विवरण

आश्रय सुधार (नेहरू रोजगार योजना) स्कीमों की राज्यवार स्थिति

(लाख रु. में)

राज्य	स्कीम की सं.	परि. लागत	हडको ऋण		रिहायशी मकानों की संख्या		केन्द्रीय सब्सिडी		शेष	जारी	जारी ऋण
			नियतन	स्वी.	नियतन	स्वी.	नियतन	स्वी.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अंडमान निको.	-	20.75	76.07	15.75	2220	500	15.82	3.00	0	2.50	7.87
आंध्र प्रदेश	116	8029.83	5199.04	6058.81	184668	168834	1202.91	1109.14	0	907.65	4452.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	244.74	0.00	7117	0	50.96	0.00	0	0.00	0.00
असम	8	872.52	800.02	638.74	27070	21181	179.87	147.26	0	113.38	468.78
बिहार	9	2221.63	4539.60	1641.82	181843	48046	1051.51	361.28	0	203.54	871.68
चंडीगढ़	0	0.00	115.72	0.00	4323	0	27.19	0.00	0	0.00	0.00
दमन व दीव	0	0.00	88.24	0.00	2688	0	18.63	0.00	0	0.00	0.00
दिल्ली	0	0.00	30.30	0.00	1347	0	8.06	0.00	0	0.00	0.00
दादर नगर हवेली	1	2.87	48.22	1.35	1490	45	10.19	0.45	0	0.45	1.35
गुजरात	3	33.01	2408.55	21.46	87118	702	560.81	5.01	0	3.02	15.16
गोवा	0	0.00	89.15	0.00	3167	0	20.44	0.00	0	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	13	45.44	342.64	34.83	10617	1161	72.70	7.82	0	6.41	30.23
हरियाणा	3	453.76	694.53	340.32	24823	11344	160.94	83.73	0	73.18	224.91
जम्मू व कश्मीर	7	1305.73	481.67	1090.99	15768	14358	105.11	92.37	0	58.61	292.26
कर्नाटक	12	292.80	4330.99	138.12	154872	6448	1004.28	54.10	0	35.23	0.00
केरल	16	4303.65	1825.78	3206.88	66890	94784	427.14	749.22	0	683.42	2523.26
लक्षद्वीप	0	0.00	4.69	0.00	208	0	1.25	0.00	0	0.00	0.00
मेघालय	2	38.59	155.19	28.35	4883	941	33.05	5.54	0	1.74	8.85
महाराष्ट्र	15	1187.42	4962.96	770.61	172215	26600	1138.44	192.09	0	164.21	801.14
मणिपुर	3	79.90	225.34	58.78	7015	1947	48.09	13.58	0	5.33	11.70
मध्य प्रदेश	0	0.00	4438.30	0.00	160930	0	1034.38	0.00	0	0.00	0.00
मिजोरम	6	212.78	98.07	154.50	3150	5150	21.15	30.90	0	30.90	102.00
नागालैण्ड	0	0.00	205.13	0.00	6408	0	43.70	0.00	0	0.00	0
उड़ीसा	10	653.64	1324.54	496.69	47007	13808	306.29	108.07	0	105.19	450.65
पंजाब	18	627.48	1131.42	470.61	43202	15534	268.78	116.07	0	92.79	357.88
पांडिचेरी	0	0.00	121.55	0.00	4013	0	27.08	0.00	0	0.00	0.00
राजस्थान	7	107.39	2591.27	68.95	93362	693	602.52	4.15	0	0.00	0.00
सिक्किम	1	109.50	124.38	99.50	3917	1000	26.50	6.00	0.	0.00	99.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तमिलनाडु	97	5543.16	5212.65	4344.74	187840	131317	1211.59	1018.78	0	987.69	4114.04
त्रिपुरा	5	90.91	104.70	66.42	3445	2209	22.92	13.91	0	9.41	30.42
उत्तर प्रदेश	35	5151.67	10877.42	3572.26	394747	53158	2535.93	369.45	0	257.82	1721.04
प. बंगाल	24	2367.52	4209.67	1796.73	148347	57127	970.98	428.02	0	418.52	1698.51
कुल	412	33752.95	57102.54	25117.19	2036500	676885	13209.00	4920.04	0	4157.19	18183.50

बोडो राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिसर-सह-संग्रहालय एवं बोडो फिल्म स्टूडियो/कार्यशाला की स्थापना

4240. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्वदेशीय उन्नत एवं प्राचीन बोडो संस्कृति, उनके रस्मों-रिवाजों, परम्पराओं और जातीय पहचान के संरक्षण, बचाव, विकास और उनके प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक और व्यावहारिक नीति के रूप में शंकर कलाक्षेत्र एवं ज्योति चित्रवन गुवाहाटी के अनुरूप बोडो राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिसर-सह-संग्रहालय एवं बोडो फिल्म स्टूडियो/कार्यशाला स्थापित करने संबंधी किसी विशेष नीति पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'अनुसंधान और प्रशिक्षण' की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टी आर आई), गुवाहाटी, असम को केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान के कार्यों में से एक कार्य जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करना है। इस संस्थान का अपने एक खण्ड के रूप में एक जनजातीय संग्रहालय है। संस्कृति मंत्रालय भी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति मंत्रालय एक योजना को संचालित करता है जिसके अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थान सहित जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संसदीय सौध कार्यालय परिसर के सामने पार्किंग स्थल

4241. श्री अरुण कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन स्वागत कार्यालय के सामने रायसीना रोड पर नि:शुल्क सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पार्किंग स्थल का केन्द्रीय भंडार द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

(ग) यदि हां, तो वाहनों को खड़ा करने के स्थान में बढ़ोतरी करने हेतु अतिक्रमण हटाने और पार्किंग का बोर्ड लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार, संसद भवन की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन गया है जहां पूर्व में बम रखे जाने के संबंध में कॉलें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुरक्षा के दृष्टिकोण से केन्द्रीय भंडार को वर्तमान स्थान से हटाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) संसद भवन स्वागत कार्यालय के सामने रायसीना

रोड पर कोई नि:शुल्क अथवा सशुल्क पार्किंग नहीं है। तथापि, रायसीना रोड पर केन्द्रीय भंडार के परिसर में खुले स्थान का प्रयोग वहां आने वाले आगन्तुकों तथा केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों द्वारा अपने वाहन खड़े करने हेतु किया जा रहा है। केवल सही व्यक्तियों द्वारा ही इस स्थान का प्रयोग करने देने के लिए केन्द्रीय भंडार ने एक सुरक्षा गार्ड को नियुक्त किया है।

(घ) से (छ) दिल्ली पुलिस को रायसीना रोड स्थित केन्द्रीय भंडार में बम लगाने के संबंध में दो कॉल प्राप्त हुई थीं जिनकी सत्यता का पता लगाया गया तथा यह अफवाह पाई गईं। केन्द्रीय भंडार को इसके मौजूदा स्थान से हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने इस क्षेत्र में अपनी चौकसी बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली में पटरियों पर अतिक्रमण

4242. डा. बलिराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालयों के निदेशों के अनुसार नई दिल्ली की सड़कों और पटरियों पर दुकानें लगाने एवं सामानों की बिक्री करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सभी बड़े बाजारों में, विशेषकर कनॉट प्लेस क्षेत्र के आस-पास सड़कों और पटरियों पर पुलिस और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की मिली-भगत से होने वाले अतिक्रमण के कारण आम जनता को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के मामले में कहा कि नगर पालिका को पटरियों पर जहां कहीं यह व्यवहार्य और सुविधाजनक हो, फेरी वालों और पटरी वालों को बैठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी नागरिक को पटरी पर उस स्थान जहां वह बैठकर कारोबार करता है, पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालियका परिषद क्षेत्र में गलियों और बाजारों में स्थानों की पहचान भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त, चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई थी। ये स्थान लगभग 760 उन पटरी वालों को आबंटित किए गए थे जिनके दावे, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति द्वारा सत्यापित किए गये थे।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अपने क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए हर रोज छापा मारती है। वर्ष 2001 के दौरान (नवम्बर 2001 तक) 18287 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोटल उद्योग को बढ़ावा देने वाले उद्यमियों का उत्पीड़न

4243. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण मोटल उद्योग को बढ़ावा देने वाले उन उद्यमियों का उत्पीड़न और उन्हें दंडित कर रहा है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उप-नियम, 1983 के खण्ड सं. 6, 7, 4 के अन्तर्गत अपने आवेदन की मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र के मोटलों की कोई भवन योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहु-परिसर वाली संस्थाओं को अनुदान

4244. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2000-2001 एवं चालू वर्ष के दौरान बहु-परिसर वाली संस्थाओं के लिए किसी विश्वविद्यालय को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय में एक से ज्यादा परिसर स्थापित करने हेतु धन उपलब्ध कराने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में बहु-परिसर वाले विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश क्या हैं;

(घ) क्या वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की पट्टा संबंधी बकाया धनराशि

4245. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप स्थलों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पट्टा संबंधी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है और योजनाओं की मंजूरी/स्वीकृति प्राप्त किए बिना विशाल निर्माण कार्य किए हैं और ऐसे भवनों को आंशिक रूप से ऐसी कंपनियों को किराये पर दिया है जिन्होंने इसका उपयोग ईंधन भरे जाने संबंधी उद्देश्यों के बजाय अन्य प्रयोजनों से करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उप-नियमों में इसकी अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभाग का विचार अर्थदंड/व्यवसायिक दर प्रभारित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मानव संसाधन विकास परियोजनाओं में निवेश

4246. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चल रहे तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत राज्य में किए गए निवेश का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 638 अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं हैं।

(ख) और (ग) राज्य में तकनीकी शिक्षा के संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा कोई नियमित वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बजट में तकनीकी शिक्षा संवर्धन के लिए प्रावधान रखें। हालांकि मंत्रालय राज्यों में डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कभी-कभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित पद्धति का उन्मूलन, अनुसंधान व विकास, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व के क्षेत्र आदि विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनके अन्तर्गत राज्य में तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भूकम्प संवेदी क्षेत्रों की पहचान

4247. श्री वाई.वी. राव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-फ्रांस के संयुक्त कृतक बलों द्वारा भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में पहचान किए गए भूकंप संवेदी क्षेत्रों से इसके किस प्रकार भिन्न होने की संभावना है; और

(ग) हमारे आपदा प्रबंधन में इस नए अभ्यास से किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) श्रीमन, भारत-फ्रांस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भूकम्पीयता अंचलों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत के भूकम्पीयता अंचलीकरण मानचित्र का प्रकाशन भारतीय मानक ब्यूरो करता है जो विभिन्न भारतीय एजेंसियों से जानकारियां प्राप्त करके आवधिक रूप से इसे अद्यतन करता रहता है। 1986 में प्रकाशित नवीनतम मानचित्र में संशोधन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। भूकंपों सहित प्राकृतिक आपदा अपशमन के क्षेत्र में विशिष्ट सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए भारत-फ्रांस एस एण्ड टी सहयोग समझौते के एक भाग के रूप में भारत तथा फ्रांस के बीच विचार-विमर्श आरम्भ हो गए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण के कारण राजस्व की हानि

4248. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यों के विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण लागू करने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की असफलता के कारण, देश को 78.35 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई है, जैसा कि इसका उल्लेख नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी 2001 की रिपोर्ट 2 में पृष्ठ 186 और उसके बाद के पृष्ठों पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्यत्र भी ऐसे निरर्थक व्यय को रोकने के लिए मामले की जांच की है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपना उत्तर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या के.लो.नि.वि. में हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो के.लो.नि.वि. के कार्यकरण को दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं तथा उनका रैंक-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट में उल्लिखित कार्य को सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पादित किया है।

(ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट का उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा निदेशक (डायरेक्टर आडिट) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) जी नहीं। रिश्वतखोरी वाले भ्रष्टाचार के मामले केन्द्रीय जांच/ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा निपटाए जाते हैं। विभाग के सामने आने वाले सतर्कता के मामले सर्तकता प्रक्रिया के अनुसार निपटाए जाते हैं।

(ङ) विभिन्न स्तरों पर कार्य के निष्पादन और जांच के लिए प्रणाली में स्वत: प्रावधान है।

(च) लम्बित चार्जशीटों की संख्या, ग्रेडवार इस प्रकार है:-

1. मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुक	-	3
2. अधीक्षण इंजीनियर/वरिष्ठ वास्तुक	-	47
3. कार्यपालक इंजीनियर/वास्तुक/उपवास्तुक (उद्यान)	-	148
4. सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (उद्यान)	-	116

विश्वविद्यालयों में नि:शक्तों को आरक्षण

4249. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 द्वारा प्रत्याभूत आरक्षण का लाभ दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन लोगों को नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी विश्वविद्यालयों में, विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लागू कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को सख्ती से लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेश सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं। इस बात पर भी बल दिया गया है कि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निरंतर प्रगति दिखानी चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4250. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को हर वर्ष एक नए संगठन के रूप में माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का चयन किए जाने के मानदण्ड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुपों सहित गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को उपयुक्त प्रबन्धन होने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुदान प्रदान किए जाते हैं और ऐसे गैर-सरकारी संगठन नई परियोजनाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन को इस संबंध में प्रत्येक स्कीम में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अन्तर्गत सहायता संस्वीकृत की जाती है। सामान्यतया सहायता हेतु पात्र होने के लिए संगठन पंजीकृत होना चाहिए और तीन वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए। संगठन को लाभ न कमाने वाला तथा गैर-साम्प्रदायिक होना चाहिए और उसका उपयुक्त संविधान/संगम ज्ञापन होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता स्कीम के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर संस्वीकृत की जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय

4251. **श्री पी. मोहन :**
श्रीमती संध्या बौरी :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को लिखे गए पत्रों का जवाब केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा अक्सर नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों ने संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए कितने पत्रों की पावती स्वीकार की और उनमें से कितनों का जवाब अंतिम रूप से दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्यों के पत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनके उत्तर भी भेजे जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों में से अधिकांश पत्र अनुशंसात्मक स्वरूप के होते हैं और प्रयास किया जाता है कि माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अधिक से अधिक पत्रों का उत्तर दिया जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान माननीय संसद सदस्यों से कुल 4050 पत्र प्राप्त हुए और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों का स्थानांतरण से संबंधित मामलों को छोड़कर उपलब्ध सूचना के आधार पर 1552 पत्रों के उत्तर दिए गए।

साक्षरता क्षेत्र से जुड़े गैर-सरकारी संगठन

4252. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने कार्यक्रमों को अग्रसर बनाने में गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कई वर्षों से सेवा करने के बावजूद उन्हें प्रतिवर्ष एक नए संगठन के रूप में माने जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के मान्यता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) वैयक्तिक परियोजनाओं को नया समझा जाता है परन्तु जिन गैर-सरकारी संगठनों ने पहले परियोजनाएं कार्यान्वित करने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, उन्हें उनके अनुभव का पर्याप्त लाभ दिया जाता है।

(ग) "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना" के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ऐसी पंजीकृत स्वैच्छिक सोसायटियां, सार्वजनिक न्यास तथा लाभ न कमाने वाली कम्पनियां जो तीन वर्षों या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हैं, सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान

4253. श्री सतन कुमार मंडल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यानों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्योगों की देखभाल और रख-रखाव हेतु संस्वीकृत और व्यय की गई धनराशि कितनी है;

(ग) शालीमार बाग क्षेत्र में पार्कों के खराब और घटिया रख-रखाव के क्या कारण हैं; और

(घ) इन उद्यानों के उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डीडीए में विभिन्न क्षेत्रों में 2934 पार्क हैं। गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए के पार्कों के लिए मंजूर धनराशि तथा इनके विकास, रखरखाव तथा मरम्मत पर हुआ व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	स्वीकृत	व्यय
1998-99	66.5 करोड़ रुपये	65.8 करोड़ रु.
1999-2000	67.7 करोड़ रुपये	64.6 करोड़ रु.
2000-2001	78.8 करोड़ रुपये	73.0 करोड़ रु.

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) डीडीए में पार्कों का विकास तथा रखरखाव एक नियमित वार्षिक कार्य है। तथापि इस प्रक्रिया को चालू रखने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय भी किए गए हैं/किए जा रहे हैं। जिनका ब्यौरा इस प्राकार है:

(1) डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी सुधार के लिए सुझाव देने तथा समुचित रखरखाव की जांच के लिए पार्कों का निरीक्षण भी करते हैं।

(2) डीडीए ने रखरखाव, पार्कों को हरा-भरा बनाने व ठीक-ठाक रखने के लिए प्रख्यात संस्थानों द्वारा पार्कों को अपनाने की स्कीम शुरू की है।

(3) कुछेक पार्कों का विकास, रखरखाव व ठीक-ठाक रखने के लिए ठेके पर दिया गया है।

(4) कुछेक प्रमुख पार्कों (20 एकड़ व अधिक के) में पार्कों के रखरखाव की प्रक्रिया में जन-भागीदारी के लिए रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों तथा पार्कों के नियमित उपयोक्ताओं की पार्क समितियां गठित की गई हैं। यह समितियां रखरखाव व मरम्मत की नियमित और समुचित निगरानी रखती हैं और कुछ सुधारों के सुझाव भी देती हैं, जो कार्यान्वित किए जा रह हैं।

(5) क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए अंतर-जोन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का विनिवेश

4254. **श्री अम्बरीशः** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का विनिवेश किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित विनिवेश आयोग ने होटलों का विनिवेश किए जाने के दौरान कतिपय मानदण्डों का पालन किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंगलौर और हासन में होटल अशोक को पट्टे पर दिए जाते समय इन सुझावों का पालन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट (फरवरी, 1997) और अपनी पांचवीं रिपोर्ट (नवम्बर, 1997) में, भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) को एक गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की कंपनी के रूप में श्रेणीबद्ध किया था। और इस प्रकार सिफारिशें की थीं:

(1) दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित होटलों को पटटा-सह-प्रबंधन आधार पर दीर्घकालिक ढांचागत अनुबंध पर चलाने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित होटल श्रृंखलाओं को सौंपा दिया जाए। अनुबंध की शर्तों और प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की क्रियाविधि, वित्तीय सलाहकारों और परामर्शदाताओं की सहायता से स्थायी अधिकार प्राप्त दल (एस ई जी) द्वारा तय की जा सकती है।

(2) अन्य स्थानों के होटलों का पृथक निगमित हस्तियों में अविलयन कर दिया जाएगा। अविलयन के बाद इन कंपनियों में शेयर, सरकार और अन्य शेयरधारकों को, यदि कोई हों, भारत पर्यटन विकास निगम के शेयरों के बदले में जारी किए जा सकते हैं। नई कंपनियों में विनिवेश, उनमें सरकार द्वारा धारित शत प्रतिशत शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाएगा। स्थायी अधिकार प्राप्त दल, उपयुक्त मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की शर्तों के लिए वित्तीय सलाहकारों की सहायता से फिर से यह प्रक्रिया अपना सकता है।

(3) भारत पर्यटन विकास निगम संचालनों की व्यवहार्यता के अध्यधीन शुल्क मुक्त दुकानों और यात्रा एवं पर्यटन के कारोबार का संचालन जारी रख सकता है।

(4) जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम और क्रमशः बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के बीच रांची अशोक, बिहार होटल कॉर्पोरेशन और उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन, दोनों संयुक्त उद्यम होटलों का संबंध हैं, आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-महानगरीय होटलों के मामले की तरह ही भारत पर्यटन विकास निगम इन दोनों कंपनियों में अपनी संपूर्ण शेयर धारिता का विनिवेश किसी वित्तीय सलाहकार के माध्यम से उपयुक्त मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अपनाने के बाद एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी निजी उद्यम के पक्ष में कर सकता है। चूंकि राज्य सरकारों से जमीन कुछ निबंधन और शर्तों पर प्राप्त की गई है, भारत पर्यटन विकास निगम को विनिवेश से पूर्व उन राज्य सरकारों से बातचीत करने और इस मामले को सुलझाने की आवश्यता पड़ेगी।

(ग) और (घ) सरकार ने, होटल अशोक बंगलौर और होटल हसन अशोक के संबंध में विनिवेश योजना को विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्रियान्वित किया है। होटल अशोक बंगलौर को दीर्घकालिक पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध पर दिया गया है, जबकि होटल हसन अशोक की शत प्रतिशत शेयर धारिता का प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विनिवेश किया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश

4255. **श्री दलपत सिंह परस्तेः** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश को फिर से आरंभ करने हेतु नए मानदण्डों को तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सिमी नेताओं/कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

4256. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस बहुत से सिमी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पड़ौसी और अन्य राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने तथा इस संबंध में प्रयास करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के बाद इसके 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

(ग) और (घ) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारियों को मिलाकर एक कोर ग्रुप है जोकि अपराधियों और वांछित व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक स्थायी फोरम के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की तरफ से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 7 और 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत ''स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया'' को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया है।

इफको का विविधीकरण

4257. **श्री रामशकल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इफको का बीमा क्षेत्र में विविधीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इफको, कृभको तथा इंडियन पोटाश लि. ने टोकयो मैरीन एंड इंश्योरेंस कंपनी, जापान के सहयोग से दिनांक 8 सितम्बर, 2000 को इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। इस कंपनी ने कंपनियों के पंजीयक से कारोबार शुरू करने का प्रमाणपत्र तथा दिनांक 4 दिसम्बर, 2000 को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथारिटी से भी लाइसेंस प्राप्त किया है। यह कंपनी वर्तमान में 29 उत्पादों का विपणन कर रही है।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार में भू-अभिलेख

4258. **श्री विष्णुपद राय :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के भू-अभिलेख उर्दू में रखे जाते हैं;

(ख) क्या ये सभी अभिलेख केन्द्र सरकार की अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के अनुसार कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) ब्रिटिश शासन के दौरान, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल क्षेत्र का रिकार्ड ऊर्दू में रखा जाता था। अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने 1961-62 और 1978 में पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल क्षेत्र का मालगुजारी सर्वेक्षण किया था और पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल क्षेत्र का अस्थायी भूमि रिकार्ड अंग्रेजी में तैयार किया था। इस समय पोर्ट ब्लेयर म्यूनिस्पल क्षेत्र का अस्थायी भूमि रिकार्ड अंग्रेजी में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण की एक स्कीम शुरू की है लेकिन इसके पूरा होने का समय विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों के निपटान और बड़ी संख्या में काश्तकारों के कब्जे वाली सीमा से अधिक भूमि को छोड़ने के बाद अस्थायी रिकार्ड तैयार करने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

अनुवर्ती शिक्षा योजना

4259. **डा. ए.डी.के. जयशीलन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुवर्ती शिक्षा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में कितने जिले अभी तक योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं; और

(ग) राज्य-वार शेष जिलों को कब तक इसमें शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान सभी जिलों को सतत शिक्षा योजना के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

सतत शिक्षा चरण के अंतर्गत शामिल किए गए, शामिल नहीं किए गए जिले—राज्यवार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	सतत शिक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिले	शामिल नहीं किए गए जिले
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	20	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	0	14
3.	असम	23	0	23
4.	बिहार	37	1	36
5.	छत्तीसगढ़	16	1	15
6.	दिल्ली	9	0	9
7.	गोवा	2	0	2
8.	गुजरात	25	12	13
9.	हरियाणा	19	1	18
10.	हिमाचल प्रदेश	12	1	11
11.	जम्मू और कश्मीर	14	0	14
12.	झारखंड	22	1	21
13.	कर्नाटक	27	12	15
14.	केरल	14	14	0
15.	मध्य प्रदेश	45	1	44
16.	महाराष्ट्र	35	9	26
17.	मणिपुर	9	0	9
18.	मेघालय	7	0	7

1	2	3	4	5
19.	मिजोरम	8	8	0
20.	नागालैंड	8	0	8
21.	उड़ीसा	30	0	30
22.	पंजाब	17	1	16
23.	राजस्थान	32	7	25
24.	सिक्किम	4	0	4
25.	तमिलनाडु	30	9	21
26.	त्रिपुरा	4	0	4
27.	उत्तरांचल	13	1	12
28.	उत्तर प्रदेश	70	1	69
29.	पश्चिम बंगाल	18	7	11
30.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	2	0	2
31.	चंडीगढ़	1	1	0
32.	दादरा और नागर हवेली	1	0	1
33.	दमन और दीव	2	0	2
34.	लक्षद्वीप	1	0	1
35.	पांडिचेरी	4	4	0
	कुल	598	112	486

शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करना

4260. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी में राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) शहरी विकास राज्य का विषय है तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अतः विभिन्न शहरी विकास स्कीमों के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में राजनैतिक प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने पर राज्य सरकारों को विचार करना है।

कर्नाटक में साक्षरता स्तर

4261. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य का अगले तीन वर्षों में साक्षरता स्तर को 67.04% से बढ़ाकर 80% तक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है; और

(ख) इस कार्यक्रम हेतु क्या सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य वर्ष 2005 तक 75% सारक्षरता दर की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1999-2000 से कर्नाटक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।

(रु. लाख में)

1999-2000	-	538.21
2000-2001	-	2207.69
2001-2002 (दिसम्बर, 2001 तक)	-	641.32

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

4262. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड के पास हिन्दुस्तान साल्टस लि., इंस्ट्रूमैन्टेशन लि., नेपा लि., टायर कॉर्पोरेशन इंडिया लि., बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. और जेसप एण्ड कंपनी लि. नामक जिन सात कंपनियों के विनिवेश प्रस्ताव पंजीकृत थे और जिन्हें भारी उद्योग विभाग द्वारा विनिवेश मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उनमें विनिवेश मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की जा रही है। इन मामलों में अनुकूल साझीदारों का पता लगाने के प्रतावों की जानकारी औद्योगिक वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड को है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायक कंपनियों में विनिवेश करने से पूर्व औद्योगिक वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड का अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश सरकार की सभी गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसके निचले स्तर तक कम करने की घोषित नीति के अनुसरण में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक इकाईयों के करयोग्य मूल्य का मूल्यांकन

4263. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि जिन व्यक्तियों ने वर्ष 1998 से ही भारी कीमतों पर खुली निविदा के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से व्यावसायिक इकाईयां खरीदी हैं वे दिल्ली नगर निगम द्वारा ऊंची दरों पर किए गए मूल्यांकन के मद्देनजर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन व्यावसायिक इकाईयों की निर्माण लागत अथवा इकाई प्रणाली के आधार पर, जैसा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्ताव किया गया था, करयोग्य मूल्य का मूल्यांकन करने पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली नगर निगम को कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन व्यावसायिक इकाईयों के मूल्यांकन में एकरूपता लाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि डीएमसी एक्ट 1957 और डीएमसी (करयोग्य मूल्य का निर्धारण) उप नियम, 1994 के प्रावधानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

हथियारों के जाली लाइसेंस

4264. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत से व्यक्तियों के पास हथियारों के जाली लाइसेंस हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अन्वेशषण ब्यूरो ने हथियारों के लाइसेंस धारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी जांच प्रारंभ की है;

(ग) यदि हां, तो हथियारों के जाली लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों की ठीक संख्या का पता लगाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(घ) जाली लाइसेंसों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। हथियारों के जाली लाइसैंसों के कुछ दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, एक अन्तर राज्यीय रैकेट का पता लगाया है जिसमें 1994-98 की अवधि के दौरान जम्मू में, अधिकतर अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र वाले बड़ी संख्या में अनियमित/अवैध हथियार लाइसैंस जारी किए गए थे। अभी तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि यह रैकेट 11 राज्यों अर्थात्, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल चल रही है।

(घ) जाली लाइसैंसों के विरुद्ध कदम उठाने और इस बारे में अभियान चलाने के लिए सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों-संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं।

भारतीय नागरिकता

4265. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जनकारी है कि अविभाजित भारत में जन्मे और 1954 से भारत में रह रहे कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) किसी विदेशी को, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की शक्तियां 31.3.1986 तक जिले के जिलाधीश के पास थीं। उसके बाद ऐसा प्रत्येक आवेदन, जब कभी राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उस पर नगारिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

जाली पथकर कूपन

4266. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्तूबर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''फेक टोल टैक्स कूपन्स रूइन एम सी डी कलेक्शन्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का जाली पथकर कूपनों को छापकर दिल्ली नगर निगम को भारी हानि पहुंचाने में संलिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक गहन जांच कराने का आदेश देने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस धोखाधड़ी में दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारियों के शामिल होने की भी जांच की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। नगर निगम प्राधिकारियों ने परिवहन वाहनों द्वारा जाली पथकर पासों के प्रयोग की कुछेक घटनाओं का पता लगाया है।

(ग) से (च) दिल्ली नगर निगम द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर तथाकथित जाली पथकर कूपनों के प्रयोग के संबंध में

कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब कभी भी दिल्ली नगर निगम द्वारा जाली पथकर पासों के इस्तेमाल का पता लगाया जाता है तो उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। इस रैकट में अभी तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है।

विद्यालयों की स्थिति

4267. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में प्राथमिक, उच्चतर और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति को परिभाषित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) देश में प्राथमिक, उच्चतर तथा माध्यमिक स्कूलों की स्थिति को परिभाषित करने का तंत्र प्रबंधन के प्रकार का है। विभिन्न प्रबंधनों के अन्तर्गत इन स्कू लों का ब्यौरा विवरण संलग्न में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	चरण	वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान देश में स्कूलों की स्थिति (प्रबंधन-वार)				
		सरकारी	स्थानीय निकाय	निजी निकाय		कुल
				सहायता प्राप्त	गैर-सहायता प्राप्त	
1.	प्राथमिक	279929	264073	20378	28814	593194
2.	माध्यमिक	27224	6057	24586	14405	72292
3.	उच्चतर माध्यमिक	9857	465	10902	3354	24578

जनजातीय उप-योजना हेतु निधियों का योगदान

4268. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से मंत्रालय और विभाग जनजातीय उप-योजना के लिए धन देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई मंत्रालयों ने देश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के प्रतिशत के अनुरूप जनजातीय उप-योजना हेतु धन की मात्रा तय नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देय राशि कितनी है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण राशि जारी कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना को निधियों के प्रवाह को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अठारह मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधियों की मात्रा के लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है।

(ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय इस विषय पर प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों तथा गृह सचिव द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को समय-समय पर दोहराता रहा है और विशेष रूप से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करता रहा है कि जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत

निधियों को कम से कम देश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता के बराबर अलग निर्धारित किया जाना चाहिए। योजना आयोग भी अपने योजना कार्य के लिए एक अंग के रूप में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के बारे में पत्र जारी करता रहता है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना के लिए प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	प्रस्तावित कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना को प्रवाह	प्रतिशतता
1.	वाणिज्य मंत्रालय	203.80	20.92	10.26
2.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.32	0.03	9.38
3.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	-	0.50	-
4.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	-	48.00	-
5.	विद्युत मंत्रालय	-	40.00	-
6.	श्रम मंत्रालय	6.08	2.56	42.11
7.	युवा कार्य और खेल विभाग	-	2.56	-
8.	कृषि विभाग	1941.00	97.53	5.02

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उप-योजना के लिए प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना को प्रवाह	प्रतिशतता
1.	दूरसंचार विभाग	12650.00	900.00	7.11
2.	अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	800.00	6.75	0.84
3.	डाक विभाग	10.00	4.06	40.60
4.	वाणिज्य विभाग	151.57	14.41	9.50
5.	विद्युत मंत्रालय -	-	53.00	-
6.	संस्कृति विभाग	-	3.25	-
7.	इस्पात विभाग	2082.40	11.65	0.55
8.	कृषि मंत्रालय	-	82.48	-
9.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	700.00	62.85	8.98

विवरण III

वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजाति उप-योजना के लिए प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना को प्रवाह	प्रतिशतता
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	272.17	21.45	7%
2.	दूर संचार विभाग		97.46	7.86
3.	डाक विभाग		3.86	-
4.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	270.00	31.00	11.48
5.	वाणिज्य मंत्रालय	186.49	14.36	7.74
6.	आई एस एम तथा होमियोपैथी विभाग	10000.00	184.66	1.85
7.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	242.37	151.75	कुल परिव्यय क 17.85
8.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	-	-	सभी महत्वपूर्ण योजनाएं अ.जा./ अ.ज.जा. हेतु सहायता प्रदान करती है।
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय पेय जल विभाग	3000	300	अ.आ./अ.ज.जा. के लिए 10%
10.	वस्त्र मंत्रालय	6500	4.86	7.49
11.	अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	7270	4.87	6.70
12.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग	-	0.75	-
13.	महिला और बाल विकास विभाग	-	-	17.8% आई सी डी एस परियोजनाओं का 3.7%
14.	संस्कृति विभाग	-	6.03	
15.	कृषि विभाग	107.63	72.47	कुल परिव्यय का 3.%
16.	एस एस आई तथा ए आर. आई. मंत्रालय	775.00	38.29	4.94
17.	विद्युत मंत्रालय	-	44.50	मंत्रालय ने 415 जनजातीय ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 16.67 करोड़ रु. की ब्याज सब्सिडी मंजूरी की है।
18.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	5450.00	436.54	8.01
19.	युवा कार्य मंत्रालय	215.00	1.40	0.65
20.	कोयला मंत्रालय	-	4.65	-

एच एफ एल द्वारा सी.डब्ल्यू.सी.टी. की सिफारिशों को मानना

4269. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित सरकारी क्षेत्र की इकाई एच एफ एल परफ्लूरों आइसोब्यूटिलीन के निपटारे के लिए रासायनिक हथियार अभिसमय संधि (सी.डब्ल्यू.सी.टी.) की सिफारिशों को नहीं अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच एफ एल की गतिविधियों में इकाई द्वारा तत्संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है और रासायनिक हथियारों के निषेध हेतु संयंत्र स्थल संगठन द्वारा सत्यापन योग्य होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो पी एफ आई बी के निपटारे हेतु संतोषजनक विधि न अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) रासायनिक हथियार अभिसमय संधि के अंतर्गत पी.एफ.आई.बी. के निपटारे के लिए घोषणा ओ.पी.सी.डब्ल्यू. में एक अनसुलझा मसला है। अत: एच. एफ. एल. हैदराबाद की घोषणा को इस समय प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एथलीटों को आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति

4270. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पहले एथलीटों को उनके प्रदर्शन सुधारने में मदद करने हेतु आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारोत्तोलकों के सकारात्मक पाए जाने का कारण गैर-प्रतिबंधित पदार्थ तथा जड़ी-बूटी वाली औषधियां हैं;

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस मामले के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हाल ही में सुश्री कुंजारानी देवी, भारोत्तोलक को कोरिया में सीनियर एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप, 2001 के दौरान स्ट्राइचनाइन (एक उत्तेजक पदार्थ) के लिए सकारात्मक पाया गया था। जहां तक किसी खिलाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करने का संबंध है, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ किसी भी बकाया मुद्दे का समाधान करने के लिए सक्षम निकाय होता है।

छात्रों को कृपांक देना

4271. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को कृपांक प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे इंजीनियरिंग और उच्च प्रौद्योगिकीय अध्ययनों में भी अपनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस प्रणाली के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भाषाएं

4272. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के संदर्भ में पर्याप्त साफ्टवेयर की कमी के कारण भारतीय भाषाओं को हानि हो रही है;

(ख) क्या इससे ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना है जिसमें भारतीय भाषाओं को अपना उचित स्थान खोने का डर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नई स्थिति का सामना करने हेतु भारतीय भाषाओं को आवश्यक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने के लिए इस दिशा में कोई पहल करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सरकार भारतीय भाषाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपस्करों के साथ जोड़ने के महत्व को भली-भांति समझती है।

भारत सरकार ने अपनी विभिन्न एजेंसियों के जरिए भारतीय भाषाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन बनाए रखने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों जैसे केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उच्च संगणन विकास केन्द्र, पुणे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता आदि द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पर्याप्त सॉफ्टवेयर तथा विशेषज्ञतायुक्त परियोजनाएं विकसित की गई है/विकसित की जा रही हैं। इसके अलवा, निजी क्षेत्र भी इस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है।

जेलों में विचाराधीन कैदी

4273. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को जेलों में सड़ रहे विचाराधीन कैदियों के मामले को तेजी से निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विचाराधीन कैदियों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी जेलों में बार-बार जेल अदालत लगाने के निर्देश जारी करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासनिक दृष्टि से, 29 नवम्बर, 1999 को उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों को यह सुझाव देते हुए एक पत्र लिखा है कि उस क्षेत्र का प्रत्येक चीफ मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्र में जिला कारागार पड़ती है, छोटे-मोटे अपराधों में लिप्त विचारणाधीन कैदियों के मामलों को निपटाने के लिए महीने में एक या दो बार, जेल में अपना न्यायालय लगाए।

सरकार ने सभी सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य रिच-याचिका (सिविल) सं. 559/1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 13.10.1999 और 7.12.1999 को पारित आदेश के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1734 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने की एक योजना स्वीकृत की है। ये फास्ट ट्रैक न्यायालय विचारणाधीन कैदियों के काफी समय से लम्बित सत्र और अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा रहे हैं।

राज्य सूची में शिक्षा

4274. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में वापस लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अभी तक कितनी अखिल भारतीय परिषदों की स्थापना की गई है; और

(घ) इन परिषदों के कार्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) संविधान संशोधन, 1976 जिसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, में शिक्षा के संबंध में संघ सरकार तथा राज्यों के बीच जिम्मेदारी वहन करने संबंधी नई सहभागिता

अपेक्षित है। हालांकि राज्यों की शिक्षा संबंधी भूमिका तथा जिम्मेदारी में निस्सन्देह कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी संघ सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय तथा एकीकृत स्वरूप को लागू करने, इसकी गुणवत्ता तथा स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यावसायिकों की शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तर भी शामिल हैं) का अनुरक्षण करने, विकास के लिए जनशक्ति के संबंध में समूचे देश की शैक्षिक जरूरतों का अध्ययन तथा मानीटरिंग, अनुसंधान तथा उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर निगरानी रखने तथा सामान्य तौर पर देश में शैक्षिक पिरामिड के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता में वृद्धि करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। समवर्ती सूची में होने का तात्पर्य सार्थक तथा चुनौतीपूर्ण सहभागिता है तथा राष्ट्रीय नीति इसे अक्षरशः और इसकी मूल भावना को कार्यरूप देने की दिशा में कार्य करती है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र में 12 अखिल भारतीय परिषदों/राष्ट्रीय परिषदों का संचालन करता है। इन परिषदों के कार्यसंबंधी विवरण आदि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली के डी.आई.जेड. क्षेत्र में स्वच्छता/सफाई

4275. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के डी.आई.जेड. क्षेत्र की सरकारी कालोनियों में स्वच्छता/सफाई के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार हैं और इस क्षेत्र में साफ-सफाई रखने के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बीच किस प्रकार का समन्वय है;

(ख) पक्की सड़कों, नालियों तथा सीवर लाइनों और शेष क्षेत्र यथा फ्लैट के बीच खाली स्थान, सीढ़ियों के बीच के स्थान और परिसर के फ्लैटों तथा उद्यानों के आस-पास के स्थान की साफ-सफाई के संबंध में न.दि.न.पा.प./के.लो.नि.वि. के अधिकारियों द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं;

(ग) क्या न.दि.न.पा.प. ने अपने सफाई कर्मचारियों को के.लो.नि.वि. के बागवानी कर्मचारियों द्वारा उद्योगों की काटी गई घास को न हटाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं और इसलिए ब्लाकों में बहुत सी घास जमा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) ने बताया है कि नई दिल्ली के डी.आई.जेड क्षेत्र की सरकारी कॉलोनियों में मुख्य सड़कों की सफाई उनके द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में लॉनों/पार्कों का रखरखाव करना के.लो.नि.वि. की जिम्मेदारी है।के.लो.नि.वि. ने सूचित किया है कि सीढ़ी तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों की सफाई का प्रबंध निवासियों/संबंधित रेजिडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) एन.डी.एम.सी. ने बताया है कि उनके द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा अत्याधुनिक हथियारों की खरीद

4276. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10.11.2001 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली पुलिस के चांदमारी क्षेत्र के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के कुछ हथियार इतने पुराने हो चुके हैं कि वे ठीक से काम नहीं करते;

(घ) यदि हां, तो बदलते परिवेश के अनुसार दिल्ली पुलिस को ढालने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक हथियार खरीदने की अनुमति दी है;

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने, दूर तक फायरिंग करने की रैंज के निर्माण के लिए वजीराबाद क्षेत्र में भूमि प्राप्त कर ली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस भोंडसी स्थिति बी.एस.एफ. की फायरिंग रैंज तथा नारनौल स्थित हरियाणा पुलिस के फायरिंग रैंज में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करती है।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमान। उपलब्ध शस्त्रों को ठीक हालत में रखने के लिए उनकी उपयुक्त देखभाल सुनिश्चित की जाती है। सरकार का मौजूदा कठिनाईयों के भीतर दिल्ली पुलिस को अधुनातन हथियारों से सुसज्जित करने का पूरा प्रयास है।

(ङ) और (च) दिल्ली पुलिस को शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो;

(छ) दिल्ली पुलिस ने 3,10,26,180 रुपए की लागत से आधुनिक शस्त्रों की खरीद के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्राक्कलन में सामग्री एवं सप्लाई शीर्ष के अन्तर्गत 12.58 करोड़ रु. का बजट प्राक्कलन आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

हथियारों के लाइसेंस जारी करना

4277. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य सरकारों द्वारा शस्त्र-लाइसेंस जारी करने के संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाई जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय असामाजिक/उग्रपंथी विचारधारा के तत्वों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने में राज्य सरकारों के शीर्ष स्तर के नौकरशाहों की संलिप्तता होने का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में किसी व्यक्ति को शस्त्र-लाइसेंस जारी करने संबंधी नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने जम्मू, दिल्ली, फरीदाबाद और पानीपत के शस्त्र व्यापारियों तथा जम्मू, फरीदाबाद और गुड़गांव आदि में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत चार मामले दर्ज किए हैं। जांच कार्य चल रहा है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

बलात्कार की शिकार महिलाओं को मुआवजा

4278. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कार की शिकार महिलाओं को विधिक सहायता व परामर्श और मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का सांविधानिक प्रावधान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय

4279. श्री राजैया मल्याला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है;

(ख) इन विद्यालयों को आबंटित भूमि का संरक्षण करने के लिए हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस स्थिति का निराकरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) आंध्र प्रदेश के दो नवोदय विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में विवाद चल रहा है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासन और न्यायालयों के साथ इन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

(ग) *1. जवाहर नवोदय विद्यालय चित्तूर:* जवाहर नवोदय विद्यालय चित्तूर को आबंटित भूमि में से सर्वे नं. 715/4 और 716/1 की 4.54 एकड़ भूमि पर निजी पार्टियों ने दावा किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। माननीय न्यायालय ने निजी पार्टियों के पक्ष में इस शर्त के साथ निर्णय दिया कि यदि सरकार को लोक उद्देश्यार्थ इस भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो भूमि मालिक को इसका मुआवजा अदा किया जाए। जिला कलेक्टर ने भूमि मालिक को इस भूमि के बदले एक वैकल्पिक स्थल आबंटित करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। जिस पर विचार किया जा रहा है।

2. जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम गोदावरी: 30.47 एकड़ भूमि में से 2.20 एकड़ भूमि पर निजी पार्टी के साथ विवाद है। भूस्वामी ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है।

सिंथेटिक जीन

4280. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेरिया-उन्मूलन के कार्य में लगे वैज्ञानिक इस रोग को समूल रूप से उन्मूलित करने के एक अत्यंत दुस्साहसी प्रयास के बतौर, एक संपूर्ण प्राणि-प्रजाति को ही जीनीय-स्तर पर विकसित करने का आधार तैयार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक घातक मच्छरों की पैदावार में एक सिंथेटिक जीन अंत:स्थापित करने में सफल रहे हैं जिससे अब ये मच्छर मनुष्यों को मलेरिया रोग से ग्रस्त नहीं कर सकेंगे, और

(ग) देश में मलेरिया रोग को समूल रूप से नष्ट करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) इम्पिरियल कालेज, लंदन और यूरोपियन मॉल्युकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट, हीडलबर्ग, जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा मलेरिया फैलाने वाले मच्छर (एनोफिलिज स्टेफेन्स) के लिए जेनेटिक रूपांतरण प्रणाली विकसित किए जाने की सूचना है।

अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर ही है। देश में मलेरिया नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) जल्द मामले का पता लगाना और तत्काल उपचार।

(2) चयनात्मक वेक्टर कंट्रोल

(3) वैयक्तिक संरक्षण पद्धति का संवर्धन

(4) जल्द पता लगाने और महामारी पर काबू पाना।

(5) वैयक्तिक निवारण और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार।

(6) संस्थागत और प्रबन्धन सक्षमता तैयार करना, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और कुशल प्रबंधन सूचना पद्धति (एम आई एस)।

(7) सभी प्रकार के निवारण और नियंत्रण संबंधी उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अग्रिम चेतावनी जारी करना।

विनिवेश के लिए योजनागत लक्ष्य

4281. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संलग्न सरकार की इक्विटी के विक्रय के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का भी लक्ष्य है, को हासिल करने के लिए एक दीर्घावधि-योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में विनिवेश के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के दस्तावेज में 2002-2007 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी की बिक्री से 78000 करोड़ रुपए की राशि को ध्यान में रखा गया है। विनिवेश एक सतत प्रक्रिया और समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

जिला कार्यालयों-परिसरों के निर्माण हेतु ''हुडको'' की सहायता

4282. श्री एच.जी. रामुलू: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के सात नव-सृजित जिलों में जिला कार्यालय-परिसरों के निर्माणार्थ ''हुडको'' से 100 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए केन्द्र सरकार की सम्मति चाही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ऋण के लिए अपनी सम्मति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह विभिन्न राज्य एजेंसियों को हडको दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे ही ऋण स्वीकृत करता है। हडको ने राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार को बागलकोट, हवेरी, दावनगेरी, चमाराजनगर, गडग, कोप्पल तथा उडुपी में 7 नए जिला केन्द्रों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

'नाल्को' और 'बाल्को' का निजीकरण

4283. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) और भारत एल्युमिनियम कम्पनी (बाल्को) में निजीकरण के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) 'नाल्को' और 'बाल्को' द्वारा अपनी कितने प्रतिशत इक्विटी के विक्रय का प्रस्ताव है; और

(ग) उन परिस्थितियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनके अधीन इक्विटी को बेचना पड़ रहा है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) बाल्को में सरकार द्वारा धारित 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। सरकार ने नाल्को में 30 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजारों में खुली बाजार बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश सरकार की उस घोषित विनिवेश नीति के अनुसरण में किया जा रहा है। जिसके अनुसार सभी गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा, यदि आवश्यक हो, उससे निचले स्तर तक कम किया जाना है। बाल्को और नाल्को दोनों ही गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

महाराष्ट्र में विद्यालयों/छात्रावासों की स्थिति

4284. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय जिलों, विशेषकर महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद जिलों में, विद्यालयों/छात्रावासों की दशा बहुत, खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों/लड़कियों के छात्रावाओं तथा जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। योजना के मानदंडों के अनुसार मंत्रालय द्वारा निर्माण की 50% लागत का वहन किया जाता है। निर्माण लागत के शेष 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। छात्रावासों/स्कूलों के रख-रखाव और चलाने का दायित्व राज्य सरकार का है। ऐसा कोई उदाहरण इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मृत्यु दण्ड देने के तरीके में बदलाव

4285. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मृत्यु दण्ड देने के लिए अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाने की अपेक्षा कोई और तरीका अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृत्यु दण्ड देने के तरीके में बदलाव को किसी विशेषज्ञ-समिति द्वारा भी अनुमोदित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

1984 के दंगों के सम्बन्ध में नानावती आयोग

4286. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 अक्टूबर, 1984 की घटना के बाद सिख समुदाय के लोगों को लक्ष्य बनाकर की गई अपराधिक हिंसा की वारदातों और दंगों के मामलों तथा घटनाक्रमों की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आंतरिक रूप से अशांत क्षेत्र

4287. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सलवाद या अन्य प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों की 'आंतरिक रूप से अशांत क्षेत्र' के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की अशांति के कारणों का पता लगाने के लिए किसी सरकारी एजेंसी अथवा गैर-सरकारी संगठन ने कोई विशिष्ट अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने और आतंरिक अशांति का वातावरण दूर करने के लिए किन्हीं सामाजिक-आर्थिक व क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) देश में आतंरिक सुरक्षा स्थिति की चिन्ता का मुख्य केन्द्र, जम्मू और कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद, पूर्वोत्तर में आतंकवादी ग्रुपों की परस्पर जुड़ी तथा बाहर से समर्थिक विध्वंसक गतिविधियां और कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में वामपंथी अतिवादी ग्रुपों द्वारा की जा रही हिंसा है।

(ग) से (च) गुमराह युवकों को फंसाकर और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक करणों का अनुचित लाभ उठाकर और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर देश में, आतंकवाद को प्रायोजित करने हेतु सीमा पार से किए जा रहे प्रयासों की सरकार को जानकारी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से तालमेल बनाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को तेज करने और लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है।

दूर-दराज एवं अगम्य सीमावर्ती क्षेत्रों के सन्तुलित विकास और लोगों को विकासात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया गया है।

वामपंथी अतिवाद की समस्या से निपटने के लिए एक सन्तुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु, राज्यों की, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ ही साथ विकास संबंधी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए, एकीकृत कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई थी। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से प्राप्त योजनाओं को योजना आयोग को भेजा गया था, जिसने प्रशासन को उत्तरदायी बनाने और लोगों को अधिक से अधिक शामिल करके डिलीवरी मैकेनिजम को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत उपायों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए थे। आयोग ने इस विषय में

एक विस्तृत रणनीति, जिसके विशिष्ट पहलुओं को समर्थन दिया जा सकता है, तैयार करने का भी सुझाव दिया है। सम्बंधित राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शीर्ष पदों का भरा जाना

4288. **श्री राधामोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दोनों शीर्ष पदों को केन्द्रीय भर्ती योजना के माध्यम से भरने का निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी आवश्यकता और औचित्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। इन दोनों पदों के प्रशासनिक, आयोजना तथा कार्यकारी स्वरूप को देखते हुए सरकार द्वारा इन पदों को केन्द्रीय भर्ती योजना के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन

4289. **श्री अनन्त नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंन्द्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के तथा अशक्त बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या; और

(ग) इन कार्यक्रमों को कब से शुरू किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में यह निर्धारित किया गया कि बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले पर तथा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय में शामिल करने पर बल देते हुए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को तैयार किया है:

(1) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(2) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

(3) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में शिक्षा जारी रखने के लिए ऐसे बच्चों को आँशिक रूप में शुल्क में छूट की अनुमति है।

(4) नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्राओं के लिए सीटों का आरक्षण तथा फीस से पूर्ण छूट देने की व्यवस्था है।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राज्य सरकारें भी इस दिशा में विभिन्न उपाय कर रही हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, छात्राओं और विकलांग बच्चों के राज्यवार दाखिले का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छात्राओं और वकलांग बच्चों (कक्षा 9-12) का राज्यवार दाखिला

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु.जा.*	अनु.जन.जा*	बालिकाएं*	विकलांग बच्चे**
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	223239	51810	718493	3763
2.	अरुणाचल प्रदेश	115	16799	10711	31
3.	असम	97788	129350	357014	892

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	217094	110854	383287	194
5.	गोवा	734	37	30346	147
6.	गुजरात	119857	138181	571993	4265
7.	हरियाणा	78270	0	259940	1515
8.	हिमाचल प्रदेश	53158	15356	124231	120
9.	जम्मू व कश्मीर	16367	13701	83349	152
10.	कर्नाटक	188332	79702	835361	3789
11.	केरल	130333	9307	660242	922
12.	मध्य प्रदेश	249055	225927	681274	2185
13.	महाराष्ट्र	393601	169029	1383486	9104
14.	मणिपुर	1522	17010	32780	147
15.	मेघालय	1228	36996	23664	153
16.	मिजोरम	21	28597	14263	71
17.	नागालैण्ड	109	40376	18498	29
18.	उड़ीसा	149000	100000	551500	3100
19.	पंजाब	172201	0	342721	423
20.	राजस्थान	141734	93557	320301	1170
21.	सिक्किम	675	3315	4865	0
22.	तमिलनाडु	319695	13689	1005038	7972
23.	त्रिपुरा	13403	16963	35727	113
24.	उत्तर प्रदेश	456420	12272	871432	507
25.	पश्चिम बंगाल	263499	64988	429973	4266
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1085	7580	157
27.	चंडीगढ़	2415	37	16912	121
28.	दादरा व नगर हवेली	150	1779	1313	0
29.	दमन और दीव	279	273	1952	0

1	2	3	4	5	6
30.	दिल्ली	176617	718	700068	1621
31.	लक्षद्वीप	18	2617	1257	0
32.	पांडिचेरी	7942	0	22316	333
	भारत	3474871	1394320	10501887	47262

*चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (1998-99), माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार।
**छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्राशिक्षण परिषद।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4290. श्री हरिभाई चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का व्यापारिक घरानों के रचनात्मक सहयोग के साथ, एक व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम में कार्यकुशलता विकास, रोजगार सृजन और ग्रामोद्योगों की स्थापना के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आमंत्रित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गरीबी उन्मूलन योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रस्तावित प्रोत्साहन उपायों/सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार के साथ प्रभावी भागीदारी स्थापित करने हेतु कार्पोरेट क्षेत्र का आह्वान किया है। उद्योगों को ग्रामीण विकास के लिए गतिविधियों एवं क्षेत्रों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है तथा उपयुक्त ग्रामीण तकनीक का प्रचार करता है जिससे विकास प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित किया जा सके तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी प्रयासों को सहायता प्रदान की जा सके। ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन कपार्ट से स्थायी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राज्यों को विशेष दर्जा

4291. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राजो सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को विशेष दर्जा देने के संबंध में क्या मापदण्ड रखे गये हैं;

(ख) अभी तक किन-किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का किसी और राज्य/राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) "विशेष श्रेणी का दर्जा" उन राज्यों को दिया जाता है जिनका अधिकतर भू-भाग पहाड़ी है और बड़ी संख्या में आदिवासी जनसंख्या है, जो संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थिति है, जिनका सामाजिक-आर्थिक ढांचा अविकसित है, जिनका राजस्व आधार कम हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था व्यवहार्य स्वरूप की है और कुल मिलाकर आर्थिक पिछड़ापन है।

(ख) विशेष श्रेणी के राज्य अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल हैं।

(ग) जी नहीं, फिलहाल किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

परमाणु-प्रतिष्ठानों को खतरा

4292. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु आतंकवाद का खतरा उत्पन्न हो गया है जैसा कि दिनांक 2.11.2001 के 'स्टेट्समैन' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो देश के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। भारत में परमाणु आतंकवाद के खतरे के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जैसा कि तारीख 2.11.2001 के स्टेट्समैन में रिपोर्ट छपी है। तथापि, सभी महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर का पुनर्वास कानून

4293. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बहादुर सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19.11.2001 के 'पंजाब केसरी' समाचारपत्र में जम्मू और कश्मीर के पुनर्वास-कानून के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी सूचना है कि इस कानून का लाभ उठाकर पाकिस्तान बड़ी संख्या में अपने एजेंटों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है।

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। राज्य विधान मंडल ने जम्मू और कश्मीर राज्य में पुनर्वास (अथवा स्थायी तौर पर वापसी) के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी अधिनियम 1982 उन स्थायी निवासियों जो 14.5.1954 से पूर्व राज्य के नागरिक थे और 1.3.1947 के बाद पाकिस्तान में प्रवास कर गए थे या उनके वंशजों को वापस लौटाने तथा बसाने के लिए अधिनियमित किया था। जब उक्त विधेयक राज्य विधान मंडल के विचाराधीन था तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 30.9.1982 को राष्ट्रपति का हवाला भारत के उच्चतम न्यायालय को इस संबंध में उनकी राय लेने के लिए भेजा गया था कि यदि विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो क्या यह विधेयक अथवा उसका कोई प्रावधान संवैधानिक तौर पर अवैध होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 6.11.2001 के निर्णय के तहत हवाला यह कहते हुए अनुत्तरित लौटा दिया कि यदि उन्हें स्वीकारात्मक उत्तर देना होता, तो वे इस कार्यवाही में अधिनियम को निरस्त करने में असमर्थ थे।

(ग) और (घ) जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि, सरकार सभी ओर निगाह रखे हुए है ताकि इस प्रकार की किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके।

(ङ) चूंकि उक्त अधिनियम का अधिनियमन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में कुछ विषयों पर संसद की शक्तियों से परे है अत: इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा-भत्ता पाने की पात्रता

4294. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125 के तहत, विवाह-विच्छेद करने वाली वे महिलाएं भी गुजारा-भत्ता पाने की पात्रता रखती हैं जिन्होंने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ, दहेज के झूठे मामले दर्ज कराए हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भा.द.सं., 1860 की धारा 125 में भारत सरकार

के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों वाली एशियाई सत्ता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है और न कि पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रख-रखाव के आदेश की व्यवस्था। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 है जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, यदि अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता जो अपना खर्च वहन करने में समर्थ न हो, का रख-रखाव करने से मना करता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मनाही किए जाने के प्रमाण पर, ऐसे व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चे, माता या पिता को रख-रखाव के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की उप-धारा (4) में भी यह व्यवस्था है कि कोई भी पत्नी अपने पति से रख-रखाव का भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह पर-पुरुष के साथ रह रही हो या यदि पर्याप्त कारणों के बिना वह अपने पति के साथ रहने से मना करती हो या यदि वे आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे हों।

जहां तक किसी पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के विरुद्ध दर्ज मामले का संबंध है, यह निर्णय करना न्यायालय का काम है कि इस प्रकार का मामला झूठा है या अन्यथा।

[अनुवाद]

'अन्नपूर्णा योजना'

4295. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :
श्री सुरेश पासी :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'अन्नपूर्णा योजना' के क्रियान्वयनार्थ अब तक राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों की ओर से इस धनराशि को बढ़ाने तथा योजना के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों को उठवाने और इसके वितरण में आने वाले परिवहन-प्रभार को केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन किए जाने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए इसमें कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में लक्षित लाभार्थियों की संख्या या निधियों को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोधों पर योजना के मापदंडों के भीतर और बजट आबंटन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया गया है/जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार 50 रु. प्रति क्विंटल की दर से ढुलाई खर्च मुहैया कराती है। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को आर.पी.डी.एस. को दी गई अनुमति के अनुसार कलस्टर/सी.ई.ओ., जिला पंचायत को ढुलाई खर्च रिलीज करता है और जिला कलक्टरों/सी.ई.ओ. को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ परामर्श करके जिला स्तरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था करनी होती है।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि अन्नपूर्णा योजना का लाभ सभी वृद्धावस्था पेंशनरों को दिया जाए ताकि राज्य में लाभार्थियों का पता लगाना संभव हो सके। फिलहाल, केवल 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे असहाय व्यक्ति, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के पात्र हैं। इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

अन्नपूर्णा योजना

(रुपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन 2000-01	आवंटन 2001-02
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश#	62442611	97959173
2.	बिहार	111620187	116765445
3.	छत्तीसगढ़		22351239
4.	गोवा	602987	630782

1	2	3	4
5.	गुजरात×	29693739	0
6.	हरियाणा×	11563943	0
7.	हिमाचल प्रदेश	5105286	5340620
8.	जम्मू व कश्मीर	6847248	7162880
9.	झारखण्ड	36808311	38505032
10.	कर्नाटक ×	45585786	0
11.	केरल#	30135930	31525080
12.	मध्य प्रदेश ×	80264215	0
13.	महाराष्ट्र	89751204	93888387
14.	उड़ीसा#	43415034	45416299
15.	पंजाब ×	8348014	0
16.	राजस्थान	31824292	66557126
17.	तमिलनाडु	57658917	60316770
18.	उत्तर प्रदेश$	168193059	221240063
19.	उत्तरांचल		8902873
20.	प. बंगाल	64104174	67059128
21.	अंडमान निकोबार	375192	392487
22.	चण्डीगढ़	294793	308382
23.	दादरा व नगर हवेली	254594	266330
24.	दमन व दीव	53599	56069
25.	दिल्ली	5386680	5634986
26.	लक्षद्वीप	40199	42052
27.	पांडिचेरी	1058576	1107372
	उप योग	891428571	891428573
उत्तर-पूर्वी राज्य			
28.	अरूणाचल प्रदेश	3989659	3989659
29.	असम	57763322	57763322
30.	मणिपुर	7198732	7198732
31.	मेघालय	7762489	7762489
32.	मिजोरम	2168293	2168293
33.	नागालैंड #	5637561	5637561
34.	सिक्किम #	2081561	5637561
35.	त्रिपुरा	12446001	12446001
	उप योग	99047619	99047617
	कुल	990476190	990476190

*योजना कार्यान्वित नहीं कर रहें हैं।

#1.4.2001 की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल का अवशेष भी शामिल है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के खातों की जांच

4296. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "गैर-सरकारी संगठनों के खातों की जांच करेगा केन्द्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खातों की जांच कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस जांच के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। प्रकाशित समाचार में, अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों अर्थात विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुमति देने का तरीका, और प्राप्त विदेशी अभिदाय और इसके उद्देश्य-वार उपयोग का ब्यौरे देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में विवरणी

दाखिल करना; इस विवरणी के फार्म में उल्लिखित उद्देश्यों की सूची का विस्तार, ऐसे संगठनों के लेखों के निरीक्षण का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उनके पास संदेह करने के लिए कोई आधार है कि किसी संगठन द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस संगठन के लेखों और अभिलेखों की जांच के आदेश दे सकती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) अधिनियम के अन्तर्गत शामिल संस्थाएं

4297. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम (ए.आई.सी.टी.ई.) के अन्तर्गत किस प्रकार की संस्थाओं को शामिल किया जाता है;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) अधिनियम को लागू करते समय कतिपय संस्थाएं और विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तकनीकी संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में कोई अस्पष्टता की स्थिति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अनुसार, तकनीकी शिक्षा का अर्थ है इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, शहर आयोजन, प्रबंधन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला व हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम। तथापि, अधिनियम के अनुसार, 'तकनीकी संस्था' का तात्पर्य उस संस्था से है जो विश्वविद्यालय नहीं है और तकनीकी शिक्षा की पाठ्यचर्या अथवा कार्यक्रम चलाती है तथा इनमें ऐसी अन्य संस्थाएं भी शामिल की जाएंगी जिन्हें केन्द्र सरकार, परिषद् के परामर्श से, सरकारी गजट की अधिसूचना द्वारा तकनीकी संस्था घोषित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विधिवत निर्धारित विनियमों के आधार पर और वित्तीय व्यवहार्यता, निर्धारित मानदण्डों और स्तरों के अनुसार भवन, शिक्षण कक्ष, संकाय, इत्यादि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी संस्था को अनुमोदन प्रदान करती है। अनुमोदन प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित क्रियाविधियों पर आधारित होती है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

4298. श्रीमती प्रभा राव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इन सभी लोगों को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु के असहाय व्यक्ति जिनके पास आय के स्वयं के स्रोत से या परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता के जरिए या अन्य स्रोतों से अपनी जीविका का कोई नियमित साधन नहीं है या अल्प साधन है, इस योजना के अंतर्गत पेंशन के पात्र हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे असहाय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं की सांख्यिकीय सीमा 68.81 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। संसाधनों की अड़चनों की वजह से, सांख्यिकीय सीमा के अनुसार सभी लक्षित लाभार्थियों को कवर कर पाना फिलहाल संभव नहीं है।

उत्तरी बंगाल में जनजातियों के समक्ष आ रही कठिनाइयां

4299. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तरी बंगाल के अल्पविकसित जिलों मालदा, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तर दीनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी और कूच बिहार की बहुसंख्यक अनुसूचित

जनजातियों को बच्चों के कुपोषण, गांवों की सड़कों की खराब स्थिति, गर्मियों में ताजा पेयजल का अभाव और उत्तर बंगाल के 'दूर' में स्थित चाय बगान क्षेत्रों में विद्यालयों और छात्रावासों का अभाव और लड़कियों के लिए शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जनजातीय विकास के लिए इस क्षेत्र की आठवीं और नौवीं योजना में योजना निधि के अनुपयोग से संबंधित व्यापक अध्ययन कराने और दसवीं योजना में उचित प्रावधान सुनिश्चित कराने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में खेमपुर ग्राम पंचायत (जनजातीय बहुल) के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए एक व्यापक आदर्श जनजातीय पंचायत योजना पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर बंगाल में जनजातीय लोगों के कुपोषण और कठिनाइयों के संबंध में कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार राज्य योजना तथा मंत्रालय द्वारा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान से उत्तर बंगाल के जिलों सहित सभी जनजातीय क्षेत्रों के लिए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, स्कूल, छात्रावास, पेयजल, सड़कों, पुलों, पुलिया, लघु सिंचाई आदि के लिए अवसरंचना की व्यवस्था कर रही है।

(ग) और (घ) समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने और साथ ही निधियों के विपथन को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा समुचित उपाय किए गए हैं जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है:

(1) निधियों की आगे निर्मुक्ति के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में उपयोग प्रमाणपत्रों पर बल दिया जाता है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मौके पर पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(4) निधियों की निर्मुक्ति के लिए प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कल्याण के राज्य सचिवों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य स्तर पर, जनजातीय सलाहकार समिति, ब्लाक स्तरों पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन समितियां तथा पंचायत समितियां जैसी एंजेसियां धनराशि के समय पर खर्च किए जाने तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करती हैं।

दसवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश की जनजातियों के विकास के लिए उचित प्रावधान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(ङ) और (च) मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर निधियां उपलब्ध करता है। निधियों को किसी जिला विशेष या क्षेत्र विशेष तरीके से निर्मुक्त नहीं किया जाता है और राज्य में जिलों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा जाता है।

आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए अमरीकी मदद

4300. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ से निपटने और भारत के सीमा प्रबंधन को सुधारने में सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में अमरीकी अधिकारियों के साथ कोई बैठक की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत और अमेरिका के बीच चल रहे आतंकवाद प्रतिरोधी सहयोग के एक भाग के रूप में उन्होंने, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सतर्कता और प्रबंधन में सुधार करने के लिए अमेरिका से उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति पर विचार किया है।

(ग) और (घ) 7-9 नवम्बर, 2001 को प्रधानमंत्री के वाशिंगटन डी.सी. दौरे के दौरान अमेरिका ने इस संबंध में भारत को सहायता उपलब्ध कराने की अपनी इच्छा के संकेत दिए । दोनों पक्षों ने इस मामले पर, 3 और 4 दिसम्बर, 2001 को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय रक्षा नीति ग्रुप की बैठक के दौरान भी चर्चा की।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों का विनिवेश

4301. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाल्को, सी.एम.सी., एच.टी.एल. और एल.जे.एम.सी. (लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड) जैसे पांच उपक्रम का निजीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन उपक्रमों के एक भी कर्मचारी की छटनी की गई है; और

(ङ) गत छः महीनों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि के कर का भुगतान किया गया है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि., भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को), सी. एम. सी. लि., एच टी एल लि. और लगन जूट मशीनरी कंपनी लि. (भारत भारी उद्योग निगम लि. की एक सहायक कंपनी) का निजीकरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों के निवल लाभ/हानि इस प्रकार हैं:

कम्पनी का नाम	लाभ/हानि(-) करोड़ रुपये में
मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	-48.23
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	55.89
सी एम सी लिमिटेड	12.70
एच टी एल लिमिटेड	12.45
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड	-0.42

(घ) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि., भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को), सी एम सी लि., एच टी एल लि. और लगन जूट मशीनरी कंपनी लि. के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है।

(ङ) एच टी एल लि. ने 1.6.2001 से 30.11.2001 के छः महीने की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को कर और शुल्क के रूप में 28.74 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। बाल्को ने भी पिछले छः महीने की अवधि के दौरान कर और शुल्क के रूप में 50.25 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। अन्य कंपनियों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाने को बंद किया जाना

4302. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर में उर्वरक कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने को बंद करने के पश्चात् इसके कर्मचारियों को किस प्रकार से खपाया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सकार द्वारा फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआई) के गोरखपुर एकक के बन्द करने/बेचने का निर्णय ''सिद्धान्त रूप से'' पहले ही ले लिया गया है क्योंकि इसे तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। गोरखपुर एकक सहित एफसीआई के विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव पर सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31.5.2001 को सरकार की इस घोषित नीति

के आधार पर विचार किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों के हितों का भी ध्यान रखा जाए और प्रस्ताव पर विचार करने तथा सिफारिशें देने हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर प्रतिबंध

4303. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने की घटनाएं सरकार/संगठन के ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) देश में केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर रोक और केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। शिक्षकों के लिये आचार संहिता तथा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार किसी भी शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना चाहिए तथा इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले शिक्षक पर सी सी एस (सी सी ए) नियम, 1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के ध्यान में ऐसे 16 मामले लाए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) दोषी पाये गये शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(छ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अभिभावक शिक्षक संघ के माध्यम से विद्यालय में छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने की योजना कार्यान्वित की है तथा कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की की गई हैं।

[अनुवाद]

ग्रेटर चैन्नई परियोजना

4304. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नगरों के क्षैतिज विस्तार करने के लिए "ग्रेटर चैन्नई परियोजना" आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और इस परियोजना के अंतर्गत योजनावार शामिल किए गए नगरों/शहरों के नाम क्या हैं;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान और बाद के समय में तमिलनाडु को कितनी परियोजनाएं आबंटित की गई और इसके लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ङ) कौन-कौन से नगरों/शहरों को धनराशि प्रदान करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि होरीजेंटल विकास को सुचारू बनाने के लिए चैन्नई महानगर क्षेत्र में होरीजेंटल विस्तार का प्रस्ताव है। मुख्य शहर को भीड़भाड़ कम करने के लिए नीति के अनुपालन में, रेलवे प्राधिकरण ने सेंट्रल स्टेशन पर स्थित वर्तमान रेल टर्मिनल के भाग को तम्बारम और एगमोर स्थिर शहर की सीमा पर ले जाने के लिए प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, उद्योगों को चैन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) द्वारा उसके द्वितीय मास्टर प्लान-2011 के अंतर्गत उनकी विभिन्न श्रेणियों और अन्य आर्थिक

कार्यकलापों के अनुसार, विकेन्द्रीकृत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमडीए ने बंडालुर जीएसटी रोड से मिंजुर तक 62 कि.मी. दूरी के आउटर रिंग रोड (ओआरआर) का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। केन्द्र में रेलवे लाइन के लिए व्यवस्था के साथ इस सड़क के निर्माण से दोनों ओर शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मेट्रो जल विभाग ने चेम्बारक्कम टैंक को शहर जल आपूर्ति प्रणाली में बंडालुर से पुत्तमल्ली तक फैली शुष्क भूमि के रूप में इसकी अयाकुट की 10 हजार हेक्टेयर (25 हजार एकड़) भूमि प्राप्त होगी। सीएमडीए दक्षिण चैन्नई में ओल्ड महाबलीपुरम (4 लेन) रोड पर पेंरूगुडी से तिरूपोरूर तक आई टी कारीडोर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इससे दक्षिण दिशा में शहर के होरीजेंटली विस्तार को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार चैन्नई मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण एन्नोर पोर्ट के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए उत्तरी चैन्नई के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे और मझोले कस्बों के समेकित विकास योजना (आईडीएसएमटी) के अंतर्गत तमिलनाडु में विभिन्न परियोजना के लिए विभिन्न कस्बों हेतु कुल आवंटित राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु के लिए अस्थायी केन्द्रीय सहायता का आवंटन 536 लाख रु. है जिसमें से केन्द्रीय सहायता के 275.96 लाख रु. पेरीकुलम, तजाकुर और राजापलयम नामक तीन नये कस्बों और सुरमपत्ती और ओड्डाचंतरम नामक 2 सतत कस्बों को पहले ही जारी किये जा चुके हैं। पल्लाथुर कस्बे के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) द्वारा इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयारी की जा रही है।

मेगा सिटी योजना के अंतर्गत, चैन्नई के लिए वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः 13.78 करोड़ रु. 14.15 करोड़ रु. और 16.10 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। कुल 103 परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं जिनमें से 65 कार्यान्वित की गई और 27 परियोजनाओं का काम प्रगति पर हैं। शेष 11 परियोजनायें अभी प्रांरभ की जानी हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान 16.90 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता चैन्नई में विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी की गई है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत, पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित 19 परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	परियोजना लागत	केन्द्र का अंश
1	2	3	4	5
1.	ओथाकडई	जनवरी, 99	71.80	35.90
2.	थिरूप्पावरन	जनवरी, 99	53.70	26.85
3.	थाथईयानगरपेट	फरवरी, 99	356.80	178.40
4.	मेत्तुपलयम	फरवरी, 99	221.35	110.68
5.	सथाकुलम	अप्रैल, 99	127.95	63.98
6.	उदनगुदी	अप्रैल, 99	216.40	108.20
7.	वालाजबाद	अप्रैल, 99	52.00	26.00
8.	पुनजेई पुलेमपेत्तई	दिसम्बर, 99	381.20	190.60
9.	कन्याकुमारी	दिसम्बर, 99	448.85	224.43
10.	पुनजेयपुगलुर	दिसम्बर, 99	169.70	84.85

1	2	3	4	5
11.	वदासन्दुर	सितम्बर, 2000	34.55	17.28
12.	अयमपेत्तई	सितम्बर, 2000	76.85	38.43
13.	पल्लेपत्ती	सितम्बर, 2000	483.90	241.95
14.	वीरावनाल्लुर	सितम्बर, 2000	96.65	48.33
15.	नजारथ	सितम्बर. 2000	197.00	98.50
16.	पालाकोड	जनवरी, 2001	370.10	185.05
17.	एरवडी	जनवरी, 2001	85.80	42.90
18.	कोर्टालम	जनवरी, 2001	99.27	49.64
19.	मुत्थुपेट	दिसम्बर, 2001	694.50	347.25

वर्ष 2001-2002 के दौरान श्रीपेरूम्पुदुर, अदुथुरई, तिरूभुवनम और विरूविदैमरूदुर कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और पर्यावरण संगठन (सीपीएचईईओ) में संवीक्षाधीन हैं। सभी परियोजनाओं की जांच की गई है और राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

चैन्नई जल आपूर्ति परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 7787.89 मिलियन रुपये की लागत पर कार्यान्वित की जा रही है। यह 86.50 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण राशि के साथ कार्यान्वित की जा रही है। ऋण की राशि जून, 2002 तक संवितरित की जानी है। चैन्नई सीवरेज रेनोवेशन और कार्यात्मक सुधार परियोजना ओईसीएफ (जापान) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। 17098 मिलियन जापानी येन की ऋण राशि अनुमोदित की गई है जिसमें से 1211.192 मिलियन जापानी येन सितम्बर, 2001 तक संवितरित किए गए हैं।

कम लागत की सफाई (एलसीएस) योजना के अंतर्गत, वर्ष 1998-99 के दौरान तमिलनाडु को 12.93 लाख रु. की सब्सिडी जारी की गई थी। उक्त वर्ष के दौरान, 105.87 लाख रु. की ऋण राशि भी जारी की गई थी। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत, कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत, शहरी मलिन बस्तियों के सुधार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जा रही है। तमिलनाडु सरकार को एन एस डी पी के अंतर्गत, वर्ष 1998-99 के दौरान 2674.00 लाख रु., वर्ष 1999-2000 के दौरान 2711.00 लाख रु. और 2000-2001 के दौरान 2259.17 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01) के दौरान तमिलनाडु राज्य के लिए आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	कस्बा	1998-1999	1999-2000	2000-2001	योग	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	अवनसी	15.36	0.00	0.00	15.36	21.86
2.	सुलुर	13.73	0.00	0.00	13.73	17.50
3.	मनामदुरयी	0.00	32.00	0.00	32.00	19.00
4.	पोन्नेरी	15.97	0.00	0.00	15.97	9.70
5.	पल्लडम	9.17	0.00	0.00	9.17	48.06

1	2	3	4	5	6	7
6.	कंगयम	9.90	10.06	0.00	19.96	29.84
7.	वीरप्पनचत्तिरम	0.00	7.74	0.00	7.74	23.98
8.	कासीपलैयम	6.17	0.00	0.00	6.17	36.19
9.	पूवीरूथावली	0.00	2.15	0.00	2.15	18.33
10.	इनामकरूर	19.43	0.00	0.00	19.43	19.12
11.	तिरूचेन्दूर	0.00	14.93	0.00	14.93	32.00
12.	शोलिगर	0.00	25.79	0.00	25.79	36.37
13.	वनीयमबाड़ी	0.00	10.32	0.00	10.32	12.00
14.	कुट्टानल्लुर	10.00	0.00	0.00	10.00	18.44
15.	पोन्नामरावती	9.15	4.85	14.09	28.09	82.63
16.	तत्तैय्यांगरपेट्टई	0.00	14.10	14.10	28.20	61.07
17.	थुरैयुर	0.00	12.45	12.45	24.90	37.75
18.	चित्रामनुर	12.42	6.58	18.87	37.87	64.40
19.	आमलुर	0.00	7.12	0.00	7.12	44.38
20.	नट्टारसनकोट्टई	0.00	9.65	9.66	19.31	37.85
21.	देनकनिकोटा	0.00	11.60	11.59	23.19	47.90
22.	करानुर	16.43	8.72	0.00	25.15	71.37
23.	सुरमपट्टी	25.09	0.00	26.04	51.13	85.00
24.	ओड्डाचंतरम	9.91	0.00	9.91	19.82	43.31
25.	डिंडीगल	0.00	40.00	30.00	70.00	71.44
26.	देवकोट्ठयी	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00
27.	वेल्लूर	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
28.	कन्याकुमारी	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
29.	किनाथुकडवु	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
30.	विलावीकुलत	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
31.	पेरावूरानी	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
32.	चेनगम	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
	सकल योग	172.73	278.26	210.71	661.70	1025.49

कर्नाटक में आंगनवाड़ी केन्द्र

4305. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत राज्य के 27 जिलों को लाने के लिए 6655 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में अब तक उक्त केन्द्रों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) 40170 आंगनवाड़ी केन्द्र राज्य में पहले से ही स्वीकृत हैं।

योग्यता के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का चयन

4306. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों का चयन/भर्ती/पदोन्नति योग्यता के आधार पर की गई जिनकी गणना को उनके समुदायों के लिए 'रिक्तियों/पदों के आरक्षित कोटे' के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया;

(ख) क्या ऐसे भी उदाहरण है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों पर इन समुदायों के योग्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को दर्शाया गया/समायोजित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 18 व्यक्तियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में योग्यता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चुना गया है/भर्ती किया गया है। पदोन्नत किया गया है। और इन व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए 'आरक्षित कोटे' में नहीं गिना गया है।

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक इकाइयों को दी जा रही राजसहायता में कमी करना

4307. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कुछ चूककर्ता उर्वरक फर्मों को दी जाने वाली राजसहायता के वार्षिक भुगतान में कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सब्सिडी पर व्यय को नियंत्रित करने तथा खपत मानकों को व्यवहारिक स्तर पर निर्धारित करने की दृष्टि से सरकार ने यूरिया एककों के खपत मानकों को दिनांक 1.4.2000 से अंतरिम आधार पर संशोधित किया है। ये खपत मानक वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुए वास्तविक स्तरों या मौजूदा स्तर, जो भी कम है, पर आधारित हैं। प्रतिधारण मूल्यों में भी तदनुरूपी अंतरिम संशोधन किया गया है। इस संशोधन से कुछ एककों के प्रतिधारण मूल्यों में कमी हुई है। तथापि, ऐसा संशोधन मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है और सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति मानदंडों जिनमें खपत मानक भी शामिल होंगे और 1.7.1997 से प्रभावी होंगे, पर सरकार के निर्णय के अध्यधीन हैं।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

4308. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996-97 तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) विकास स्कंध के ब्लाकों और मुख्यालय के कर्मचारी वर्ग को वेतन योजना शीर्ष के अन्तर्गत दिया गया था;

(ख) क्या 50 प्रतिशत राशि को आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत प्रतिपूरित किया गया और 2 प्रतिशत आबंटन को प्रशासनिक व्यय के रूप में लिया गया जिसे प्रतिष्ठापित कार्यक्रम जे.आर.वाई., एस.जी.एस.वाई. तथा पूर्व की जे.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया था;

(ग) क्या इसकी समाप्ति के फलस्वरूप असम राज्य के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा है तथा इस तरह परोक्ष तौर पर राज्य का हिस्सा 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार भूतलक्षी प्रभाव से राज्य शेयर में कम से कम 25 प्रतिशत कमी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) ''ब्लाक स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा राज्य मुख्यालयों में प्रकोष्ठों के गठन'' की पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत सृजित किए गए स्टाफ पदों पर हुए खर्च को आई.आर.डी.पी. की पूर्ववर्ती योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता था। योजना के अंतर्गत 1996-97 तक केंद्रीय सहायता प्लान शीर्ष के तहत दी जाती थी।

राज्य और इसके अधीनिस्थ कार्यालय, डी.आर.डी.ए. और ब्लाक नामक कार्यालयों के लिए अनुमेय प्रशासनिक खर्च समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से स्वीकार्य था।

(1) आई.आर.डी.पी. : 8 या अधिक ब्लाकों वाले जिलों के लिए आबंटन का 10 प्रतिशत, 5 से 7 ब्लाकों वाले जिलों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा 4 ब्लाकों वाले जिलों के लिए 15 प्रतिशत। जिला स्तर से ऊपर अनुमेय प्रशासनिक लागत के 10 प्रतिशत को ही राज्य स्तर पर उपयोग किया जा सकेगा।

(2) जे.आर.वाई. : उन जिलों जहां ई.ए.एस. के अंतर्गत सभी ब्लाक कवर हैं, के लिए आबंटन का 2 प्रतिशत, अन्य के लिए 2.5 प्रतिशत। जिला स्तर से ऊपर अनुमेय प्रशासनिक लागत के 10 प्रतिशत को ही राज्य स्तर पर उपयोग किया जा सके।

डी.आर.डी.ए. प्रशासन की एक नई योजना 1.4.99 से शुरू की गई थी ताकि केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के लागत वहन आधार पर डी आर डी ए को पूर्ण प्रशासनिक लागत मुहैया कराई जा सके। 1.4.99 से जे जी एस वाई/जे आर वाई सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित 2 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च को डी आर डी ए प्रशासन के समस्त खर्च को नई योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है इसलिए असम सहित राज्य सरकारों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

मिथाइल स्पिरिट और अल्कोहल की आपूर्ति

4309. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी कम्पनियों को औषधीय उद्देश्य के लिए मिथाइल स्पिरिट और अल्कोहल की आपूर्ति की गयी है;

(ख) क्या उक्त कम्पनियां औषधि निर्माण हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये रसायनों का दुरूपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) औषध विनिर्मित करने वाली कम्पनियों को मिथाइल स्पिरिट और अल्कोहल के आबंटन के मुद्दे पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने नियमों के तहत की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक का पुरःस्थापन

4310. **श्री माधव राजवंशी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय संसद के चालू सत्र में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक पुरःस्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बहुत समय पहले व्यपगत हो चुके वर्ष 1997 के अध्यादेश संख्या 3 के अंतर्गत प्रदान किये गये लाभ, जो असम के कोच राजवंशी समुदाय को मिल रहे थे को जारी रखने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि अध्यादेश समाप्त हो गया है इसलिए यह समुदाय अनुसूचित जनजातियों के निमित्त लाभों का हकदार नहीं है।

अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित करने वाले निकायों द्वारा सर्वसम्मति नहीं हो सकी इसलिए यह मंत्रालय स्तर पर गिर गया।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर होने वाला व्यय

4311. श्री बीर सिंह महतो:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में उर्वरक इकाईयों की स्थापना पर देशवार कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार को किस सीमा तक सफलता मिली है और कौन-कौन से संयंत्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर किये गये कुल समय के देश-वार ब्यौरे निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कम्पनी/परियोजना का नाम	देश	भारतीय पार्टनर/प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तकों द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक किया गया व्यय/निवेश
1.	एस पी आई सी फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	यू ए ई	एस पी आई सी	126.09 करोड़
2.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी	ओमान	इफको-कृभको	24.21 करोड़
3.	इंडिया-ईरान जोइन्टस वैन्चर प्रोजेक्ट्स	ईरान	इफको-कृभकों	0.38 करोड़

(ख) इन परियोजनाओं में कोई सरकारी निवेश नहीं है। एस पी आई सी के संयंत्र में 57% की समग्र प्रगति प्राप्त कर ली है। ओमान परियोजना के अधिकांश परियोजना अनुबंधों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। ईरान में परियोजना में विचार प्रारम्भिक अवस्था में है और निवेश अनुमोदन हेतु अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

इनमें से किसी भी संयंत्र ने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है।

[अनुवाद]

गुजरात में भूकंप विज्ञान अनुसंधान केन्द्र

4312. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :
श्री जी.जे. जावीया :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26.1.2001 के बाद अक्तूबर/नवम्बर 2001 के दौरान गुजरात में भूकंप के स्थानवार कितने झटके आये;

(ख) किसी एक विशेष दिन में झटकों की सर्वाधिक तीव्रता कितनी थी;

(ग) क्या गुजरात में भूकंप से होने वाले महाविनाश का स्तर विश्व के सबसे अधिक स्थायी महाद्वीपीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने भूकंप के पूर्वानुमान, तैयारी प्रतिरोध और इसके आने के बाद स्थिति को सामान्य करने हेतु गुजरात के भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ङ) क्या यह संस्थान भविष्य में आने वाले भूकंपों से देश से होने वाली जान-माल की क्षति को कम करने में उपयोगी होगा;

(च) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(झ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ञ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और सरकार द्वारा राज्य को कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) श्रीमन, 26 जनवरी, 2001 से अब तक भुज क्षेत्र में 3.0 तथा इससे अधिक तीव्रता वाले कुल 927 उत्तरवर्ती झटके दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 52 झटके अक्तूबर/नवम्बर, 2001 में आए। इसके अलावा 26 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 2001 के बीच हरिपुर गांव, जिला जूनागढ़, गुजरात में भी 1393 बार भूकंप आए जिनमें से अधिकांश की तीव्रता 2 से कम थी। रिक्टर पैमाने पर अधिकतम तीव्रता वाले भूकंपों की तीव्रता 3.2 दर्ज की गई।

(ख) 10 नवम्बर, 2001 को हरिपुर गांव, जिला जूनागढ़ गुजरात में आए भूकंपों की बारम्बारता सर्वाधिक 145 थी।

(ग) जी हां।

(घ) से (ञ) श्रीमन, एक भूकम्पीयता अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने के संबंध में गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने तथा विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के अलावा अनुमानित लागत तथा संभावित वित्तपोषण के तरीकों तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं की गणना करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया। इस विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को स्थानांतरण के समय दी जाने वाली अग्रिम धनराशि

4313. श्रीमती शीला गौतम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों को स्थानांतरण के समय कुछ अग्रिम धनराशि देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी को कार्यभार से मुक्त करने के समय अग्रिम धनराशि देने पर विचार करेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्र सरकार के विभागों पर लागू यात्रा भत्ता नियमों का अनुपालन करता है। शिक्षकों द्वारा, उनके पात्र होने पर, स्थानांतरण यात्रा भत्ता अग्रिम के लिए कार्यालय प्रमुख को आवेदन करने पर इनका भुगतान किया जाता है। स्थानांतरण यात्रा भत्ता अग्रिम की मांग, कार्यभार से मुक्त होने बाद भी जा सकती है। तथा उसका भुगतान किया जा सकता है।

[अनुवाद]

महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

4314. श्री जी.जे जावीया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देने हेतु गैर सरकारी संगठनों का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लम्बित प्रस्तावों की अद्यतन संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय शिशु गृह कोष	5	दो पूर्ण एवं तीन अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों के संबंध में क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्टें भेजने का अनुरोध किया गया है। इन प्रस्तावों पर प्रबन्धन बोर्ड की आगामी बैठकों में विचार किया जाएगा।
2.	नोराड	6	पूरा ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण परियोजना संस्वीकृति समिति ने निर्णय को स्थगित कर दिया है। ब्यौरा प्राप्त हो जाने के पश्चात् समिति द्वारा आगामी बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

आरक्षित पदों को अनारक्षित किया जाना

4315. श्री ए. कृष्णास्वामी:
सरदार बूटा सिंह:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/88-स्था. (एस.सी.टी.) जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करके इन्हें अन्यों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त और सांविधिक संगठनों, और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संबद्ध कार्यालयों में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 अप्रैल, 1989 से आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर अन्य लोगों से भरा गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैव सूचना केन्द्र

4316. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में स्थानवार कितने जैव सूचना केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 2001-2002 के दौरान नए जैवसूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने जैवप्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क (बी टी आई एस नेट) की स्थापना की है। नेटवर्क में बायोटेक्नोलॉजी विभाग का शीर्ष केन्द्र, 10 वितरित सूचना केन्द्र (डी आई सी) और 46 वितरित सूचना उपकेन्द्र शामिल उपकेन्द्र शामिल हैं। राज्यवार केन्द्रों की अवस्थिति निम्नानुसार है:

राज्य

नाम	स्थान	केन्द्रों की संख्या	राज्य में कुल संख्या
1	2	3	4
आंध्रप्रदेश	हैदराबाद	1	1
अरूणाचल प्रदेश	-	-	0
आसाम	जोरहाट	1	1
बिहार	-	-	0
छत्तीसगढ़	-	-	0
दिल्ली	नई दिल्ली	8	8
गुजरात	बड़ौदा	1	1
हरियाणा	गुड़गांव, करनाल	1	2
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	2
	सोलन	1	-
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	1	2
	श्रीनगर	1	
झारखंड	-	-	0
कर्नाटक	बंगलौर	1	3
	मंगलौर	1	
	मैसूर	1	
केरल	कालीकट	1	4
	कसारगाड़	1	
	त्रिचूर	1	
	तिरूअनंतपुर	1	
मध्यप्रदेश	भोपाल	1	2
	इन्दौर	1	
महाराष्ट्र	मुम्बई	1	4
	नागपुर	1	
	पूणे	1	
	वर्धा	1	

1	2	3	4
मणिपुर	-	-	0
मेघालय	शिलांग	1	1
मिजोरम	-	-	0
नागालैंड	-	-	0
उड़ीसा	भुवनेश्वर	1	1
पंजाब	अमृतसर	1	3
	चंडीगढ़	1	
	लुधियाना	1	
राजस्थान	बनस्थली	1	2
	जयपुर	1	
सिक्किम	गंगटोक	1	1
तमिलनाडु	चेन्नई	3	6
	कोयम्बटूर	1	
	मदुरै	1	
	त्रिचुरापल्ली	1	
त्रिपुरा	-	-	0
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1	8
	इज्जतनगर	1	
	लखनऊ	4	
	पन्तनगर	1	
	वाराणसी	1	
उत्तरांचल	-	-	0
पश्चिम बंगाल	खडगपुर	1	3
	कोलकाता	2	
	योग		55
संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-

1	2	3	4
दादर एवं नगर हवेली	-	-	-
गोवा, दमन एवं दीव	गोवा	1	1
लक्षद्वीप एवं मिनिकाय द्वीप	-	-	-
पांडिचेरी	पांडिचेरी	1	1
योग			2
कुल योग			55+2=57

(ख) और (ग) वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, गंगटोक, सिक्किम में एक जैवसूचना प्रणाली केन्द्र की स्थापना की गई है।

आंध्र प्रदेश में खुला विद्यालय खोलने के लिए अनुदान सहायता

4317. श्री के.ई. कृष्णामूर्ति:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुदान सहायता समिति ने आंध्र प्रदेश में चलाए जा रहे खुला विद्यालय केन्द्रों को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन खुला विद्यालय केन्द्रों को अनुदान सहायता जारी रखने के लिए उनके मंत्रालय को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इनके केन्द्रों को बनाए रखने का सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति ने 1 जुलाई, 1997 को आयोजित अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी हैदराबाद द्वारा अपने केन्द्रों को जारी रखने से संबंधी प्रस्ताव पर और खर्च न हुई शेष धनराशि को अनुसूचित बैंक में अल्पावधिक जमा के रूप में निवेश करने से संबंधित अनुवर्ती प्रस्ताव शिक्षा सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भी विचार किया था। इस समिति ने परियोजना की प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया और उसने इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया तथा सोसायटी से यह कहा कि वह खर्च न हुई बकाया राशि वापस कर दे एवं वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लेखों को इस मंत्रालय को तत्काल प्रस्तुत करें।

(घ) से (च) जी, हां। मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार सोसायटी द्वारा वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लेखा परीक्षित लेखों तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, इस मामले की समीक्षा के लिए यह प्रस्ताव यथा समय सहायता अनुदान समिति के समक्ष रखा जाएगा।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाईयों की हालत

4318. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक का उत्पादन करने वाली कुछ उर्वरक इकाईयों की हालत ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू उर्वरक इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष कितने उर्वरक का उत्पादन होता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। वे प्रमुख उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-2 सुरक्षा, फीड स्टॉक

नियंत्रणों, एकक/कम्पनी की अव्यवहार्ता और वित्तीय अड़चनों जैसे विभिन्न कारणों से प्रचालन निलम्बित/बन्द कर दिये गये:

1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. गोरखपुर
2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. रामागुण्डम
3. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. तलचर
4. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., नामरूप-2
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., दुर्गापुर
6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., बरोनी
7. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., ट्राम्बे
8. पाइराइट्स फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि., अमझौर
9. पाइराइट्स फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि., सलादीपुरा
10. हिन्दुस्तान कोपर लि., खेतड़ी
11. पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नांगल

इसके अलावा, पी पी एल: पारादीप, एम एफ एल, चैन्नई, एफ सी आई: सिन्दरी, एच एफ सी, नामरूप, नामरूप-3 सेल: राऊरकेला, ओ सी एफ: पारादीप और आई जी सी एल: दहेज नामक कुछ अन्य संयंत्र हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, पुरानेपन, बारम्बार उपकरण खराबी, धन की समस्या और नये संयंत्र के स्थिरीकरण जैसे विभिन्न कारणों से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात 1998-99 से 2000-01 के दौरान पौध-पोषकों अर्थात नाइट्रोजन और फास्फेट के रूप में प्रमुख उर्वरक उत्पादकों की एकक-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और % क्षमता उपयोग के ब्यौरे अनुलग्नक में दिये गये हैं।

विवरण

क्रियाशील एककों की एकक-वार स्थापित क्षमता उत्पादन और 1998-99, 1999-2000, 2000-01 के दौरान % क्षमता उपयोग

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	स्थापित क्षमता (1-4-01)	उत्पादन (000 मि.टन)			% क्षमता उपयोग		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
सार्वजनिक क्षेत्र							
एफ.सी.आई. सिंदरी आधुनिकी,	151.8	102.6	140.7	109.2	67.6	92.7	71.9
एन एफ एल, नंगल-I	80.0	55.5	38.9	26.8	69.4	48.6	33.5
एन एफ एल, नंगल-II	227.7	178.8	158.4	138.1	117.8	104.3	91.0
एन एफ एल, भटिंडा	235.3	231.7	249.9	220.2	98.5	106.2	93.6
एन एफ एल, भटिंझा	235.3	246.4	245.1	226.7	104.7	104.2	96.3
एन एफ एल, विजयपुर	392.6	393.2	374.1	373.0	177.7	112.0	95.0
एन एफ एल, विजयपुर विस्तार	392.6	396.5	415.4	392.5	118.7	124.4	100.0
एच एफ सी, नामरूप-III	177.1	52.8	56.3	76.9	34.8	37.1	43.4
एफ ए सी टी, उद्योग मंडल	77.0	69.3	87.5	91.0	90.0	113.6	118.3

1	2	3	4	5	6	7	8
एफ ए सी टी, कोचीन-I	151.8	84.2	122.0	126.6	55.5	80.4	83.4
एफ ए सी टी, कोचीन-II	97.0	116.0	118.0	126.6	120.1	122.2	131.1
आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	53.2	61.6	45.0	58.8	68.1	100.0
आर सी एफ, ट्राम्बे-IV	75.1	50.0	64.8	52.4	66.8	86.3	69.8
आर सी एफ, ट्राम्बे-V	151.8	123.8	139.1	132.6	81.6	91.6	87.4
आर सी एफ, थाल	683.1	650.0	670.0	611.6	95.2	98.1	89.5
एम एफ एल, चेन्नई	366.7	243.8	313.4	311.0	95.8	123.2	112.2
सेल, राऊरकेला	120.0	23.1	9.1	2.4	19.3	7.6	2.0
एन एल सी, नवेली	70.4	31.2	7.9	44.7	44.6	11.3	63.5
पी पी एल, पारादीप	129.6	140.4	135.5	89.8	108.3	104.6	69.3
सहकारी क्षेत्र							
इफको, कांदला	216.1	193.8	274.0	257.3	163.0	158.6	128.8
इफको कलोल	250.5	225.6	204.7	224.4	89.8	81.5	89.6
इफको, फूलपुर-I	235.3	261.7	233.6	239.2	114.9	102.6	101.7
इफको, फूलपुर-II	392.6	384.3	370.2	392.7	115.1	110.8	100.0
इफको, आर्नला-I	392.6	381.7	337.9	374.5	117.3	101.2	95.4
इफको, आर्नला-II	392.6	385.5	388.3	394.7	115.4	116.3	100.5
कृभको, हजिरा	785.1	697.6	716.4	750.1	104.4	107.3	95.5
निजी क्षेत्र							
जी एस एफ सी, बडौदरा	248.1	229.3	247.7	218.6	97.1	104.9	91.9
सी एफ एल, वैजाग	124.0	83.6	88.4	114.2	99.9	105.5	136.3
एस एफ सी, कोटा	151.8	180.9	186.1	149.4	119.2	122.6	98.4
डी आई एल, कानपुर	310.6	337.1	319.7	309.8	108.6	103.0	99.7
डी आई एल, गोवा	294.8	189.1	242.2	239.7	95.5	100.9	79.7
एस पी आई सी, तूतीकोरीन	372.4	375.0	408.3	394.2	120.9	131.6	109.0
एम सी एफ, मंगलौर	181.2	194.9	162.8	188.9	107.6	89.8	104.3
ई आई डी पैरी इनोर	41.2	33.1	37.2	37.7	121.7	136.8	138.6

1	2	3	4	5	6	7	8
जी एन एफ सी, भारूच	360.1	372.3	346.1	358.1	109.0	101.3	99.4
टी ए सी, तूतीकोरीन	16.0	15.8	21.9	25.6	98.8	136.0	160.0
एचएलएल हल्दिया	121.5	41.5	61.3	103.2	83.8	50.5	84.9
जी एस एफ सी, सिक्का-I	105.8	94.4	109.2	100.6	160.8	186.0	171.4
जी एफ सी एल, काकीनाड़ा	85.1	115.8	127.3	140.5	136.1	149.6	165.2
आई जी सी एल, जगदीशपुर	392.6	469.2	479.3	395.4	140.5	143.5	100.7
एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-I	274.8	316.8	295.0	265.9	139.1	129.6	96.8
एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-II	274.8	240.9	301.8	283.6	105.8	132.5	103.2
सी एफ सी एल, गडेपन-I	392.6	440.1	435.3	392.7	128.8	127.4	100.0
सी एफ सी एल, गड़ेपन-II	392.6	-	163.0	392.9	-	99.6	100.1
टी सी एल, बबराला	392.6	404.1	451.9	392.6	118.3	132.3	100.0
ओ सी एफ, शाहजहांपुर	392.6	409.7	401.0	385.0	122.7	120.1	98.1
ओ सी एफ, पारादीप	325.2	-	-	167.2	-	-	88.1
फास्फेट							
सार्वजनिक क्षेत्र							
एफ ए सी टी, उद्योगमंडल	29.7	31.6	38.9	41.0	106.4	131.0	138.0
एफ ए सी टी, कोचीन-II	97.0	116.0	118.0	126.6	113.5	115.5	123.9
आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	53.2	61.6	45.0	118.2	136.9	100.0
आर सी एफ, ट्राम्बे-IV	75.1	50.0	64.8	52.4	66.8	86.3	69.8
एम एफ एल, चेन्नई	142.8	133.8	139.2	128.3	93.6	97.5	89.8
पी पी एल पारादीप	331.2	359.7	346.8	229.1	108.6	104.7	69.2
सहकारी क्षेत्र							
इफको, कांडला	561.0	500.2	709.1	664.4	161.6	157.9	128.0
निजी क्षेत्र							
जी एस एफ सी, बडौदरा	75.9	76.6	73.1	76.7	154.1	147.1	154.4
सी एफ एल, वैजाग	166.0	112.2	129.0	145.8	107.9	123.9	140.1

1	2	3	4	5	6	7	8
जेड आई एल, गोआ	197.4	75.0	77.0	78.0	67.7	39.5	40.0
एस पी आई सी, तूतीकोरीन	218.5	261.4	189.1	223.7	136.9	99.1	117.2
एम सी एफ, मंगलौर	63.5	78.7	77.5	82.9	123.9	122.0	130.6
ई आई डी पैरी ईरोन	48.0	41.4	46.5	45.6	121.8	136.8	134.1
जी एन एफ सी, भारूच	28.5	30.2	31.1	31.8	92.1	94.8	111.6
एच एल एल, हल्दिया	310.5	106.2	173.8	289.2	84.0	56.0	93.1
जी एस एफ सी, सिक्का-I	270.5	241.1	279.0	236.2	160.7	186.0	157.5
जी एफ सी एल- काकीनाड़ा	217.4	287.6	302.9	327.3	132.3	139.3	150.6
आई जी सी एल, दहेज	184.0	-	-	42.2	-	-	22.9
डी एफ पी सी एल, तालोजा	52.9	40.7	45.1	33.2	76.9	85.3	62.8
ओ सी एफ, पारादीप	802.8	-	-	427.3	-	-	91.2

इंडियन फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड को कृभको को सौंपा जाना

4319. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड की गोरखपुर इकाई को कृभको को सौंपे जाने के प्रस्ताव की जांच करने वाली प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा इसके गोरखपुर एकक सहित सार्वजनिक क्षेत्र चार रुग्ण उर्वरक उपक्रमों के विस्तृत पुनर्वास प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक मंत्रीदल का गठन किया गया है। मंत्रीदल द्वारा रिर्पोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है। एफ सी आई के गोरखपुर एकक का कृभको को हस्तान्तरण, पुनर्वास पैकेज पर सरकार द्वारा लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

प्राकृत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता

4320. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से प्राकृत में अध्ययन और अनुसंधान के विकास हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश कोष

4321. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश कोष बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, नवम्बर, 2001 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के बोर्ड ऑफ गवर्नरों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति की हाल की बैठक में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय निवेश कोष के सृजन करने का प्रस्ताव रखा था जो देशों के लिए एक रियायती ऋण का अवसर प्रदान करते हुए बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्य आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने में उन्हें समर्थ बना सके। वित्त मंत्री ने सलाह दी है कि यह कोष विकास योजनाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेय जल जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए बने अनुदानों के प्रति एक योगदान के रूप में सिद्ध होना चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी का गठन

4322. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) तकनीकी विशिष्टयों, परियोजना मूल्यांकन, अंशकालिक गुणवत्ता नियंत्रण मॉनिटरों की नियुक्ति, मॉनिटरिंग पद्धति का प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सलाह देने के जरिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सहायता पहुँचाने के लिए सरकार का शीघ्र ही राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह एजेंसी सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी होगी।

[अनुवाद]

एनएसएफ में कर्मचारियों की कार्य स्थितियां

4323. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 2001 के "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) से जुड़े संयुक्त सचिव/सहायता सचिव की कार्य-स्थितियों से संबंधित प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को एनएसएफ के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) दिनांक 6 नवम्बर, 2001 को ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) नगर प्रतिपूरक भत्ता (सी.सी.ए), परिवहन भत्ता, रियायती यात्रा भत्ता (एल.टी.सी.), सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.), सार्वजनिक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) जैसे लाभों तथा पदोन्नति संबंधी लाभों, जो मूल वेतन तथा महंगाई भत्तों के अलावा सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं, हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों से जुड़े संयुक्त सचिव/सहायक सचिवों की मांग से संबंधित हैं। सरकार को राष्ट्रीय खेल परिसंघों के कर्मचारियों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें उन्होंने उन लाभों की मांग की है जो सभी सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं।

(ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी संगठन है जो खेलों के सवंर्धन में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, खेल उपस्करों की खरीद तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की सहभागिता के लिए, सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली में स्थित परिसंघों को 5500-9000 रु. तथा 6500-10500 रु. के वेतनमान, जमा महंगाई भत्ते के रूप में प्रदत्त सहायक सचिवों/संयुक्त सचिव के वेतन की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। कोई अन्य भत्ता नामतः मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, रियायती यात्रा भत्ता आदि वर्तमान सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, सहायक सचिवों/संयुक्त सचिव को स्वीकार्य नहीं है। चूंकि, ये स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारी हैं, अतः रोजगार की शर्तें उनके नियोक्ताओं के द्वारा निश्चित की जाती है तथा सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्तों का दावा करना उनके लिए तर्कसंगत नहीं होगा। बजटीय प्रतिबद्धताओं के कारण, सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाए, जैसे कि उनके प्रतिवेदनों में अनुरोध किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपने स्वयं के संसाधनों से अपने सहायक सचिवों/संयुक्त सचिव को ये लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पंचायत संबंधी प्रावधानों का पालन न किया जाना

4324. श्री चिंतामन वनगा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 की धारा 4(1) के प्रावधानों का पालन न किए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय भूमि को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार पंचायत राज का विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून अधिनियमित किए हैं। जनजातीय उप योजना राज्यों में भूमि हस्तांतरण संबंधी कानूनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूचित क्षेत्रों सहित जनजातीय उपयोजना राज्यों में भूमि का हस्तांतरण कानून

क्र.सं.	राज्य	लागू विधान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	दि आंध्र प्रदेश (शैड्यूल्ड एरियाजड) लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन, 1959 यथा संशोधित
2.	बिहार	(क) छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908
		(ख) संथाल परगना टेनेंसी (सप्लिमेंटरी प्रोविजंश) एक्ट, 1949
		(ग) बिहार शैड्यूल्ड एरियाज़ रेगुलेशन, 1969
3.	असम	1981 में संशोधित असम लैंड रेवेन्यु रेगुलेशन्स, 1886
4.	गुजरात	दि बोम्बे लैंड रेवेन्यू (गुजरात सैकेंड अमेंडमेंट एक्ट, 1980)
5.	हिमाचल प्रदेश	दि हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड (रेगुलेशन) एक्ट, 1969
6.	कर्नाटक	दि कर्नाटक शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रोहिबिशन आफ ट्रांसफर आफ सर्टन लैंड्स) एक्ट, 1978
7.	केरल	दि केरल शैड्यूल्ड ट्राइब्स (रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर आफ लैंड एंड रेस्टोरेशन आफ एलिनेटिड लैंड्स) एक्ट, 1975
8.	मध्य प्रदेश	1. दि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959
		2. मध्य प्रदेश लैंड डिस्ट्रीबयूशन रेगुलेशन एक्ट, 1964
9.	मणिपुर	दि मणिपुर लैंड रेवेन्यु एंड लैंड रिफोर्म्स एक्ट, 1960
10.	महाराष्ट्र	1. 1974 में यथा संशोधित दि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966
		2. दि महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैंड्स टू शैड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, 1974
11.	उड़ीसा	(क) दि उड़ीसा शैड्यूल्ड एरियाज़ ट्रांसफर आफ इंमूवेबल प्रोपर्टी (बाई शैड्यूल्ड ट्राइब्स) रेगुलेशन, 1956
		(ख) यथा संशोधित दि उड़ीसा लैंड रिफोर्म्स एक्ट, 1960
12.	राजस्थान	(क) दि राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955
		(ख) दि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956
13.	सिक्किम	1977 का रेवेन्यू आर्डर नम्बर 1
14.	तमिलनाडु	स्टैंडिंग आर्डर्स ऑफ दि रेवेन्यू बोर्ड-बी एस ओ, 15-40
15.	त्रिपुरा	यथा संशोधित त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू लैंड रिफोर्म्स एक्ट, 1960

1	2	3
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफोर्म्स एक्ट, 1950 को संशोधित करते हुए यू.पी. लैंड लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 1982
17.	पश्चिम बंगाल	यथा संशोधित पश्चिम बंगाल लैंड रिफोर्म्स एक्ट, 1955

भारत में फार्मा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

4325. श्री अनंत गुढे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पाद प्रणाली को क्रियान्वित करने और इसके संभावित प्रभावों को लेकर विश्व व्यापार संगठन के साथ बनाई गई नई रणनीति/इसके साथ विचार-विमर्श के विचाराधीन मामले संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि फार्मा मल्टीनेशनल्ज का भारत में उनके परिचालन के विस्तार में कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान निवेश की उभरती नई प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों के निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण

4326. श्री रामेश्वर डूडी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिनांक 12 नवम्बर, 2001 के ''द इकोनामिक टाइम्स'' में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि जड़ी-बूटियों से निर्मित मधुमेह की औषधि के निर्माण हेतु एक भारतीय वैज्ञानिक ने चीनी कम्पनी को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों के निर्माण हेतु भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विदेशी कम्पनियों को प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के अब तक कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(घ) जड़ी-बूटियों से निर्मित सिंगल मोलिक्यूल वाली औषधियों को पेटेंट कराने के लिए कितने भारतीय वैज्ञानिकों ने आवेदन किया है; और

(ङ) जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों की खोज करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

4327. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट समूह (क) के संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% के आरक्षित कोटे के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सी.आई.एस.एफ. में असिस्टेंट कमांडेंट समूह (क) के संवर्ग में कुल कितने स्वीकृत पद हैं;

(घ) इन पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत है और 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में यथा सुनिश्चित अनुदेशों के क्रम में उनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान हुई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों/पदों पर प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में हुई नियुक्तियों में अनियमितताएं

4328. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नवोदय विद्यालयों में पी.जी.टी. शिक्षकों की हाल ही में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं। तथापि, एक स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थ-शास्त्र) ने उक्त पद हेतु साक्षात्कार पत्र समय पर प्राप्त न होने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में पनधारा विकास परियोजना

4329. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पनधारा विकास परियोजना शुरू की गई है;

(ख) इस राज्य में नौवीं योजनावधि के दौरान पनधारा विकास परियोजना के माध्यम से कुल कितनी बंजर और अवक्रमित भूमि का विकास हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान राज्य में ऐसी और परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग मध्य प्रदेश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने के लिए दो कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने के अलावा, नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 4.12.2001 तक) के दौरान राज्य में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत क्रमश: 2.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और 5.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने हेतु नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने हेतु स्वीकृति के लिए नई परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। इन दो कार्यक्रमों का कार्यान्वयन दसवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रहेगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव भूमि संसाधन विभाग द्वारा पहले से अभिज्ञात विकास खण्डों में स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं सामान्यत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वाले खण्डों से इतर खण्डों में राज्य सरकार के परामर्श से इनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद परियोजना प्रस्तावों की मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ समनुरूपता, चल रही परियोजनाओं के संबंध में राज्य के कार्य-निष्पादन और कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाना

4330. श्री राजनारायण पासी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली पुलिस के वर्षवार, श्रेणीवार कितने कार्मिक भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए;

(ख) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली पुलिस जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिकों के आवास पर छापे मारे गए हैं; और

(घ) छापे के दौरान जब्त की गई संपत्ति और धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में कार्यवाही करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) वर्ष 1999, 2000 और 2001 (30 नवंबर, 2001 तक) के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संख्या क्रमशः 21, 34 और 31 है।

इसी अवधि के दौरान आपराधिक मामलों में संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या वर्ष-वार और श्रेणी-वार तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उन पुलिस अधिकारियों की संख्या जिनके निवास पर वर्ष 1999, 2000 और 2001 (30 नवम्बर, 2001 तक) के दौरान छापे मारे गए क्रमशः 1, 2 तथा 1 है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए इन छापों के दौरान नकदी की विभिन्न राशियां और अन्य अभिशंसी दस्तावेज जब्त किए गए। एक मामले में जिसमें जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है।

विवरण

आपराधिक मामलों में संलिप्त पुलिस कार्मिक

क्र.सं.	अपराध का स्वरूप	कुल मामले	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	जांच-पड़ताल के लिए लंबित	विचारण हेतु लंबित
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1999 के दौरान				
1.	हत्या/हत्या का प्रयास	3	3	3	–
2.	लूट खसोट/लूटपाट	7	10	7	–
3.	धोखेबाजी/चोरी	13	13	9	4
4.	बलात्कार/छेड़छाड़	8	8	7	1
5.	चोट पहुंचाना	26	30	17	9
6.	अपहरण	–	–	–	–
7.	विविध	54	63	42	12
	वर्ष 2000 के दौरान				
1.	हत्या/हत्या का प्रयास	11	19	11	–
2.	लूट खसोट/लूटपाट	11	14	11	–
3.	धोखेबाजी/चोरी	10	12	7	3
4.	बलात्कार/छेड़छाड़	7	8	7	–

1	2	3	4	5	6
5.	चोट पहुंचाना	35	37	35	–
6.	अपहरण	2	2	2	–
7.	विविध	81	83	80	–
		वर्ष 2001 के दौरान			
1.	हत्या/हत्या का प्रयास	7	7	–	–
2.	लूट खसोट/लूटपाट	6	6	–	–
3.	धोखेबाजी/चोरी	13	13	–	–
4.	बलात्कार/छेड़छाड़	5	5	–	–
5.	चोट पहुंचाना	20	20	–	–
6.	अपहरण	56	56	–	–
7.	विविध	–	–	–	–

[अनुवाद]

पॉलिमेटलिक नॉड्युल्ज संबंधी विशेषज्ञ समिति

4331. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 1997 में 123 करोड़ रुपए के कोष के साथ पॉलिमेटलिक नॉडयुल्ज (पीएमएन) संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जो महासागर के तल में 3500 से 6000 मीटर की गहराई में पाई जाती है जिसमें निकेल, तांबा, कोबाल्ट, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, वैनेडियम और टिटेनियम सहित 30 धातुएं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने समुद्र तल को विकसित करने में कोई प्रगति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धि मिली है; और

(घ) पॉलिमेटलिक नॉड्युल्ज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं। तथापि इस कार्यक्रम की दीर्घ अवधि पर विचार करते हुए बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम की विवेचनात्मक समीक्षा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व वन मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डा. अर्काट रामचन्द्रन की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्ति की गयी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है एवं बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 123.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) विभाग ने इस समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की है।

बिहार में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाना

4332. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य को आवश्यक अनुमोदन से अवगत करा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे कब तक अवगत कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी, हां। बिहार के मुख्य मंत्री ने बिहार में एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्य बल ने सिफारिश की है कि सभी प्रमुख राज्यों में राज्य तथा केन्द्रीय वित्त पोषण और औद्योगिक सहयोग से विशेष सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के संवर्धन हेतु सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। जब कभी भी ऐसी केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, बिहार के प्रस्ताव पर विधिवत विचार किया जाएगा।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4333. श्री रघुनाथ झा :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लगभग दो दशकों से क्रियान्वित रहने और इस पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भी सूखा और पारिस्थितिकीय हालात नहीं सुधरे हैं जबकि सूखा प्रवण क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों को राहत पहुंचाने और सूखा प्रवण क्षेत्रों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संदर्भ में कोई बाहरी सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कवरेज के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र में वृद्धि प्रो. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के कारण हुई है। समिति ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कवरेज से कुछ क्षेत्रों को हटाने की भी सिफारिश की थी, परन्तु इन क्षेत्रों को हटाने पर सहमति नहीं हुई थी। अतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत अभिज्ञात क्षेत्र 5.53 लाख वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7.46 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया।

वर्ष 1994-95 तक 57.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया था। इस कार्यक्रम को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से लेकर अभी तक 68.90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 13781 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। चूंकि कुल अभिज्ञात सूखा प्रवण क्षेत्र 7.46 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 746 लाख हैक्टेयर है, अतः उपर्युक्त परियोजनाओं का व्यापक आधार पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तथापि, परियोजना क्षेत्रों में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है।

(ग) से (ङ) विभिन्न विदेशी दानदाता एजेंसियों की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं, जिनमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल है, कार्यान्वित की जा रही है:-

क्र.सं.	दानदाता एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परिव्यय
1	2	3	4
1.	स्वेडिश इन्टरनेशनल डिवलेपमेंट आथरिटी (एस.आई.डी.ए.)	राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ट्री ग्रोअर्ज कोअपरेटिव प्रोजेक्ट (टी.जी.सी.पी.)	24.47 करोड़
2.	कनेडियन इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एजेंसी (सी.आई.डी.ए.)	आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में ट्री ग्रोअर्ज कोआपरेटिव प्रोजेक्ट (टी.जी.सी.पी.)	45.99 करोड़

1	2	3	4
3.	यूरोपियन इकोनामिक कमीशन (ई.ई.सी.-ई.सी.) ई.सी.-अनुदान	गुजरात में प्राकृतिक संसाधनों का सामुदायिक प्रबंधन	ई.सी.यू. 15.85 मिलियन
4.	डिपार्टमेंट फार इन्टरनेशनल डिवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यू.के.	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में ग्रामीण जीविका परियोजनाएं	782.93 लाख पाऊंड

पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हैक्टेयर इकाई लागत

4334. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हैक्टेयर इकाई लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इकाई लागत की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई लागत में वृद्धि करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों से भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) तीन कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए लागत मानदण्डों को आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् 3000 रुपये से 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक के भिन्न-भिन्न पहले के लागत मानदण्डों से बढ़ाकर सितम्बर, 2001 में 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है। संशोधित दरें 1.4.2000 के बाद स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए लागू की गई हैं।

दिल्ली में अवैध अतिथि गृह

4335. **श्री साहिब सिंह** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में अनेक अवैध अतिथि गृह चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अतिथि गृहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार में 744 गेस्ट हाउस चल रहे हैं। इनमें से 250 लाइसेंस प्राप्त हैं और 494 के पास लाइसेंस नहीं है। एमसीडी क्षेत्र में बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे गेस्ट हाउसों के खिलाफ डीएमसी अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की सुरक्षा

4336. **श्री रामपाल सिंह** :
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25.12.2001 के दैनिक जागरण में न्यायाधीशों की कारों पर स्टीकर लगाकर उन्हें मारने की योजना के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यायाधीशों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई विशिष्ट धमकी नहीं

आई है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध कर दिए गए हैं। हरेक मामले में खतरे के आकलन के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

जल परिरक्षण जागरूकता सलाहकार समूहों की स्थापना

4337. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल के पारम्परिक स्रोतों के रख-रखाव के अभाव के मद्देनजर जल परिरक्षण जागरूकता सलाहकार समूह के गठन का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जल संरक्षण के संबंध में विभाग का मार्ग दर्शन करने हेतु एक विशेष सलाहकार समूह के गठन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्लाईवुड उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगारी का बढ़ना

4338. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंझोले आकार के 3 प्लाईवुड उद्योगों के अचानक बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी दुगना बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो द्वीपसमूह में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) मैसर्स अंडमान टिम्बर इंडस्ट्री, बम्बूफ्लैट, साउथ अंडमान एवं मैसर्स जयश्री टिम्बर इन्डस्ट्री बकुलताला, मिडिल अंडमान के बंद होने तथा मे. किटप्लाई लौंग आइलैंड द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण इन उद्योगों में लगे लगभग 5000 व्यक्तियों का रोजगार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेरोजगारी में मामूली रूप से वृद्धि हुई है।

(ग) अंडमान व निकोबार प्रशासन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मार्जिन मनी योजना, छोटे व कुटीर उद्योग परियोजनाओं को ऋण सहित अनेक योजनाएं चलाता है जिनके तहत इच्छुक लोगों को स्व-रोजगार उपक्रम चलाने हेतु अपने उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लक्ष्यों में वृद्धि कर दी है ताकि अधिकारिक बेरोजगार व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा उत्पादों का विपणन

4339. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक कृषि-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई.टी.आर.सी.) द्वारा विकसित सी.डी. कलर पता लगाने वाली स्ट्रिप का विपणन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विपणन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई.टी.आर.सी.) द्वारा विकसित सी.डी. कलर डिसेक्शन स्ट्रिप को बनाने की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस वर्ष 1996 में एक निजी पार्टी को प्रदान किया गया था।

(ख) यह निजी पार्टी इस सी.डी. स्ट्रिप के विपणन के लिए उत्तरदायी है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

4340. श्री के. येरननायडू :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 2.50 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) जारी किया गया है। चालू वित्त वर्ष (2001-02) के दौरान आंध्र प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों को अब तक कुल 8.50 लाख टन चावल रिलीज किया गया है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

4341. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री के. येरननायडू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत से पश्चिमी तथा पूर्वी विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत निम्न है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों का रैंक किस प्रकार निर्धारित किया जाता है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार विश्वविद्यालयों की अपने संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता और अपने विद्यार्थियों के निष्पादन के संबंध में पूरी जवाबदेही के लिए कोई योजना लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पश्चिमी तथा पूर्वी राष्ट्रों के अनेक विश्वविद्यालयों की तुलना में भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर निम्न नहीं है।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वयन और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ग ग ग) के तहत एक स्वायत्त संगठन, अर्थात् राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्य उच्चतर अध्ययन संस्थाओं का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु लगातार कार्य करने में उनकी सहायता करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करती है: ''(1) पाठ्यचर्या संबंधी पहलू; (2) शिक्षण अध्ययन तथा मूल्यांकन; (3) अनुसंधान, परामर्श तथा विस्तार; (4) आधारभूत सुविधाएं तथा अध्ययन संसाधन; (5) छात्र सहयोग तथा प्रगति; (6) संगठन तथा प्रबंधन; और (7) सुदृढ़ पद्धतियाँ।''

इन प्रत्यायित संस्थाओं को ए* से ए***** तक भिन्न-भिन्न प्रकार के पांच प्वाइंट स्केल के ग्रेड दिए जाते हैं। इस ग्रेड के साथ एक दल की रिपोर्ट भी होती है जिसमें विभिन्न मानदण्डों के अंतर्गत संस्थाओं की क्षमताओं तथा कमियों का उल्लेख होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा अपना मूल्यांकन तथा प्रत्यायन कराना नितान्त आवश्यक है।

इजरायली आसूचना दलों के साथ समझौता

4342. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इकाईयों को प्रशिक्षण देने के लिए इजरायली आसूचना दलों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कई इजरायली आसूचना दलों की सेवाएं किराये पर ली हैं जोकि अब कश्मीर में उग्रवाद का मुकाबला करने वाली भारतीय इकाइयों को प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा बलों को कश्मीर में इस्लामी आतंकवादियों का मुकाबला करने में किस सीमा तक सफलता मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) सुरक्षा बल, जनवरी से नवंबर, 2001 तक के दौरान भारी संख्या में 1859 आतंकवादियों को मारने में सफल हुए हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने से किसी भी कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक है। आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए समुचित रणनीतियां और युक्तियों अपनाने तथा सुरक्षा बलों की परिवर्तनात्मक तैनातियां करने के उद्देश्य से सुरक्षा स्थिति की एकीकृत मुख्यालयों में एवं अन्य फील्ड स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

4343. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए 2 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्यों के बीच कोई अन्तिम समझौता हो गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस मुद्दे पर सभी मतभेदों का निपटारा कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब तक समझौते का कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में कटौती

4344. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि राज्य स्तर पर कोई न्यायिक जांच की जा रही है तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच नहीं कर सकता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार ने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर. अधिनियम, 1993) में भारतीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को प्रदान की गई शक्तियों में कई कटौती नहीं की है।

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(1) के अनुसार, आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो फिलहाल लागू किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है। इसके अलावा, आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, शिकायतों को निपटाने/ऐसे मामलों जो न्यायालय/अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन है, पर आयोग साधारणतया विचार नहीं करता है, पर अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए आयोग ने अपनी क्रियाविधि तैयार की है।

[अनुवाद]

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत योजनाएं

4345. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उन अनुसूचित जातियों जिनकी बहुसंख्यक संख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है के चहुंमुखी विकास के लिए 1978 से आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुसूचित जनजातियों को आवास सुविधाओं को प्रदान करने के लिए चालू योजनाओं का ब्यौरा उनकी प्रकृति और क्षेत्र सहित क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग से दसवीं योजना के दौरान मांगी जाने वाली प्रस्तावित निधियां क्या हैं; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान ऐसे योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या लाभ और लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय की कोई विशेष योजना/कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के आवास के लिए नहीं है। तथापि, जैसाकि संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है, मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम जनजातियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने तथा उनके विकास में सुधार लाने में लाभान्वित करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से आवास तथा गरीबी उपशमन के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	संविधान के प्रथम परंतुक के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4.	जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास
5.	जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास
6.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन
7.	जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के साक्षरता की विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
9.	लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान
10.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
11.	ग्राम अन्न बैंक
12.	समेकित आदिम जनजातीय समूहों का विकास
13.	जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना
14.	जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक
15.	जनजातीय विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन
16.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
17.	राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम
18.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

महिलाओं को अधिकारिता

4346. श्री पी.सी. थामस :
श्री विकास चौधरी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है;

(ख) क्या संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक काफी लंबे समय से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विधेयक को शीघ्र पारित करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने दिनांक 23-12-1999 को संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पुरःस्थापित किया, जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिनांक 21-12-2000 तथा 22-12-2000 को सदन द्वारा विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति न बन पाने के कारण इस पर विचार नहीं किया

जा सका। विधेयक को इस वर्ष संसद के बजट व मानसून सत्रों में विचार व पारित करने हेतु नहीं रखा जा सका। लोक सभा में विधेयक पर शीतकालीन सत्र, 2001 में विचार करने और उसे पारित करने की सूचना भी दे दी गयी है।

स्व-सहायता समूहों के अन्तर्गत महिलाएं

4347. श्रीमती प्रभा राव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष के दौरान गठित की गई स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ख) केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों/महिलाओं से बनी स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ गरीब ग्रामीण महिलाओं को गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी में नहीं रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्व-सहायता समूहों के लिए राज्य-वार आबंटित/जारी की गई निधियां कितनी है;

(च) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अभी तक स्व-सहायता समूहों के जरिए कमाना आरभ करने वाली महिलाओं की संख्या क्या है; और

(छ) इन महिला समूहों द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार सृजित धन और रोजगार का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान अक्तूबर, 2001 के अंत तक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत बनाए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या 165280 है। सभी स्व-सहायता समूहों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार सम्मिलित हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत सहायता दिये गये 154852 स्वरोजगारियों में से 92658 अर्थात् 59.8 प्रतिशत महिलाएं हैं।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा सूची में से किन्हीं भी ग्रामीण गरीब महिलाओं के निष्कासन से संबंधित कोई सूचना मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) एस.जी.एस.वाई. स्व-सहायता समूह दृष्टिकोण पर जोर डालता है। स्व-सहायता समूहों को एस.जी.एस.वाई. के तहत वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत आज तक राज्यवार केंद्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान (सितम्बर, 2001 तक) योजना के तहत स्व-सहायता समूहों द्वारा स्वरोजगार हेतु सहायता दी गई महिला स्वरोजगारी क्रमशः 241084, 241732 और 92658 थीं।

(छ) महिला समूहों द्वारा सृजित किये गये रोजगार और सम्पत्ति की मंत्रालय स्तर पर देख-रेख नहीं की जाती है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	1534.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	164.76	42.68
3.	असम	4281.13	2140.63
4.	बिहार	7300.00	1727.04
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	760.35
6.	गोवा	50.00	0.00
7.	गुजरात	1154.96	602.22
8.	हरियाणा	679.48	552.47
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	151.13
10.	जम्मू एवं कश्मीर	354.16	195.84
11.	झारखंड	2751.41	433.04
12.	कर्नाटक	2317.00	673.84
13.	केरल	1039.63	561.01
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	1742.45
15.	महाराष्ट्र	4580.15	2250.49
16.	मणिपुर	287.00	0.00

1	2	3	4
17.	मेघालय	321.55	0.00
18.	मिजोरम	74.41	37.22
19.	नागालैंड	220.57	0.00
20.	उड़ीसा	3509.50	1832.16
21.	पंजाब	330.22	252.10
22.	राजस्थान	1759.38	990.45
23.	सिक्किम	82.38	41.19
24.	तमिलनाडु	2713.06	2696.99
25.	त्रिपुरा	518.20	437.17
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	3531.56
27.	उत्तरांचल	552.30	206.57
28.	प. बंगाल	3900.11	0.00
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	50.00	0.00
30.	दा.न. हवेली	50.00	0.00
31.	दमन व दीव	50.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	50.00	0.00
33.	पांडिचेरी	50.00	25.00
	जोड़	58150.00	23417.76

[हिन्दी]

माओवादी गतिविधियां

4348. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाली माओवादियों ने भारतीय प्रतिरक्षा बलों को काला पानी क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) माओवादियों द्वारा उत्तरांचल में पिथौरागढ़ जिले में कालापानी क्षेत्र से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग करते हुए आंदोलन तथा आहवान करने की कुछ रिपोर्टें हैं। भारतीय सुरक्षा बलों को हटाने के लिए पहल करने हेतु रॉयल नेपाल आर्मी को प्रेरित करने सहित इस आशय की रिपोर्टें नेपाली मीडिया में भी छपी हैं।

सरकार ने इस क्षेत्र में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, कालापानी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस चौकी की संख्या शक्ति में वृद्धि करना, गश्त को गहन करना, निगरानी को सुदृढ़ करना तथा पहले से ही चेतावनी देने वाली डिवाइसिस लगाना, आसूचना संग्रहण में सुधार लाना इत्यादि शामिल हैं। उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राज्य सरकारों को भारत-नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने तथा माओवादियों की गतिविधियों का गहराई से प्रबोधन करने के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ सभी फील्ड फॉर्मेशनों को सुग्राही बनाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत पनधारा विकास परियोजना

4349. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत पनधारा विकास परियोजना 1.4.1999 से पहले शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को अब तक आबंटित/जारी की गई राशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत 1.4.1999 से पूर्व आरंभ की गई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को पूरा करने के हेतु भूमि संसाधन विभाग द्वारा केन्द्रीय भाग के रूप में निधियों की आवश्यकता 4612.51 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। यह राशि वर्ष 1999-2000 से लेकर 3 वर्षों में परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जारी की जानी थी। विभाग ने केन्द्रीय भाग के रूप में आज तक 3207.45 लाख रुपये की राशि (1999-2000 के दौरान

768.91 लाख रुपये, 2000-2001 के दौरान 1778.96 लाख रुपये और 2001-02 के दौरान 659.58 लाख रुपये) पहले ही जारी कर दी है।

चयन समितियों में अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां

4350. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसम्बर, 1999 में हुए सम्मेलन में सरकारी उपक्रमों, वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों, निगमों के निदेशक मंडल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के स्तर के पदों और भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उच्च स्तर के अन्य पदों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु-सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन के संबंध में वर्तमान अनुदेशों/प्रणाली में क्या संरचनात्मक/ संवैधानिक परिवर्तन लाए गए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत उपयुक्त पदों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या और कुल संख्या में उनका वर्ष-वार प्रतिशत क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना

4351. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना नियमों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना के अधीन श्री एम.पी. त्यागी को, तत्कालीन पद धारक, जो काम चलाऊ व्यवस्था के तहत अपनी सामान्य ड्यूटियों के अतिरिक्त इस प्रभार को संभाले हुए थे, के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को अधिसूचित किया है। दिल्ली नगर निगम के सन्निकट चुनावों के मद्देनजर पूर्ण कालीन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को आवश्यक समझा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनप्रयुक्त निधियां

4352. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री भान सिंह भौरा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा राज्यवार कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवंटित राशि को अन्य प्रयोजन हेतु व्यय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को भारत सरकार द्वारा दी गई राशि और दिनांक 1.4.2001 तक की स्थिति के अनुसार संबंधित परियोजना राज्यों के पास खर्च नहीं हुई शेष राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों के पास जो खर्च नहीं हुई निधियां हैं उन्हें इसलिए खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि कतिपय कार्यकलापों पर अनुमान की तुलना में कम राशि खर्च हुई है और इनमें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना पर व्यय को पूरा करने के लिए दी गई अग्रिम निधियां भी शामिल हैं।

(घ) से (च) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा पर मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने 15.27 करोड़ रु. की निधियों का उपयोग जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से भिन्न कार्यकलापों के लिए किया है। चूंकि टिप्पणियां राज्य विशेष के संबंध में हैं इसलिए संबंधित राज्यों को की गई कार्रवाई संबंधी नोट सहित तथ्यगत स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है ताकि विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे लोक लेखा समिति के पास भेजा जा सके।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	दिनांक 1.4.2001 तक की स्थिति के अनुसार खर्च नहीं हुई शेष राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	363.00	65.73
2.	असम	103.07	9.25
3.	बिहार/झारखंड	93.94	11.00
4.	गुजरात	54.50	0.79
5.	हरियाणा	50.00	5.35
6.	हिमाचल प्रदेश	43.76	4.49
7.	कर्नाटक	197.10	19.27
8.	केरल	67.00	8.59
9.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	484.65	30.08
10.	महाराष्ट्र	104.49	25.45
11.	उड़ीसा	56.50	13.51
12.	राजस्थान	45.50	18.05
13.	तमिलनाडु	70.44	17.86
14.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	357.00	50.18
15.	पश्चिम बंगाल	75.65	13.96
	जोड़	2166.60	293.56

नोट: खर्च नहीं हुई निधियां दिनांक 31.3.2001 तक जारी कुल निधियों और व्यय पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देश

4353. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या ग्रामीण-विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य हेतु किन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ जिला पंचायतों अथवा अन्य ऐसे निकायों ने योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की निगरानी कराने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) और (घ) ई.ए.एस. दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला परिषद सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण है। यह जिले में शुरू किये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना को अनुमोदित करती है तथा उनकी प्रगति की निगरानी करती है। जब कभी यह शिकायत मिलती है कि दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को आवश्यक उपचारी उपाय करने की सलाह दी जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

4354. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े कतिपय अन्य विद्यालयों में ऐसी समितियों की अध्यक्षता ऐसे रक्षा प्रतिष्ठानों के विभागीय प्रमुखों द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या ऐसी समितियों के सदस्य संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य भी होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये समितियां आवधिक रूप से बैठकें करती हैं और तब इन समितियों के निर्णयों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है;

(ङ) क्या ऐसी संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी की जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सिविल क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन विद्यालय के स्थान के अनुसार संगठन द्वारा यथा निर्णित शिक्षा सचिव/मण्डल आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी/किसी विश्वविद्यालय के कुलपति/शिक्षा निदेशक/जनशिक्षण निदेशक/लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाविद् की अध्यक्षता में किया जाता है। जहां तक नवोदय विद्यालयों का संबंध है, ऐसी समितियों के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं।

(ख) प्रतिरक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में, संबधित रक्षा प्रतिष्ठान के विभागीय अध्यक्ष अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

(ग) स्थानीय संसद सदस्य केवल नवोदय विद्यालय समिति की विद्यालय सलाहकार समिति से जुड़े होते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु विधान बनाना

4355. श्री बालकृष्ण चौहान:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु विधान बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनिवार्य प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून अधिनियमित किए हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिनियम का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982
2.	असम	असम प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1974
3.	बिहार	बिहार तथा उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1919 (1946 में यथा संशोधित)

1	2	3
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960
5.	गोवा	गोवा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1995 (वर्ष 1996 की अधिनियम सं. 4)
6.	गुजरात	गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 (वर्ष 1961 की अधिनियम सं. 41)
7.	हरियाणा	पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960 (वर्ष 1960 की अधिनियम सं. 39)
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 (वर्ष 1998 की अधिनियम सं. 2)
9.	कर्नाटक	कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (वर्ष 1995 का कर्नाटक अधिनियम सं.1)
10.	केरल	केरल शिक्षा अधिनियम, 1958
11.	महाराष्ट्र	बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1974 (वर्ष 1947 की बम्बई अधिनियम सं. 61)
12.	पंजाब	पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960 (वर्ष 1960 की अधिनियम संख्या 39)
13.	राजस्थान	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 की अधिनियम संख्या 31)
14.	सिक्किम	सिक्किम प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 की अधिनियम संख्या 14)
15.	तमिलनाडु	तमिलनाडु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1994
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश प्राथमिक अधिनियम, 1919 (वर्ष 1919 की उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7)
17.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 की अधिनियम संख्या 43)
18.	दिल्ली	दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960

प्रतिनियुक्ति पर आई.पी.एस. अधिकारी

4356. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक आई पी एस अधिकारी अपने गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने अधिकारी अपने गृह राज्य में तैनात हैं और ये अधिकारी कितने समय से प्रतिनियुक्त पर तैनात हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक अधिकारी अपने गृह राज्य में निर्धारित समय से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्य काडरों से संबंधित 6 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अपने गृह राज्यों में अन्तर काडर प्रतिनियुक्ति पर हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केवल एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार की सहमति से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अन्तर काडर प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहा है। केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकार को इस अधिकारी को तत्काल कार्य भार-मुक्त करने का निदेश दिया है।

विवरण

अपने गृह राज्य में अन्तर-काडर प्रतिनियुक्ति पर गए भा.पु.से. अधिकारियों की सूची

दिनांक 13.12.2001

क्र.सं.	नाम	काडर	बैच	जहां प्रतिनियुक्ति पर गए हैं	प्रतिनियुक्ति की तारीख	जिस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर हैं
*1.	एम तमसांगा	डब्ल्यू बी	1969	मिजोरम (डी जी)	12/10/99	11/10/01
$2.	एस एस विर्क	एम एच	1970	पंजाब	02/04/96	01/04/98
3.	सत्यव्रत	यू सी	1976	उत्तर प्रदेश	07/12/01	06/12/04
4.	वी के सिंह	ए पी	1987	बिहार	10/09/01	09/09/04
5.	के नरसिम्हाराव	आर जे	1988	आंध्र प्रदेश	23/08/97	22/08/02
6.	डा. अरुण कुमार ओरांव	पी बी	1992	झारखण्ड	03/08/01	02/08/03

*मिजोरम सरकार के अनुरोध पर कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया।

$अनुमोदित कार्यकाल पूरा हुआ।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

4357. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद के निकट तुर्कपल्ली में जैवप्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पार्क उस आई सी आई सी आई नालेज पार्क के निकट स्थापित होगा जहां कि जैवप्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा आई सी आई सी आई नालेज पार्क और जैवप्रौद्योगिकी पार्क को साथ-साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी हां। हैदराबाद के निकट तुर्कपल्ली गांव में आई सी आई सी आई नालेज पार्क के समीप जैवप्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। पार्क में जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिकतम सुविधाएं होंगी जिनके लिए राज्य सरकार विभिन्न उद्यमियों के सहयोग से एक कार्य प्रस्ताव विकसित करने की प्रक्रिया में है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आई सी आई सी आई नालेज पार्क एवं जैवप्रौद्योगिकी पार्क दोनों को साथ-साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खरीद संबंधी मानदंड और वित्तीय सीमा निर्धारण संबंधी मानदंड

4358. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खरीद संबंधी मानदंड निर्धारित किए हैं और इसके लिए अधिकतम वित्तीय सीमा निर्धारित करने के लिए भी मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीद हेतु निर्धारित मानदंडों की अनदेखी करने और इस संबध में मनमानी करने पर समूह 'क' के अधिकारियों और प्रधानाचार्यों के लिए कुछ दंड की व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) क्रय और वित्तीय सीमाओं के लिए मानदंडों के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन सामान्यतया सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 तथा वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन करता है। तथापि, सगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वित्त समिति तथा शासी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों का भी अनुपालन किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ग 'ए' के अधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों, जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किये गये हैं, उनके विरुद्ध सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और जांच के दौरान दोषी पाये जाने पर सी सी एस (सी सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 11 के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) वर्ग 'ए' के अधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में आदिवासी बहुल विकास खंडों को आई टी डी पी के तहत लाना

4359. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कुछ और आदिवासी बहुल विकास खंडों/ब्लाकों को आई टी डी पी विकास खंडों और कुछ आदिवासी बहुल पाकेटों को एम ए डी ए क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बिखरे आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता नहीं दी गई है और जिसके कारण इन राज्यों के आदिवासी विपद्ग्रस्त हैं, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार से एक नई एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आई टी डी ए) के गठन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त किया गया। राज्य सरकार से आई टी डी ए के सृजन के लिए जनजातीय समुदायों की स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रतिभा तथा व्यावसायिक लक्ष्यों और प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग का उपयोग उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिखरी हुई जनजातियों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की भी राज्य में बिखरी हुई जनजातियों सहित अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए की जाती है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा पद्धति के अधिकार को स्थानीय निकायों आदि को सौंपना

4360. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक शिक्षा पद्धति के अधिकार स्थानीय निकायों, निगमों पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम, 1992 में शिक्षा के सभी स्तरों पर योजना और प्रबंध के विकेन्द्रीकरण और इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कार्रवाई कार्यक्रम के अनुसरण में, भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए जिला, उप-जिला और ग्रामीण स्तरों पर शिक्षा के प्रबंध के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए शिक्षा की विकेन्द्रीकृत प्रबंध समिति गठित की गई थी। इस समिति ने यह बताया कि संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में जिला ब्लाक/तालुक स्तरों पर कैसे शैक्षिक संरचनाएं स्थापित की जाए। इसने शैक्षिक प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी को गतिशील बनाने के लिए भी सुझाव दिए ताकि देश प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य की ओर नए उत्साह से बढ़ सके। विशिष्ट स्थितियों और भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस रिपोर्ट को उपयुक्त रूप से अपनाने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. में बेलदारों/खलासियों का पूछताछ लिपिक के रूप में उपयोग करना

4361. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री भेरूलाल मीणा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ने अपने दसवीं या उससे अधिक शिक्षित बेलदारों/खलासियों जैसे लगभग 100 कार्य प्रभारित कर्मचारियों का अपने दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में पूछताछ लिपिक के रूप में उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए यथा संशोधित निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों के पुन: श्रेणीकरण/पुन: वर्गीकरण से संबंधित माध्यस्थम पंचाट को क्रियान्वित करते समय इन्हें 01.01.1973 से प्रभावी लिपिकीय ग्रेड के समकक्ष उच्च वेतनमान भी दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन्हें लिपिकीय स्टाफ के पद से वापस बेलदार/खलासी के रूप में कार्य करने के आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार बेलदार/खलासियों के हितों की रक्षा करने हेतु इस मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) विभिन्न पूछताछ कार्यालयों (इन्क्वायरी ऑफिसों) में शिकायत दर्ज कराने के लिए 56 बेलदारों की सेवाएं ली गयी थी।

(ग) उन 56 में से 54 बेलदारों को पूछताछ कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने के लिए की गई सेवा की अवधि के लिए अवर श्रेणी लिपिक का वेतनमान दिया गया। बाकी दो मामलों में पूछताछ कार्यालयों में दी गयी उनकी सेवा की अवधि का सत्यापन किया जा रहा है।

(घ) से (छ) माध्यस्थम अधिनिर्णय के अनुसार उन बेलदारों, जिनकी सेवाओं का उपयोग पूछताछ कार्यालयों में शिकायतें दर्ज करने के लिए किया गया, को पूछताछ कार्यालय में कार्य करने की अवधि के लिए लिपिक का वेतनमान दिया जाना था और इसका कार्यान्वयन किया गया है। चूंकि इन कार्मिकों को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कभी प्रोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए उनके प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं

4362. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री के. येरननायडू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान और भारत की शिक्षण, व्यावसायिक और अनुसंधान संस्थाओं के आपसी सहयोग या सहायता पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा इस निर्णय के पीछे क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या भारत ने भी इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विदेश मंत्रालय और इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 'डान' के 6 नवम्बर, 2001 के अंक में प्रकाशित एक समाचार में यह बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने सरकार की सहमति के बिना भारत और पाकिस्तानी शैक्षिक, व्यावसायिक और अनुसंधान संस्थाओं के बीच किसी भी तरह के सहयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने इस संबंध में कोई औपचारिक सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। इस समाचार के प्रमाण में और कोई पुष्टि रिपोर्टें भी नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

[हिन्दी]

आर.एस.एस. को हथियारों का प्रशिक्षण

4363. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ संगठन अपने अनुयायियों को देश भर में अपनी शाखाओं में हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण देना कानून के विरुद्ध है क्योंकि इससे गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार हथियारों का प्रशिक्षण देने पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कानून बनाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार से शान्ति व व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। इस समय, भारतीय दंड संहिता तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत किसी ऐसे संगठन के विरुद्ध, कार्रवाई करने का प्रावधान है जिनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं तथा जिनमें देश में शान्ति और साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने की ताकत है।

कानून और व्यवस्था के रख-रखाव और देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियां सतत निगरानी रखती हैं और जहां कहीं आवश्यक हो प्रतिबंध लगाने सहित अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारत और केन्या के मैच की फिक्सिंग

4364. श्री वाई.वी. राव:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रिकेट और अन्य खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों की फिक्सिंग से संबंधित हाल की प्रेस रिपोर्टों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेलों को साफ-सुथरे तरीके से आयोजित कराने के संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने पहले ही क्रिकेट मैच फिक्सिंग तथा संबंधित कदाचारों के मुद्दे की जांच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से करवायी थी। क्रिकेट खिलाड़ियों, बुकीज तथा सट्टेबाजों आदि के बीच संबंधों का पता लगाने जैसे कुछ पहलुओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी भी चल रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती

4365. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु अर्द्ध-सैनिक बल तैनात किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। संरक्षित व्यक्तियों के लिए खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्द्ध-सैनिक बल तैनात किये गये हैं।

(ग) और (घ) सुरक्षा प्रबंधों की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है और खतरे की आशंका अलग-अलग समय पर अलग-अलग हो सकती है।

[अनुवाद]

महासागर अध्ययन हेतु हिन्द महासागर में अत्याधुनिक उपकरणों वाली नौकाएं तैनात करना

4366. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महासागर अध्ययन हेतु हिन्द महासागर में अत्याधुनिक उपकरणों वाली नौकाएं तैनात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) महासागर विकास विभाग एवं इसकी संस्थाओं ने वर्तमान में विभिन्न समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययनों हेतु भारत के चारों ओर के सागरों में हिन्द महासागर में 5 अनुसंधान जलयानों को तैनात कर रखा है। ये जलयान है-

(1) समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या

(2) मत्स्य समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर संपदा

(3) अनुसंधान जलयान ए.ए. सिदोरेंको

(4) तटीय अनुसंधान जलयान सागर पूर्वी, एवं

(5) तटीय अनुसंधान जलयान सागर पश्चिमी

अनुसंधान् जलयान ए.ए. सिदोरेंको को जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए किराए पर लिया गया है तथा अन्य चार जलयान विभाग के पास हैं। सभी अनुसंधान जलयानों में नमूनों एवं आंकड़ा संग्रह के लिए उपकरणों के साथ तथा जलयान पर उनके विश्लेषण के लिए शुष्क एवं आर्द्र दोनों प्रयोगशालाएं है। ओ.आर.वी. सागर कन्या, एफ.ओ.आर.वी. सागर संपदा एवं आरवी ए.ए. सिदोरेंको समुद्र के कार्य करने वाले जलयान है और विभिन्न समुद्र वैज्ञानिक अध्ययनों एवं प्रयोगों के लिए अधिकांश अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिन्द महासागर में कार्य करते हैं। सीआरवी सागर पूर्वी एवं सीआरवी सागर पश्चिमी जलयान तटीय अनुसंधान जलयान है तथा ये तटीय प्रदूषण मानीटरन एवं तटीय सर्वेक्षणों के लिए अनिवार्य रूप से तटीय सागर में कार्य करते हैं।

महानगरों में पुराने बंगले

4367. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महानगरों में पुराने बंगलों के रख-रखाव पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद ये बंगले अब भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और वे रहने योग्य नहीं हैं और असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बंगलों को गिराने और उनके स्थान पर नए बंगले बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 2001 तक गिराने की उनके स्थान पर नए बंगले बनाने के लिये कितने बंगलों की पहचान की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) यद्यपि विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में पुराने बंगले हैं लेकिन इंदौर में दो बंगलों और नई दिल्ली में एक को छोड़कर ये जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं हैं। अन्य सभी का रखरखाव संतोषजनक और रिहायश लायक है यद्यपि उन पर होने वाला खर्च तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि वे पुराने हैं और निर्माण के समय के प्रचलित विनिर्देशों के अनुसार निर्मित हैं।

(ख) जी, नहीं। पुराने बंगलों को गिराकर नए बंगलों के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) हालांकि पुराने बंगलों के स्थान पर नए बंगलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी फ्लैटों के निर्माण और

अन्य प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित बंगलों को गिराए जाने के लिए पहचान की गई है:-

(1) नई दिल्ली - 2, सुनहरी बाग रोड।

(2) इंदौर - 10, कंचनबाग व 12 कंचनबाग।

(3) अन्य मैट्रोपोलिटन शहर - शून्य

उर्वरक संयंत्र

4368. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान रूग्ण हुये प्रमुख उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की क्षमता, अनुमानित लागत और वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जहां तक इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों तथा सहकारी समितियों का संबंध है, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लि. (पी.डी.आई.एल.) को वर्ष 1992 में तथा पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) को वर्ष 2000 में रूग्ण घोषित किया गया है।

(ख) से (घ) ब्यौरे नीचे दिये गये है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम, अवस्थिति और कम्पनी/सहकारी समिति	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)	परिकल्पित अतिरिक्त उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	शून्य तारीख	प्रारम्भण की प्रत्याशित तारीख
1.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., काकीनाड़ा, आं.प्र. (डी.ए.पी. विस्तार परियोजना)	99.00	डी ए पी, 2.8	5.01.98	31.12.01
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., नामरूप, असम के नामरूप संयंत्रों का पुनरूद्धार	510.00	यूरिया, 2.8	2.11.98	1.10.02
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि., सिक्का, गुजरात (डीएपी विस्तार परियोजना)	180.00	डीएपी, 3.96	1.09.99	अप्रैल, 2002

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण से राज्य को हानि

4369. **श्री रामजी मांझी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं. 4 के पृष्ठ संख्या 123-130 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य को विभिन्न मदों में कई करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है और इस पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2001 (सिविल) की रिपोर्ट सं. 4 के पृष्ठ 123 से 130 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा नुकसान, धनराशि में अवरोधन, गैर-जरूरी व्यय और अतिरिक्त व्यय को दर्शाते हुए पैरा हैं।

ऐसे पैरा पर कार्यवाही करने हेतु बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार डीडीए से नुकसान वसूली, यदि कोई हो तो, व्यक्तिगत असफलताओं आदि के संबंध में व्यवस्था में सुधारों, सुधार लाने के उपायों के बारे में की गई कार्रवाई नोट प्राप्त किये जा रहे हैं। तत्पश्चात वह महालेखापरीक्षक (लेखा परीक्षा) को भेज दिए जाएंगे।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने विभिन्न विभागों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। डीडीए द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, युक्ति संगत बनाने, कार्यों में सुधार लाने और जनता के प्रति संवेदी बनाने के लिए कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस प्रारंभ करने के लिए कई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं।

धनशोधन और आतंकवादियों का वित्त पोषण

4370. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनेक संदिग्ध खातों पर नजर रखने के लिये विधायी शक्तियों हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एजेंसी ने धनशोधन से होने वाले नुकसान और इससे राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा को पैदा होने वाले खतरों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो का विचार भारत में कार्य कर रहे सभी आतंकवादी समूहों के "वित्तपोषण" की जांच करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, धनशोधन निवारण विधेयक लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1999 को पास किया गया था। यह विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत की है। प्रवर समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

कालेज/विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों संबंधी वेतन संशोधन समिति

4371. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय और कालेज के प्राध्यापकों संबंधी रस्तोगी वेतन संशोधन समिति ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में रीडरों को प्रोफेसर के पद पर कैरियर प्रोन्नति देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रस्तोगी वेतन समीक्षा समिति ने उन संस्थाओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया जिनमें कैरियर प्रोन्नति योजना लागू होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

4372. योगी आदित्यनाथ : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 14.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कपार्ट द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा 14.8.2001 को लोक सभा में पूछे गए आतारांकित प्रश्न सं. 3494 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

प्रश्न :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और आज तक उत्तर प्रदेश में कपार्ट को प्राप्त उसके द्वारा मंजूर की गई/कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की परियोजनावार, गैर-सरकारी संगठनवार, स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठनवार, परियोजनावार कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो परियोजनावार परिणाम क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) आज की तारीख तक राज्य में कपार्ट के पास मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(छ) राज्य में शेष परियोजनाओं की मंजूरी हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर- (क) ब्यौरे अनुबंध-1 (क) में दिए गए हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान और 31.7.2001 तक राज्य में स्वीकृत निधियों के गैर-सरकारी संगठनवार, स्थानवार योजना/परियोजनावार ब्यौरे अनुबंध-1(ख) में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। परियोजना के विभिन्न स्तरों अर्थात परियोजनाओं की मंजूरी से पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन, परियोजनाओं के पूरे होने के बाद परवर्ती मूल्यांकन के स्तर पर परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की कार्यविधि का मूल्यांकन किया जाता है। चूंकि परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं, इसलिए परिणाम परियोजना दर परियोजना अलग हो सकते हैं।

(च) और (छ) राज्य में कपार्ट के पास 56 प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं। जैसे ही कपार्ट के परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा डेस्क मूल्यांकन तथा वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, इन प्रस्तावों को संबंधित राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुबंध-1 (क)

क्र.सं.	परियोजना/ योजना का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		प्राप्त परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	प्राप्त परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	प्राप्त परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	प्राप्त परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पी.सी.	10	4	239	18	239	81	96	40
2.	आर्ट्स	13	7	51	6	28	12	10	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	डब्ल्यू.एस.डी.	10	5	5	2	17	6	4	-
4.	अपंगता	5	2	11	1	7	1	2	-
5.	ओ.बी./सैट (कार्यशाला)	24	5	59	6	65	20	14	6
6.	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	28	9	-	-	-	-	-	-

अनुबंध-1 (ख)

वर्ष 1998-99

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	परियोजना का स्थान	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
1.	आदर्श भारतीय विद्या मंदिर समिति	जिला-बाराबंकी	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	3,00,825
2.	इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चरल रिसर्च इस्टी.	जिला-जौनपुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	3,37,050
3.	खुशहाली	जिला-लखनऊ	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	2,48,850
4.	कृषि एवं उद्योग विकास संस्था	जिला-बस्ती	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	3,00,300
5.	मानव विकास संस्थान	जिला-गोरखपुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	2,66,175
6.	निर्मल इंडिया सेवा समिति	जिला-उन्नाव	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	2,04,750
7.	संत दरियाव दास स्मारक शिक्षा समिति	जिला-सीतापुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	3,08,700
8.	सुशील शिशु निकेतन शिक्षा समिति	जिला-मिर्जापुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1,95,300
9.	यादव ग्रामोद्योग समिति	जिला-बिजनौर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1,90,050
10.	महिला सेवा संस्थान	जिला-बिजनौर	ओ.बी.	27,500
11.	कानपुर हरिजन सेवा संस्थान	जिला-कानपुर	एस.ए.टी.	1,12,500
12.	हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कन्जरवेशन ऑर्ग.	जिला-देहरादून	वर्कशॉप	1,00,000
13.	पीपुल्स साइंस इस्टी.	जिला-देहरादून	वर्कशॉप	1,05,000
14.	सर्वोदय आश्रम	जिला-हरदोई	वर्कशॉप	2,00,000
15.	दीक्षा सोशल ऑर्ग. सहारनपुर जिला	जिला-उत्तरकाशी	वाटरशेड	58,52,000

1	2	3	4	5
16.	पीपुल्स साइंस इंस्टी. देहरादून	जिला-देहरादून	वाटरशेड	11,46,200
17.	गोमती प्रयाग जनकल्याण परिषद चमोली	जिला-चमोली	वाटरशेड	50,000
18.	बुंदेलखंड ग्रामोद्योग समाज सेवा समिति, ललितपुर	जिला-ललितपुर	वाटरशेड	1,00,000
19.	चिराग शीतला मुक्तेश्वर	जिला-नैनीताल	वाटरशेड	2,00,000
20.	शिक्षित युवा समिति, बस्ती	जिला-बस्ती	अक्षमता	26,550
21.	ऑर्ग. फॉर यूबीक्यूटस बैकवर्ड अपलिफटिंग रिसर्च एंड एजुके., गाजियाबाद	जिला-गाजियाबाद	अक्षमता	4,01,000
22.	जनकल्याण समिति जिला-मुजफ्फरनगर	जिला-मुजफ्फरनगर	पी.सी.	13,64,853
23.	नारी उत्थान एवं जन कल्याण समिति, मथुरा	जिला-मथुरा	पी.सी.	16,50,350
24.	पिंकी ग्रामोद्योग संस्थान, जिला-फैजाबाद	जिला-फैजाबाद	पी.सी.	10,09,257
25.	सर्वोदय सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर	जिला-अम्बेडकर नगर	पी.सी.	10,94,240
26.	इंस्टी. ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशनर एंड रुरल डेव., जिला-सुल्तानपुर	जिला-सुल्तानपुर	आट्र्स	11,16,800
27.	मानव सेवा संस्थान, जिला-गोरखपुर	जिला-गोरखपुर	आट्र्स	19,89,300
28.	नेशनल काउंसिल ऑफ डेव. कम्यूनिकेशन, बनारस	जिला-वाराणसी	आट्र्स	2,83,200
29.	उत्तराखंड जन जागृति संस्थान, देहरादून	जिला-देहरादून	आट्र्स	4,82,350
30.	भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान देहरादून	जिला-देहरादून	आट्र्स	4,96,000
31.	हिमालयन इन्वायरमेंटल जिला-देहरादून	जिला-देहरादून	आट्र्स	34,90,000
32.	हिमालयन इन्वायरमेंटल जिला-देहरादून	जिला-देहरादून	आट्र्स	5,96,296
	वर्ष 1999-2000			
1.	दाल्यों का डगरिया	जिला-पौढ़ी गढ़वाल	आट्र्स	1,87,990
2.	ग्रामीण सुधार एवं श्रमिक सेवा संस्थान	जिला-रुद्रप्रयाग	आट्र्स	1,87,725
3.	ग्रामीण विकास परिषद	जिला-गोरखपुर	आट्र्स	1,58,400
4.	जीवनीय सोसा.	जिला-लखनऊ	आट्र्स	2,00,000
5.	ओम ग्राम्य विकास सेवा आश्रम	जिला-गोरखपुर	आट्र्स	1,37,750
6.	आदर्श महिला कल्याण समिति	जिला-रायबरेली	ओ.बी.	27,500

1	2	3	4	5
7.	प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउंडेशन	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	3,74,770
8.	राजा हुसैन मुमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी	जिला-कानपुर	ओ.बी.	27,500
9.	श्री सीताराम शिक्षा सेवा संस्थान	जिला-देवरिया	ओ.बी.	27,500
10.	अम्बेडकर अनुसूचित विकास संस्थान	जिला-मऊ	पी.सी.	1,18,900
11.	बाल एवं महिला कल्याण संस्थान	जिला-देहरादून	पी.सी.	1,48,400
12.	गौरीगंज महिला प्रशिक्षण केन्द्र	जिला-सुल्तानपुर	पी.सी.	2,96,510
13.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति	जिला-गाजियाबाद	पी.सी.	7,01,000
14.	महर्षि दयानन्द विद्या मंदिर समिति	जिला-अल्मोड़ा	पी.सी.	5,89,485
15.	नवज्योति कल्याण समिति	जिला-रायबरेली	पी.सी.	2,59,044
16.	राष्ट्रीय उत्थान समिति	जिला-देहरादून	पी.सी.	1,99,840
17.	शारदा समाजोत्थान एवं शिक्षा समिति	जिला-बहराइच	पी.सी.	72,000
18.	विंध्या ग्रामोद्योग संस्थान	जिला-मिर्जापुर	पी.सी.	2,97,176
19.	महिला शिल्प कला केन्द्र	जिला-आगरा	वर्कशॉप	37,000
20.	यू.पी. वालन्टरी हेल्थ एसो.	जिला-लखनऊ	वर्कशॉप	1,19,000
21.	पीपुल्स साइंस इंस्टी. देहरादून	जिला-देहरादून	वाटरशेड	4,41,000
22.	बुन्देलखंड ग्रामोद्योग समाज सेवा समिति, ललितपुर	जिला-ललितपुर	वाटरशेड	2,00,000
23.	इलाहाबाद ग्राम शिष्यया सेवा समिति, इलाहाबाद	जिला-इलाहाबाद	अक्षमता	50,000
24.	हेल्को, जिला-देहरादून	जिला-देहरादून	पी.सी.	70,000
25.	दीक्षा, सहारनपुर	जिला-टिहरी गढ़वाल	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	14,43,215
26.	लोक जीवन विकास भारती, टिहरी गढ़वाल	जिला-चमोली	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	11,51,715
27.	जन विकास संस्थान, टिहरी गढ़वाल	जिला-टिहरी गढ़वाल	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	11,51,715
28.	विकल्प, यू.पी.	जिला-चमोली	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	14,43,215
29.	पर्वतीय जनकल्याण संस्थान, टिहरी गढ़वाल	जिला-चमोली	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	11,51,715
30.	हिमालयन डेव. एसो.	जिला-टिहरी गढ़वाल	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	11,51,715
31.	पी.एस.आई. देहरादून	जिला-देहरादून	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	17,19,115
32.	हेस्को, देहरादून	जिला-देहरादून	पी.सी. (आपदाप्रबंधन)	48,15,000
33.	अजीत ग्रामोद्योग संस्थान, जिला-हाथरस	जिला-अलीगढ़	आर्ट्स	3,88,416

1	2	3	4	5
		वर्ष 2000-2001		
1.	गौरीगंज महिला प्रशिक्षण केंद्र	जि. सुलतानपुर	आर्टस	660200
2.	ग्रामीण कृषि विकास एवं पर्यावरण संवर्धन संस्थान	जि. टिहरी गढ़वाल	आर्टस	532000
3.	इंडियन इस्टी. आफ कॉम्यूनिटी डेव.	जि. देहरादून	आर्टस	581000
4.	जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान	जि. चमौली	आर्टस	491500
5.	जन कल्याण परिषद	जि. गाजीपुर	आर्टस	236250
6.	मानव सेवा संस्थान	जि. गोरखपुर	आर्टस	368060
7.	माऊंट वेली डेव. एशो.	जि. टिहरी गढ़वाल	आर्टस	454000
8.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	जि. गौतमबुद्ध नगर	आर्टस	1156092
9.	पर्यावरण एवं रोजगार विकास संस्थान	जि. पौड़ी गढ़वाल	आर्टस	786000
10.	सुल्तानपुर टेक्नोलोजीकल इस्टी.	जि. सुल्तानपुर	आर्टस	302920
11.	थौडा विकास समिति	जि. बुलन्दशहर	आर्टस	170000
12.	उत्तरांचल उत्थान परिषद	जि. देहरादून	आर्टस	460750
13.	ग्राम उद्योग बाल विद्या निकेतन समिति	जि. झांसी	ओ बी	304000
14.	हिल्स डेव. इंस्टी.	जि. लखनऊ	ओ बी	223450
15.	हिमालयन इन्वायरनमेंटल स्टडीज एंड कन्वर्जन आगे.	जि. देहरादून	ओ बी	40360
16.	ईश्वर ज्योति पर्वतीय महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान	जि. नैनीताल	ओ बी	225000
17.	जोसवाल रूरल डेव. सोसा.	जि. देहरादून	ओ बी	119000
18.	कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान	जि. देवरिया	ओ बी	49000
19	लोक भारती उत्तर प्रदेश	जि. लखनऊ	ओ बी	128400
20.	मां. विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान	जि. देवरिया	ओ बी	67000
21.	मानवोदय	जि. लखनऊ	ओ बी	71500
22.	नेशनल आर्गे. आफ वौल्यू. एशो.	जि. लखनऊ	ओ बी	665500
23.	नेटवर्क आफ इन्टरप्रेनरशिप एंड इको. डेव.	जि. लखनऊ	ओ बी	300775
24.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं महिला कल्याण संस्थान	जि. बलिया	ओ बी	236400
25.	रूरल एडू. एंड डेव. सोसाइटी	जि. इलाहाबाद	ओ बी	756250

1	2	3	4	5
26.	सहभागी शिक्षण केंद्र	जि. सीतापुर	ओ बी	400220
27.	समाधान मानव सेवा संस्थान	जि. देवरिया	ओ बी	145750
28.	सर्वोदय सेवा परिषद	जि. कानपुर	ओ बी	136290
29.	स्टेट इन्स्टीटयूट आफ एडूकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग	जि. इलाहाबाद	ओ बी	79866
30.	उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति	जि. देहरादून	ओ बी	682000
31.	आदर्श ग्रामीण लोक विकास समिति	जि. फतेहपुर	पी सी	380380
32.	आदर्श जन कल्याण एवं शिक्षा समिति	जि. लखनऊ	पी सी	616589
33.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास परिषद	जि. मुजफ्फरनगर	पी सी	489500
34.	अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान	जि. हरदोई	पी सी	156500
35.	अशोहा वेल्फेयर सोसा. फार हेल्थ एंड अवेयरनेस	जि. उन्नाव	पी सी	213400
36.	एशो. आफ रुरल डेव.	जि. गोरखपुर	पी सी	317900
37.	बाल एवं महिला कल्याण संस्थान	जि. देहरादून	पी सी	544808
38.	भारतीय जन कल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान	जि. गाजीपुर	पी सी	305650
39.	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान	जि. उन्नाव	पी सी	678928
40.	भारतीय मानव समाज कल्याण सेवा संस्थान	जि. बहराइच	पी सी	580800
41.	भारतीय समाज एवं महिला विकास समिति	जि. हाथरस	पी सी	141900
42.	भीमराव अम्बेडकर दलित सेवा ग्रामोत्थान जन कल्याण समिति	जि. हरदोई	पी सी	657800
43.	सेंटर फार एडू. टेक्नोलॉजीकल रिसर्च एंड एक्सटेंशन	जि. कानपुर	पी सी	191100
44.	दरिद्र उत्थान कल्याण समिति	जि. देहरादून	पी सी	223600
45.	देवता खादी ग्रामोद्योग संस्थान	जि. गौतमबुद्धनगर	पी सी	348700
46.	डा. अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति	जि. उन्नाव	पी सी	268750
47.	घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान	जि. देहरादून	पी सी	415500
48.	गौरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	जि. गोरखपुर	पी सी	182000
49.	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण संस्थान	जि. हमीरपुर	पी सी	371800
50.	ग्राम विकास समिति	जि. देवरिया और बाराबंकी	पी सी	429770

1	2	3	4	5
51.	ग्रामीण कुटीर उद्योग शिक्षा सदन	जि. चन्दौली	पी सी	310400
52.	ग्रामीण विकास एवं कल्याण समिति संस्थान	जि. फैजाबाद	पी सी	207900
53.	ग्रामीण विकास संस्थान	जि. हरिद्वार	पी सी	152575
54.	ग्रामोद्योग सेवा समिति	जि. मुजफ्फरनगर	पी सी	156750
55.	ग्रामोत्थान सेवा समिति	जि. लखनऊ	पी सी	235400
56.	हयातरत्न उद्यान सेवा संस्थान	जि. नैनीताल	पी सी	426375
57.	हिमालयन जन कल्याण एवं बाल विकास समिति	जि. देहरादून	पी सी	409289
58.	ह्यूमन डेव. एंड ग्रामोद्योग इस्टी.	जि. देहरादून	पी सी	774115
59.	इंदू शिक्षक एवं समाज कल्याण समिति	जि. लखनऊ	पी सी	515460
60.	जगन्नाथ विद्या मंदिर शिक्षा प्रसार समिति	जि. जालौन	पी सी	117000
61.	जन कल्याण संस्थान	जि. गोरखपुर	पी सी	131560
62.	जन सेवा संस्थान	जि. अल्मोड़ा	पी सी	640605
63.	जनहित बहुउद्देशीय ग्रामोद्योग संस्थान	जि. इलाहाबाद	पी सी	353500
64.	जनता ग्राम विकास संस्थान	जि. बलिया	पी सी	555280
65.	जोसफ इस्टी. फार रूरल डेव.	जि. देवरिया	पी सी	394825
66.	काजमपुर खादी ग्रामोद्योग समिति	जि. बिजनौर	पी सी	353100
67.	खुशहाली	जि. लखनऊ	पी सी	292070
68.	कुमाऊ एग्रीकल्चरल एंड ग्रीनरी एडवांसमेंट सोसाइटी	जि. पिथौरागढ़	पी सी	325325
69.	लोक विकास संस्थान	जि. ओरइया	पी सी	292875
70.	लोकद्योग सेवा संस्थान	जि. आजमगढ़	पी सी	591525
71.	मधुग्राम विकास संस्थान	जि. मिर्जापुर	पी सी	188500
72.	महिला बाल एवं ग्राम विकास सेवा संस्थान	जि. हरदोई	पी सी	320100
73.	महिला सेवा संस्थान	जि. बिजनौर	पी सी	207900
74.	मानव सेवा आश्रम	जि. हरदोई	पी सी	408100
75.	नारी जागरण सेवा समिति	जि. लखनऊ	पी सी	579568
76.	नवजीवन सेवा संस्थान	जि. रायबरेली	पी सी	767902

1	2	3	4	5
77.	नवज्योति सेवा संस्थान	जि. लखनऊ	पी सी	398200
78.	नवचेतन	जि. बाराबंकी	पी सी	359000
79.	पी.आई. ग्रामोद्योग सोसाइटी	जि. फैजाबाद	पी सी	335700
80.	पारीजात	जि. लखनऊ	पी सी	210500
81.	पर्वतीय जन कल्याण समिति	जि. देहरादून	पी सी	652575
82.	पर्वतीय जन कल्याण संस्थान	जि. टिहरी गढ़वाल	पी सी	368720
83.	पिंकी ग्रामोद्योग संस्थान	जि. अम्बेडकर नगर	पी सी	1193500
84.	राजर्षि रानांजय सिंह जन कल्याण समिति	जि. सुल्तानपुर	पी सी	476098
85.	राजवंती देवी महिला संस्थान	जि. गाजीपुर	पी सी	542900
86.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं लोक कल्याण संस्थान	जि. कुशीनगर	पी सी	444100
87.	राष्ट्रीय महिला संस्थान	जि. लखनऊ	पी सी	549500
88.	राजाहुशैन मेमोरियल चेरीटेबल सोसा.	जि. कानपुर	पी सी	215512
89.	सदभावना शिशु एवं महिला समिति	जि. मथुरा	पी सी	198070
90.	संगम विकास सेवा संस्थान	जि. गोंडा	पी सी	228800
91.	संत दरियाव दास स्मारक शिक्षा समिति	जि. सुल्तानपुर	पी सी	176100
92.	सर्वांगीण विकास संस्थान	जि. गोरखपुर	पी सी	545200
93.	सत्य अहिंसा बाल विद्यालय समिति	जि. रायबरेली	पी सी	273000
94.	शक्ति साधना संस्थान	जि. सीतापुर	पी सी	693451
95.	शारदा समाजोत्थान एवं शिक्षा समिति	जि. लखनऊ	पी सी	441320
96.	श्री बी.के.एस. प्रकाश दीप प्रतिष्ठान	जि. हमीरपुर	पी सी	212960
97.	श्री देवकली प्रसाद मेमोरियल बाल विद्या मंदिर	जि. फैजाबाद	पी सी	407000
98.	श्री सचिदानंद शिक्षण संस्थान	जि. चंदौली	पी सी	426250
99.	श्री साईं बाबा सेवा समिति	जि. मिर्जापुर	पी सी	467850
100.	सोसाइटी एंड लिट्रेसी डेव. एशो.	जि. उन्नाव	पी सी	277200

1	2	3	4	5
101.	सोशल वर्क एंड रूरल डेव. एशो.	जि. हरिद्वार	पी सी	299475
102.	सोसाइटी फार एडवांसमेंट आफ नेशनल गंबित	जि. इलाहाबाद	पी सी	536550
103.	स्वामी धर्मानंद शिक्षा समिति	जि. फतेहपुर	पी सी	220308
104.	त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति	जि. अम्बेडकर नगर	पी सी	238560
105.	उ.प्र. गांधी स्मारक निधि	जि. सोनभद्र	पी सी	323480
106.	उत्तराखंड सेक्रेड सोशल सोशा.	जि. देहरादून	पी सी	476385
107.	उत्तरांचल सेवा समिति	जि. हरिद्वार	पी सी	302690
108.	विकास ग्रामोद्योग समिति	जि. अम्बेडकर नगर	पी सी	840249
109.	युवा मंच	जि. लखनऊ	पी सी	153300
110.	ओम ग्राम विकास सेवा आश्रम	जि. गौरखपुर	कार्यशाला	30000
111.	वैध चन्द्र प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन	जि. देहरादून	कार्यशाला	25000
112	समता, मंडल रोड़	जि. देहरादून	वाटरशेड	4464000
113.	पीपुल्स साईंस इस्टीट्यूट	जि. देहरादून	वाटरशेड	1627000
114.	गोमती प्रयोग जन कल्याण परिषद	जि. चमौली	वाटरशेड	2948000
115.	वोल्यू. एशो. फार दा डेव. आफ हिल्स आफ उत्तराखंड	जि. अल्मोड़ा	वाटरशेड	200000
116.	बिजनौर सेवा सस्थान	जि. बिजनौर	वाटरशेड	100000
117.	समर्पित सेवा संस्थान	जि. देहरादून	वाटरशेड	100000
118.	शिक्षित युवा सेवा समिति	जि. बस्ती	अपंगता	662600
119.	हेस्को	जि. देहरादून	पी सी	195000
120.	महिला शिल्प कला केंद्र	जि. आगरा	पी सी	5531442

वर्ष 2001-2002 (31.7.2001 तक)

उत्तर प्रदेश

1.	निदान सामाजिक संस्थान	जिला-लखनऊ	आट्र्स	1,99,500
2.	स्वामी धर्मानन्द शिक्षा समिति	जिला-फतेहपुर	आट्र्स	2,17,184
3.	पर्यावरण संरक्षण संस्थान	जिला-कानपुर	आट्र्स	2,23,650

1	2	3	4	5
4.	सोलिडरीटि ऑफ द नेशन सोसायटी	जिला-गोंडा	आर्ट्स	4,07,250
5.	एकजॉनवेटर क्लब	जिला-सुल्तानपुर	आर्ट्स	3,30,750
6.	युवा चेतना केन्द्र	जिला-देवरिया	आर्ट्स	3,04,500
7.	ग्रामीण विकास मंडल	जिला-इलाहाबाद	आर्ट्स	2,70,380
8.	आदिवासी समाजोत्थान एवं कल्याण समिति	जिला-इलाहाबाद	आर्ट्स	4,68,160
9.	इंस्टी. ऑफ सोसल वेलफेयर एंड रिसर्च एक्शन	जिला-मथुरा	आर्ट्स	1,70,500
10.	एसोस. ऑफ डेवल. ऑफ रुरल पीपुल	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	1,74,870
11.	इंस्टी. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	54,300
12.	यू.पी. वालन्टरी हेल्थ एसोस.	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	47,000
13.	शूमाखर इंस्टी. एप्रोप्रिऐट टेक्नॉलाजी एंड रुरल डेवलपमेंट	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	1,64,175
14.	श्री विधनेश्वर नवगढ़ पर्यावरण संस्थान	जिला-इलाहाबाद	ओ.बी.	6,43,500
15.	ग्रीन ऐज इंडिया	जिला-लखनऊ	ओ.बी.	1,24,850
16.	उत्तर प्रदेश बाल विकास परिषद	जिला-इलाहाबाद	पी.सी.	4,56,460
17.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	जिला-लखनऊ	पी.सी.	1,23,200
18.	विशाल साहित्य शिक्षा एवं कला निकेतन	जिला-सुल्तानपुर	पी.सी.	3,64,500
19.	सर्वोदय सेवा संस्थान	जिला-रायबरेली	पी.सी.	5,69,000
20.	सुरभि सेवा संपरन संस्थान	जिला-रायबरेली	पी.सी.	1,79,480
21.	नव जीवन सेवा संस्थान	जिला-रायबरेली	पी.सी.	11,89,872
22.	श्री रामअवतार शुक्ला स्मारक ग्रामोदय जन सेवा समिति	जिला-इलाहाबाद	पी.सी.	5,72,800
23.	इंस्टी. ऑफ सोसल हेल्थ वेलफेयर रुरल डेवल. एंड एजुकेशनल सोसायटी	जिला-सुल्तानपुर	पी.सी.	2,62,955
24.	श्री अजीत सिंह यू.एम. विद्यालय समिति	जिला-संत रविदास नगर	पी.सी.	3,32,592
25.	ग्राम विकास सेवा समिति	जिला-मिर्जापुर	पी.सी.	2,00,035
26.	श्री साई बाबा सेवा समिति	जिला-सोनभद्र	पी.सी.	5,29,037
27.	किशन पब्लिक स्कूल	जिला-फूलेनगर	पी.सी.	2,33,034
28.	अमृतम सेवा संस्थान	जिला-हरदोई	पी.सी.	2,86,396

1	2	3	4	5
29.	सूमन टेक्नीकल इंस्टीट.	जिला-एटा	पी.सी.	4,73,000
30.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति	जिला-सुल्तानपुर	पी.सी.	2,65,628
31.	आदर्श सेवा समिति	जिला-मुज्जफरनगर	पी.सी.	2,25,800
32.	ह्यूमन एजुकेशनल एंड सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट.	जिला-गाजीपुर	पी.सी.	6,99,325
33.	अरमान युवा कल्याण समिति	जिला-इलाहाबाद	पी.सी.	2,29,848
34.	ग्रामोत्थान सेवा समिति	जिला-बाराबंकी	पी.सी.	2,21,100
35.	ग्रामीण जन चेतना एवं समाजोत्थान सेवा समिति	जिला-लखनऊ	पी.सी.	2,84,504
36.	प्रतिनिधि समिति	जिला-बलिया	पी.सी.	2,45,500
37.	आदर्श ग्रामोत्थान शिक्षा प्रसार समिति	जिला-रामपुर	पी.सी.	1,14,400
38.	पटेल ग्रामोत्थान विकास प्रतिष्ठान	जिला-कानपुर	पी.सी.	2,12,080
39.	विमल विकास संस्थान	जिला-भदोई	पी.सी.	2,23,105
40.	सावित्री देवी सेवा संस्थान	जिला-जौनपुर	पी.सी.	2,42,575
41.	बाबूराम ग्रामोत्थान संस्थान	जिला-हरदोई	पी.सी.	2,62,768
42.	अबूशीष ग्रामीण सेवा संस्थान	जिला-गाजियाबाद	पी.सी.	3,67,702
43.	नर नारायण संस्थान	जिला-सुल्तानपुर	पी.सी.	4,21,740
44.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति	जिला-गाजियाबाद	पी.सी.	3,75,773
45.	महिला विकास संस्थान	जिला-देवरिया	पी.सी.	2,42,150
46.	संभावना सभा	जिला-बहराइच	पी.सी.	1,81,280
47.	विमल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	जिला-बाराबंकी	पी.सी.	5,86,960
48.	प्रकाश सर्वोदय ग्रामीण सेवा संस्थान	जिला-मैनपुरी	पी.सी.	3,31,800
49.	वनवासी विकास आश्रम	जिला-इलाहाबाद	पी.सी.	6,93,000
50.	पूर्ति संस्थान	जिला-गाजीपुर	पी.सी.	3,04,410
51.	आश्रय सेवा संस्थान	जिला-चन्दौली	पी.सी.	7,70,000
52.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान	जिला-फतेहपुर	पी.सी.	3,05,943
53.	लोक विकास संस्थान	जिला-औरैया	पी.सी.	1,99,000
54.	ओम ग्रामया विकास सेवा आश्रम	जिला-गोरखपुर	पी.सी.	5,90,000
55.	नवचेतन	जिला-बाराबंकी	पी.सी.	6,83,892

[अनुवाद]

उष्णकटिबंधी तूफान से निपटना

4373. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उष्णकटिबंधी तूफान से निपटने के लिए किसी वैज्ञानिक/एजेंसी द्वारा कोई प्रस्ताव/परियोजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या सरकार प्रकृति की ऐसी विनाशलीलाओं से निपटने के लिए किसी अन्य परियोजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) कुछ समय पहले भारत मौसम विभाग (आई.एम.डी.) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) को अलग-अलग व्यक्तियों से चक्रवातों के प्रभावों का मुकाबला करने या उन्हें कम करने या उनकी ऊर्जा को काम में लाने से संबंधित सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की आई.एम.डी., डी.एस.टी. तथा अन्य अग्रणी संस्थानों ने ब्यौरेवार जांच की। विभिन्न व्यवसायिक एजेंसियों/निकायों/संस्थानों से मांगी गई टिप्पणियां दर्शाती हैं कि ये प्रस्ताव न ही उचित हैं और न ही व्यवहार्य हैं। आई.एम.डी./डी.एस.टी. द्वारा प्राप्त प्रस्ताव संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं।

(1) श्री एस.पी. कपूर द्वारा ''उष्णदेशीय चक्रवातों का मुकाबला करना तथा इनकी ऊर्जा को काम में लाना'' नामक एक प्रस्ताव।

(2) श्री एस.पी. कपूर द्वारा ''शुरूआती चरण में उष्णदेशीय चक्रवात को विसरित करने के लिए तकनीक की खोज'' नामक एक प्रस्ताव।

(3) बादलों को पानी में बदलकर चक्रवातों के प्रभावों को कम करने के लिए डा. एस. चक्रवर्ती, कोलकाता से प्राप्त एक प्रस्ताव।

(4) तूफानों अथवा चक्रवातों के वर्षायुक्त बादलों को सूखा संभावित स्थानों की ओर मोड़ने की संभावना का पता लगाने का सुझाव देने से संबंधित श्री ए.बी. जेना, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर, भुवनेश्वर से प्राप्त एक प्रस्ताव।

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों के संबंध में लिए गए निर्णय नीचे दिए गए हैं:

(1) मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

(2) मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

(3) व्यवहार्य नहीं पाए गए।

(4) उचित नहीं पाए गए।

(घ) और (ङ) प्रकृति की ऐसी विनाशलीलाओं से निपटने के लिए कोई अन्य परियोजना नहीं है।

विनिवेश हेतु पृथक कानून

4374. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 सितम्बर, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''सेपरेट लॉ फॉर डिसइन्वेस्टमेंट नीडेड: एक्सपर्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रया है;

(ग) क्या सरकार विनिवेश प्रक्रिया के प्रति सरकार की निरुत्साही दृष्टिकोण संबंधी विशेषज्ञों की राय से सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो विनिवेश कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विनिवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई निरुत्साहित दृष्टिकोण नहीं है। स्पष्ट रूप से उच्चरित विनिवेश नीति के अनुसरण में, इस वर्ष 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए दृढ़तापूर्वक समय-सीमा तैयार की गई है। जिन पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। इनमें से एच.टी.एल. लि. और सी.एम.सी. लि. का पहले ही विनिवेश किया जा चुका है। भारत पर्यटन विकास निगम और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के संबंध में कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया है। विनिवेश कार्यक्रम के

संतोषजनक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

अधिक मूल्य का भुगतान

4375. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रिफेम्पिसीन और इसके इण्टरमीडिएटों को प्रतिबंधित सूची में रखने से उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि रिफेम्पिसीन और इसके इण्टर-मीडिएटों के मूल्य बी.आई.पी.सी. और उनके मंत्रालय द्वारा गढ़े गए हैं और गरीब क्षयरोग रोगियों को लूटा गया है;

(ग) रिफा. एस. और रिफा. एस.वी. के आयात मूल्यों और देशी मूल्य का ब्यौरा क्या है और मूल्य निर्धारित करने की तारीख से इसके आयात का वास्तविक अनुपात क्या है; और

(घ) कितने उत्पादनकर्ता इस अनुपात का उल्लंघन करते पाए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी): (क) और (ख) स्वदेशी विनिर्माताओं से रिफेम्पिसीन की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है तथा इसका मूल्य लागत-व-तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995, के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण/संशोधन किया जाता है।

(ग) और (घ) रिफेम्पिसीन की घरेलू आवश्यकता के लिए इस समय रिफा-एस. तथा रिफा-एस.वी. नामक मध्यवर्तियों के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4376. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री बी.के. पार्थसारथी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने के लिए विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने यह निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों को परिचालित की गई समय-सारणी का कड़ाई से पालन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन ये सरकारी उपक्रम आते हैं, वही इनकी समय-सारणी के पालन संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे सरकारी उपक्रमों को नोडल मंत्रालय और विभागों से अलग कर वित्त मंत्रालय के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चल रही विनिवेश प्रक्रिया और मारुति उद्योग लि., जो एक गैर-सरकारी कंपनी है, में सरकारी इक्विटी की विनिवेश प्रक्रिया निश्चित समय-सीमा के अनुसार ही चल रही हैं। संबंधित कंपनियां हैं: भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसलस लि. (भारत यंत्र निगम लि. की सहायक कंपनी), हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एयर इण्डिया की सहायक कंपनी), आई.बी.पी. कंपनी लि., इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., भारत मर्यटन विकास निगम लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन कंट्रोल्स एण्ड वाल्वस लि. (इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. की सहायक कंपनी), जेसप एण्ड कंपनी लि. (भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कंपनी), नेपा लि., विदेश संचार निगम लि. और मारुति उद्योग लि.। 2 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् सी.एम.सी. लि. और एच.टी.एल. लि. में अनुकूल बिक्री के माध्यम से अक्तूबर, 2001 में विनिवेश सम्पन्न हो चुका है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया, अंतर्मंत्रालय, विशेषकर प्रश्नगत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्शों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

देश में आई.एस.आई. द्वारा निवेश

4377. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने भारत में अपनी जड़े मजबूत करने के लिए समाचार पत्रों को माध्यम बनाने का षडयंत्र किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की सतर्कता एजेन्सी आसूचना ब्यूरो के अनुसार आई.एस.आई. देश के विभिन्न भागों में कुछ अग्रणी भाषाई समाचार पत्रों में अवैध रूप से धनराशि का निवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) पाकिस्तान की आई.एस.आई. देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को सहायता देने, उकसाने और समर्थन देने में संलिप्त है। तथापि, उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती है कि आई.एस.आई. देश में अपनी गतिविधियां बढ़ाने हेतु समाचार पत्रों का प्रयोग कर रही है।

(घ) स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को विफल करना, उन्नत अधुनातन हथियारों और संचार-प्रणाली द्वारा पुलिस और सुरक्षाबलों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन आदि शामिल है।

केन्द्रीय सरकार देश में आई.एस.आई. के खतरे की आशंकाओं और गतिविधियों के बारे में भी राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आदान-प्रदान के साथ ही साथ इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए रणनीतियां निकालने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकें भी की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पाकिस्तान समर्थित अनेक मॉडयूलों को विफल किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

4378. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय में 'हिन्दी सलाहकार समिति' का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन है;

(ग) समिति ने अब तक क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं; और

(घ) समिति के सदस्य के रूप में कितने हिंदी विद्वानों/साहित्यकारों को नियुक्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी सलाहकार समिति मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों तथा इनसे संबंधित आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों पर सलाह देती है।

(ग) समिति का गठन जनवरी, 2001 में होने के पश्चात् इसकी एक बैठक हो चुकी है। समिति ने मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दो के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं।

(घ) सरकारी सदस्यों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त, आठ गैर-सरकारी सदस्यों को समिति के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है जो हिन्दी साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

[अनुवाद]

बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

4379. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी जैसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उप-निरीक्षक जैसे आरक्षित पदों पर क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में उप-निरीक्षकों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं।

(घ) इन पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के कुल कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में यथासुनिश्चित अनुदेशों के क्रम में इनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान हुई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों/पदों पर प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु विदेशी सहायता

4380. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी सहायता से कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से देशों ने राज्यवार कितनी-कितनी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) इन योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन योजनाओं के योजना-वार और राज्य-वार कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-अमरीका सहयोग

4381. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) 21 मार्च, 2001 को एक भारत संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना के लिए एक समझौते को पूरा किया गया। मंच को 23 जून, 2000 को एक लाभनिरपेक्ष वैज्ञानिक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था।

(ग) इस मंच का लक्ष्य भारत और संयुक्त राज्य में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में सरकार, शिक्षा जगत तथा उद्योग में आपसी विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाना तथा इसको बढ़ावा देना है:

* विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई दिशाओं की खोज करते हुए आपसी महत्व के मुद्दों तथा आपसी लाभ की गतिविधियों पर ध्यान देना;
* भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक व्यापक इलैक्ट्रानिक संदर्भ स्रोत तैयार करना;
* द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में सूचना के इलैक्ट्रानिक आदान-प्रदान व प्रसार और अवसरों को बढ़ावा देना;
* अध्ययन, रिपोर्ट व प्रलेख तैयार करना और अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भारत-संयुक्त राज्य सहयोग को बढ़ावा देना;
* संयुक्त सहयोगात्मक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को सरल बनाना तथा बढ़ावा देना और कार्यशालाओं, सेमीनारों, संगोष्ठियों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
* भारत में स्थानों पर उत्कृष्टता के लिए भारत-संयुक्त राज्य केन्द्रों की स्थापना करना।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुआवजे की वसूली और अतिरिक्त व्यय

4382. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी विफलता के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों से मुआवजा और अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं कर सका जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अक्षम ठेका प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय शीर्षक के तहत वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट सं. दो के पृष्ठ 115 और पच्क्षावर्ती पृष्ठों में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत डिवीजन आई द्वारा की गई खरीदारी समेत सभी क्षेत्रों में मितव्ययिता लाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निदेश देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। जब भी ठेकेदार से मुआवजे के तौर पर या किसी अन्य हिसाब की धनराशि वसूल की जानी होती है तो वह ठेकेदार के चालू बिलों/अंतिम बिल से या जमा सिक्योरिटी इत्यादि के रूप में विभाग के पास मौजूद उसकी अपनी बकाया धनराशि से वसूल की जाती है। सीएजी रिपोर्ट का यह पैरा ऐसे मामलों से संबंधित है, जहां ठेकेदार व्यथित है और उसका मानना है कि धनराशि गलती से वसूली गई हैं/रखी गई है या विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। माध्यस्थम (अविट्रिशन), करार में यथा निर्धारित एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया है और जिसका विभाग द्वारा समुचित प्रतिवाद किया जाता है। जहां कहीं भी सशक्त आधार मौजूद होता है, सक्षम कानूनी न्यायालय में अवार्ड को चैलेंज किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में किसी अनियमितता या किसी कार्मिक की चूक का पता चला है, उन पर सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यापक प्रचार सहित खुली निविदा कोटेशनों के जरिए प्रतियोगी बोली के आधार पर कार्य/आपूर्ति ठेके देता है।

पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता

4383. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने राज्यों में अतिवादी गतिविधियां रोकने के लिए कुछ आधुनिक उपस्कर खरीदने के लिए राज्य सरकारों को सुकर बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन राज्यों को इस प्रयोजनार्थ कब तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के प्रयासों में राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को, पुलिस प्रशिक्षण के लिए वाहनों, उपकरणों और भवनों, संचार, पुलिस आवास, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों और भवनों, शस्त्रों, जांच-पड़ताल के लिए सहायता, यातायात नियंत्रण/भीड़ नियंत्रण के लिए उपकरणों, आसूचना/जांच पड़ताल उपकरणों इत्यादि की खरीद के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत 1969-1970 से वित्तीय सहायता देती रही है। वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 1000 करोड़ रु. (केन्द्रीय अंश) की राशि रिलीज की गयी थी और चालू वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल आबंटन 1000 करोड़ रु. हैं। विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक आवंटन निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है और इसलिए इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धन देना सामान्यतः संभव नहीं है। अधिकांश राज्यों ने 2001-02 के लिए अपनी वार्षिक योजना प्रस्तुत कर दी हैं। इन योजनाओं को अनुमोदन के लिए शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। तथापि पिछले वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान रिलीज की गई धनराशि के उपयोग-प्रमाण पत्र के आधार पर राशि रिलीज की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुछ राज्यों को भी सहायता दी जाती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, वाहन, हथियार और संचार उपकरण जैसी मदें शामिल है। 1.4.1996 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को अब तक कुल 80.37 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है।

पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उन राज्यों को हथियार, वाहन और संचार उपकरण इत्यादि जैसी मदों के लिए (माल के रूप में) भी सहायता दी जाती है। 1997-98 और 2000-2001 की अवधि के दौरान, उन्हें 166.43 करोड़ रु. की (माल के रूप में) सहायता दी गयी।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत, हथियारों, संचार उपकरणों, वाहनों इत्यादि की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल 6.02 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गयी।

नागरिकता देना

4384. श्री जसवंतसिंह यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से विस्थापित और राजस्थान के जोधपुर और अन्य पश्चिमी जिलों में आकर बसे 17000

हिन्दुओं की ओर से उन्हें नागरिकता देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में 35 वर्ष से भी अधिक समय से रह रहे इन लोगों के संबंध में निर्णय लिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) किसी विदेशी को, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की शक्तियां 31.3.1986 तक जिले के जिलाधीश के पास थीं। इसलिए, ऐसा प्रत्येक आवेदन, जब कभी राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उस पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

विशेष आदिवासी विकास परियोजना

4385. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के रायगढ़ जिले के आदिवासी बहुल काशीपुर विकास खंड में भूख से हुई अनेक मौतों के मद्देनजर केन्द्र सरकार का विचार एक विशेष आदिवासी विकास परियोजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) विकास एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, पोषण संबंधी मानकों में गिरावट के प्रति रक्षोपाय की व्यवस्था करने के द्वारा जनजातीय लोगों की मृत्यु के विरुद्ध निवारक उपायों के रूप में केन्द्रीय योजना समिति (सी.पी.सी.) द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में से चुने गए क्षेत्रों में 1996-97 के दौरान जनजातीय ग्रामों में अन्न बैंकों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की गई। इस योजना में व्यवस्था है कि पहचान किए गए क्षेत्रों में ग्रामवासी एक समिति बना सकते हैं और गांवों में अन्न बैंक की स्थापना कर सकते हैं। भारत सरकार प्रति परिवार स्थानीय रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्यान्न के 100 किलोग्राम की दर से अन्न बैंकों की स्थापना करने के लिए 100% एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। इस बैंक के सदस्य जरूरत के समय ऋण ले सकते हैं और फसल के बाद मजदूरी के रूप में आय प्राप्त करके उसे वापस लौटा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। केन्द्रीय योजना समिति (सी.पी.सी.) द्वारा रायगढ़ जिले में 11 ब्लाकों की पहचान की गई है। तथापि, यह सूची मात्र सूचक है विस्तृत नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के लिए 1996-97 से निर्मुक्त निधियों और स्थापित अन्न बैंकों की संख्या निम्नलिखित है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	स्थापित किए जाने वाले अन्न बैंकों की सं.	निर्मुक्त राशि	स्थापित किए जाने वाले अन्न बैंकों की सं.
1996-97	32	20.48	32
1997-98	35	22.40	35
1999-00	197	100.00	117
2000-01	281	181.96	रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।
2001-02	197	100.00	रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।
कुल	742	427.84	184

उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

मरूस्थल जिलों का विकास

4386. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के मरूस्थल जिलों विशेषकर राजस्थान के उन मरूस्थल जिलों जहां ऐसी बहुत अधिक भूमि है तथा कवर्ड है के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान के 40 जिलों के कुल 232 खण्डों में फैले कुल 4.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विलुप्त प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनर्जीवित करके मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करना है और इसे 1.4.1995 से वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रत्येक वाटरशेड परियोजना का औसत आकार 500 हैक्टेयर है। परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व लोगों के गांव स्तर पर अपने संगठन नामत: वाटरशेड संघ/वाटरशेड समिति को सौंपा गया है। इस कार्य के लिए उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। एक वाटरशेड परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

राजस्थान सहित कार्यक्रम वाले राज्यों के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 32.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 6565 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राजस्थान और पूरे देश (राजस्थान सहित) के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		जारी निधियां (करोड़ रुपये में)	
	राजस्थान	सम्पूर्ण देश	राजस्थान	सम्पूर्ण देश
1995-96	841	1693	53.58	101.00
1996-97	00	65	16.40	65.37
1997-98	00	36	34.64	70.01
1998-99	00	400	50.64	79.80
1999-2000	883	1500	39.01	84.99
2000-2001	681	1659	78.54	134.99
2001-2002	509	1212	54.84	102.80
योग	2914	6565	327.65	638.96

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए कारागार बनाने हेतु निधियां

4387. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने, संचार, परिवहन, मरम्मत और महिलाओं के लिए पुराने कारागारों के पुनरूद्धार हेतु 1987 से मार्च 2001 तक राज्यों को 124 करोड़ रुपए जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि के आबंटन के पश्चात् राज्यों में महिला कारागारों के संबंध में वांछित परिणाम हासिल नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को यह धनराशि जिस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई थी उसके लिए इस आबंटित धनराशि का उनके द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार कैदियों के जीवन यापन में सुधार हेतु राज्यों को और धनराशि आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) कारागारों और कैदियों की दशा सुधारने के लिए उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए, कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन सुरक्षा, संचार और परिवहन, पुरानी कारागार इमारतों की मरम्मत तथा नवीकरण, चिकित्सा सुविधाओं, बोर्सटल विद्यालयों के विकास, महिला अपराधियों को सुविधाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कारागार उद्योगों का आधुनिकीकरण और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण इत्यादि तथा वर्ष 1987 से मार्च, 2001 तक दस चुनिंदा राज्यों में उच्च सुरक्षा अहातों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 124.81 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

निधियां रिलीज करने से पहले, पिछले वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियों के उपयोग की स्थिति बताने पर जोर दिया जाता है। हालांकि, सही मायनों में कारागारों को सुधार गृह बनाने के लिए और भी ज्यादा किए जाने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों के साथ बातचीत से यह पता चलता है कि कारागारों और कैदियों की दशा को सुधारने में केन्द्रीय सहायता बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

[हिन्दी]

विनिवेश लक्ष्य

4388. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 और 2001 के बजट हेतु क्या विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किए गये;

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) क्या बाल्को के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य और जुटाई गई धनराशि इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	विनिवेश से प्राप्त धनराशि
2000-01	10,000	1,869
2001-02 (13.12.2001 तक)	12,000	211.52

(ग) अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्राप्तियों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में आर.डब्ल्यू.एस. हेतु भागीदारी योजना

4389. श्री सईदुज्जमा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटियों के क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए एक अच्छी भागीदारी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य दिशा निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन के रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटियों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

4390. श्री रामदास आठवले : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः माह के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन का फैक्टरी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों का राज्यवार वितरण कितना रहा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) खरीफ 2001 (अप्रैल-सितम्बर, 2001) के दौरान पौध-पोषक के रूप में कारखानावार उर्वरक उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. का राज्यवार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह वर्णन करना प्रासंगिक होगा कि पोटाश (के) की संपूर्ण आवश्यकता को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

विवरण-I

खरीफ 2001 (अप्रैल-सितम्बर 2001) के दौरान पौध पोषक के रूप में प्रमुख उर्वरकों के कारखाना-वार ब्यौरे

('000' मी. टन)

क्षेत्र/एककों के नाम	खरीफ 2001 (अप्रैल-सितम्बर, 2001) के दौरान उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3
I. सार्वजनिक क्षेत्र		
एन एफ एल नंगल-I	3.6	-
एन एफ एल नंगल-II	98.8	-
एन एफ एल भटिंडा	105.5	-
एन एफ एल पानीपत	118.2	-
एन एफ एल विजयपुर	194.7	-
एन एफ एल विजयपुर विस्तार	206.9	-
एफ ए सी टी उद्योगमंडल	47.0	24.0
एफ ए सी टी कोचीन-I	10.2	-
एफ ए सी टी कोचीन-II	53.2	53.2
आर सी एफ ट्राम्बे	28.4	28.4
आर सी एफ ट्राम्बे-IV	24.8	24.8
आर सी एफ ट्राम्बे-V	18.1	-
आर सी एफ थाल	326.6	-
एफ सी आई सिंदरी	25.5	-
एच एफ सी नामरूप-III	27.2	-
एम एफ एल चेन्नई	77.5	42.6
एन एल सी नवेली	7.5	-
पी पी एल पारादीप	13.5	34.2
II. सहकारी क्षेत्र		
इफको कलोल	125.3	-
इफको कांदला	143.1	369.5
इफको फूलपुर	109.0	-
इफको फूलपुर विस्तार	224.4	-
इफको ऑनला	182.5	-
इफको ऑवला विस्तार	215.3	-
III. निजी क्षेत्र		
जी एस एफ सी बडोदरा	110.1	29.3
सीएफएल विजाग	62.8	71.9
एसएफसी कोटा	76.4	-

1	2	3
डीआईएल कानपुर	155.9	–
जेडआईएल गोवा	134.7	58.2
एसपीआईसी तूतीकोरीन	135.9	72.7
एमसीएफ मंगलौर	102.4	39.7
ईआईडी पैरी इनोर	17.4	20.9
जीएनएफसी भारूच	177.6	15.4
डीईपीसीएल तालोजा	21.7	21.7
टीएसी तूतीकोरिन	7.8	–
एचएलएल हल्दिया	42.3	119.8
आईजीसीएल जगदीशपुर	209.6	–
आईजीसीएल, दाहेज	20.5	52.5
जीएसएफसी, सिक्का	56.9	126.9
एनएफसीएल काकीनाडा-I	118.7	–
एनएफसीएल काकीनाड़ा-II	134.0	–
जीएफसीएल काकीनाडा	52.7	114.9
सीएफसीएल गडेपन-I	212.1	–
सीएफसीएल गडेपन-II	190.0	–
टीसीएल बबराला	206.6	–
ओसीएफ शाहजहांपुर	192.7	–
ओसीएफ पारादीप	102.7	262.6

विवरण-II

खरीफ 2001 (अप्रैल-सितम्बर, 2001) के दौरान प्रमुख उर्वरकों का राज्यवार वितरण (उपलब्धता)

('000' मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	922.83	314.51	139.40
2.	कर्नाटक	593.91	265.17	156.63
3.	केरल	62.89	8.14	62.63
4.	तमिलनाडु	374.68	116.29	159.03
5.	गुजरात	533.61	261.17	73.91
6.	मध्य प्रदेश	457.52	324.70	32.13
7.	छत्तीसगढ़	327.16	87.94	29.51
8.	महाराष्ट्र	1149.20	256.42	149.33
9.	राजस्थान	557.05	252.45	6.56
10.	गोवा	2.00	0.43	0.45
11.	हरियाणा	721.60	275.70	12.18

1	2	3	4	5
12.	हिमाचल प्रदेश	27.54	-	-
13.	जम्मू एवं कश्मीर	47.23	12.01	1.00
14.	पंजाब	1036.25	470.40	41.99
15.	उत्तर प्रदेश	2753.00	573.09	83.65
16.	उत्तरांचल	124.61	7.57	1.88
17.	दिल्ली	6.91	1.06	-
18.	बिहार	721.07	110.58	37.70
19.	झारखंड	114.18	68.14	1.35
20.	उड़ीसा	400.86	64.96	68.02
21.	प. बंगाल	443.74	133.16	171.58
22.	असम	84.36	22.55	41.16
23.	मणिपुर	31.79	-	-
24.	मेघालय	2.93	1.32	0.04
25.	नागालैंड	0.88	-	-
26.	सिक्किम	0.80	-	-
27.	त्रिपुरा	11.65	0.18	0.85
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.94	-	-
29.	मिजोरम	0.73	-	-
30.	अन्य	11.51	3.00	2.85
	अखिल भारत	11523.43	3630.94	1273.83

[अनुवाद]

केरल में छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

4391. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने लड़के और लड़कियों के लिए मैट्रिक पूर्व होस्टलों के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने लड़कों के छात्रावासों के लिए 22.05 लाख रुपए तथा लड़कियों के छात्रावासों के लिए

14.70 लाख रुपए की राशि के लिए सहायता अनुदान हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव अपूर्ण था तथा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को पूरी सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु योजनाएं

4392. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित उनके शैक्षिक उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद राज्य में आदिवासियों का अब तक कितना विकास हुआ है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएम उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान तथा उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

शैक्षिक उत्थान योजना

(1) जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास

(2) जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास

(3) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

(4) कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

(5) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(6) पुस्तक बैंक

(7) प्रतिभा उन्नयन

(8) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों शैक्षिक परिसर

(9) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदर्श आवासीय स्कूल

(10) इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आवासीय तथा गैर-आवासीय स्कूल

(11) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे छात्रावास

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

(1) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(2) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र

(3) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट में यह देखने में आया है कि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर वर्ष 1981 की तुलना में प्राय: दोगुना हो गया है। राज्यों में योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार/जिला कलेक्टरों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के निरीक्षण से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार योजनाओं से निर्दिष्ट परिणाम निकल रहे हैं।

[हिन्दी]

तहबाजारी का अधिकार रखने वाले लोगों द्वारा किराए का भुगतान

4393. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 1994 से दिल्ली में तहबाजारी का अधिकार रखने वाले लोगों से किराया लिया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में तहबाजारी का अधिकार रखने वाले किराया दे रहे लोगों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत एक वर्ष में तहबाजारी का अधिकार रखने वाले लोगों से किराए की वसूली बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार तहबाजारी प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तहबाजारी प्रणाली को कब से समाप्त किए जाने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

अंटार्कटिका अभियान

4394. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक दलों द्वारा अंटार्कटिका अभियानों को प्रतिबंधित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक चलाए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है और इनके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भारत ने अंटार्कटिक को अब तक सफलतापूर्वक बीस (20) वैज्ञानिक अभियान आयोजित किया है। पहले अट्ठारह अभियान गोवा (भारत) से भेजे गए एवं उन्नीसवां तथा बीसवां अभियान कैपटाउन, दक्षिण अफ्रीका से भेजा गया। इसके वैज्ञानिक, देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं/संगठनों/प्रयोगशालाओं से चुने गए एवं इन्होंने वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूविज्ञान एवं हिमानिकी, भूमंडलीय परिवर्तन अनुसंधान एवं समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन, जीव वैज्ञानिक/पर्यावरणीय विज्ञान एवं समुद्री सजीव संसाधनों, मानव जैविकी/चिकित्सा एवं मनोविज्ञान एवं इंजीनियरी तथा संचार इत्यादि के क्षेत्रों में अंटार्कटिक में प्रयोग किया। अब तक की उपलब्धियां नीचे दी जा रही है:

* भारतीय अंटार्कटिक मिशनों ने भारत की प्रतिष्ठा को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाने में प्रभावाशाली ढंग से योगदान दिया है। इससे, परामर्शी सदस्य के रूप में अंटार्कटिक संधि प्रणाली में दृश्य एवं सक्रिय भूमिका अदा करके अंटार्कटिक में राष्ट्रों के विश्व मंच पर हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

* पूर्वानुमान मानसून तथा जलवायु प्रतिरुपण के लिए अंटार्कटिक का जलवायु वैज्ञानिक सूचना आधार का सृजन। अंटार्कटिक मौसम पूर्वानुमान के लिए सूचना जीटीएस पर प्रेषित की जा रही है।

* किसी देश द्वारा देशी तौर पर निर्मित दिवा-दीप्ती प्रकाशमिति का उपयोग करके अंटार्कटिक में दिन में ध्रुवीय ज्योति का अध्ययन किया गया।

* मुख्य भूमि में पर्यावरण प्राचलों पर अध्ययन के लिए अंटार्कटिक में मोनोस्टेटिक डापलर ध्वनिक सोडार का वाणिज्यिक अनुप्रयोग।

* वोल्थाट पर्वतों में 10,000 वर्ग किलोमीटर के अनावृत्त क्षेत्र से आगे मानचित्रण के जरिए भूवैज्ञानिक सूचना भंडार का निर्माण।

* प्रायद्वीपीय भारत में मेटापेलाईट्स और एनोथसिसाइट्स के एकदम सदृश शैल प्रकारों की खोज। इससे गोंडवानालैंड पुन:निर्माण की झलक मिलती है।

* बैक्टीरिया और खमीर के आणविक और जैव रासायनिक अन्वेषकों से अल्प तापमान झिल्ली क्रियाविधि अनेक नई प्रजातियों की खोज में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है।

* दक्षिणी महासागर के हिन्द महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार रेखा अध्ययन के लिए क्रिल का आरंभिक मूल्यांकन।

* अल्प तापमान परिस्थितियों में कार्बनिक अपशिष्ट जिनका हिमालय में भी पता लगा है, के अवक्रमण के लिए अंटार्कटिक में अल्प तापमान के जीवाणुओं का पृथक्करण।

* मनुष्य की अनुकूली सामर्थ्य और प्रकार्य भण्डार और देश के ठण्डे देशों में इसके अनुप्रयोग को समझने के लिए अंटार्कटिक में एकत्रित चिकित्सीय सूचना भण्डार का प्रयोग।

* अंटार्कटिक में डी.आर.डी.ओ. ने भारतीय केन्द्र मैत्री का स्वदेशी तौर पर अभिकल्पन, निर्माण और संस्थापन किया।

* अंटार्कटिक में प्रयुक्त अल्प तापमान का संरचनात्मक इंजीनियरी सामग्री, शौचालय दाहित्र तथा शरणस्थलों का देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

* मैत्री को ई-मेल, कंप्यूटर अंतरापृष्ट हाईफ्रिक्वेन्सी, संचार और तत्काल वित्त पारेषण के माध्यम से सफलतापूर्वक जोड़कर लंबी दूरी के संचार के विन्डोज को समझना।

* भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हिमबर्फ नौसंचरण, हेलिकाप्टर परिचालक तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में लंबी दूरी के संचार में व्यावसायिक सुविज्ञता प्राप्त की है।

* भारतीय थल सेना ने अंटार्कटिक की अतिशय परिस्थितियों में मशीनरी एवं जीवन सहयोग प्रणालियों के प्रचालनात्मक पहलूओं से संबंधित अद्वितीय कुशलता एवं ज्ञान अर्जित किया है। जो उच्च उच्चता वाले सीमाग्र क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरुप है। इससे उच्च प्रशिक्षण प्राप्त जनशक्ति का निर्माण हुआ है जो हमारी राष्ट्रीय रक्षा जरुरतों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

* मैत्री में निरंतर आधार पर आठ स्थाई वैज्ञानिक वेधशालाएं कार्य कर रही हैं एवं ध्रुवीय वैज्ञानिक आंकड़ा आधार में योगदान दे रही है।

* अटार्कटिक संधि की पर्यावरणीय सुरक्षा प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए, पवन टरबाइन एवं ईंधन सेल्सों जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अंटार्कटिक में प्रयोग किए जा रहे हैं।

* पंद्रह तकनीकी रिपोर्टों, कई पुस्तकों एवं तीन सौ से अधिक वैज्ञानिक पेपरों के प्रकाशन के माध्यम से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना का विस्तृत क्रमविन्यास तैयार किया गया है।

पनधारा विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां

4395. **श्री अरूण कुमार** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी राज्य में क्षेत्रीय विकास और पनधारा पूर्ण उपयोग संबंधी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और समग्र आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग उत्पादकता बढ़ाने तथा भूमि अवक्रमण को रोकने हेतु बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने का कार्य करता है। यह अपने मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत इन कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाएं स्वीकृत करता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं के संबंध में देश में विभिन्न राज्यों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान, आदि राज्यों में काफी उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की गई वाटरशेड विकास परियोजनाओं का आशय उपयुक्त बायोमास, विशेषरूप से जलाऊ लकड़ी और चारे को पैदा करने और भूमि को आगे और अवक्रमित होने से रोकने हेतु बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में सुधार लाना है। इस प्रकार विकास के प्रथम चरण में ऐसी भूमि पर सामान्यत: कृषि उत्पादन करना संभव नहीं है। तथापि विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों से यह देखा गया है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से वाटरशेड क्षेत्रों में या इसके आस-पास रहने वाले ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एन.सी.ई.आर.टी. में विलय

4396. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एन.सी.ई.आर.टी. में विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्यकरण को लेकर कोई लागत-लाभ विश्लेषण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मास्टर प्लान के अनौपचारिक क्षेत्र हेतु प्रावधान

4397. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मास्टर प्लान के अन्तर्गत हाटों के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था नहीं है तो फिर किस योजना द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनौपचारिक क्षेत्र हेतु प्रावधानों को बदला गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): अनौपचारिक सैक्टर के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 के प्रावधान बदले नहीं गए हैं।

मास्टर प्लान के अनुसार, 300 से 400 मकानों सहित प्रति एक लाख आबादी एक या दो स्थानों पर साप्ताहिक बाजार का प्रावधान है और ये स्थान पार्किंग के समीप वाणिज्यिक केन्द्रों में अन्य खुले स्थानों में होंगे। इस प्रावधान के अन्तर्गत हाटों के संबंध में विचार किया जा सकता है।

संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

4398. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को दोबारा से तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को पुनर्गठित करने से पूर्व राज्य सरकारों से उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में परामर्श किया गया था; और

(घ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पुनर्गठित होने के बाद महाराष्ट्र को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जी, हां। विगत में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों और जुलाई, 1998 में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें राज्य सरकारों ने भाग लिया, के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पहले के गरीबी मानदंड पर आधारित राज्यवार आबंटन के सिद्धांत की बजाय "मांग आधारित" दृष्टिकोण पर आधारित है। राज्यों को पहचान किए गए जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं तैयार करनी हैं। कार्यक्रम को समुदाय आधारित और जनकेन्द्रित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। मांग आधारित दृष्टिकोण को जागरुकता पैदा करने और वैकल्पिक डिलेवरी तंत्र वाली मांग को पूरा करने पर बल देते हुए अपनाया जाता है। स्वच्छता को ग्रामीण लोगों द्वारा व्यापक तौर पर स्वीकार किये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक और प्रारंभिक बिन्दु के रूप में शुरू किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को नौवीं योजना अवधि के दौरान पहचान किए गए 200 जिलों में परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) महाराष्ट्र में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और राज्य और केन्द्र के बीच उनकी लागत हिस्सेदारी तथा जारी की गई निधियों का परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महाराष्ट्र में स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

जिला	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	लाभार्थी/ पंचायत अंश	पहली किस्त के रूप में रिलीज केन्द्रीय अंश का 30%
1	2	3	4	5	6
अमरावती	1660.40	1097.65	337.13	225.62	329.30
धुले	1084.55	722.80	220.78	140.97	216.84
नांदेड	1649.46	1064.77	359.37	225.32	319.43
रायगढ़	1262.73	826.82	290.26	145.65	248.05

1	2	3	4	5	6
चन्द्रपुर	2290.14	1098.49	523.53	668.12	329.55
रत्नागिरी	1795.79	877.22	416.58	501.99	263.17
यावतमल	1990.34	935.63	453.99	600.72	280.69
सांगली	978.45	472.93	221.58	283.94	141.88
औरंगाबाद	1341.93	602.24	318.86	420.83	180.67
कुल	14053.79	7698.55	3142.08	3213.16	2309.58

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4399. डा. डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत कई वर्षों से कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष नए संगठन के रूप में लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनके मंत्रालय में गैर-सरकारी संगठन के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं और इन दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की कतिपय योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत पात्र गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को उन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) एन.जी.ओ. से प्रतिवर्ष सहायता-अनुदान की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदनों पर योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार गुणदोषों के आधार पर तथा उनमें अथवा सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) सहायता-अनुदान की मंजूरी के लिए उन एन.जी.ओ. पर विचार किया जाता है जो सहायता-अनुदान के लिए किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। ऐसी सभी योजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दी गयी हैं तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार

4400. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 2001 के दैनिक ''हिन्दुस्तान'' में दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक, विशेषकर लेखा विभाग के विरुद्ध जहां पीरागढ़ी क्षेत्र में 8 लाख के फ्लैट के लिए 12 लाख रुपये वसूल किए जाते थे, क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कई बार निवेदन करने के पश्चात् भी प्राधिकरण द्वारा आबंटियों के 4 लाख रुपये न लौटाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस मामले की जांच कर इसे कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) डीडीए ने जनता से व्यवहार करने वाले विभागों में मामलों के विलम्ब की गहराई में कार्यवाही और जांच प्रारंभ की है। डीडीए द्वारा अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करने, कम्प्यूटरीकरण और ई-गर्वनेंस प्रारम्भ करने और सभी स्तरों पर कड़ाई से सतर्कता का पालन करने के लिए अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। जहां तक पीरागढ़ी में निर्मित फ्लैटों का संबध है। डीडीए ने रिपोर्ट दी है कि वे एसएफएस और एमआईजी पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए गए हैं। संबंधित आवंटियों से परिगणित और वसूल किया जाने वाला अंतिम मूल्य अलग-अलग मामलों में अलग-अलग था जो कि योजना में प्रवेश के वर्ष और समय-समय पर जमा करायी गई राशियों, भूमि दरों में परिवर्तन, निर्माण लागत और ब्याज घटक में वृद्धि पर निर्भर था। सक्षम प्राधिकरण के नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, लागत निर्धारित की जाती है और विक्रय मूल्य से अधिक राशि नहीं ली जाती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

शैक्षिक संस्थाओं का कार्यकरण

4401. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे शैक्षिक संस्थानों/महाविद्यालयों की सूची तैयार की है जो गत तीन वर्षों के दौरान प्रवेश के समय चंदे के रूप में भारी धनराशि ले रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने एवं समाप्त करने हेतु इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने व्यावसायिक कॉलेजों में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क वसूलने संबंधी मानदंड तथा दिशानिर्देश तैयार करने हेतु विनियम अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक संस्थान को राज्य स्तरीय समितियों द्वारा नियत शुल्क के अतिरिक्त छात्रों से कोई अन्य शुल्क, चाहे इसका कोई भी नाम हो, वसूलने हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित उपरिगामी सेतु का निर्माण

4402. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में यातायात पुलिस द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित उपरिगामी सेतु का निर्माण रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे उपरिगामी सेतु की लक्षित समय-सीमा और लागत प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके कार्य को पुनः आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस उपरिगामी सेतु और दिल्ली के अन्य उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य सेतु-वार कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) फ्लाय-ओवर का निर्माण ट्रैफिक पुलिस द्वारा नहीं रोका गया है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में लागू नहीं।

(च) फ्लाय ओवर का नाम	पूर्णता के लिए निर्धारित तिथि
1. सफदरजंग फ्लायओवर (एम्स फ्लायओवर)	31.12.2002
2. एन्ड्रूजगंज फ्लायओवर	31.3.2002
3. मायापुरी फ्लायओवर	30.6.2002
4. धौला कुआँ फ्लायओवर	31.3.2003
5. पंजाबी बाग फ्लायओवर	30.6.2002
6. वजीराबाद रोड-रोड नं.-66	31.3.2002
7. मायापुरी रोड, जेल रोड इंटरसेक्शन	28.2.2002
8. रिंग रोड-रोड नं. 41	28.2.2002
9. विकास मार्ग-रोड नं. 57	31.3.2002
10. एन.एच.-24-बायपास-नोयडा रोड	30.9.2002

इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम के द्वारा जनकपुरी जिला केन्द्र के पास नजफगढ़ रोड और आउटर रिंग रोड के चौराहे पर एक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य चल रहा है। नब्बे प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

बिहार में प्रारंभिक/प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं

4403. **डा. संजय पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में प्रारंभिक/प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई राशि के संबंध में उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

(लाख रुपयों में)

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	2172.10
आपरेशन ब्लैकबोर्ड	5147.33
अध्यापक शिक्षा	1173.30
अनौपचारिक शिक्षा	1102.73

खर्च न की गई शेष राशि के कारणों में परियोजनाओं का कार्यकरण, पठन-पाठन उपस्कर प्राप्त करने में विलंब आदि शामिल हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के मामले में परियोजना अवधि के लिए निधियां जारी की जाती हैं। परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर यदि कोई खर्च न हुई शेष राशि हो, तो उसका उपयोग शेष निरक्षरता को समाप्त करने के लिए किया जाता है।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है और इन परियोजनाओं के समुचित कार्यान्वयन तथा खर्च न हुई शेष राशि के उपयोग किये जाने को सुनिश्चय करने के लिए मॉनीटरिंग में तेजी लाई गई है। जहां कहीं भी खर्च हुआ है वहां उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपाय किए गए हैं।

द्वीप-निवासियों को पहचान-पत्र जारी करना

4404. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन, जिला योजना समिति की सिफारिश के अनुसार, द्वीप-निवासियों को पहचान-पत्र जारी करने हेतु वहां की जनसंख्या का सर्वेक्षण करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो जिला योजना समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। द्वीप-निवासियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु जनसंख्या सर्वेक्षण का कार्य विद्यार्थियों को सौंपने के बारे में जिला योजना समिति की एक बैठक में सुझाव दिया गया था लेकिन समिति ने इस आशय के संबंध में अंततः कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सर्वेक्षण को सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से उसी आधार पर करने का निर्णय लिया है जैसा कि भारतीय जनगणना अभियान, 2001 और संसदीय मतदाता सूचियों के गहन संशोधन के संबंध में किया गया था। सर्वेक्षण अंतिम रूप से फरवरी, 2001 के माह में और इसके संशोधन का दौर मार्च, 2002 में आयोजित किया जाना है।

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

4405. **श्री राजो सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार और झारखंड राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें सुधार की आवश्यकता के सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश में विभिन्न चरणों में शुरू/विस्तारित किया गया था। इस कार्यक्रम का अन्तिम मूल्यांकन परियोजना अवधि की समाप्ति पर ही किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का बिहार और झारखंड राज्यों में चरण-III में विस्तार किया गया जिसकी मार्च, 2003 तक समाप्त होने की संभावना है। इस कार्यक्रम की संयुक्त समीक्षा मिशनों, परियोजना प्रबंध सूचना पद्धति, शैक्षिक प्रबंध सूचना पद्धति, कार्यक्रम प्रभावी अध्ययन, इत्यादि तंत्र के माध्यम से आवधिक रूप में समीक्षा की जाती है। बिहार और झारखंड राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मध्यावधि गहन समीक्षा भी की गई है। समीक्षाएं और किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप नामांकन में विशिष्ट वृद्धि, अध्ययन उपलब्धियों में सुधार, पुनरावृत्ति दरों में कमी, समुदाय भागीदारी में वृद्धि, शिक्षण कक्ष में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार इत्यादि हुआ है। तथापि, समीक्षाएं इस कार्यक्रम के सुधार के लिए संस्वीकृत शिक्षक पदों को भरने, अध्ययन अध्यापन सामग्री की समय पर पूर्ति, ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन, सिविल कार्यों को पूरा करने, राज्य/जिला स्तर के कार्यालय में संस्वीकृत पदों को भरने, इत्यादि की आवश्यकता का सुझाव देती हैं। उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु बिहार और झारखंड की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

[अनुवाद]

खाली पड़े सरकारी आवास

4406. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवनगर, करोलबाग, नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और एक लंबे समय से गिराए जाने की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो आवास कब से खाली पड़े हैं जिससे काफी राजस्व की हानि हो रही है;

(ग) इनको गिराने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन आवासों का दुरूपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने को रोकने और इनकी भवन निर्माण सामग्री की चोरी को भी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) इन आवासों को कब तक गिराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये क्वार्टर्स विगत पांच वर्षों से खाली पड़े हैं। इन्हें गिराने का कार्य इसलिए शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा भू-उपयोग नीति में बदलाव के कारण इस क्षेत्र में नये निर्माण के लिए पुनर्विकास की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। तुरंत नया निर्माण कार्य शुरू किये बिना क्वार्टरों को गिराये जाने से खाली जमीन पर अतिक्रमण हो सकता है।

(घ) निगरानी स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। क्वार्टरों के चारों ओर चहारदीवारी के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिल गयी है और निर्माण-कार्य जल्दी ही शुरू किया जायेगा।

(ङ) क्वार्टरों को छह महीनों के भीतर गिराये जाने की संभावना है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

4407. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री जी.जे. जावीया :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वृद्धों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार द्वारा राजधानी व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को वरिष्ठ नागरिकों का डाटा रखने का निर्देश दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में कितने वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं; और

(च) उनके जीवन की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अकेले रहते हुए पाए

गए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की एक सूची पुलिस स्टेशन-वार तैयार की गई है और उनकी संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए संबंधित बीट स्टाफ को जिम्मेवार बनाया गया है। जहां तक राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का संबंध है, चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए योजनाएं तैयार करें।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक रिट याचिका सं. 723/2000 में थाना प्रभारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का रिकार्ड रखने और उन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा नियुक्त घरेलू नौकरों या घर के काम काज में मदद करने वालों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने के निदेश दिए।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों के अनुसार 30 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 3401 वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते पाए गए।

(च) दिल्ली पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का रिकार्ड रखना, बीट कांस्टेबलों द्वारा प्रायः वरिष्ठ नागरिकों के पास आते-जाते रहना, उनके कल्याण के संबंध में पूछने के लिए डिवीजनल अधिकारी द्वारा समय-समय पर उनके यहां जाते रहना, यदि कोई घरेलू नौकर उन्होंने रखा है तो उसके पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना और उस क्षेत्र के चौकीदार के पूर्ववृत्तों का सत्यापन शामिल हैं।

स्कूल बसों के लिए मार्ग-निदेश

4408. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में स्कूल बसों के लिए जारी किए गए मार्ग-निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने इन सभी मार्ग-निदेशों को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर लापरवाही से बस चालन को देखते हुए भी स्कूलों के निकट स्थित बस-स्टैंडों पर कांस्टेबल नियुक्त नहीं किए हैं;

(ङ) गत वर्ष के दौरान पुलिस ने कुल कितनी स्कूल बसें जब्त कीं; और

(च) सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्ग-निदेशों को लागू करवाने हेतु दिल्ली पुलिस को जारी किए गए मार्ग-निदेशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 1985 का 13029 में 20 नवम्बर, 1997 को दिए गए अपने आदेश में निदेश दिया था कि शैक्षिक संस्थान की या उसके द्वारा किराये पर ली गयी कोई बस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चला सकता है जिसे (क) 10 वर्ष से कम अनुभव हो, (ख) जिसका छोटे यातायात अपराधों के लिए दो से अधिक बार चालान हुआ हो, और (ग) जो तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने संबंधी किसी अपराध का आरोपी हो। आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि स्कूल बस में उपयुक्त रूप से यह लिखा होना चाहिए कि वे एक शैक्षिक संस्थान की और ड्यूटी पर है।

(ख) जी नही, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के खुले और बंद होने के समय के दौरान शहर के विभिन्न भागों में 227 संवेदनशील बस स्टापों पर यातायात पुलिस कार्मिक तैनात किए हैं।

(ङ) पिछले 12 महीनों के दौरान, यातायात नियमों और विनियमनों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 708 स्कूल बसें जब्त किए हैं।

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों को, 1998 में यथासंशोधित दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन

4409 डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु उनका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यक्रम-वार ब्यौरा है; और

(ग) इन कार्यक्रमों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रम को आगे और पुनर्गठित करने का

कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्ति सृजित करने तथा ढांचागत विकास करने के उद्देश्य से दिनांक 25.9.2001 से एक नई योजना अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई है। एस.जी.आर.वाई 1.4.2002 से एक स्वतंत्र योजना की तरह पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई) की वर्तमान योजनाए एस.जी.आर.वाई. के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक स्थानों पर किसी धर्म के संबंध में भाषण पर प्रतिबंध

4410. श्री मोइनुल हसन:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों पर किसी धर्म के संबंध में भाषण देने और उसका प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

टेलीफोन पर तलाक

4411. श्री सुबोध राय:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय को टेलीफोन पर तलाक देने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो महिलाएं दहेज के अपने अधिकार को किस तरह सुनिश्चित करेंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय को टेलीफोन पर तलाक की अनुमति नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत का राजनैतिक मानचित्र

4412. श्री एस. अजय कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में शिक्षा विभाग ने कश्मीर को छोड़कर भारत का राजनैतिक मानचित्र का प्रकाशन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों को आरक्षण

4413. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में विभिन्न स्नातकोत्तर और एम.ए. के बाद के पाठ्यक्रमों में अन्य राज्यों के छात्रों को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मानदण्ड क्या है, इसके क्या कारण है और कुल सीटों में से आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तरह के आरक्षण को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह विश्वविद्यालय भारत के सभी भागों के छात्रों को दाखिला देता है और किसी राज्य विशेष के छात्रों को कोई आरक्षण नहीं देता।

[अनुवाद]

सी और डी प्रपत्रों को जारी करना

4414. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 के द हिन्दुस्तान टाईम्स में "सी एंड डी फॉर्मस फार बिल्डिंग्स नो लांगर रिक्वायर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में लागू समान भवन उपनियमों में हाल में किए गए संशोधनों में "सी" और "डी" प्रपत्रों को जारी करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है, जिसे भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का कारण समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सतर्कता विभाग को सी और डी प्रपत्रों की जांच आरंभ करने का आदेश दिया है जिन्हें अवैध निर्माण के लिए रोहिणी और द्वारका में बड़ी संख्या में कथित रूप से जारी किया गया है;

(च) यदि हां, तो उन भवनों/भवन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों को अवैध पाया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 21.11.2001 की भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना द्वारा एकीकृत भवन उपनियम, 1983 में संशोधन किया है तथा फार्म "सी" एवं फार्म "डी" को अप्रयोज्य बना दिया है। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इसके उपाध्यक्ष ने सतर्कता विभाग को उन मामलों में यादृच्छिक निरीक्षण करने का आदेश दिया है जिनमें "डी" फार्म जारी किए गये हैं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ध्यान में आये विचलन समाधेय प्रकृति के थे और स्वीकृत योजना से अलग कोई बड़ा विचलन ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (2)
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

का.आ. 1154 (अ) - दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित संशोधन/उपान्तरण किए जाते हैं।

अत: इस बारे में भवन उप-नियम 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखित जिन संशोधनों/उपान्तरणों का प्रस्ताव था उन्हें दिनांक 30 अगस्त, 2001 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था। कुल मिलाकर 19 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता के तहत एक समिति द्वारा उनकी जांच की गई।

अत: रिपोर्ट को पूरी जांच करने के बाद केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय लिया है:

अत: अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन-उप-नियम 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करती है।

उपान्तरण

(1) खण्ड 7.2.2 में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

"परिशिष्ट - ग, फार्म ग (भवन उप-नियम- 7.2.2) लागू नहीं होगा। तथापि कुरसी स्तर तक कार्य पूरा होने पर भवन स्वामी अपने वास्तुक/इंजीनियर/पर्यवेक्षक के जरिए परिशिष्ट ख-1 के अनुसार प्रपत्र (प्रति संलग्न) में स्थानीय निकायों को सूचित करेगा ताकि स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकें कि कार्य स्वीकृत भवन योजना और भवन उप-नियमों के अनुरूप है। स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ऐसी सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर कार्य का निरीक्षण करें और प्रपत्र ख-2 में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, भवन स्वामी और वास्तुक/इंजीनियर को भेजे। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि निर्माण कार्य जारी रखने की स्वीकृति है। भवन का और आगे निर्माण कार्य स्वीकृत भवन योजना के अनुसार हो, यह सुनिश्चित करना भवन स्वामी/वास्तुक/पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है।"

(2) खण्ड 7.2.3 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"प्रपत्र - घ (उप-नियम 7.2.3) लागू नहीं होगा।"

(3) खण्ड 7.2.4 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

''यह लागू नहीं होगा।''

(4) खण्ड 7.5.2 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

क्र.सं. 9 भूमिगत नाली, सफाई और जल आपूर्ति कार्य को अपने पर्यवेक्षण के अधीन और भवन उप-नियमों और स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ढकने के लिए यथा लागू परिशिष्ठ ख-3 (प्रतिलिपि संलग्न) में यथा निर्धारित भवन स्वामी यथा वास्तुक/पर्यवेक्षक अथवा इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र।

क्र.सं. 10 बड़े कैम्पस/परिसर के मामले में, एकल ब्लाक/भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय द्वारा, चरण वार पूर्ण किए गए कार्य के अनुसार परिशिष्ट ख-3 प्रपत्र में जारी किया जएगा।

क्र.सं. 11 पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने की तारीख तक समय बढ़ाना । विचलन, जिसे संयोजित न किया जा सकता हो, के कारण पूर्णता प्रमाण-पत्र न दिए जाने के मामले में पूर्णता रद्द की जाएगी और तदनुसार समय बढ़ाना अपेक्षित होगा।

क्र.सं. 12 नियमित जल आपूर्ति और बिजली के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पूर्णता प्रमाण-पत्र हासिल करने के बाद ही जारी किया जाए।

(फा.सं. एन- 11011/9/98- डीडी-4 (भाग)/डीडी आई बी)

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-ख-1

(उप नियम सं. 7.2.2)

कुरसी (प्लिंथ) स्तर तक कार्य के पूर्ण जो जाने की सूचना।

सेवा में,

....

....................प्राधिकरण,

नई दिल्ली।

महोदय,

मेरे पर्यवेक्षण में और संस्वीकृत प्लान के अनुसार भवन सं. .... प्लाट सं. .... स्कीम सं. .... सड़क/स्ट्रीक - वार्ड .... में आपकी अनुमति सं. के अनुसार कुरसी (प्लिंथ) स्तर तक कुरसी (प्लिंथ)/कॉलम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

भवदीय,

लाइसेंस प्राप्त वास्तुविद्/इंजीनियर/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम ....

(बड़े (ब्लाक) अक्षरों में

पता ....

....

दिनांक ....

परिशिष्ट-ख-2

(उप नियम सं. 7.2.2)

निरीक्षण रिपोर्ट

मैं. .... के पद पर कार्यरत .... के साथ अनुमति सं. .... दिनांकित के अनुसार भवन सं. .... प्लाट सं. .... योजना सं. .... सड़क/क्षेत्र .... वार्ड .... का निरीक्षण किया। संस्वीकृत योजना से अलग निम्नलिखित विचलन ध्यान में आये हैं जो मास्टर योजना/उप-विधि की शर्तों के विरुद्ध है और असमाधेय (नॉन-कम्पाउन्डेवल) प्रकृति के है।

उल्लेखनीय विचलनों का विवरण

....

जब तक विचलनों में सुधार नहीं कर लिया जाता और निर्माण संस्वीकृत योजना के अनुरूप नहीं हो जाता तब तक आप कार्य को आगे न बढ़ायें।

भवदीय,

कृते ....

....

सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय सं. ....

कार्यलय मोहर ....

दिनांक ....

परिशिष्ट-ख-3

(उप नियम सं. 7.5.2)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,	आयुक्त,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,	दिल्ली नगर निगम,
नई दिल्ली	दिल्ली

महोदय,

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि................................ स्कीम के ब्लाक सं. भूखंड सं.................. में/पर भवन सं.................... में/पर निर्माण/पुनर्निर्माण या सामग्री परिवर्तन का हमने पर्यवेक्षण किया है और कार्यालय के दिनांक के पत्रांक................... के तहत स्वीकृत योजना के अनुसार दिनांक....................... को यह पूरा हो गया है। कार्य, हमारी संतुष्टि व कार्य कौशल के अनुसार पूरा हुआ है और समस्त सामग्री (टाइप व ग्रेड) सामान्य और विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार ही उपयोग में लाई गई है। सभी जल निकासी/सफाई/जल आपूर्ति कार्य, हमारे पर्यवेक्षण में तथा भवन उप-नियमों/स्वीकृत योजना के अनुसार निष्पादित हुए हैं। कार्य के दौरान भवन उप-नियमों के किसी भी उपबंध, निर्धारित शर्तों अथवा उनके तहत जारी आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। भवन उस उपयोग के लिए तैयार है, जिसके लिए इसका निर्माण/पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन/विस्तार किया गया है।

2. प्रमाण-पत्र

(1) प्रमाणित किया जाता है कि भवन का निर्माण, स्वीकृत योजना तथा संरचनात्मक डिजाइन (निष्पादित संरचनात्मक नक्शों का एक सेट संलग्न है), जिसमें संगत प्रचलित आईएस कोड़ों/मानकों/दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के उपबंध सम्मिलित हैं, के अनुसार किया गया है।

(2) आगे प्रमाणित किया जाता है कि जल एकत्रण के साथ-साथ गंदे पानी की पुनर्शोधन प्रणाली की, स्वीकृत भवन योजना के अनुसार व्यवस्था की गई है।

(3) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण, हमारे पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में और प्रस्तुत किए गए नक्शों के अनुसार किया गया है तथा हमने पर्यवेक्षण के अभिलेखों का रखरखाव किया है।

3. भवन के अधिभोग अथवा उपयोग की अनुमति दी जाए।

4. समापन नक्शों से कोई परवर्ती परिवर्तन करने पर मकान मालिक जिम्मेदार होगा।

(क) मकान मालिक के हस्ताक्षर (तारीख सहित) बड़े अक्षरों में नाम पता	(ख) वास्तुकार के हस्ताक्षर (तारीख सहित) बड़े अक्षरों में नाम पता
(ग) संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर (तारीख सहित (प्रमाणपत्र (1) के लिए) (एनबीसी ऑफ इंडिया में यथा परिभाषित) बड़े अक्षरों में नाम पता	(घ) पर्यवेक्षक/ग्रुप/इंजीनियर के हस्ताक्षर (तारीख सहित) बड़े अक्षरों में नाम, लाईसेंस नं. पता

समापन-सह-अधिभोग-पत्र

आपकी दिनांक.................... की समापन सूचना के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि स्कीम .... ब्लांक सं भूखंड सं.................. की प्रणाणित योजना के अनुसार भवन, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और जिसकी योजना पत्रांक................................ के तहत स्वीकृत की गई थी, का संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, अन्दर व आस पड़ोस में स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी भवन उप-नियमों के संदर्भ में निरीक्षण किया गया है और अधिभोग के लिए तथा नियमित पानी व बिजली कनेक्शन जारी किए जाने के लिए तैयार है। पूरे हुए निर्माण कार्य का विवरण इस प्रकार है:-

ब्लाक वार/भवन वार निर्माण कार्य का विवरण

1. ब्लाक/भवन सं.

2. पूरे हुए कार्य का तल वार ब्यौरा

कृते

(1) उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
अथवा

(2) आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम

विस्तारणीय आवास योजना, 1996

4415. श्री अधीर चौधरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की विस्तारणीय आवास योजना (ई.एच.एस.), 1996 के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, और आबंटितियों की श्रेणीवार और क्षेत्रवार संख्या क्या है:

(ख) इस योजना की घोषणा के समय फ्लैटों की निर्धारित लागत क्या थी और आबंटितियों द्वारा डी.डी.ए. को वस्तुत: कितनी धनराशि जमा करना आवश्यक था और रोहिणी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में उनकी वृद्धि के श्रेणीवार और क्षेत्रवार कारण क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए. ने उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटितियों द्वारा महीनों अथवा वर्षों से पहले कब्जा प्राप्त कर लेने के बाद इस योजना के अन्तर्गत पिछले 3-4 वर्षों से अपने आबंटितियों से "सेवा प्रभार" में प्रभारित किया है अथवा प्रभावित करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तिथि तक डी.डी.ए. द्वारा "सेवा प्रभार" के रूप में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है;

(च) इस योजना के अन्तर्गत डी.डी.ए. के विरुद्ध आबंटितियों द्वारा दायर मुकदमों/मामलों का ब्यौरा क्या है और इन मामलों/ शिकायतों/मुकदमों की प्रकृति/ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इसके मद्देनजर सरकार का विचार सेवा प्रभार के रूप में आबंटितियों द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि विस्तारणीय आवास स्कीम (ईएचएस) 1996 के अन्तर्गत प्राप्त 57,623 पात्र आवेदनों में से 8405 आवेदकों को आबंटन दिया गया। श्रेणीवार और क्षेत्रवार ब्यौरे इस प्रकार है:-

क्षेत्र	टाइप ए	टाइप-बी	कुल
द्वारका	2144	348	2492
कोंडली घरोली	587	-	7587
रोहिणी	1890	-	1890
नरेला	2162	1274	3436
कुल	6783	1622	8405

(ख) ब्रॉशर में दी गई अनुमानित लागत तथा आबंटियों से ली जाने वाली लागत विवरण में दी गई है (विवरण) तथा डीडीए नीति के अनुसार मांग सह आबंटन पत्र जारी करते समय तथा लागू लागत दी जाती है।

(ग) और (घ) ब्रॉशर की शर्त सं. 18 के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि डीडीए (आवास संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियमन, 1968 में यथा उल्लेख अनुसार सेवा प्रभारों का भुगतान आबंटी द्वारा किया जाना है। सेवा प्रभार की दर जो भूमि प्रीमियम का 2.5% प्रतिवर्ष है, आबंटी से तब तक वसूल की जानी है जब तक सड़कों का रखरखाव, जल आपूर्ति, जल निकासी स्ट्रीक लाइट आदि जैसी सेवाएं डीडीए के पास रहती है।

(ङ) डीडीए ने सूचित किया है कि सभी स्कीमों के संबंध में प्रभार प्राधिकरण के एकाउंट में "सेवा प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत एक साथ दर्ज किए जाते हैं। विस्तारणीय आवास स्कीम फ्लैटों के लिए अलग से बुकिंग नहीं की जाती हैं।

(च) डीडीए ने सूचित किया है कि रोहिणी में विस्तारणीय आवास स्कीम फ्लैटों के कुछ आबंटियों ने बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उच्च न्यायालय में वाद फाइल किया है।

(छ) जी नहीं।

(ज) और (झ) उपर्युक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निपटान लागत का विवरण—विस्तारणीय आवास स्कीम-1996 मई 1997 की स्थिति अनुसार

टाइप-ए

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब्रॉसर अनुसार अनुमानित निपटान लागत	अंतिम/चालू निपटान लागत
1	2	3	4
1.	नरेला, सेक्टर बी-4 ग्रेड-1 पॉकिट-6 में 330 (ईयू)	410900/-रु.	430900/-
	एलआई (इक्रीमेंट फ्लैटों) का निर्माण (एमयू)		421600/-
2.	नरेला, सेक्टर ए-6,ग्रेड-II पॉकिट-1 में 330 (ईयू)	410900/-रु.	430900/-
	एलआई (इक्रीमेंटल फ्लैटों) का निर्माण (एमयू)		421600/-
3.	नरेला, संक्टर बी-4,ग्रेड-II पॉकिट-6 में 330 (ईयू) एलआई (इक्रीमेंटल फ्लैटों) का निर्माण (एमयू)	410900/-रु.	430900/- 421600/-
4.	नरेला, सेक्टर ए-6,ग्रेड-I पॉकिट-1 में 330 (ईयू) एलआई (इक्रीमेंटल फ्लैटों) का निर्माण (एमयू)	410900/-रु.	430900/- 421600/-
5.	नरेला, सेक्टर ए-6,ग्रेड-I व II पॉकिट-7 में 330 (ईयू) एलआईजी (इक्रीमेंटल फ्लैटों) का निर्माण (एमयू)	315600/-रु.	331100/- 322800/-
6.	द्वारका फेज-I सेक्टर-2 पॉकिट-2 में 106 एलआईजी (इंक्री.) फ्लैटों का निर्माण	413500/-रु.	425800/-
7.	द्वारका, गांव नसीरपुर पॉकिट-10 में 224 एलआईजी (इंक्री.) फ्लैटों का निर्माण	209300/-रु.	215100/-
8.	द्वारका, बिन्दापुर ब्लॉक ए से एफ, पॉकिट-3 में 2531 एलआईजी (इंक्री.) फ्लैटों का निर्माण	251400/-	258600/-
9.	द्वारका, सेक्टर-19ए पॉकिट-3 में 342 एलआईजी (इंक्री.) मकानों का निर्माण	384100/-रु.	395900/-
10.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-22 पॉकिट-12, में 176 एलआईजी (इंक्री.) मकान	373100/-रु.	390900/-रु.
11.	रोहिणी फेज-3 सेक्टर-22 पॉकिट-16, में 134/136 एलआईजी (इंक्री.)	366600/- रु.	385400/- रु.
12.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-22 पॉकिट-17, में 136 एलआईजी (इंक्री.)	366600/- रु.	383400/- रु.
13.	रोहिणी, सेक्टर-22, पॉकिट-16ए, में 136 एलआईजी (इंक्री) फ्लैट	366600/- रु.	383400/- रु.
14.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-25 पॉकिट-8, में 125 एलआईजी (इंक्री).	370000/- रु.	410300/- रु.
15.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-25 पॉकिट-9, में 125 एलआईजी (इंक्री.)	387700/- रु.	405800/- रु.
16.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर 22 पॉकिट-15, में 176 एलआईजी (वि.टा.-ए)	-	390400/- रु.

1	2	3	4
17.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-25 पॉकिट-1, में 186 एलआईजी (इंक्री.) मकानों का निर्माण	371300/- रु.	388100/- रु.
18.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-22 पॉकिट-12, में 176 एलआईजी (इंक्री.)	–	390400/- रु.
19.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-24 पॉकिट-1, में 176 एलआईजी (इंक्री.) वि.टा.-ए	347300/- रु.	390400/- रु.
20.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-24 पॉकिट-13, में 176 एलआईजी (इंक्री.)	347300/- रु.	390400/- रु.
21.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-24 पॉकिट-26, में 144 एलआईजी (इंक्री.) फ्लैट	342400/- रु.	385400/- रु.
22.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-24 पॉकिट-10, में 176 एलआईजी (इंक्री.) वि.टा.-ए	347300/- रु.	384000/- रु.
23.	रोहिणी, फेज-3 सेक्टर-21 पॉकिट-4 में 240 एलआईजी (इंक्री.) फ्लैट	367300/- रु.	194100/- रु.
24.	कोंडली घरोली, ग्रेड-2 पॉकिट-2, 342 (वि.टा.-ए) ईडब्ल्यूएस	150900/- रु.	265800/- रु.
24ए.	कोंडली घरोली, ग्रेड-2 पॉकिट-2, 128 (वि.टा.-ए)	243100/- रु.	192100/- रु.
25.	कोंडली घरोली, ग्रेड-1 पॉकिट-4, 234 (वि.टा.-ए) ईडब्ल्यूएस	149500/- रु.	263200/- रु.
25ए.	कोंडली घरोली, ग्रेड-2 पॉकिट-4, 88 (वि.टा.-ए) ईडब्ल्यूएस	240800/- रु.	579600/- रु.
			566500/- रु.
टाइप-बी			
26.	नरेला, सेक्टर-ए-5, ग्रेड-1 व 2 पॉकिट 6 में (ईयू)	572300/-	579600/- रु.
	672/651 एमआईजी (इंक्रि) (एमयू)	–	566500/- रु.
27.	नरेला, सेक्टर-बी-4, ग्रेड-1 पॉकिट-1 व 3 में (ईयू)	573600/- रु.	581200/- रु.
	336 एमआईजी (इंक्रि) (एमयू)	–	568100/- रु.
28.	नरेला सेक्टर-बी-4, ग्रेड-2 पॉकिट-1 में (ईयू)	574600/- रु.	582200/- रु.
	336/324 एमआईजी (इंक्रि) (एमयू)	–	569100/- रु.
29.	द्वारका, बिन्दापुर ब्लॉक ए से एफ, पॉकिट 3 में 376 एमआईजी (इंक्रि) मकान	564400/- रु.	566200/- रु.
30.	नसीरपुर गांव के निकट पॉकिट-10 में 55 एमआईजी (इंक्रि) मकान	537400/- रु.	538700/- रु.
31.	द्वारका सेक्टर-19 ए पॉकिट-3 में 225 एमआईजी (इंक्रि) मकान	476200/- रु.	562300/- रु.

दिल्ली में संस्थानों को भूमि का आबंटन

4416. श्री टीएच. चाओबा सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में संस्थानों के लिए भूमि के आबंटन हेतु पात्रता और सोसाइटी की अनिवार्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसी सोसायटी के लिए आबंटन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निर्धारित विशिष्ट अनिवार्य अभिलक्षण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सोसायटी की पात्रता और अनिवार्यता की जांच करता है यदि आबंटन के लिए पात्रता/अनिवार्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं और सोसायटी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें क्या हैं;

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण संस्थानों के लिए भूमि का आबंटन तभी करता है यदि यह उपलब्ध हो और प्रायोजन की तिथि से सोसायटी की वरीयता पर आधारित हो;

(च) यदि हां, तो उन सोसायटियों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 2001 के पश्चात सरकार की सिफारिशें/प्रयोजन प्राप्त किए गए थे और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा सिफारिश की गई भूमि की सीमा, क्षेत्र कितना है और उन सोसायटियों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में 1 जनवरी, 2001 के पश्चात प्राप्त की गई सरकार की सिफारिशें आवंटन हेतु लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या ये मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली में किसी भी संस्था की संस्थानक भूमि का आवंटन भूमि और विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और भूमि की उपलब्धता, संस्था की पात्रता और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित आवश्यकता शर्तों को पूरा करने वाली सोसायटी/संस्था संस्थानिक आवंटन के लिए पात्र है:-

1. यह दिल्ली की आबादी के हितों का सीधा ध्यान रखती हो।
2. यह सोसायटी अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसायटी हो अथवा ऐसी कोई संस्था जिसका स्वामित्व सरकार के किसी स्थानीय निकाय के पास हो और उसी के द्वारा संचालित की जाती हो अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन गठित या स्थापित की गई हो।
3. यह लाभ कमाने वाली संस्था के स्वरूप में न हो।
4. इसके पास भूमि की लागत को पूरा करने और अपने उपयोग के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन हों।
5. ऐसी संस्था को आबंटन का प्रयोजन या सिफारिशें दिल्ली प्रशासन के किसी विभाग अथवा केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा किया गया हो।

(ग) अपेक्षितच औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आबंटित की जाने वाली भूमि की पहचान की जाती है और उसे डीडीए की संस्थानिक आवंटन समिति (आईएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आईएसी की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को आवंटन के लिए भूमि आवंटन पर विचार किया जाता है।

(घ) (ख) में यथा उल्लिखित।

(ङ) से (ज) संस्थानिक उद्देश्यों के लिए भूमि का आवंटन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब कभी भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किसी संस्था को आवंटन का मामला भेजा जाता है, तब संबंधित संस्था को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन देना और अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करना अपेक्षित होता है। अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर भूमि की पहचान और उपलब्धता के लिए मामले में कार्यवाही की जाती है।

अकेले सरकार के प्रयोजन से कोई संस्था भूमि के आवंटन के लिए पात्र नहीं हो जाती है, इसलिए डीडीए द्वारा सिफारिशों/प्रायोजन का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

संगठित अपराधों से निपटने हेतु विधान

4417. **श्री बृजलाल खाबरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में संगठित अपराधों को रोकने के लिए केन्द्रीय विधान बनाने हेतु पुलिस और आसूचना महानिदेशकों ने केन्द्र सरकार को एक मसौदा भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मसौदे की जांच के बाद किसी नये विधान का प्रारूप तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विधान में किन नये उपबंधों को शामिल किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत सरकार ने कुछेक ऐसे विशिष्ट गंभीर अपराधों जिनका अन्तर्राष्ट्रीय और/या राष्ट्र व्यापी शाखा-विस्तारण है से निपटने के लिए एक फैडरल एजेन्सी गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है। इस प्रस्ताव में अन्तर्ग्रस्त कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक प्रबंधों को देखते हुए इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा बताना कठिन है।

हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय

4418. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर नवोदय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दे दिए जाने के बावजूद वहां स्कूल नहीं खोले जा सके हैं;

(ख) ऐसे स्कूलों को न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) अभी तक संस्वीकृत सभी जवाहर नवोदय विद्यालय इस समय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

न्यायालयों में आतंकवादियों से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई

4419. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालयों में आतंकवादियों से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई करने और उन्हे आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे अधिकतम दण्ड दिलवाने का है; और

(ख) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) आतंकवाद को रोकने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रख्यापित आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 में इस अध्यादेश 2001 में इस अध्यादेश के तहत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की व्यवस्था है। किए गए अपराध की गंभीरता के मद्देनजर इस अध्यादेश के तहत दंड के विभिन्न पैमान (आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड सहित) निर्धारित किए गए हैं।

सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

शिक्षा नीति

4420. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री वैको:
डा. सी. कृष्णन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें शिक्षा नीति को तैयार और कार्यान्वित करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नवीन/संशोधित शिक्षा नीति को लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, 1992 में यथासंशोधित, शिक्षा पद्धति के समग्र क्षेत्रों की गहन समीक्षा पर आधारित और इसे राष्ट्र व्यापी विस्तृत चर्चा तथा राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, सम्पादकों, अभिभावकों, शिक्षकों और इनमें रुचि लेने वाले अन्य समूहों के साथ विस्तृत परामर्श करके तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पहलुओं पर समीक्षा करना जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, तब राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'नो मेन्स लैंड' क्षेत्र में वृद्धि करना

4421. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर की सीमा पर बाढ़ लगाना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में, जहां बाढ़ लगाया जाना संभव नहीं है, नो मेन्स लैंड में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नो मेन्स लैंड क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव बस सीमा सुरक्षा के लिए है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संसद भवन और संसदीय सौध के आस-पास भारी यातायात

4422. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद भवन और संसदीय सौध के आप-पास भारी यातायात होने के कारण संसद भवन में आतंकवादी हमले की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) संसद भवन के बाहर संसद मार्ग पर अपेक्षाकृत भारी यातायात रहता है जिससे सुरक्षा को कुछ खतरा बना रहता है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने इस क्षेत्र में अतिरिक्त पी.सी.आर. वैनें तैनात कर दी है और पैदल तथा मोबाइल गश्त गहन कर दी है। इसके अलावा, समस्त सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कट्टरपंथी संगठनों के लिए धन

4423. श्री किरीट सोमैया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारजाह में खेले जाने वाले मैचों पर लगाए जाने वाले सट्टे संबंधी धनराशि को सीमी (एस.आई.एम.आई.) और अन्य प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठनों को प्रदान किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई पुलिस के पास इस संबंध में प्रमाण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसमें लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

तमिलनाडु में एन.सी.टी.ई.

4424. श्री सु. तिरूनावुकरसर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में एन..सी.टी.ई. द्वारा अब तक कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) राज्य में सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/बी.एड. कॉलेजों की सूची क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों अथवा बी.एड. डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से बड़ी धनराशि की मांग करने

की इन संस्थानों की आम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने/समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 111 संस्थान हैं।

(ख) यह सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संस्थानों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षण और अन्य शुल्क लिया जाता है। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मान्यता-प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शिक्षण और अन्य शुल्क को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

रसायनों और उर्वरकों की आपूर्ति

4425. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूरिया और कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन, मांग और आपूर्ति के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड से यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मासिक आपूर्ति की जा रही है तथा उन्हें प्रतिमास कितने मूल्य के उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) नियत्रित उर्वरक होने के नाते यूरिया की मांग का आकलन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किया जाता है जबकि नियंत्रणमुक्त उर्वरक होने के नाते सीएएन की मांग और उत्पादन बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हैं और इसकी राज्यवार मांग का कोई औपचारिक आकलन नहीं किया जा रहा है। खरीफ 2001 के दौरान देश में यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का राज्यवार उत्पादन, यूरिया की मांग और आपूर्ति संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) सामान्यत: एनएफएल द्वारा यूरिया और सीएएन की बिक्री निजी डीलरों और राज्य सरकारों की संस्थागत ऐजेन्सियों के माध्यम से की जाती है और अन्य निर्माता उर्वरक कंपनियों को बिक्री नहीं की जाती। तथापि, अपवादिक स्थितियों में वह सरकार की विशिष्ट अनुमति से मिश्रित उर्वरक निर्माताओं को यूरिया की बिक्री करते हैं।

खरीफ 2001 (अप्रैल-सितम्बर 2001) के दौरान यूरिया तथा सीएएन की राज्यवार आपूर्ति तथा मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गये हैं।

विवरण-I

('000' मी. टन)

राज्य	उत्पाद	खरीफ, 2001 (अप्रैल-सितम्बर 2001)		
		उत्पादन	आकलित आवश्यक मांग	उपलब्धता
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	यूरिया	549.4	1050.00*	922.83
कर्नाटक	यूरिया	189.0	680.00*	593.91
केरल	यूरिया	22.2	65.00*	62.89
तमिलनाडु	यूरिया	319.4	370.00	374.68
गुजरात	यूरिया	1585.9	510.00	533.61
	सीएएन	72.1	–	–
मध्य प्रदेश	यूरिया	873.0	380.00	457.52

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	यूरिया	–	250.00	327.16
महाराष्ट्र	यूरिया	749.3	1180.00*	1149.20
राजस्थान	यूरिया	1040.2	450.00	557.05
गोवा	यूरिया	208.2	1.50	2.00
हरियाणा	यूरिया	256.9	580.0	721.60
हिमाचल प्रदेश	यूरिया	–	30.00	27.54
जम्मू और कश्मीर	यूरिया	–	64.00*	47.23
पंजाब	यूरिया	444.2	1000.00	1036.25
	सीएएन	14.3	–	–
उत्तर प्रदेश	यूरिया	3252.2	2150.00	2753.00
उत्तरांचल	यूरिया	–	107.00	124.61
दिल्ली	यूरिया	–	5.00	6.91
बिहार	यूरिया	0.0	650.00	721.07
झारखंड	यूरिया	55.5	80.00	114.18
उड़ीसा	यूरिया	0.0	360.00	400.86
	सीएएन	0.0	–	–
पश्चिम बंगाल	यूरिया	0.0	470.00*	443.74
असम	यूरिया	59.2	73.00	84.36
मणिपुर	यूरिया	–	31.00	31.79
मेघालय	यूरिया	–	3.00	2.93
नागालैंड	यूरिया	–	0.40	0.88
सिक्किम	यूरिया	–	0.60	0.80
त्रिपुरा	यूरिया	–	9.70	11.65
अरूणाचल प्रदेश	यूरिया	–	0.30	0.94
मिजोरम	यूरिया	–	0.60	0.73
अन्य	यूरिया	–	10.45	11.51
अखिल भारत		9604.6	10561.55	11523.43

*तथापि सूखा के कारण मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2.50 लाख मी. टन, कर्नाटक द्वारा 1.66 लाख मी. टन, केरल द्वारा 0.10 लाख मी. टन, तमिलनाडु द्वारा 0.10 लाख मी. टन, महाराष्ट्र द्वारा 1.00 लाख मी. टन, जम्मू तथा कश्मीर द्वारा 0.26 लाख मी. टन और पश्चिम बंगाल द्वारा 0.50 लाख मी. टन यूरिया का त्याग किया गया था।

विवरण-II

यूरिया तथा कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन) की आपूर्ति के राज्यवार/माहवार ब्यौरे और इनका मूल्य

(अप्रैल-सितम्बर 2001)

राज्य	मात्रा (मी. टन) मूल्य (रु. लाख)	यूरिया						
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	-वही-	27194	77207	100146	77123	60935	64987	407592
		1129	3127	4056	3123	2468	2632	16535
हरियाणा	-वही-	11232	24280	52576	35411	13000	655	137154
		461	983	2192	1477	533	26	5672
हिमाचल प्रदेश	-वही-	10	5520	5001	2460	0	0	12991
		0	243	220	108	0	0	572
जम्मू तथा कश्मीर	-वही-	1462	4101	4400	3906	1964	204	16037
		60	168	180	160	81	8	658
चंडीगढ़	-वही-	0	0	0	0	0	300	300
		0	0	0	0	0	12	12
दिल्ली	-वही-	0	33	180	51	0	0	264
		0	1	7	2	0	0	11
राजस्थान	-वही-	2721	10634	16445	10003	18359	10024	68186
		114	444	693	427	783	420	2881
उत्तर प्रदेश	-वही-	11071	50491	32200	25663	51313	260	170998
		475	2139	1368	1119	2313	12	7425
बिहार	-वही-	2068	666	15275	29055	14450	26502	88016
		85	27	612	1183	628	1132	3666
उत्तरांचल	-वही-	500	1991	234	2400	2917	1958	10000
		21	84	10	105	131	88	440
झारखंड	-वही-	0	1442	4012	1762	2449	2673	12338
		0	59	161	72	106	114	512
मध्य प्रदेश	-वही-	234	1383	23770	70656	29025	28754	153822
		11	62	1070	3181	1307	1295	6925

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	-वही-	250	3822	23143	78317	42018	27669	175219
		11	173	1047	3541	1900	1251	7923
महाराष्ट्र	-वही-	3738	5500	11050	36757	8025	3488	68558
		157	231	464	1590	347	148	2938
उड़ीसा	-वही-	797	3179	4913	22207	10223	11546	52865
		32	129	203	921	430	482	2196
आंध्र प्रदेश	-वही-	4171	6132	7499	4010	10955	12470	45237
		169	267	313	176	498	555	1977
तमिलनाडु	-वही-	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	-वही-	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
योग	-वही-	65448	196381	300844	399781	265633	191490	1419577
		2724	8138	12596	17186	11525	8174	60343
जुआरी इंड. लि.	-वही-	0.00	9047.80	11666.40	2324.00	4665.60	9333.60	37037.40
		0.00	526.47	678.84	135.23	271.48	543.10	2155.11
कोरोमंडल फर्टि. लि.	-वही-	0.00	0.00	16340.00	4665.60	0.00	0.00	21005.60
		0.00	0.00	980.41	279.94	0.00	0.00	1260.35

*खरीफ के दौरान मै. जैड आई एल तथा मै. सी एफ एल को यूरिया की बिक्री उनके मिश्रित उर्वरक निर्माता एककों हेतु की गई है।

राज्य	कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट						
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	योग
1	10	11	12	13	14	15	16
पंजाब	462	2	-	240	230	1178	2142
	24	0	-	16	15	77	134
हरियाणा	1417	0	-	1677	1196	65	4914
	74	0	29	114	81	4	302

1	10	11	12	13	14	15	16
हिमाचल प्रदेश	370	0	310	4010	240	0	4930
	19	0	16	251	15	0	300
जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	52	0	0	0	13	13	78
	3	0	0	0	1	1	4
राजस्थान	0	0	0	0	0	1356	1356
	0	0	0	0	0	95	95
उत्तर प्रदेश	0	0	347	0	0	0	347
	0	0	19	0	0	0	19
बिहार	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	160	60	0	0	0	0	220
	9	4	0	0	0	0	13

1	10	11	12	13	14	15	16
तमिलनाडु	39	0	0	0	0	0	39
	2	0	0	0	0	0	2
कर्नाटक	137	80	23	0	0	0	240
	9	5	1	0	0	0	15
योग	2637	142	1269	5927	1679	2612	14266
	140	9	66	380	112	178	885

जुआरी इंड. लि.

कोरोमंडल फर्टि. लि.

'इस्लामिक आर्मी'

4426. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि देश में 'इस्लामिक आर्मी' का गठन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) इस्लामिक आर्मी के बारे में हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

वैज्ञानिकों की भर्ती

4427. श्री राजेश वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सभी प्रयोगशालाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा इस अवधि के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विज्ञापित किये गये पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री मुरली मनोहर जोशी): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बी.एस.एफ. की तैनाती

4428. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल 160 की बटालियनों में से एक-तिहाई बटालियनों को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और झारखंड जैसे क्षेत्रों की आंतरिक सुरक्षा में लगाया है और सीमा क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 नई बटालियन बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य तथा उसके कारण विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की आवश्यकता के कारण सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) की कुछ टुकड़ियों को आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों पर लगाने की आवश्यकता हुई।

(ग) और (घ) सरकार ने पांच वर्ष अवधि में चरणबद्ध रूप से सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) सहित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

सुरक्षा कार्मिकों को राहत

4429. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ने पंजाब में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना कर रहे सुरक्षा कार्मिकों को विशेष सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) ऐसे सुरक्षा कार्मिकों, जिनके विरुद्ध पंजाब में मानवाधिकार के उल्लंघन के विभिन्न आरोप लगे हुए हैं, को विशेष राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सुरक्षा कार्मिकों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 जैसे विशेष कानूनों के अधीन अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन करने में पहले ही कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है।

राजस्थान में 'यूनीसैफ' द्वारा बाल परियोजनाएं

4430. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनिसैफ) द्वारा 2003 से 2007 के बीच राजस्थान में कई बाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच समय-समय पर हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार भारत में यूनीसेफ की सहायता से कार्यक्रम वृहत् कार्य योजना के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। वर्तमान वृहत् कार्य योजना पर 1999-2002 तक की अवधि के लिए 3 मई, 1999 को हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2003 से 2007 तक की अवधि की वृहत् कार्य योजना पर यूनीसेफ के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। इसको अंतिम रूप दिए जाने के बाद राजस्थान के लिए राज्य कार्य योजना तैयार की जाएगी।

वर्ष 2003-2007 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों पर यूनीसेफ और राजस्थान सरकार के बीच अगस्त, 2001 में प्रारंभिक विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में कमी, 0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल, लड़कियों की शिक्षा, जल व सफाई कार्यक्रम को संस्थागत तरीके से लागू करने की स्थिति में सुधार तथा सूखा प्रशमन शामिल हैं।

कीटनाशकों की कीमतें

4431. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह जानकारी है कि कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विभिन्न फ़सलों में कीट-नियंत्रण के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का विक्रय विश्व-बाजार में इनके निर्धारित मूल्य से दस गुना अधिक कीमत पर किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार कीटनाशकों के मूल्यों को विनियमित नहीं करती है जो बाजारी शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। भारतीय कीटनाशक बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में स्वदेशी कंपनियों का बाजार अंश अधिक है।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों के मूल्यों में कमी

4432. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में गिरावट को देखते हुए रसायन और उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) यूरिया जिसके अधिकतम खुदरा मूल्य सांविधिक रूप से अधिसूचित किए जाते हैं और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक व पोटाशिक उर्वरकों जिनके अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, के मूल्यों के संबंध में इस समय मूल्यों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय

बाजार में तेल के मूल्यों में गिरावट के बावजूद, उर्वरकों की उत्पादन लागत में केवल सीमान्त कमी आई है और सरकार उर्वरकों पर लगातार भारी सब्सिडी/रियायत का भुगतान कर रही है।

चूंकि रसायन नियंत्रणमुक्त है, अतः सरकार इनके मूल्य निर्धारित नहीं करती।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

4433. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री एम. के. सुब्बा:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों के लिए पके-पकाए भोजन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने राज्यों ने दिशा-निर्देशों को लागू किया है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार को परियोजना संबंधी प्रस्ताव सौंपे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) नागरिक अधिकारों के लिए लोक संघ द्वारा दायर समादेश याचिका (सी) 196/2001 के उत्तर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2001 के अपने अन्तरिम आदेश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया गया है कि वे मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करें, जिसमें वे प्रत्येक छात्र को कम से कम 200 दिवसों के लिए प्रत्येक स्कूल दिवस में कम से कम 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त तैयार दोपहर का भोजन प्रदान करे। जो राज्य सरकारें पका हुआ भोजन प्रदान करने की अपेक्षा सूखा राशन प्रदान कर रही है, वे तीन माह की अवधि में राज्य के आधे जिलों (निर्धनता के क्रम से) के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पका-पकाया भोजन प्रदान करें तथा आगामी तीन महीने की अवधि में राज्य के शेष भागों में पका पकाया भोजन प्रदान करें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार

4434. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में विशेषकर उत्तम नगर, हस्तसाल क्षेत्रों की मलिन बस्तियों और आर.के. पुरम की झुग्गी झोपड़ियों में बड़े पैमाने पर शराब का अवैध व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में शराब के इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शराब के अवैध व्यापार से संबंधित कितने मामलों की पहचान की गई और कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इन क्षेत्रों में अवैध रूप से चोरी छुपे शराब की बिक्री में संलिप्त कुछ व्यक्तियों का पता लगा है। दिल्ली में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में संदिग्ध स्थानों पर पैदल और मोबाईल गश्त गहन करना, अवैध शराब के धंधे में लगे ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना, इस प्रकार की गतिविधियों से संलिप्त संदिग्ध अपराधियों के सम्भावित ठिकानों पर छापे मारना, उन क्षेत्रों, जहां इस प्रकार की गतिविधियां बहुतायात होती रहती है, में विशेष पिकटें स्थापित करना, देशी शराब बेचने वाली दुकानों पर कड़ी निगरानी और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर सतर्कता बरतना शामिल है।

(ग) वर्ष 1999, 2000 और 2001 (30 नवम्बर 2001 तक) के दौरान दिल्ली में अवैध रूप से शराब बेचने के क्रमशः 3928,4532 और 4705 मामले सूचित किए गए।

डी.एड. महाविद्यालय में अध्यापकों/प्रधानाचार्यों की योग्यता

4435. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद को इस बात की जानकारी है कि देश के विशेषकर महाराष्ट्र के डी.एड. महाविद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के मानदंडों के अनुसार कोई प्रधानाचार्य/अध्यापक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों की मान्यता को वापस लेने का है;

(घ) यदि कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो क्या सरकार का विचार उक्त नियमों में ढील देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14 तथा 15 के उपबंधों के अन्तर्गत परिषद् की क्षेत्रीय समितियां परिषद के विनियमों में निर्धारित मानकों व प्रतिमानकों तथा अन्य शर्तों के पूरे किए जाने के आधार पर अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान करती हैं। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण कर्मचारियों और प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक अर्हताएं भी निर्धारित की गई हैं।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय समितियों के पास मान्यता वापस लेने का अधिकार है।

(घ) और (ङ) दिनांक 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित विनियमों के अन्तर्गत यदि विनियमों के प्रावधानों का निष्पादन करने में पेश आयी किसी कठिनाई के निवारण के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से कोई आवेदन प्राप्त होता है और परिषद संस्थान की किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जो जरूरी समझी जाएं, ढील दे सकती हैं जिसके कारण लिखित रूप में दर्शाये जाने होंगे।

रसायन उद्योग का आधुनिकीकरण

4436. **श्री रामशकल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रसायन उद्योग के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशों से कोई अनुदान सहायता ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) भारत में रसायन उद्योग अधिकतर लाइसेंस मुक्त है और सरकार इसके आधुनिकीकरण हेतु निवेश को बढ़ावा देती है। उभरते हुए विश्वव्यापी परिदृश्य के संदर्भ में भारतीय रसायन उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के क्षेत्रों में नीतिगत पहल का पता लगाने के लिए डा. ए.एस. गांगुली की अध्यक्षता में एक टॉस्स फोर्स का गठन भी किया है। टॉस्क फोर्स की सिफारिशों से रसायन उद्योग के आधुनिकीकरण की ओर सरकार के विशिष्ट प्रयासों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

एन्थ्रैक्स पाउडर की घटना

4437. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
डा. एस. जगतरक्षकन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन्थ्रैक्स पाउडर के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और कितने मामले में एन्थ्रैक्स के विषाणु का पता चला है;

(ख) इस प्रकार के जैव आतंक के खतरे से कारगर ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की फिर से समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, दिल्ली, जिसकी पहचान, ऐसे लिफाफों, पैकेटों, जिनमें एन्थ्रैक्स होने का संदेह हो, की जांच करने के लिए, नोडल एजेंसी के रूप में की गई हैं, में 18.11.2001 तक 264 लिफाफे प्राप्त हुए हैं। 258 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और कोई भी लिफाफा एन्थ्रैक्स पोजिटिव नहीं पाया गया है। ऐसे लिफाफे, यदि राज्यों में प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है, जिसमें हथियारों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जैविक एजेन्टों की सूची, इनके संकेतों और लक्षणों, इसे फैलाने के सम्भावित तरीकों, उद्भवन अवधि, घातकता और टीकों की उपलब्धता, एंटी माईक्रोबायल थेरेपी और उपचार विधि, सम्मिलित है। उनसे आपात स्थिति के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिस्तरों को पूर्व-निर्धारित करने, जहां तक संभव हो टीकों/सीरा/दवाईयों का भण्डारण करने और समन्वित कार्रवाई हेतु डाक्टरों विशेष के दल गठित करने का अनुरोध किया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि इन दलों को इस प्रकार के हथियारों के प्रभाव और उपचार उपायों के बारे में सुग्राही बनाया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एन्थ्रैक्स के बारे में आम जागरूकता अभियान चलाया गया है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, आन्तरिक सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के प्रति चौकस रहने के लिए सुग्राही बनाया गया है और जन संहार के हथियारों के प्रति सावधानी बरतने सहित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार रखने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार

4438. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग विदेशों में रह रही भारतीय महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के मामले की जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों की जांच की गई; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि विदेशों में रह रही भारतीय महिलाओं और बच्चों से अक्तूबर, 1998 से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों को पुनर्ग्रहण अधिकार

4439. श्री राजैया मल्याला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत शिक्षकों को पुनर्ग्रहण अधिकार दिए जाने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या ऐसे कोई उदाहरण है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तीन वर्षों से अधिक और पांच वर्षों तक के लिए पुनर्ग्रहण अधिकार दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जो शिक्षक महत्वपूर्ण पदों पर है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु उनका चयन किए जाने पर उन्हें दो वर्ष के लिए धारणाधिकार (लिएन) प्रदान किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालय

4440. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में चलाये जा रहे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने से पहले इन विद्यालयों में कार्यरत पी.आर.टी., टी.जी.टी. और पी.जी.टी. श्रेणियों के शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में मानदंड निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार इस बोर्ड ने पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रबंधित दिल्ली में 386 स्वतंत्र विद्यालयों को सम्बद्धन प्रदान किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपनियमों के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धन चाहने वाले भारत में स्थित विद्यालयों को अपने कर्मचारियों को उतने वेतन और भत्ते देने चाहिएं जो राज्य सरकार के विद्यालयों में नियुक्त उन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों को अनुमूत्य हों अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान इत्यादि के अनुरूप हों।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिल्ली से ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, इस बोर्ड ने निम्नलिखित दो स्कूलों के कारण बताओं नोटिस जारी किए थे- (1) हिलटॉप पब्लिक स्कूल, पुथियारा, कालीकट और (2) रामाकृष्णन पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद। तत्पश्चात रामाकृष्णन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद का सम्बद्धन वापस ले लिया गया है।

[अनुवाद]

पेटेन्टों/ट्रेडमार्कों कापीराइट के लिए शीर्ष और राज्य स्तर और पुनर्अनुकूलन दर

4441. श्री अनंत गुढे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेटेन्टों/ट्रेडमार्कों कापीराइट संचालनों के लिए शीर्ष और राज्य स्तरों पर समर्थन एवं पुनर्अनुकूलन दर हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ग) नवीनतम अनुमान के अनुसार पंजीकृत पेटेन्टों/ट्रेडमार्कों कापीराइटों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) कापीराइटर का पंजीकरण करने, कापीराइट रजिस्टर में प्रविष्टि कापीराइट संबंधी विवरण में बदलाव करने, किसी कार्य को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान करने इत्यादि के लिए निर्धारित किए गए शुल्क के बारे में जानकारी कापीराइट नियमावली, 1953 के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। इस शुल्क में 10 मई, 1995 को अंतिम बार संशोधन किया गया था। अभी तक इस शुल्क में संशोधन करने के बाद में कोई ताजा कार्रवाई नहीं की गई है।

सरकार ने पेटेंट तथा ट्रेडमार्क प्रणाली में बदलाव करने के लिए प्रमुख विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं। जबकि नया ट्रेडमार्क अधिनियम पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है, पेटेन्टस अधिनियम, 1970 में संशोधन करने संबंधी विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। पेटेन्टों के संबंध में दो-स्तरीय शुल्क ढांचा निर्धारित किया गया है तथा इनको पेटेन्ट्स (संशोधन) नियमावली, 1999 की प्रथम अनुसूची में रखा गया है।

(ख) कापीराइटों तथा पेटेन्टों के लिए शुल्क में संशोधन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नए अधिनियम ट्रेडमार्क अधिनियम में एक नए शुल्क ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कापीराइट का अर्जन एक स्वतः प्रक्रिया है और जैसे ही कार्य सृजित होता है यह अस्तित्व में आ जाती है तथा इसके अर्जन के लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकता अपेक्षित नहीं होती है। कापीराइट का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। अब तक कापीराइट कार्यालय द्वारा कुल 81906 कार्यों का पंजीकरण किया जा चुका है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

कलात्मक	60427
साहित्यिक	19665
साफ्टवेयर	583
ध्वनि रिकार्डिंग	1146

चलचित्र प्रक्षेपी	85
कुल	81906

वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत में दायर किए गए तथा प्रदान किए गए ट्रेडमार्कों तथा पेटेन्टों के संबंध में अद्यतन आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

	पेटेन्ट	ट्रेडमार्क
दायर किए गए	8503	84275
प्रदान किए गए	1318	14020

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पंचायतों को नोडल एजेंसी के रूप में लेना

4442. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायतों का प्रयोग नोडल एजेंसी के रूप में करती है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय में बजटीय आबंटन का कितना प्रतिशत सीधे पंचायतों को जाता है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 में सड़कों और जल आपूर्ति के लिए तमिलनाडु को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री वेंकय्या नायडू): (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए)/जिला पंचायतों (डी पी) के जरिए सीधे पंचायतों को जारी की जाती हैं। ई ए एस के अन्तर्गत निधियां जिला पंचायतों तथा मध्यवर्ती पंचायतों को जारी की जाती हैं जबकि जेजीएसवाई के अंतर्गत निधियां ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं। इस मंत्रालय के कुल आबंटन में से वर्ष 2001-02 के लिए इन दोनों योजनाओं हेतु बजटीय आबंटन का प्रतिशत 26.50 प्रतिशत है।

(ग) 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत आबंटित निधियां क्रमशः 99.25 करोड़, रु. 15.72 करोड़ रु. तथा 73.08 करोड़ रू. हैं।

[हिन्दी]

भारतीय सीमा पर आई.एस.आई. का खतरा

4443. श्री सुरेश चन्देल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल, पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर आई.एस.आई. खतरे और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों में आई.एस.आई. के प्रशिक्षण-शिविर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में आई.एस.आई./आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और प्रायोजित करने के पाक आई.एस.आई. के नापाक इरादों की सरकार को जानकारी है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि भारतीय जाली मुद्रा नोटों को भारत-पाक और भारत-नेपाल सीमा से देश में चोरी छुपे लाया जाता है। यह भी रिपोर्ट है कि पाक-आई.एस.आई. भारत-पाक और भारत-नेपाल सीमा से देश में विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियां चला रही हैं। भारत-पाक सीमा पार से शस्त्र और नशीली दवाओं की तस्करी की वारदातें भी हुई हैं। आई.एस.आई. के सक्रिय सहयोग से पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान में अनेक प्रशिक्षण/ट्रांजिट शिविर भी चलाए जा रहे बताये जाते हैं। भारत-चीन सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) स्थिति से निपटने के लिए, आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंध को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को निष्क्रिय करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बल चौकियां स्थापित करना और अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

केन्द्र सरकार, देश में आई.एस.आई. के खतरे और गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को भी सुग्राही बना रही है। विभिन्न

स्रोतों से प्राप्त आसूचना का आदान-प्रदान करने और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें भी की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां मिलकर कार्य कर रही हैं। इस समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनेक पाक समर्थित मोडयूलों को निष्क्रिय किया गया है।

उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों से उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनयिक पहलें भी की गई हैं।

[अनुवाद]

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट

4444. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 नवम्बर, 2001 को ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''मल्होत्रा पेनल रिपोर्ट नॉट फार पोल्स, सिटी नीड्स हाउसेज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ने के दृष्टिगत दिल्ली के आम आदमी की सहायता पहुंचाना और मौजूद इमारतों पर एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता पर बल देना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकारी आवासों में रहने वाले परिवार भी दयनीय स्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें क्वार्टरों के अहातों में उपलब्ध स्थान में अतिरिक्त कमरे बनाने की अनुमति देने या स्वयं क्वार्टरों के आबंटितियों के खर्चे पर कमरों का निर्माण करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 के मामले की जांच के लिए प्रो. वी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसकी कुछेक सिफारिशों के आधार पर सरकार ने, दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11ए के प्रावधानों के तहत दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से 23 जुलाई, 1998 को अधिसूचना जारी की। इन संशोधनों के द्वारा प्लाटबद्ध तथा रिहायशी भवनों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक फर्शी क्षेत्र अनुपात, घनत्व तथा ऊँचाई की अनुमति दी गई थी। तदोपरान्त सरकार ने 7 जून, 2000 की एक अन्य अधिसूचना में शर्त रखी की पिछली अधिसूचना के भवन नियंत्रण मानदंड, लेआउट व सेवा योजनाओं तथा आवश्यक अवस्थापना की उपलब्धता की शर्त पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने 27 नवम्बर, 2001 को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा यथा अनुमूल्य फर्शी क्षेत्र अनुपात इस शर्त पर मंजूर किया जा सकता है कि प्लाट बद्ध विकास में अतिरिक्त/अधिक रिहायशी मकान नहीं बताया जाए। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्लाटबद्ध/रिहायशी मकानों में रहने का अतिरिक्त स्थान मुहैया कराना है। तथापि, स्पष्टीकरण संबंधी यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) सरकारी आवास की टाइप व साइज की अनुमति पात्रता के आधार पर दी जाती है, जो किसी निर्धारित तारीख कर्मचारी के मूल वेतन द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका उसके परिवार के आकार (साइज) से कोई संबंध नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) संरचनात्मक सुरक्षा, डिजाइन संबंधी प्रतिबंधों, स्थानीय भवन उप-नियमों की वजह से प्रतिबंधों तथा अनिवार्य सेवाओं का न्यूनतम स्तर बनाए रखने की जरूरत संबंधी कारणों की वजह से सरकारी मकानों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमति देना मुश्किल है।

भारतीय औषधि उद्योग

4445. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय औषधि उद्योग आवश्यकता का 70 प्रतिशत और फार्मूलेशन (संपाकों) की मांग को शत-प्रतिशत पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह उद्योग वैश्विक हो गया है और भारी मात्रा में औषधियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय औषध उद्योग काफी हद तक प्रपुंज औषधों की आवश्यकता को तथा कुछेक नए औषधों, टीकों और डायग्नोस्टिक्स को छोड़कर सूत्रयोगों की लगभग संपूर्ण श्रेणी को पूरा करने में समर्थ है।

(ग) और (घ) भारतीय औषध उद्योग विकसित देशों समेत अनेक देशों को व्यापक श्रेणी के औषध एवं सूत्रयोगों का निर्यात करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान औषधों, भेषजों, फाइन रसायनों के निर्यात की कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष	कीमत (करोड़ रु)
1998-99	6256.06
1999-2000	7230.16
2000-2001	8729.89

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जगमोहन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) (एक) सालारजंग म्युजियम, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग म्युजियम, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4723/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मजगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मजगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4724/2001]

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4725/2001]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4726/2001]

(2) (एक) हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट दार्जिलिंग के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4727/2001]

(3) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, अरू-पहलगांव के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, अरू-पहलगांव के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4728/2001]

(4) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग) के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4729/2001]

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 5 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4730/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. सत्यनारायण जटिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4731/2001]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर मैन्टली हैण्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार मैन्टली हैण्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4732/2001]

(3) (एक) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4733/2001]

(4) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (4) के अन्तर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 के वर्ष 1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4734/2001]

(6) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4735/2001]

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नाप्पन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4736/2001]

(2) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4737/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4738/2001]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4739/2001]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4740/2001]

(ग) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4741/2001]

(घ) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4742/2001]

(ङ) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4743/2001]

(च) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4744/2001]

(छ) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंड एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4745/2001]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4746/2001]

(झ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4747/2001]

(ञ) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4748/2001]

(ट) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4749/2001]

(ठ) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4750/2001]

(ड) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4751/2001]

(2) (एक) फ्ल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पाल्लक्कड के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्ल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पाल्लक्कड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4752/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल फार हैन्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल फार हेन्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4753/2001]

(2) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एशोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4754/2001]

(3) (एक) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4755/2001]

(4) (एक) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4756/2001]

(5) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4757/2001]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4758/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती जयवंती मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4759/2001]

(ख) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4760/2001]

(ग) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4761/2001]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4762/2001]

(3) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4763/2001]

(4) (एक) एनर्जी मैनेजमैंट सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4764/2001]

(5) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4765/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4766/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. रमण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4767/2001]

(2) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4768/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वलसाड-डांग्स ग्रामीण बैंक पुनरीक्षित (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 30 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीडीजीबी/एचओ/एसटीएफ/18/365 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कछार ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 23 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीवी/एचओ/एसआर/796/02/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) श्रीराम ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीआर-VI/एफ/2000-01/106 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएजीबी/11656/2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मणिपुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमआरबीबी/1/2001-2002/303 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) नाडिया ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनजीबी/सीएम/जीओटी/2479/01 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) वरडा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 105 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) साबरकांठा गांधी नगर ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीजीबी/एचओ/पर/566/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 30 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./2001/पी.डी./80 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सागर ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सागर/सी.-7/सी.ओ.एन.-634/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बाराबंकी ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 8 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ.आई.आर. 31/1/02 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) संथाल परगना ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000-01, जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.एम./30/01-02 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ. नं. 5563/पी.डी./2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 9 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ. नं. पी.डी./जन/88/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, 27 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचा संख्या एफ./19554/00-01 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सुबनसिरी गौलिया बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचा संख्या सी.एच./बी.के./82/2000-01 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 3 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 3 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 84 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 27 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 112 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) शारदा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 23 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.जी.बी./एच.ओ./सी.एस./2000-2001/112 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) मंजीरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 8 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विविध/कार्मिक/2001-02/6 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.टी.एफ./सेवा विनियम/2001/405 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 27 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए.जी.ए.जी. बैंक-1 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 3 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम.ए.जी.बी./कार्मिक/सी.-386/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) अधियामान ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000, जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.एच./बी.के./82/2000-01 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001, जो 30 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्रशासन/कार्या/2001-02/2086 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) बीजापुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीबी/एचओ/कार्मिक/154/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42/01/02 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/22/कार्मिक/2001/1090 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एसटीएफ/21/2001/1434 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 28 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एसटीएफ में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएस/41 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-1-33 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) जम्मू ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसएफ/जेआरबी/2001/1837 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 12 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडी. कार्मिक/26/प्रशा./3652/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक/जेन/3146/536/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/प्रशा./एसरेग/2001/2594 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4769/2001]

(2) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्टाक ब्रोकरों तथा उप-ब्रोकरों (संशोधन) विनियम, 2001 जो 15 नवंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 जो 6 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 24 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1058(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 17 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4770/2001]

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2001 जो 22 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2001 जो 31 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4771/2001]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4772/2001]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4773/2001]

(2) (एक) इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4774/2001]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4775/2001]

(4) (एक) नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4776/2001]

(5) (एक) नेशनल अकादमी ऑफ साइन्सिज, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी ऑफ साइन्सिज, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4777/2001]

(6) (एक) इंडियन इन्स्टट्यूट आफ ट्रापिकल मिटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4778/2001]

(7) (एक) रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4779/2001]

(8) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवांस्ड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बार में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4780/2001]

(9) (एक) इंडियन अकादमी ऑफ साइन्सिज, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन अकादमी ऑफ साइन्सिज, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी ततथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4781/2001]

(10) (एक) इन्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4782/2001]

(11) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4783/2001]

(12) (एक) वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जीआलॉजी, देहरादून के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जीआलॉजी, देहरादून के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4784/2001]

(13) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4785/2001]

(14) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फारमेशन फारकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फारमेशन फारकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4786/2001]

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जिओमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जिओमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4787/2001]

(16) (एक) इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4788/2001]

(17) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4789/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4790/2001]

(2) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4791/2001]

(3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4792/2001]

(4) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4793/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 867(अ)

एस्स.कॉम/सुगरकेन जो 27 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2001-2002 के चीनी सीजन के लिए चीनी कारखानों द्वारा संदेय न्यूनतम गन्ना मूल्यों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4794/2001]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) तीसरा संशोधन नियम, 2001 जो 27 नवम्बर, 2001, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 869(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4795/2001]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) (संशोधन) विनियमन, 2001 जो 10 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4796/2001]

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी क्लिनिकल थर्मामीटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2001 जो 9 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 843(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4797/2001]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): *अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:*

(1) *(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफारमेशन टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी* संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4798/2001]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4799/2001]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4800/2001]

(7) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4801/2001]

(8) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4802/2001]

(9) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4803/2001]

पूर्वाह्न 11.08 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय मैं, 10 दिसम्बर, 2001 को राज्य सभा द्वारा यथापारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001, को सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.08½ बजे

लोक लेखा समिति

सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2001-2002) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. "फ्रैंकफर्ट में भारत के महाकौंसुलावास के लिए आवास की खरीद" के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन; तथा
2. "आपदा राहत निधि" के बारे में अठाईसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का

आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश का (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) ''भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के कार्यकरण'' के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित बीसवां प्रतिवेदन।

(2) ''नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजना आयोग द्वारा निधियों का आवंटन'' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित इक्कीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.011 बजे

श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां से अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): महोदय, मैं श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:

(1) ''प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी विधेयक, 1990'' के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

रेल अभिसमय समिति

तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं 'कोलायत और फलोदी के बीच सामरिक महत्व की नई बड़ी लाइन के निर्माण' के बारे में रेल अभिसमय समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसद भवन पर आतंकवादी हमला

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए घातक हमले से पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया है। हमारे प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ पर किए गए इस आतंकवादी हमले का स्पष्ट लक्ष्य देश को सर्वोच्च राजनैतिक नेतृत्व को समाप्त करना था। यह हमारे सुरक्षा बल कार्मिकों का बलिदान है कि वे इसका सामना करने के लिए उठ खड़े हुए और एक राष्ट्रीय महाविपत्ति टालने में कामयाब हो गए। ऐसा करते हुए आठ व्यक्तियों ने सर्वोच्च का बलिदान दिया जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

यह स्पष्ट है कि संसद भवन पर यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान में स्थित और पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी गुटों नामत: लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये दोनों संगठन पाकिस्तानी आई.एस.आई. से सहायता प्राप्त करते हैं और इन्हें उसका संरक्षण प्राप्त है। पुलिस द्वारा अभी तक की गयी जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि पांचों आतंकवादी जिन्होंने आत्मघाती दस्ता बनाया था, पाकिस्तानी

राष्ट्रिक थे। ये सभी घटनास्थल पर ही मारे गए और उनके भारतीय साथियों को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है।

इस अवस्था में जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि पांचों पाकिस्तानी आतंकवादी, एक एम्बैसडर कार जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. डी.एल.-3सी जे-1527 हैं, में लगभग 11.40 बजे पूर्वाह्न संसद भवन परिसर में घुसे और भवन के गेट नं. 12 की तरफ बढ़े जब उनका सामना भारत के उप-राष्ट्रपति की कारों के काफिले से हुआ जो गेट नं. 11 पर खड़ा था। संसद भवन के वाच वार्ड स्टाफ के एक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद यादव को कार की पहचान के बारे में सन्देह हुआ और वह तत्काल उसके पीछे भागे। कार को पीछे मुड़ने के लिए विवश हो गयी और इस प्रक्रिया में वह उप-राष्ट्रपति की कार से जा टकराई। जब घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा कार्मिकों ने ललकारा तो पांचों आतंकवादी कार से बाहर कूद पड़े और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उप-राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े दिल्ली पुलिस के कार्मिक और ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों ने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और गोलीबारी का जवाब दिया। तभी संसद भवन के वाच एंड वार्ड स्टाफ के अन्य सदस्य श्री मातबर सिंह को गोली लग गई। वे गेट नं. 11 के अंदर भागे और गेट को बंद कर दिया। तभी चेतावनी दी गई तथा तत्काल भवन के सभी गेट बंद कर दिए गए। आतंकवादी संसद भवन के गेट सं. 12 की ओर और उसके बाद गेट नं. 1 की तरफ भागे। एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों द्वारा गेट सं. 1 पर मार गिराया गया तथा इस कार्रवाई में उसके शरीर पर बंधे विस्फोटक फट पड़े। शेष चार आतंकवादी वापस मुड़े और भवन के गेट नं. 9 पर पहुंच गए। उनमें से तीन यहां गोलियों से धराशायी कर दिए गए। पांचवां आतंकवादी गेट सं. 5 की ओर भागा जहां उसे भी गोली से मार गिराया गया।

परस्पर गोलीबारी के दौरान दिल्ली पुलिस के चार कार्मिक नामत: श्री नानक चंद, सहायक उप निरीक्षक, श्री रामपाल, सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश, हैड कांस्टेबल तथा श्री घनश्याम, हैड कांस्टेबल, जो उप राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा से जुड़े थे, ने घटना स्थल पर ही अपने प्राण गंवा दिये। मारे गए अन्य तीन व्यक्तियों में से एक श्रीमती कमलेश कुमारी, सी.आर.पी.एफ. की महिला कांस्टेबल, श्री जगदीश प्रसाद यादव, संसद भवन के वाच एंड वार्ड स्टाफ के सुरक्षा सहायक जो आतंकवादियों की कार के पीछे दौड़े थे तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक सिविलियन कर्मचारी श्री देशराज थे। 18 अन्य व्यक्ति घायल हुए उन्हें तुरंत इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें संसद भवन के वाच एंड वार्ड स्टाफ के सुरक्षा सहायक श्री मातबर सिंह भी थे, जिनकी घावों के कारण बाद में मृत्यु हो गई। घटना स्थल को घेर लिया गया तथा अपराध विज्ञान विशेषज्ञों तथा बम का पता लगाने वाले दस्तों सहित जांच टीमों को काम पर लगाया गया। घटनास्थल से अनेक हथगोले बरामद हुए तथा इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। विस्फोटकों सहित भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किए गए।

मामले की जांच-पड़ताल में उस समय सफलता हासिल हुई, जब स्थानीय कालेज में लैक्चरार सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ करने पर उनके दो अन्य सहयोगियों अफजल और शौकत हुसैन गुरु की पहचान की गई। शौकत हुसैन गुरू की पत्नी ने बताया कि उसके पति और अफजल 13 दिसम्बर, 2001 को दोपहर में श्रीनगर चले गए। यह सूचना तुरंत जम्मू और कश्मीर पुलिस को दी गई, जिसने उन दोनों को पकड़ लिया। उनसे एक लैपटॉप कम्प्यूटर और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। बाद में, इस प्रयोजनार्थ दिल्ली पुलिस द्वारा तैनात विशेष दल द्वारा उन्हें दिल्ली लाया गया।

अभियुक्त व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि अफजल इस हमले का मुख्य संयोजक था जिसे यह काम जैश-ए-मोहम्मद के गाजी बाबा, जो एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक द्वारा सौंपा गया था। अफजल को पहले पाक-अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद में आई एस आई द्वारा चलाए गए एक कैम्प में प्रशिक्षण दिया गया था। पांचों पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए छिपने के ठिकानों का प्रबंध, शौकत हुसैन गुरु द्वारा, दो के लिए मुखर्जी नगर में और एक के लिए उत्तरी दिल्ली में तिमारपुर क्षेत्र में किया गया था। बाद में मारे गए छापों के दौरान छिपने के इन दोनों ठिकानों से बड़ी मात्रा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसिज बनाने में प्रयुक्त होने वाले अमोनियम नाइट्रेट एवं अन्य संघटक, दिल्ली का एक नक्शा; एक पेपर की शीट जिस पर हाथ से चाणक्यपुरी का नक्शा बनाया गया था और पुलिस की तीन वर्दियों सहित बड़ी मात्रा में अभिशंसी सामग्री बरामद की गई। इस मामले के संबंध में अभी तक कुल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना एक बार पुन: यह सिद्ध करती है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों का काम है जिन्हें पाकिस्तानी आई.एस.आई. से समर्थन और मदद प्राप्त होती है। आईसी-814 उड़ान का अपहरण करके कन्धार ले जाना, लाल किले में आतंकवादी घुसपैठ तथा इस वर्ष 1 अक्तूबर को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर विधान सभा परिसर पर हमले की योजना आई एस आई के कहने पर उग्रवादी गुटों द्वारा बनायी गयी तथा अंजाम दी गई। देश में आतंकवादी हिंसा करने में विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सबसे आगे रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और मौखिक रूप से यह मांग की गई कि इस्लामाबाद संसद भवन पर हमले में संलिप्त दो आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

भारत में पाकिस्तान द्वारा लगभग दो दशक से प्रायोजित आतंकवाद के इतिहास में संसद भवन पर पिछले सप्ताह हुआ

हमला निसंदेह ही आतंकवाद का बहुत दुस्साहपूर्ण तथा अति भयप्रद कृत्य है। इस वक्त सीमा पार से आतंकवादियों और उनके आकाओं द्वारा हमारी बहुदलीय संसद में भारत के सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व को समाप्त करने का एक दु:साहसपूर्ण प्रयास किया गया है। निसंदेह इस सम्माननीय सदन में तथा देश में हम सभी के लिए इस बात पर विचार करने का समय है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं ने इतना दु:साहस करने का प्रयास क्यों किया, विशेषरूप से तब, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन का एक हिस्सा होने का दावा करता है।

इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर केवल एक ही है कि-पाकिस्तान स्वयं असमर्थनीय द्वि-राष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम है, यह अपने आप में धर्म-तांत्रिक राज्य है, जहां प्रजातांत्रिक परंपरा न के बराबर है-और जो इस वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, आत्मविश्वासी और तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा राष्ट्र है, जिसकी साख अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

प्रधानमंत्री ने 13 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्र को दिए गए अपने संदेश में यह घोषणा की कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सुरक्षाकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को, जिन्होंने इस घटना में अपनी जानें गवा दीं, व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। संसद भवन पर हमले के पीछे जिन व्यक्तियों का हाथ है उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत के लोग एकजुट हैं और देश से आतंकवाद को उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4804/2001]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजी लाल सुमन ने यह अनुरोध किया है कि उनकी ओर से श्री मुलायम सिंह यादव को चर्चा की शुरुआत करने की अनुमति दी जाए; और मैंने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

संसद भवन पर आतंकवादी हमला

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर को आतंकवादियों का संसद पर हमला हुआ, यह एक गम्भीर घटना ही नहीं, देश के लिए गम्भीर चिंता है और उसी पर आज अभी तक की सबसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण बहस है। आगे की बात कहने से पहले, संसद के बहादुर सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मचारी जो संसद की सुरक्षा करते हुए बलिदान हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा जिन सुरक्षाकर्मियों ने या अन्य कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ आतंकवादियों का मुकाबला किया और बहुत ही विनाशकारी घटना को घटित होने से बचा लिया, उनको भी मैं बधाई देता हूं।

13 दिसम्बर को संसद पर आतंकवादियों की साजिश में पाकिस्तान के सहयोग और समर्थन की हम निंदा करते हैं लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर यह गंभीर चर्चा हो, ऐसा हम चाहते हैं क्योंकि यह किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार का सवाल नहीं है, बल्कि देश एवं लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रश्न है। हमारी जिम्मेदारी देश और संसद् के प्रति है। देश के हित में सुरक्षा के लिए सरकार जो सही काम करेगी, उसका हम समर्थन करते हैं और गलत कार्यों के लिए सरकार की हम आलोचना भी करेंगे और हम कटघरे में खड़ा भी करेंगे। इसलिए यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसे चुनाव का मुद्दा नहीं बनाएंगे। हमारी राय में देश और लोक तंत्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो।

13 दिसम्बर की घटना और आतंकवादियों के हमले के बाद हम यह सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस महान देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और क्या देश के नागरिक सुरक्षित हैं? क्या सरकार इसकी सुरक्षा कर सकती है अथवा नहीं। यह बात पहली बार नहीं कह रहे हैं, कई अवसरों पर, कई मौकों पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नहीं किया गया है बल्कि सावधान भी किया है और स्वयं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कई बार कहा है कि आतंकवादियों का निशाना संसद भवन है। उसके बाद भी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकी। आखिर क्यों? हम ज्यादा समय पूर्व अनेकों गंभीर हादसों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते हैं, हम इस अवसर पर चार गंभीर हादसों की तस्वीर जरूर खींचना चाहते हैं और इस संबंध में जरूर सरकार से पूछना चाहते हैं क्योंकि पहले शुरुआत में हमने कह दिया है कि देश हित में जो भी सरकार काम करेगी, हम और समाजवादी पार्टी और पूरे देश की जनता भी सहयोग करेगी। सेना भी साथ है। हमारी पहली आपत्ति है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी देश की सरकार ने जनता और कई मौकों पर विपक्ष को और कई अवसरों पर यह भी खबरें हैं कि अपने सहयोगी मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया और सेना को भी विश्वास में नहीं लिया। अब कहां तक ये खबरें सच हैं और कहां तक नहीं हैं, इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सबसे पहले कारगिल के युद्ध में जिस तरह सावधानी नहीं बरती गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। किस खुफिया एजेंसी की कमी रही, विफलता रही, यह रिपोर्ट आ गई और सभी को पता चल गया, लेकिन सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं। इस तरह की गंभीर घटनाओं से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कितने जवान शहीद हुए और देश को आर्थिक दृष्टि से भी कितना नुकसान हुआ—चाहे वह पर्यटन की दृष्टि से हो या व्यापार की दृष्टि से हो, अरबों रुपए बर्बाद हुए तथा हानि हुई और देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह भी एक बहुत बड़ी असावधानी थी कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारी बहादुर सेना ने आतंकवादियों का मुकाबला किया और कितनी कुर्बानी दी।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लालकिले पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला करके आतंकवादी सुरक्षित निकल गए उस वक्त भी हमने कहा था कि अब देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। उसके बाद 1 अक्तू 2000 को कश्मीर की विधान सभा पर आतंकवादियों का हमला हुआ जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए और फिर 13 दिसम्बर को संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ। हम यह स्वीकार करते हैं और पूरा देश स्वीकार करता है कि यह देश पर तथा देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ, सारे देश में इतनी बड़ी और गंभीर घटना हुई। इसमें एटम बम का इस्तेमाल भले न हुआ हो, लेकिन हम इसे दुनिया की सबसे गंभीर घटना मानते हैं और देश के समक्ष बड़ी गंभीर चुनौती एवं हादसा मानते हैं तथा विफलता का शर्मनाक उदाहरण भी मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी लोक सभा के निकट जब फूलन देवी की हत्या हुई थी, उस समय हमने ही नहीं, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने भी बहुत सावधान किया था कि राष्ट्रपति भवन, सांसदों का निवास स्थान और संसद के थोड़ी ही दूर दिल्ली के सबसे सुरक्षित स्थान पर, संसद के चलते सांसद की हत्या, उनके दरवाजे पर ही की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कई मौकों पर यह स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने 12 तारीख को मुंबई में ही स्वीकार किया कि संसद अब आतंकवादियों के निशाने पर है। गृह मंत्री जी ने बार-बार कहा कि संसद आतंकवादियों के निशाने पर है। अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सफाये के बाद, ये आतंकवादी पूरे देश के अंदर प्रवेश करेंगे, खुफिया एजेंसी ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट सरकार को पहले से ही दे दी थी, उसके बाद भी संसद पर हमला हो गया। सरकार देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा में कितनी गंभीर है और हमें लोगों से वह क्या समर्थन चाहती है? हमने पहले ही कह दिया है कि देश की सुरक्षा के सवाल पर हम अपना पूरा समर्थन सरकार को देश के हित के लिए देंगे। लेकिन सरकार कितनी गंभीर है यह इस बहस में और उत्तर में स्पष्ट हो जाना चाहिए।

हम महसूस करते हैं कि इतने हादसों के बाद अगर सरकार गंभीर होती तो उसे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। हुर्रियत के लोगों को बिना कोई शर्त छोड़ा गया और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। खबर तो यह भी है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया गया।

माननीय गृह मंत्री जी ने जिन आतंकवादी संगठनों का जिक्र और नाम लिया है वे संगठन कौन से हैं और उनमें कौन लोग हैं? चाहे अलकायदा या जैश-ए-मुहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों, मौलाना अजहर हो या मौहम्मद उमर हो, इनको रिहा किसने किया था, कंधार में सुरक्षित छोड़ने के लिए कौन ले गया था, यह किसका फैसला था? यह सही है कि टेलीफोन पर माननीय गृह मंत्री जी ने हमसे पूछा था और हमने उत्तर दिया था कि देश का हित सर्वोपरि है। जो नागरिक जहाज में फंसे हैं उनकी सुरक्षा की भी हमें चिंता है। आप अपना विचार करें, निर्णय लें पर देश के हित में लें, देश के हित और सम्मान से बड़ा कोई नहीं है और देश के लिए लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं हैं। हमने टेलीफोन पर यह उत्तर दिया था। आज उन्हीं आतंकवादियों का इस गंभीर और खतरनाक हादसे में हाथ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी? आज उन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम यू.एन.ओ. में गुहार करते हैं, अमेरिका से गुहार करते हैं। जिनको कंधार छोड़ आये थे अब कह रहे हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाओ—यह कितनी विडम्बना है, देश की सुरक्षा के लिए कितनी हास्यास्पद बात है। आज देश के सम्मान और सुरक्षा पर हमें विचार करना पड़ेगा। देश के हित में सावधान करने की जरूरत है इसलिए हम यह सवाल उठा रहे हैं। जो हमारी असफलताएं हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, असफलताओं को स्वीकार न करके सुरक्षा एजेंसियों, गुप्तचर एजेंसियों और विपक्ष पर दोषारोपण होता है—यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी राय है कि अपनी गलतियों को वही स्वीकार करता है जिसके दिल और दिमाग में देश का हित हो और जिसकी छाती चौड़ी हो।

हमने यह गांधी जी से आदर्श लिया है। उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत बड़ी भूलों को स्वीकार किया था। अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए अगर देश हित में देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का सम्मान नीचा नहीं होगा, बल्कि सम्मान

बढ़ेगा। जो बड़ी भूलों को स्वीकार करता है वही बड़ा व्यक्ति होता है, वही बड़ा नेता होता है, वही देश का हित चिन्तन करने वाला व्यक्ति होता है। अपनी जिम्मेदारियों को टाल कर अन्य एजेंसियों पर, विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर आरोप लगाना अच्छा नहीं है और न ही देश के हित में है। खबरों और रिपोर्टों के अनुसार हम बार-बार इस बात की तारीफ करेंगे कि सुरक्षा कर्मियों ने अदम्य साहस से कार में रखे बारूद के विस्फोट से संसद को बचा लिया लेकिन सरकार के वक्तव्य में ऐसी बात नहीं आई है। यह भी देश का सौभाग्य है और सारे सांसदों, नेताओं का सौभाग्य है कि उस दिन किसी तरह सदन स्थगित हो गया था। आतंकवादियों की रणनीति और षडयंत्र का समय 11 बजकर 40 मिनट था। शून्यकाल में सारे नेता सदन में रहते हैं और सांसदों की बहुत बड़ी संख्या सदन में रहती है चाहे वह राज्य सभा हो या लोक सभा हो। दोनों सदनों के लगभग 800 सदस्य वहां रहते हैं। हम भी उस दिन सदन के अन्दर थे। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी रिपोर्ट भी दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हम दो मिनट पहले आपके चैम्बर से निकले थे और सांसदों से बात करने लगे थे। लिफ्ट से ऊपर जाते ही फौरन फायरिंग की आवाजें आने लगीं। प्रकृति का संयोग ही हम सब लोगों के ऊपर था। जैसी अखबारों की रिपोर्ट है कि एक आतंकवादी जो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा था, जब मुम्बई में पकड़ा गया तो उसने संसद पर इस प्रकार का हमला होने की बात कही थी। इस बारे में स्पष्ट रूप से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को खबर दे दी गई थी। हमें अखबारों से पता चला है कि संसद आतंकवादियों के निशाने पर है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की? मैंने चार हादसों का उल्लेख पूर्व में कर दिया है। कारगिल का युद्ध हुआ, कार्रवाई हुई लेकिन लाल किले पर हमले के बाद और कश्मीर विधान सभा पर विध्वंस करने के बाद क्या कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई, तो क्यों नहीं की? क्या मजबूरी थी? पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के समय हुई घटना के बाद जो वक्तव्य आया, उस समय भी मैंने कहा था कि सीमापर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्पों पर हमला हो। उस समय इस पर चिंतन भी हुआ परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय तो सुरक्षा बलों द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा था, लखनऊ में नदवा विश्वविद्यालय में हमला हो चुका था, मदरसों पर हमला हो चुका था, कानपुर में भी हमला हो चुका था,

आज जो भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए चिन्हित किये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हैं। जांच-पड़ताल में जितने भी चिन्हित किये जायें, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि वहां लादेन के पोस्टर लगाये गये थे, क्या इन्होंने उसका विरोध किया था?

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह हम जानते थे कि यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या कीर्तन कर लें, तो क्या ये सरकार तब खुश होगी। हम सरकार का कीर्तन नहीं करेंगे। देश की जनता के सामने यह सवाल है जिसे वह जानना चाहती है। इसमें चाहे देश की जनता की भावनायें हों, सेना की भावनायें हों या गुप्तचर एजेंसी की भावनायें हों, मैं मानता हूं कि पूरे सदन में जिनको देश प्रेम है, वे आज देश हित में यहां बात देश के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम देश और इस देश की जनता को धोखा नहीं देंगे, सेना को धोखा नहीं देंगे। हम सही बात करेंगे। हम जब भी यहां बात करते हैं तो देश हित में ही बार-बार बात करते हैं। जब ये कहते हैं कि इस देश में 15-16 करोड़ से भी अधिक मुसलमान हैं, उनमें से यदि कुछ आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करो लेकिन सारे मुसलमानों पर शक करना बंद करो। इस सबके बावजूद ये लोग यही कहेंगे कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए इसलिए मैं ऐसा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने लोगों से कहें कि वे ऐसी बात नहीं करें। चारों तरफ गली-गली में ये कहते हैं और सदन में भी अभी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को मुसलमानों के वोट चाहिए। अध्यक्ष जी, यहां वोट का सवाल नहीं आता है लेकिन जब सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो जाते हैं और सब से ज्यादा बोलना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वोट तो उनको भी चाहिए। लेकिन आज वोट का अवसर नहीं है फिर वोट का मैदान अलग है। हमें सब लोगों हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई-का वोट चाहिये, गरीबों का वोट चाहिए। जिन लोगों को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, वे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिख दें कि उन्हें यह वोट नहीं चाहिए। यहां चुनाव का सवाल नहीं है। हम उन सभी को शुभकामनायें देते हैं जो उस हमले में सुरक्षित बच गये, उनमें इस सदन के कई माननीय सदस्यगण हैं और उप-राष्ट्रपति जी भी हैं। वे सभी लोग मौत से बच गये जो सदन में उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय, जब मुम्बई में पकड़े गए अलकायदा से संबंधित आतंकवादी से यह सूचना मिली कि संसद भवन पर हमला होने वाला है, लेकिन फिर भी आतंकवादी संसद भवन तक पहुंच गए। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वे संसद की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते। हम आज देश और सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संसद में हम लोग चुनकर आये हैं, इसलिए किसी माननीय सदस्य को

[श्री मुलायम सिंह यादव]

बुरा नहीं लगना चाहिए तथा सरकार को चिन्तन करना चाहिए क्योंकि देश के प्रति सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। इससे बड़ा दूसरा मुद्दा और कोई नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश की सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाये और क्या-क्या उठाने जा रही है? हमें सदन के अंदर आश्वस्त करना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि सेना संबंधी आप क्या कदम उठायेंगे इस संबंध में बताएं और न ही हम आपको मजबूर करेंगे कि आप क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं। यह सही है और हमने डेढ़-दो साल पहले कहा था कि ट्रेनिंग कैम्पों पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज सूचना यह मिली है कि जो ट्रेनिंग कैम्प सीमा के किनारे पर थे, वे सारे के सारे पाक अधिकृत इलाके में अवैध रूप से जनता के बीच प्रवेश कर गये हैं तथा सीमा से हट गए हैं और पाकिस्तानी सेना में प्रशिक्षण हेतु शामिल हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को खबर मिली होगी, गृह मंत्री जी को खबर मिली होगी, विदेश मंत्री जी को भी खबर मिली होगी। उन्हें पता है। लेकिन हमें अपने माध्यमों से पता लग रहा है। आप इस संबंध में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या कार्यवाही करने की इच्छा शक्ति है, तो उसे गम्भीरता से करें। आप जब देश हित में कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, हम देश के साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि कई मौकों पर आप हम लोगों को विचार एवं परामर्श हेतु बुलाते नहीं हैं। वरना 27 सितम्बर को हमने आपको राय दी थी कि खतरनाक आतंकवादी सक्रिय हैं। 11 सितम्बर को अमरीका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विध्वंस कर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा, ये आतंकवादी थे, केवल अमरीका के ही विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे विश्व में आतंक फैलाने का कार्य कर रहे थे। ये लोग लगभग 70 देशों में फैले हैं। उस दिन भी हमने कहा था कि आप इतने खतरनाक आतंकवादियों से सीधा मुकाबला करने के बजाय अमेरिका अमरीकी जनता के साथ सहानुभूति दिखाइये। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है और हम भी निंदा करते हैं। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब अमरीका के विदेश मंत्री अक्टूबर महीने में भारत आए, बहुत चर्चाएं हुईं, उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत को अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या हम अपने देश की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी विदेशी की स्वीकृति या अनुमति लेंगे। हमने कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि हमें अपने देश और अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा अपने बलबूते पर करनी पड़ेगी। किसी भी अन्य देश के सहारे से नहीं और न दूसरे देश की गोद में बैठकर। यह वस्तुस्थिति आपके समक्ष आ चुकी है।

जब कश्मीर असेम्बली पर हमला हुआ तो सरकार जिस देश पर बड़ा भरोसा रखती थी, उस देश की क्या भूमिका रही। खबरें तो यहां तक हैं कि सी.एन.एन. द्वारा उस खबर को बताया तक नहीं गया, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। जब इजरायल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तो कहा गया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। लेकिन हम इतनी बड़ी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में, जिससे देश गुजर रहा है इतनी बड़ी घटना होने के बाद भारत के बारे में क्या बोला जा रहा है, उन्हीं देशों ने भारत के बारे में क्या कहा है। ''भारत को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है,'' यह उन राष्ट्रों ने नहीं कहा। आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, यह अच्छी बात है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन जो काम हो रहे हैं, जो कार्यवाइयां की जा रही हैं, उनसे जरूर लगता है कि कहीं न कहीं हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में कोई न कोई दखलंदाजी कर रहा है। हमने पूर्व में भी कहा था कि एक विदेशी हमारे देश को दो हिस्सों में बांट गया, लेकिन अगर कोई विदेशी हमारी दोस्ती (पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की) कराकर एक करा दे तो हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। हमने तब कहा था और आज भी हमारी यही राय है, जब दो-तीन बार विपक्षी दलों को बुलाया गया तो हमेशा आश्वस्त किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि सुधरी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं चिन्तन कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहां हैं। इतनी बड़ी संकट की घड़ी में हम कहां पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि कहां है अंतर्राष्ट्रीय मदद कहां है? आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति का परिणाम है कि हम आज इस संकट की घड़ी में देश अलग-थलग महसूस कर रहा है। सीधी मदद को कोई भी देश साथ नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क खुलकर हमारे साथ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर कहां अच्छी हुई? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपका कहां है? हमने आपको सावधान किया था 27 सितम्बर को कि गुटनिरपेक्ष नीति से मत हटिए। गुटनिरपेक्ष नीति के चलते तीसरी दुनिया का नेता था भारत। आज तो हम अपने पड़ोसी देशों के भी नेता नहीं। हम नेपाल के भी नेता नहीं, लंका के भी नेता नहीं, और तो छोड़ दीजिए। यह परिणाम है गुटनिरपेक्ष नीति को पूरी तरह से त्यागने और छोड़ने का। क्या कूटनीति में यह हमारी असफलता नहीं है, क्या विदेश नीति में हमारी असफलता नहीं है कि इतनी बड़ी संकट की घड़ी

में भारत के साथ कोई देश खुलकर नजर नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा अफसोस हमें और क्या हो सकता है?

सरकार की तरफ से कुछ बड़बोलापन भी बहुत हुआ। आप कह सकते हैं कि विपक्ष का भी बड़बोलपन है। हम लोगों का तो दायित्व है क्योंकि जब सरकार नहीं सुनना चाहती है तो मजबूती के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हम लोग खड़े करते हैं और कहते हैं कि शायद कभी शोरगुल के माध्यम से भी चिन्तन करना पड़ जाए। लेकिन प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के इस घटना के बाद जिस तरह के बयान आए हैं—प्रधानमंत्री जी कहते हैं—चुनौती स्वीकार है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादियों को खोज-खोज के मारेंगे। अमेरिका ने जो किया, क्या उसी तरह से आप कार्यवाही करने जा रहे हैं? अगर करना है तो हमें भी बुला लीजिए, सेना को भी बुला लीजिए, जनता को भी साथ लीजिए। लेकिन हमें पता है कि आर-पार की लड़ाई क्या हो रही है या चुन-चुन कर पकड़-पकड़ कर आप आतंकवादियों का सफाया कैसे कर रहे हैं। वह तो मुझे पता है कि आप जब विपक्ष में बैठते थे तो जनता के बीच भी और इसी सदन के बीच आप कहते थे कि हम चुटकी में कश्मीर की समस्या हल कर देंगे। अब आपकी चुटकी बंद क्यों है? इसी प्रकार के बड़बोलेपन की बात न करें। हम भी बड़बोलेपन की बात नहीं करेंगे, पूरा विपक्ष नहीं करेगा। हम बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपके साथ आज सत्ता में हैं, लेकिन वह भी महसूस करते हैं, वह भी उदास हैं, निराश हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा लालच है जिसकी वजह से शायद वे सही बात नहीं बोल पाते। बाहर जाकर माननीय प्रभुनाथ जी जैसे कुछ खुलकर बोल भी देते हैं। उसके बाद शायद उनको भी धमकी दी जाती होगी, पार्टी का दबाव होता होगा तो उनकी भी जुबान बंद हो जाती है। इसलिए हम राय देते हैं कि जो विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में शामिल हैं, या समर्थन दे रहे हैं, उनको इस देशहित के सवाल पर, देश की सुरक्षा के सवाल पर, देश के सम्मान के सवाल पर एकजुटता दिखानी चाहिए। आज देश का सम्मान खतरे में पड़ गया है, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, सीमाएं आज खतरे में हैं, शायद आज देश का मनोबल टूट रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, जब देश का मनोबल टूटता है या सुरक्षा बलों अथवा फौजों का मनोबल टूटता है, तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए दूसरी कोई नहीं होती। इसलिए आप कोई न कोई इसका रास्ता निकालें। अभी तक रास्ता निकाला नहीं गया है। अभी तक जितनी घटनाएं घटी हैं, उनसे स्पष्ट है कि आपने मजबूती के साथ और साहस के साथ कोई फैसला नहीं लिया है। आज मौका है, इतना समर्थन आपको कभी नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है, इसलिए कोई रास्ता निकालें। देश की सुरक्षा के लिए रास्ता निकालने हेतु आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। इसलिए देश हित में आप सच्चाई से काम करें। देश के हित के लिए काम करें, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं।

महोदय, दुनिया में बहुत से देश हैं जहां शासक कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, चाहे मुशर्रफ साहब हों या आपकी सरकार में बैठे लोग हों। जब देश हित में काम करना है, तो पहले उन्हें देश हित में सोचना होगा। देश हित की दृष्टि पहले रखनी होगी। इस आधार पर तैयार होना होगा कि हमें देश हित देखना है, कुर्सी हित नहीं, तब कहीं देश हित में काम हो पाएगा। मैंने यह बात इसलिए कही कि दो मौकों पर, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, अगर मिनट्स लिखे गये हों, तो चैक करा लें, उनको पढ़ लें, मैंने साफ कहा है कि आप अपने लोगों पर लगाम लगाएं। अयोध्या में आपको अपने लोगों पर लगाम लगानी होगी। जैसा आज अखबारों में छपा है, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को राम-मय होना पड़ेगा, ऐसा कहने वालों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। अगर देश को विश्वास में लेना है, विपक्ष को विश्वास में लेना है, तो आपको अयोध्या में अपने लोगों पर लगाम लगानी पड़ेगी।

महोदय, मंदिर में घुसने की घटना के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कुछ कहा, प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दूसरी ही बात कही। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि मंदिर में लोगों ने प्रवेश नहीं किया और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रवेश किया। इस प्रकार दो प्रकार की भाषाएं देश की एकता में बाधक हैं। इस प्रकार की बातों से देश की एकता नहीं रह सकती। अयोध्या के मामले में हमें देश के न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। यदि देश की जनता को विश्वास में लेना है, विपक्ष को विश्वास में लेना है और हमें विश्वास में लेना है, तो आपको निष्पक्षता से सोचना पड़ेगा अन्यथा लोग आपकी निष्पक्षता पर अंगुली उठाएंगे।

महोदय, 12 मार्च की घटना के बारे में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग कहते रहे, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधान मंत्री जी आपको इस बारे में नहीं कहना चाहिए था। 12 मार्च तक आप समाधान निकाल देंगे, आपके इस बयान से उनको बढ़ावा मिला। आपको मौन रहना चाहिए था। आपको सबको बुलाकर बात करनी चाहिए थी। देश की सीमाएं काफी लम्बी हैं। देश की सीमाएं चारों तरफ दूर-दूर तक फैली हैं। नेपाल की सीमा पर झगड़े हो ही रहे हैं। नेपाल में इमरजैंसी लगी हुई है।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अध्यक्ष महोदय, बांगलादेश में सुरक्षा बलों की लाशों को टांग कर जिस तरह फेंका गया, उस तरह पशुओं की लाशों को भी नहीं फेंका जाता। आपने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया। क्या इसी प्रकार से आप देश के लोगों को विश्वास में लेंगे, क्या इसी प्रकार से विपक्ष को विश्वास में लेंगे? इस प्रकार की कार्रवाइयों से देश की सुरक्षा नहीं होगी। जब देश की सुरक्षा के लिए सबको साथ लेकर आप खड़े होंगे, तब देश बचेगा। जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, उन्हें आप फांसी पर लटका दें। उनके लिए हम आप से कभी मना नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, समय हो गया। अब आप समाप्त करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं समाप्त कर दूंगा। यदि हम सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो सरकार के गलत कामों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जब हम अच्छे कामों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं और जब हम गलतियां बताने लगें, तो आप हमें सुनें नहीं। हम आपकी गलतियों को भी उजागर करेंगे और आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी, तथा आपके लोगों को सुनना पड़ेगा। यह बहुत अच्छा मौका है जब पूरा देश आपके पीछे खड़ा है और दृढ़ता से खड़ा है तो आपको कुछ करना चाहिए।

महोदय, मोहम्मद उमर जब गिरफ्तार हुआ था तब उसने क्या बयान दिया था। उसके बारे में मैंने दो साल पहले आपको चिट्ठी लिखी थी। श्री राम गोपाल जो राज्य सभा के सदस्य हैं, वे इसके प्रमाण हैं। आप पढ़कर देखिए। उन्होंने क्या बयान दिया था। देश भक्ति का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। किसी जाति-बिरादरी ने देश भक्ति का ठेका नहीं लिया है। जिस जाति को आप गाली देने का काम कर रहे थे, उसी जाति के व्यक्ति ने संसद की सुरक्षा करने में विशेष भूमिका निभाकर अपने प्राण गंवाए। संसद की सुरक्षा करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। इसलिए आप मुझसे मत कहलवाइए कि मेरी वजह से उ.प्र. में एक जाति विशेष के विरुद्ध तथा विशेष वर्ग के विरुद्ध क्या-क्या हो रहा है। मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता हूं। जो लोग आपकी राजनीति में विरोध पैदा कर रहे हैं, उनको देश से निकाल दो, समुद्र में फेंक दो। अगर आप हमें गाली देंगे, तो हम आपके साथ नहीं, परन्तु देश के साथ हैं। आप हमें कुछ भी कहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देश के साथ हैं। जो देश के हित में काम करेगा, हम उसके साथ हैं, लेकिन हम आपकी गलत नीतियों का साथ कभी नहीं देंगे, बल्कि उनके बारे में सदन में बताएंगे या जनता को बताएंगे।

महोदय, आप हमारे भाषण को खत्म कराना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहली पंक्ति में बैठे आपके मंत्री जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं और लम्बा बोलते हैं। वे कह रहे थे कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए। पाकिस्तान को चुनौती देकर कहा समय तय कर लीजिए, जगह तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए और न जाने क्या-क्या कहा। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं, उन्हें ऐसा बोलने से मना कीजिए। जब मंत्री, पद पर नहीं होता है, तो बात दूसरी होती है, वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब संविधान की शपथ ले लेता है और मंत्री पद ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भाषा दूसरी होती है। यह हम मानते हैं कि राजनीति में कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं, लेकिन जिन्होंने निष्पक्षता और ईमानदारी से बात कहने की शपथ ली है, उसको तो संभलकर बोलना पड़ेगा। आज लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के पूरे मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही, यह नहीं होना चाहिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उससे एक प्रकार का गलत मैसेज देश के लोगों को जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा से संबंधित कुछ संगठन ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मुसलमान, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें देश से निकाल दीजिए, लेकिन देश के सारे मुस्लिम समुदाय को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और न ही शक और अविश्वास करना चाहिए। इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। भाजपा से सम्बद्ध लोग ही इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

आपके लोग इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि इतने सालों से मुलायम सिंह ने जहाज के टिकट कहां-कहां से लिए हैं। आप यह पूछने में लगे हैं, सीमा पर कहां लगे हैं। हम जानते हैं कि क्या-क्या हो रहा है। 'इंडियन एक्सप्रैस' में यह छपवा देंगे कि मुलायम सिंह सी.बी.आई. को गाली दे रहा है। सी.बी.आई. मुलायम सिंह के इतने सालों के टिकट की जांच करेगी। मुलायम सिंह को जेल भेजने का काम करेंगे। इनकी कार्यवाहियों से हम न पहले डरे थे, न आज डरने वाले हैं। क्या यह नहीं हो रहा है? आप विपक्ष को निशाना बनाए हुए हैं कि कहां किसे फंसाएं। कहां किसने किया, कौन इनका हमदर्द है। मेरे पास रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी, हमने आपसे मिल कर उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी बातें बताई थीं। क्या यह कहना चाहते हैं? क्या सबका समर्थन लेना चाहते हैं? हमने कहां से टिकट लिए,

हम कहां-कहां गए, इसकी जांच बाकायदा सी.बी.आई. द्वारा करवाई जाती है, पूछा जाता है। आप यह खोजबीन नहीं कर रहे हैं कि आतंकवादी कहां हैं उनके ठिकाने कहां हैं? आतंकवादी दिल्ली में हैं।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वे जिम्मेदार होते हैं। ...*(व्यवधान)* इनको पचास मिनट हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यहां से हमारा मतलब दिल्ली से है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। ...*(व्यवधान)* क्या हमारा मतलब यहां हो सकता है? यहां के मायने दिल्ली से है। ...*(व्यवधान)* आप उम्मीद करते हैं। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी, संकल्प और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सरकार संकल्प और पुरुषार्थ दिखाए। परन्तु लगता है नहीं दिखाएगी।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने राय दी थी कि राष्ट्रीय एकता परिषद की तत्काल बैठक बुलाइए। कई सवाल हैं जिनमें राष्ट्रीय एकता परिषद का सवाल भी आ जाना चाहिए कि कहां क्या करें। यदि आप हम सबको विश्वास में लेना चाहते हैं तो मैं जो कह रहा हूं, यदि उस पर अमल करना है तो सत्ता में रह कर विपक्ष को ज्यादा अपमानित मत कीजिए। सत्ता हमेशा किसी के साथ नहीं रही है, यह दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए अयोध्या की बात बंद करें, उसे न्यायालय पर छोड़ दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव जी, हम सभा में अत्यंत गम्भीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कृपया इसे ध्यान में रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आप इनका बोलना बंद करवा दें तो मैं तीन मिनट में अपना भाषण खत्म कर दूंगा। अगर ये बोलते रहेंगे तो हम जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं बैठूंगा, एक घंटा और बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप भी उनको प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने कहा था, क्या पोटो ने मुकाबला कर लिया। इन विवादास्पद सवालों को बंद कीजिए। आप पोटो को बन्द कीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा न करें। आप लोग क्या कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: इस सदन में भुक्तभोगी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वे भी इसी प्रकार के पोटो जैसे कानून के भुक्तभोगी हैं। इसी प्रकार के कानून के तहत हम लोगों को 20-20 महीने के लिए जेल में बन्द किया गया था, कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, इसलिए इनसे आपको सबक लेना चाहिए तथा जो गलती इन्होंने की थी, इसे मत दोहराइए। शरद यादव जी, आप सबक लीजिए। इसलिए पोटो नहीं चाहिए। गोली-बारूद और जवान आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, पोटो नहीं करेगा, इसलिए पोटो को वापस लो, यह दहशत है। अभी हम लोगों में उत्साह है, लेकिन पोटो जैसे खतरनाक कानून को लेकर हममें और आपमें विवाद होगा। इसलिए सारे विवादों को छोड़कर देश को एक करो और देश को एक करके आप आतंकवादियों के खिलाफ और जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा हो, उसके खिलाफ मिल-बैठकर तय करके कार्रवाई करिये। जनता से अपील कीजिए, अगर धन की कमी है तो धन की कमी नहीं रहेगी, जवानों की कमी नहीं रहेगी, हम देश को बचाएंगे, देश की एकता और अखण्डता को कायम रखेंगे, देश की सुरक्षा को पूरी तरह से करेंगे, जिससे उस देश को भी सबक मिले और जिससे देश की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सके, आज हम देश हित में आपका साथ देने को तैयार हैं, इसलिए आज हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस संकल्प के साथ पुरुषार्थ दिखायें, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन शायद सबके साथ आपमें इतना साहस पैदा हो जाए। पूरे देश की एकता, अखण्डता और रक्षा करने के लिए हम पूरे के पूरे देश के साथ हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी और सरकार आज की परिस्थिति में सोच समझकर जो भी कदम उठाएगी, उसे वे पूरा समर्थन देंगे और उनको देश का समर्थन भी प्राप्त होगा।

कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात की घोषणा की थी कि जो भी कदम सरकार इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए या इसको प्रश्रय देने वालों के खिलाफ उठाएगी, उसका उनकी पार्टी समर्थन करेगी। मैं समझता हूं कि यह बात अन्य दलों की तरफ से भी कही जा रही है। यह बड़ा स्वागतयोग्य कदम है कि देश इस समय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एकमत है कि वे कोई भी कदम इस आतंकवाद या इसको सहारा देने वाले लोगों के खिलाफ उठायें तो उनका समर्थन किया जाएगा। यह भी सब जानते हैं कि देश में जनभावना इस समय ऐसी है, जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि पाकिस्तान जिसे यह प्रच्छन्न युद्ध करते हुए बहुत वर्ष हो गये हैं उसके विरुद्ध कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए।

सदन के सब सदस्य जानते हैं कि 1971 में भारत से पराजय के बाद जब पाकिस्तान के 91 हजार कैदी हमारी जेलों में थे, उसके बाद पाकिस्तान ने एक सोची-समझी साजिश के तहत यह फैसला किया कि युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तीन-तीन युद्ध करके पाकिस्तान हार चुका था तो उसने आतंकवाद के जरिये, प्रच्छन्न युद्ध के जरिये हिन्दुस्तान में अड्डे कायम करके, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को नष्ट-भ्रष्ट करके ऐसी एक साजिश बनाई कि हिन्दुस्तान को अन्दर से तोड़ने का प्रयास किया जाये। उस साजिश के तहत पिछले 15 वर्षों से हम आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। भीषण आतंकवाद का मुकाबला करते हुए जितने हमारे सैनिक युद्धों में नहीं मारे गये, उससे ज्यादा सैनिक इस प्रच्छन्न युद्ध में मारे गये हैं। यह भी ठीक है कि हमारे 30-35 हजार से ज्यादा निर्दोष नागरिक भी इसके अन्दर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने इसका जिक्र किया है, अन्य पार्टियों के लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं और उसका हवाला दिया जा रहा है।

जो घटना उस दिन हुई, उस घटना के बारे में भी मुलायम सिंह जी ने आलोचना की कि उस दिन की घटना में हमारे जिन लोगों ने शहादत दी, जिन्होंने 0-25 मिनट के अन्दर पांचों आतंकवादियों को मार गिराया और उनको लोक सभा और राज्य सभा में अन्दर आने से रोक दिया, उनकी सारे सदन ने प्रशंसा की। अगर हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो वही तो सरकार है, वही जो लोग यहां पर तैनात थे, वही तो ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर संसद को बचाया, सब की यहां पर रक्षा की। जब हम उनकी बहादुरी की, उनकी शूरवीरता की, उनकी कर्तव्यनिष्ठा की और उनके बलिदान देने की प्रशंसा करते हैं, तो फिर यह कहना कि मोनूमेंटल लैप्स है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। वही लोग सुरक्षा पर लगाये गये थे, वही तैनात किये गये थे, उन सुरक्षाकर्मियों ने अपनी ड्यूटी को निभाया तो उनके पार्ट पर लैप्स कैसे हुआ। आज हम उनका अपमान करते हैं जब यह कहते हैं कि उन्होंने लैप्स कर दिया। यहां पर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

तीन दिन के अन्दर दिल्ली पुलिस ने सारे काण्ड का पर्दाफाश कर दिया, इसकी भी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। उस दिन जो काण्ड हुआ, मैं समझता हूं कि तीन दिन में पुलिस का पता लगा लेना, पांचों व्यक्ति पाकिस्तान के थे, इसके बारे में साबित कर देना और सोपोर से पकड़कर हाथ में आने के बाद पता लगा लेना कि कौन-कौन लोग उनके पीछे थे, उसका भी पर्दाफाश कर देना प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं कि हमारी जो इंटेलीजेंस एजेंसी है, जो पुलिस है, जो सी.आर.पी.एफ. के लोग थे, उन लोगों ने एक ऐसा काम किया है, जिस पर संतोष व्यक्त किया जाना चाहिए था। यह ठीक है कि आज मुलायम सिंह जी या अन्य पार्टियां कह रही हैं कि हम सरकार के साथ हैं, मैं उस वातावरण को खराब नहीं करना चाहता।

लेकिन मुलायम सिंह जी ने एक बात कही कि सारे देश को एकत्र होना चाहिए और जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको देश छोड़ दे। वह तो ठीक है कि आप कुछ बातों का जिक्र करें कि विवादास्पद बातों को छोड़कर आज देश को एकजुट होकर तैयार होने की जरूरत है, पर उसी बीच में उन्होंने कह दिया कि पोटो भी विवादास्पद है और उन्होंने उसका कभी समर्थन नहीं करना, हमने उसको पास नहीं होने देना और इसलिए आप लोग उसको छोड़ दीजिए। यह तो अजीब बात की जा रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर रहे, आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहे और जब कोई काण्ड की बात आये तो आप कहते हैं कि आप कदम नहीं उठा रहे हैं, आपने अब तक यह क्यों नहीं किया आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए कोई कानून होना चाहिए कि नहीं। दुनिया भर के सब मुल्कों में कानून है, उसको ये कहते हैं कि यह विवादास्पद बात है, इसलिए इस कानून को छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह जी, आपने अभी जिक्र किया, इसमें सारे मुसलमानों का सवाल बिल्कुल नहीं है। 12-13 करोड़ जितने मुसलमान देश के अन्दर हैं, उनकी देशभक्ति पर कोई एतराज नहीं कर रहा, कोई आपत्ति नहीं कर रहा, उनमें से बहुत से अब्दुल कलाम जैसे हैं, जो हमारे देश के एडवाइजर रहे हैं और बहुत से लोग हैं, जिन्होंने इस देश की बहुत बड़ी सेवा

की है और आज भी कर रहे हैं। हमारी सेना में भी बहुत से मुसलमान हैं। फिर आपने कहा कि एक लाख, 50 हजार, 30 हजार अगर कोई आतंकवाद के समर्थक कोई हों तो उनको फांसी लगाओ। परन्तु आपने यह नहीं बताया कि कोई आतंकवाद में शामिल हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, किस कानून के मातहत कार्रवाई करें, क्या आतंकवाद के खिलाफ कई कानून ही देश में नहीं होना चाहिएं और अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप कहते हैं उसको आपने पास नहीं होने देना। मुलायम सिंह जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों और दूसरे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि यहां पर टाडा लगा, दूसरे कानून बने। परन्तु पोटो के लिए यह कह दिया जाये कि यह तो ड्रैकोनियन लॉ है। आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कानून हो, वह ड्रैकोनियन कैसे हो गया। राजीव गांधी जी ने टाडा पास किया था। कहा जाता है कि कानून ड्रैकोनियन नहीं होता, उसके पीछे जो व्यक्ति होते हैं, वे ड्रैकोनियन होते हैं राजीव गांधी जी ने टाडा पास किया था तो क्या उनको ड्रैकोनियन कहा जा रहा है? अगर इंदिरा गांधी ने मीसा पास किया था तो क्या उनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): तब आप लोगों ने क्या नहीं कहा था।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आतंकवाद को खत्म करना है, इसके लिए सारा देश एक हो, यह बहुत ही आवश्यक है। आपने ठीक कहा कि अयोध्या का मामला न्यायालय तय करेगी, सरकार ने भी उसके बारे में यही कहा है। इस समय देश को विभाजित करने वाली चीजें छोड़ देना ठीक है, जब पाकिस्तान से मुकाबला करना हो। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मुशर्रफ पर आप पोटो लागू करोगे?

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आप कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अन्दर जो आतंकवादी अड्डे हैं, उनको स्मैश कर दिया जाये। मुलायम सिंह जी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। हमारे अन्य नेता भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। सरकार इस बारे में कोई फैसला करे, उसके पहले सारे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, आपकी यह मांग उचित है। हम भी इसको सही मानते हैं कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले विपक्षी दलों से और सहयोगी दलों से बातचीत करके विश्वास में लेना चाहिए। इसके अलावा सेना को भी विश्वास में लेना चाहिए। जहां पर कार्रवाई होनी है, वहां की राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेना चाहिए, यह मांग भी ठीक है और उचित है। सरकार ने इस बारे में काम शुरू भी किया है। देश का जनमानस इस बारे में कह रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु उसके लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कानून ही न हो, तो कैसे यह होगा। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनका क्या करें, क्या इनकी दो दिन में जमानत हो जाए, इनको कहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को कांफिस्केट करना चाहिए या नहीं और कहां से पैसा आ रहा है, उसको पकड़ना चाहिए या नहीं।

कुंवर अखिलेश सिंह: पकड़ना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : पकड़ना चाहिए तो बिना कानून के कैसे पकड़ा जा सकता है। कैसे उनका पैसा जब्त किया जा सकता है, कैसे उनके हथियारों को पकड़ा जा सकता है, कैसे उनको बिना जमानत के रखा जा सकता है, इसके लिए कानून की जरूरत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप विवादास्पद बात न कहें। यह देश की सुरक्षा का सबसे प्रभावी हथियार है, इसको करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि दिल्ली में बहुत आतंकवादी छिपे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, जब यह बात कही गई थी कि हिन्दुस्तान में कोई भी आदमी आकर कहीं भी रह सकता है। यह ठीक नहीं है गिलानी आया और आकर किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। पिछले दस महीनों से काफी लोग यहां आकर रह रहे हैं। कई बार यह सवाल सामने आया था कि दिल्ली में, बड़े-बड़े महानगरों में और दूसरी जगहों पर लोग आते हैं, तो पता नहीं चलता। उनमें क्रिमिनिल्स भी आते हैं, अक्जोर्सिस्ट्स भी आते हैं, माफिया भी आते हैं। जो आतंकवादी यहां आते हैं, उसके लिए एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए। दिल्ली में आने पर किसी पर प्रतिबंध न हो, दिल्ली सारे देश की है। इसी तरह मुम्बई सारे देश की है, लोग जरूर आएं। परंतु आते समय यह पता तो चलना चाहिए कि कौन आ रहा है। इसके लिए यहां एक रजिस्टर बने, सारे हिन्दुस्तान का एक नेशनल रजिस्टर बने। जो भी यहां आए, वह आते वक्त बताए कि कहां से आया है, कहां रह रहा है और अपने आप को रजिस्टर कराए। जब यह योजना रखी गई तो बड़ा हाहाकार मचा। बहुत कहा गया कि मानवाधिकारों की हत्या हो रही है। दिल्ली में लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोगों के आने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो भी आए वह यहां आकर अपने आपको रजिस्टर कराए।

कुंवर अखिलेश सिंह: किसी ने विरोध नहीं किया था।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं सारे रिकार्ड दिखा दूंगा कि जब यह मामला उठा था तो कितना विरोध किया गया था तो ठीक है अब यह सदन फैसला कर ले। लैट द होल हाउस टेक ए

[डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा]

डिसीजन। इस देश में एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आने वाले का पता चल सके। पूरे देश में डेढ़-दो करोड़ बंगलादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं। लाखों की संख्या में लोग वीजा लेकर यहां आए और वापस नहीं गए। पता नहीं कहां रह रहे हैं, कहां छिप गए हैं, किस झुग्गी-झोंपड़ी में या किराए के मकान में रह रहे हैं। उनका पता कैसे लगे, कोई पहचान ही नहीं है। हिन्दुस्तान के अपने आदमी की पहचान क्या है, कोई तो पहचान होनी चाहिए। आज बंगलादेश के घुसपैठिए दिल्ली में चार-पांच लाख से ज्यादा हैं। अगर उनकी पहचान की जाती है, उनको वापस भेजने की बात होती है, तो उसके लिए बहुत बावेला मचाया जाता है। मित्रो, मैं विचार करने की बात कह रहा हूं कि इस पर अवश्य विचार करना चाहिए।

जब आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो यह इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहां आने वालों में हिन्दू माफिया के लोग भी हैं और बड़े-बड़े क्रिमिनिल्स भी आकर यहां बस जाते हैं। उन पर कोई रोक होनी चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए, वे यहां आकर अपने आपको रजिस्टर कराएं, यह तो होना ही चाहिए। लेकिन इसको नहीं होने दिया।

आडवाणी जी ने एक बार यहां तक कहा था कि बंगलादेश के घुसपैठियों की पहचान करके उनको वर्क परमिट या रैड कार्ड दे दिया जाए, उनको एकदम से नहीं निकालते। लेकिन उसका भी विरोध किया गया। यह कहा गया कि उनको रैड कार्ड भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए इस योजना को भी सफल नहीं होने दिया गया। सीमा के पास लगे हुए गांवों के लोगों को पहचान पत्र दिए जाते हैं। वहां से लेकर बड़े-बड़े शहरों से इसको शुरू करके सारे देश में लागू करने की बात की जाए, तो इसका बहुत विरोध किया जाता है। इसीलिए यह बात मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

यह नहीं कि उस पर सवाल हम यहां खड़ा करें। मुलायम सिंह जी ने यहां मदरसों के बारे में थोड़ा जिक्र किया। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मदरसों के बारे में पाकिस्तान सरकार स्वयं प्रतिबंध लगा रही है। उनके यहां आधुनिक पढ़ाई हो और जेहादी मानसिकता के लोग न निकलें, इसके लिए अरबों रुपये की ग्रांट दी गई। मिश्र, अल्जीरिया और नाइजीरिया ने मदरसों पर बैन लगाया। दुनिया के सब मुस्लिम देश तालीबानी जैसी, जेहादी मानसिकता के लोग न निकलें, इसके लिए अपने यहां मदरसों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और जब यहां यह सवाल आया कि यू.पी. में नेपाल सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में जो मदरसे आदि कहीं भी खुल जाते हैं, वह परमिशन लें, स्थान बनाने से पहले परमिशन ले लें, तो इस पर क्या बवंडर नहीं मचाया गया? क्या-क्या बातें नहीं कही गईं? कहा गया कि उनके खिलाफ बड़ी भारी साजिश हो रही है।

यह कानून मध्य प्रदेश में था तो ठीक था और वेस्ट बंगाल में था तो ठीक था और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यों ने यह कानून बनाया तो बिल्कुल ठीक था, महाराष्ट्र में भी ठीक था परंतु जब यहां कहा गया कि इस समय अनेक क्षेत्रों में मदरसे बन रहे हैं, जहां पर आईएसआई के अड्डे हैं, मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं परंतु जिन मदरसों में वे छुप रहे हैं, जिनमें जेहादी मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में कार्यवाही होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में पांच साल से आपकी सरकार है, ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: सारे विश्व भर में जो टैरेरिज्म के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष की तैयारी की जा रही है, उस तैयारी में सारे विश्व में यह कहा जा रहा है कि इस जेहादी मानसिकता को बदलने की जरूरत है अमरीका भी कह रहा है और दूसरे देश भी कह रहे हैं कि यह कोई सिविलाइजेशनल कांफ्लिक्ट नहीं है। इस्लाम के साथ इसका कोई कांफ्लिक्ट नहीं है। अफगानिस्तान में तालीबानी खत्म हो गये। तालीबानियों ने वहां पर क्या-क्या किया था और किस तरह से अफगानिस्तान के लोग उनसे छुटकारा पाकर खुशियां मना रहे हैं। ऐसे अड्डे अपने यहां हैं, तालीबानी पैदा हो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई रोक लगाये, या उसकी जांच करे तो उसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। उनके निराकरण के लिए मदद देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो आईएसआई के हैं, वे भारत में न पनपें।

एक और तरह के लोग यहां पनप रहे हैं, मानवाधिकार के नाम पर यहां लोग उठ रहे हैं। यह जो प्रौफेसर गिलानी साहब पकड़े गये, इनका सबंध किस-किस पार्टी के साथ था, वहां वे कैसे-कैसे जुलूस निकालते थे, कैसे वहां पर मानवाधिकार के नाम पर वहां बुलाकर लैक्चर कराते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किन-किन पार्टीज के साथ कहां-कहां से उनके संबंध बने हुए थे, परंतु देश भर में यह हो रहा है कि कोई मानवाधिकार का नाम ले ले और एक्सट्रा-लैफ्ट और प्रो-लैफ्ट बन जायें और सभी स्थानों ऐसी कार्यवाइयां करें और बीच में बैठकर आतंकवादियों को

प्रश्रय दे और उसके पीछे इस तरह की कार्रवाई करे तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि अगर आतंकवादियों के मानवाधिकार हैं, अगर हत्यारों के मानवाधिकार हैं, लोक सभा को उड़ाने की साजिश करने वाले और उनके पीछे बैठे हुए लोगों के मानवाधिकार हैं तो जो लोग उनका शिकार हो रहे हैं, उनके मानवाधिकार भी तो हैं। जो यहां पर कई हजार लोग मारे गये, उनके बच्चे अनाथ हो गये, उनके मानवाधिकार हैं या नहीं हैं? परंतु आज मानवाधिकार के नाम पर उनकी मदद की जाती है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चार दिन या दस दिन ज्यादा जेल में रह गया या 24 घंटों के बजाए यदि किसी को 48 घंटों में पेश कर दिया या उसका रुपया और उसकी जायदाद जब्त कर ली तो उस बिचारे पर कितना बड़ा अत्याचार हो गया? हां, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इसकी कार्रवाई नहीं हो।

'पोटो' में कहा गया है कि अगर कोई अफसर भी ऐसा करेगा तो उसको भारी सजा देने का प्रावधान है। पहली बार किया जा रहा है कि कोई अफसर अगर निर्दोष व्यक्ति को जान-बूझकर या साजिश के तहत उसको किसी केस में फंसायेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है परंतु 'पोटो' के बारे में ऐसा बना दिया गया है कि यहां 'पोटो' अगर पास हो गया तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा। अब इस समय देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी सब दलों से राय करके और जो आतंकवाद के संरक्षक हैं, उनको सही तौर पर जवाब देने के लिए तैयारी करें जिससे सारे देश में कोई आतंकवादी नहीं पनप न सके, उसको कोई धनराशि न दे सके, उसको कोई पैसा न दे सके, आने वाले रुपये को जब्त किया जा सके, उसके लिए 'पोटो' जैसे कानून का होना निहायत आवश्यक है। ...*(व्यवधान)* आप लोगों ने बहुत आपत्ति की कि हमने यह कैसे कह दिया कि जो पोटो के साथ नहीं हैं, वह देश हित का ध्यान नहीं कर रहे हैं। जो 'पोटो' कानून रोक कर आतंकवाद पर रोक नहीं लगाना चाहते, उनके लिये किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्या वह देश का हित कर रहे हैं? आतंकवादियों को पकड़ा न जा सके, उसको रोकना क्या यह देश हित की बात है? ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): विजय मल्होत्रा जी, यह क्या कह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आपने हमले को क्यों नहीं रोक लिया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: ये पोटो की मुखालफत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आप कह रहे हैं कि जो लोग विदेशी हैं, उन पर लगाया जाए पर जो प्रौफेसर गिलानी जैसे लोग हैं, इन पर क्या करें? वह अपने देश के हैं, इसीलिए क्या उन्हें छोड़ दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करें? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह गंभीर विषय है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में बाधा न डालें, यहां बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: (शिवकाशी): दूसरों को सुनने के लिए उनमें धैर्य होना चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव जी एक घंटे तक बोले हमने कोई व्यवधान नहीं डाला।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में बहुत शोर हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: सच उनके लिए बहुत कड़वा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया टीका-टिप्पणी बन्द करें।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं मैं समझता था कि जो-जो जिस-जिस ढंग से सरकार पर आरोप लगायेगा, उसका जवाब देने

[डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा]

के बारे में मैंने सोचा था, परंतु आज की परिस्थिति में जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है और सभी दलों के लोग पूरा समर्थन देकर, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उस समय वातावरण में कटुता पैदा न हो, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में भयंकर परिस्थिति को समझते हुए सारा देश और सारे दल जनता की भावनाओं के अनुरूप आप सब माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ मजबूत करें, उनका आह्वान करें कि वह इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, उसके संरक्षकों को सबक सिखाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उसका माकूल जवाब देने के लिए वह कड़ी कार्रवाई करें।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, जिन भाइयों और बहनों ने इस सदन के सदस्यों की जानें बचाने के लिए और इस सदन की प्रतिष्ठा रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनका यहां पर हमने श्रद्धांजलि देकर आदर किया है, मगर जितनी भी हम श्रद्धांजलि दें, वह कम है, ऐसा मैं मानता हूं। इस पूरे सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेता की ओर से हम सब लोगों की ओर से फिर से हम उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

यह ठीक है कि 13 दिसम्बर को क्या हुआ, उसके बारे में गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया और आज यहां चर्चा शुरू हुई है। हमारे देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता और इसलिए देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हम लोगों ने देश की सुरक्षा की चर्चा करना बहुत दिनों से बंद किया है। सुरक्षा के संबंध में जब हम अर्थ-संकल्प के समय चर्चा कर सकते हैं तो अन्य समय भी चर्चा कर सकते हैं।

यह चर्चा विधान परिषदों या विधान सभाओं में नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी हमने इन बातों की चर्चा नहीं की और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो बारीकियां हम लोगों को सदन के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने रखना जरूरी था, हम नहीं रख सके हैं और शायद उसकी वजह से कुछ हमारी कमजोरियां भी यहां पर निर्मित हुई हैं। आज हम जिम्मेदारी से चर्चा कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद हुई है, मगर हम जब चर्चा करते हैं और कुछ टीकायें करते हैं, तो मेहरबानी करके यह न समझिएगा कि किसी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए हम बोल रहे हैं।

हमारे सामने, देश के सामने कुछ प्रश्न हैं। हम यहां जब बोलने जा रहे हैं, तो कुछ गलतियां सरकार की ओर से होती हैं, अगर उन गलतियों की चर्चा सदन में नहीं करेंगे, तो कहां करेंगे। सदन में सारे बैठे हुए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, सारे नेता बैठे हुए हैं, समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, भविष्य को जानने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके बीच में अगर चर्चा नहीं हो, तो कहां हो और चर्चा करते समय अगर किसी ने बताया कि यहां पर गलती है, तो यह समझना कि बदनाम करने के लिए यह कहा जा रहा है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। अगर सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो रही है और गलती की तरफ हम कुछ अपनी दृष्टि नहीं दे रहे हैं, तो गलतियां आगे उसी प्रकार से चलती रहेंगी, तो दुरुस्ती नहीं हो सकती है। यह स्थान हम जो कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करने का स्थान है और हमने जो अच्छा किया है, उसको अच्छा कहने का स्थान है। हमने जो गलती की है, उस गलती को भी सामने रखकर, सब मिलकर उस गलती को किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है, इसके बारे में सोचने का स्थान है। अगर इस स्थान का इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाएगा, तो शायद हम सब लोग जो यहां बैठने वाले हैं, कर्तव्य से पदच्युत हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। मेरी विनती है कि इस दृष्टिकोण से आज इस चर्चा की ओर देखना चाहिए। इस सदन में जब-जब भी बोलने का मौका मिला है, सुरक्षा के बारे में बोलने का मौका मिला है, मैं नम्रता से कहना चाहता हूं मैंने कहा है कि शायद लड़ाई नहीं होगी, मगर आतंकवाद बढ़ता रहेगा। आतंकवाद अगर बढ़ता रहने वाला है, तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए हमें कारगर कदम उठाना जरूरी है। अगर हमने दूर की सोचकर कारगर कदम नहीं उठाये, तो हम इस आतंकवाद को नहीं रोक सकते हैं। फूलन देवी जी के समय चर्चा हुई, सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई, उसके पहले हुई और बार-बार हमने यही कहा है। मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों ने एक थ्योरी को सामने रखा है। उनकी थ्योरी है, एक दिन की लड़ाई के लिए हजारों-करोड़ों रुपयों की कीमत हमको चुकानी पड़ती है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मगर आतंकवाद के लिए एक दिन की लड़ाई की कीमत से पांच साल आतंकवाद चलाया जा सकता है। यहां जो लोग मारे जाते हैं, वे कोई सैनिक नहीं होते हैं। दूसरे राष्ट्र से लाए हुए होते हैं, अपने राष्ट्र से लाए हुए नहीं होते हैं, उनकी मदद से आतंकवाद किया जा सकता है और संसार को यह बताया जा सकता है, देखिए हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसलिए जो पड़ोसी राष्ट्र के नेता हैं, जो वहां के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस थ्योरी को सामने रखा कि हमें टैररिस्ट एक्टिविटिज को बढ़ाना चाहिए। इसमें पैसा खर्च कम होता है और आदमियों की जान की हानि कम होती है तथा हमारी जिम्मेदारी भी नहीं होती है। इस थ्योरी को सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसको समझकर, इसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है, नहीं तो

यह रुकेगा नहीं। हमको इसको समझना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठायेंगे, तो हमारी गलती होगी।

इस बारे में क्या किया जा सकता है, मैं इसके संबंध में आपकी इजाजत से थोड़ी देर बाद बताना चाहूंगा। मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, कृपा कर आप मुझे समय दे दीजिए, इसके लिए मैं आपको पहले से ही विनती कर रहा हूं। मुख्य विषय पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो सदन है, यहां मुझे बैठने का मौका 20 साल से मिल रहा है। यह सदन और हमारी जान करीब-करीब एक जैसी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। अगर एक गोली इस सदन की दीवार पर लगे तो हमें लगता है कि हमारे शरीर पर गोली लगी है। यहां का वाच एंड वार्ड का एक आदमी चला गया तो हमारे घर का आदमी चला गया, ऐसा हमें लगता है। इस दृष्टि से इस की ओर देखना जरूरी है। इस सदन की सुरक्षा कुछ दीवारों की सुरक्षा नहीं है, यहां बैठे हुए 700-800 सदस्यों की सुरक्षा नहीं है या काम करने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं है, इस सदन की सुरक्षा का मतलब है, हमारे देश की प्रतिष्ठा की सुरक्षा। यह करने के लिए कुछ दिन पहले कदम उठाए गए थे। यहां उस पर कुछ हुआ भी, मगर यह भी मानना चाहिए, आज और इसी वक्त मानना चाहिए, अगर इस वक्त वह बात सामने नहीं आई तो फिर बाद में कभी भी नहीं आएगी और अगर आई तो उसका कुछ असर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं कहता।

महोदय, इस सदन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब पहले कुछ कदम उठाए गए थे तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। आज हमें कम से कम यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। इस सदन की सुरक्षा का जो प्लान बनाया था, उस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं हुआ। यह बड़ी खुशी की बात है कि स्पीकर साहब ने आज सुबह बैठक में कहा कि जो कुछ भी जम्मू-कश्मीर में हुआ, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी एपाइंट की, वह कमेटी रिपोर्ट देने जा रही है। उस पर अमल किया जाएगा और इस सदन को सुरक्षा दी जाएगी। यहां कहा गया कि हमारे भाईयों ने अपनी जान पर खेल कर यहां बैठे हुए लोगों की जान की रक्षा की। यह बात सही है कि अगर वक्त पर दरवाजें बंद नहीं होते तो कोई भी अंदर आ सकता था और यहां भयानक घटना हो सकती थी। यह जो ड्रिल है, उसकी वजह से दरवाजा वक्त पर बंद हुआ, वे लोग अंदर नहीं आ सके और यहां के लोगों की रक्षा हुई। मगर हम यहां पर भी रुक नहीं जाए, इस के सारे पहलू पर हमें सोचना पड़ेगा, आपको हमें और देश को देखना पड़ेगा।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारी संसद को खतरा है, ऐसा हमें लग रहा है। उनको मालुमात थी। उसके बाद शायद उन्हें वक्त कम मिला होगा। मगर मैं पांच साल पहले से कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारा संसद टारगेट हो सकता है, इसके बावजूद भी संसद के कम्पाउंड के अंदर जो पांच लोग आए, उन्हें आने से रोकने का हमें जो काम करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। क्या हम इस भुला सकते हैं। अगर हम इसे भूल नहीं सकते, हम किसी को दोष नहीं लगाना चाहते, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि आगे चल कर इसके बारे में कारगर कदम उठाए जाएं। क्या ऐसी बात नहीं हो सकती कि इस जगह की सुरक्षा के लिए हम इंतजाम करें, उसकी रिंग्स बढ़ाएं। यहां पर हवाई जहाज या दूसरी किसी चीज का भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए दूरदृष्टि से इस के बारे में तैयारी करें। स्पीकर साहब ने तो काम शुरू किया है, मगर मेरी सदन से भी विनती रहेगी कि स्पीकर साहब जो करने जा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से सदन के लोगों और सरकार को भी उनकी मदद करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकेंगे। इस सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी और सरकार को भी उठानी पड़ेगी। उसके लिए जो कारगर कदम दिल्ली में, देश में और देश के बाहर भी उठाने जरूरी हैं, वे उठाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए दृष्टि आगे रख कर जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे और वे अमल में नहीं आयेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह डर खत्म हो गया, हमारी संसद का डर खत्म हो गया है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप मेहरबानी कीजिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके नाम पर ऐसा मत कहिए कि उनकी जान गई और आपकी जान बच गई।

यह बात गलत होगी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी और इस सदन के ऊपर संकट आ सकता है। भगवान ऐसा न करे और मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन जिस दिन आपकी मानसिकता ऐसी बनेगी कि उन्होंने जान दी और हमारी जान बच गयी, तो समझना कि संकट और बढ़ गया। इस दृष्टि से हमें इस बात को देखना चाहिए। यह ठीक है कि इस बार जो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी नहीं बननी चाहिए। इसके बारे में पूर्ण-रूपेण यहां पर खड़े होकर बोलना कठिन है, इसलिए जब कमेटी में इस बारे में विचार होगा तो वहां अवश्य कहूंगा।

यहां पर मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यहां पर राष्ट्रपति भवन है, सेना भवन है, विधान सभा है, संसद भवन है

[श्री शिवराज वी. पाटील]

जिनके बारे में सुरक्षा की दृष्टि से, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य एग्जीक्यूटिव के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी के बारे में बोल रहे थे कि वह कुछ अच्छे ढंग से निभाई जा रही है, लेकिन संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उतने अच्छे ढंग से नहीं निभाई जा रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और संसद ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जाने के लिए इजाजत मिल जाती है, वहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि यहां की सुप्रीम-कोर्ट, हाई-कोर्ट, दिल्ली की विधान-सभा, हमारे हैड-क्वार्टर्स, आर्मी हैड-क्वार्टर और दिल्ली में जो मौन्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षा देना बहुत आवश्यक है। अगर इस दृष्टि से विचार हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उस पर विचार करके अमल करें और अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरी तरह से विचार करके, उनकी सुरक्षा के लिए गंभीरता से कदम उठाना बहुत जरूरी है। साथ ही देश की सुरक्षा का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश की सुरक्षा केवल दिल्ली की सुरक्षा केवल दिल्ली की सुरक्षा से नहीं हो सकती है। हमारे बड़े शहर हैं, विधान सभाएं हैं, नेवल और एयर-फोर्स स्टेशन हैं, एटोमिक स्टेशन हैं, बड़े डैम हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे।

ऐसी जब कोई घटना होती है, हादसा होता है तो कहा जाता है कि सब कुछ ठीक करेंगे लेकिन मैं जानता हूं कि जब समय टल जाता है तो सरकार में बैठकर लोग उस घटना की गंभीरता को भूल जाते हैं और दूसरी घटना होने के बाद फिर जाग उठते हैं कि डिफेंस कितनी होनी चाहिए, सुरक्षा कितनी होनी चाहिए, अगर ऐसी सुरक्षा होती तो ठीक होता या यह कि सुरक्षा कितनी भी कर लो, ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। कोई अगर कुछ करना चाहे तो कितनी भी सुरक्षा कीजिए, वह करेगा। लेकिन अगर हम इस बात को भूल जाएं और कुछ भी प्लॉन न करें, कुछ भी एक्शन न करें तो आप सोचिये कि इसका नतीजा क्या होगा? जो कुछ प्लॉन करके रोका जा सकता है वह तो रुकेगा नहीं और उससे ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे समय पर हमें कुछ निश्चय करना होगा, संसद और देश की सुरक्षा को मजबूत करना होगा, पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

एक भाई अभी उठकर बोले कि आप पोटो का विरोध कर रहे हैं इसलिए मुश्किल हो रही है। मैं इस बात को चर्चा में लाना नहीं चाहता था लेकिन विषय उठ गया है तो थोड़ी सी बात इसके बारे में भी कहूंगा। जब 13 दिसम्बर का हादसा हुआ तो क्या पोटो नहीं था? पोटो अस्तित्व में था लेकिन पोटो इस घटना को होने से रोक नहीं सका। सन 1992 में जब हादसा हुआ तो टाडा भी अस्तित्व में था, लेकिन उस घटना को होने से हम रोक नहीं सके। दूसरी जगहों पर भी घटनाएं हो गयीं लेकिन हम उन्हें भी रोक नहीं सके और इस बात को हमें मानना पड़ेगा।

हम कटुता निर्माण करना नहीं चाहते मगर जो लोग पोटो के पक्ष में बोल रहे हैं, वे अपनी अंतर-आत्मा में झांक कर देखें और पूछें कि उन्होंने टाडा के संबंध में उस वक्त क्या-क्या कहा था? उस समय उन्होंने इसके संबंध में जो कहा था तो क्या वह पोटो के बारे में सही नहीं है? अगर कानून की जरूरत है तो जो मौजूदा कानून हैं, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। यदि इस कानून में बदलाव करना है तो करिए। ऐसा दूसरा कानून चाहिए तो किस प्रकार का कानून लाया जा सकता है, जिससे सर्व-साधारण शहरी नागरिक की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आ सके उसके बारे में देखना चाहिए। उसका कॉफनैशन का प्रॉवीजन बहुत अलग प्रॉवीजन है, बेल का प्रावीजन अलग है। आप इंटरसैपशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, किसी के टेलीफोन के इंटरसैपशन के बारे में बात कर रहे हैं, वह जो कानून है, उसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है मगर उसमें कॉनफैशन और बेल का प्रोविजन है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार के कॉनफैशन की जरूरत नहीं है। किसी ने उठ कर पूछा कि किसी ने किसी को पकड़ा तो क्या उसे जेल में नहीं रखना चाहिए? यहां बहुत से वकील साथी बैठे हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के कानून के तहत भी अगर कोई आदमी बाहर जाकर गुनाह करता है, तो उसे बेल नहीं दिया जा सकता है। हमने देश के कुछ लोगों और चीफ मिनिस्टर्स तक को जेल में रखा, उनको बाहर जाने नहीं दिया। कितने दिनों तक जेल में रखा? अगर जरूरी है तो क्या टैरारिस्ट्स को नहीं रख सकते हैं क्या आप नहीं जानते कि कितने मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा? उन्हें छोड़ा नहीं गया। उन्हें एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में भेजा गया और छोड़ा नहीं गया। इसी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगर उसके बारे में व्यवस्था की जा सकती है तो टैरारिस्ट्स के बारे में क्यों नहीं की जा सकती है?

मैं पोटो के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उसकी डिटेल में चर्चा हो सकती है। जब डिटेल में चर्चा करने का मौका आएगा तो उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे मगर सवाल पैदा होता है कि इस हालत में क्या किया जा सकता है। हम सिर्फ टीका करके बैठने वाले नहीं हैं। क्या किया जा सकता है, इस बारे में जो हमारे मन में है, उसे सदन के सामने रखना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है सबसे पहला काम इंटैलिजैंस कलैक्ट करने का है। एक शहर या देश को सुरक्षा देने की जो शृंखला है या हमारी सॉवेरेनिटी को सुरक्षित रखने की जो

शृंखला है, उसकी सबसे कमजोर अगर कोई कड़ी है तो वह इंटैलिजैंस गैदरिंग मशीनरी है। वह मॉडर्न नहीं है। जो साधन दूसरों के पास हैं, वे हमारे पास नहीं हैं। इंटैलिजैंस जब भी हमारे पास आता है तो उसे एनालाइस करने में तीन-चार महीने लग जाते हैं। अगर चार महीने तक इंटैलिजैंस का एनालाइसिस नहीं होगा तो उसका क्या उपयोग होगा? इंटैलिजैंस गैदरिंग का एक सवाल है और इंटैलिजैंस एनालिसिस का दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि कनक्लूजन में आने के बाद उस इंटैलिजैंस के आधार पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाये? क्या ऐसी रैपिड एक्शन मशीनरी हमारे हाथ में है? उस समय ऐसे सवाल पैदा होता है। इंटैलिजैंस कलैक्ट करने की, इंटैलिजैंस एनालिसिस करने की और इंटैलिजैंस पर एक्शन लेने की कड़ी जब तक मजबूत नहीं होगी, हमारी सुरक्षा कमजोर रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस दृष्टि से विचार करना जरूरी है। यहां पर हम लोग यह देखते हैं कि जब भी कोई टैरारिस्ट एक्शन होता है तो आर्मी को बुला लिया जाता है और वे स्थिति को सम्भालती है। आर्मी की जब भी जरूरत है, बुलाना चाहिए और उन्हें ये सब देना चाहिए। उन्हें कभी नहीं बुलाना चाहिए, ऐसी नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि हमारी पुलिस फोर्स एक्सपर्ट, मजबूत, मॉडर्न और वैल इक्विप्ड नहीं है। पुलिस के पास इनवैस्टिगेशन के मॉडर्न इक्विपमैंट्स नहीं हैं इसलिए उनके इनवैस्टिगेशन में कमजोरी रह जाती है और आतंकवाद बढ़ता जाता है, कलप्रिट्स छूट जाते हैं। पुलिस को टैरारिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिस प्रकार की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, वह नहीं मिलती इसलिए यह गड़बड़ हो रही है। क्या इस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस इनवैस्टिगेशन और टैरारिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने की कार्रवाई कर सके? हमने बाहर के देशों में देखा है कि बीएमपी और आरमॉर्ड पर्सनल कैरियर एअरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उसके अंदर बैठकर पुलिस रक्षण करती है। इस प्रकार की बात हमारे यहां क्यों नहीं सोची जाती है? यह बात बड़ी नहीं है, इस का बड़ा महत्व भी नहीं है। इस दिशा में यहां क्यों नहीं काम किया जा रहा है? हमारी पुलिस को इक्विपमेंट क्यों नहीं दिये जाते हैं? हमारी पुलिस के पास हैलीकाप्टर नहीं हैं, जिस पर जाकर बुलैट से मार कर सके। आर्मी के पास हैलीकाप्टर जरूर हैं। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर है, उसे मजबूत क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यदि टैरिरिस्ट्स के खिलाफ कारगर कार्यवाही करनी हो तो आपको लांग टर्म प्लान बनानी पड़ेगी और प्लान को आपको अमल में लाना पड़ेगा, मैं इस बात को मानता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं समझता हूं कि मैं असंगत बातें नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको और अधिक समय चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप मध्याह्न भोजन के बाद जारी रख सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, इन्हें समाप्त करने दें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसे जितने काम हैं, उनके लिये लांग टर्म प्लान होनी चाहिए। हम जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्यूरिटी प्रोटैक्शन का काम करती हैं। इस वजह से यह जिम्मेदारी जिवाइड हो जाती है लेकिन इसके लिये एन.डी.सी. या एन.आई.सी. में चर्चा करनी जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को मजबूत किया लेकिन यूनियन गवर्नमेंट या केवल बी.एस.एफ. वगैरह को मजबूत करने से काम नहीं चलेगा। हमने कई कमेटियों में कहा है कि लांग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। अगर यह लांग टर्म पलानिंग है तो अच्छी बात है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी धारणा गलत हो तो हमें समझा दीजिए क्योंकि इस प्लान पर जिस तेजी से अमल होना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। शायद सैंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और इसलिए नहीं हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि स्टेट और सैंट्रल में को-आर्डिनेशन नहीं है। आतंकवाद कितना फैला हुआ है, उसका क्या असर हो सकता है, लड़ाई किनती पेचीदा हो गई है, डरावना हो गई है, क्या यह उक्त नहीं कि जब हम प्लान पर एक्शन होने के बाद यहां पर निश्चय करें कि सैंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे ताकि वह उस पर एक्शन करे। अगर यह नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

सरकार को इसकी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है और आपने पूरी तरह से नहीं निभाई तो आपको बुरा क्यों लगा। हमने कहा है कि यदि आपने ठीक ढंग से किया तो हमें खुशी होगी। अगर आप समझेंगे कि हम टीका-टिप्पणी करने के लिए बोलते हैं तो यह गलत हो जायेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, को-आर्डिनेशन नहीं हो रहा है और प्लान को जितनी तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिये, वह उतनी स्पीडली नहीं हो रहा है। इसके अलावा इंटैलीजेंस मैथड्स और इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ नहीं हो रहा है जिनसे देश को सहायता मिल सकती है। आज देश में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि इसे सुधारना होगा। इसमें दुरुस्ती लाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हॉट पर्स्यूट की बात यहां की जाती है। एक इंटरनैशनल कांसैप्ट है और कभी-कभी इंटरनैशनल लॉ में कहा गया है कि जब किसी देश पर हमला होता है और अपराधी भागकर दूसरे देश में चला जाता है, उसे पकड़ने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हॉट पर्स्यूट दूसरे देश में जाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हॉट पर्स्यूट अपने देश में की जा सकती है। हॉट पर्स्यूट अपने देश में हो, इस पर बात की जा सकती है और आप इसे तय कर लें कि अगर यहां कोई आये तो उसे पकड़ लें, उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

यह काम अपने देश में करने की जरूरत है। देश के अंदर पहले, फिर बाहर की बात आती है। जब तक पूरी कैबिनेट सारे सदन में और नेता मिलकर बाहर की बात नहीं करेंगे, उसका गलत असर हो सकता है। इसलिए हॉट पर्स्यूट बार्डर के इस तरफ किया जा सकता है और उसे करना भी चाहिये। अगर दूसरी तरफ करना हो तो पहले पूरी तरह से विचार किया जाये। अगर यह नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। ऐसा न हो कि बीमारी से दवा का असर ज्यादा हो जाये। बीमारी एक है और दवा दूसरी दी जा रही है। दवा की वजह से नुकसान हो, ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ठीक ढंग से कहा गया है कि जब हम लोग मिलकर रहते थे, पंडित नेहरू ने एन ए एम क्रिएट किया था। इसका मतलब कुछ नहीं था। सब लोगों का एक साथ बैठकर सोचना, एक-दूसरे की मदद करना था। यह समझा गया था कि दुनिया में दो ब्लाक्स हैं—कम्युनिस्ट और नॉन-कम्युनिस्ट्स। इसीलिए एन ए एम बना था। एन ए एम आर्थिक, वैज्ञानिक और कल्चरल काम के लिए क्रिएट किया गया था। उसके कमजोर होने के कारण सारी तरफ कमजोरी आ गई है। डब्ल्यू टी ओ में उसका असर नजर आता है। ऐसे वक्त भी उसका असर नजर आता है। इंटरनैशनल कांफ्रेंस में जाकर जब बात करते हैं, उसका असर नजर आता है। हम लोगों को दोस्त ढूंढते फिरना पड़ता है। अगर एन ए एम मजबूत होता तो ऐसा नहीं होता। अगर सार्क मजबूत होता तो भी नहीं होता। यह देखना बहुत जरूरी है। आज साउथ एशिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? नेपाल के राजघराने में हत्यायें हो गईं, कैसे हो गई, उसके बारे में टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, वह सही होगा। श्रीलंका में लगातार क्या हो रहा है और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, यह सब क्यों हो रहा है, उस सब के बारे में सोचना चाहिये या नहीं? यदि सार्क है तो उसके बारे में उसका उपयोग होना चाहिये या नहीं? अगर एकाध देश नहीं आता, लेकिन जो आते हैं, उनको साथ में लेकर काम करना चाहिये या नहीं? यह सोचना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ''वार एंड पीस'' के बारे में इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। बाहर के लोग ''वार एंड पीस'' के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनके मन में गुस्सा है। शायद उन्हें लग रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है, वे कैसे इसे सहन करें? उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता और जिनके मन में यह बात आई, उन्हें दोष देना गलत होगा। अगर यह बात ऐसी है तो मेरे जैसा आदमी लड़ाई से डरकर भागने वाला नहीं है। अगर लड़ाई अंतिम हथियार है और सब हथियार खत्म होने के बाद कोई लड़ाई का हथियार उठाये तो वह गलत नहीं होगा। मगर शुरुआत में लड़ाई का हथियार उठाना, यह बात ठीक नहीं होगी। लड़ाई से हमें डरना नहीं, उससे भागना नहीं। जब डरकर भागते जायेंमे, लड़ाई तब भी होगी। लड़ाई होगी तो वह भयानक होगी। इसलिए बाहर जो इस तरह की चर्चा चल रही है या कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 'आर-पार की लड़ाई होगी' तो लोगों ने समझा कि वॉर होगी और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। यह बात गुस्से में आ सकती है। मगर इसके बारे में पहले कदम उठाना जरूरी है। ऐसा न हो जाये कि हम एक छोटी सी बीमारी को दूर करने के लिए ऐसी दवा दे दें जिसका असर बीमारी को ज्यादा करने में हो जाये। एक दिन की लड़ाई में 5-10 हजार करोड़ रुपया खर्च हो सकता है और एक दिन की लड़ाई में हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। हमें लड़ाई से भाग नहीं जाना है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें गैर-जिम्मेदारी से काम करना है। उसके लिए रिटौरिक नहीं, विजडम चाहिए और बैलेंस चाहिए। सब कुछ सोचकर ऐसा करें कि जिसमें देश का हित हो। अगर सरकार सोच-समझकर कदम उठाएगी, उसमें यह सदन मदद करेगा। ऐसा इधर की तरफ से भी कहा गया है। मगर इसके साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसे इतना लाइटली लेना अच्छा नहीं होगा।

मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* किसी ने दवाई के बारे में पूछा है, मैं आपको दवाई भी बता देता हूं। पहली दवाई यह है कि आप पूरी रह से जागरूक रहिये। आंखों में तेल डालकर रात और दिन जागते रहिये। जब आप और हम सो जायेंगे, तब खतरा पैदा हो जायेगा। दूसरी दवाई यह है और प्रश्न यह है कि क्या हमारे सारे डिप्लोमैटिक वैपन्स खत्म हो गये हैं। आप डिप्लोमैटिक वैपन्स का यूज कीजिए। जैसा हमारे देश ने और देश के नेताओं ने कहा है कि हम उन्हें बता देंगे कि ऐसे काम करना गलत है, इसका असर बहुत बुरा होता है। हम उन्हें वार्निंग दे सकते हैं। डिप्लोमैटिक वैपन्स अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। मैं आपसे यह नहीं कहने जा रहा हूं कि हमारी एम्बेसी या हमारे भाई कमीशन को आप वहां बंद कर दीजिए। डिप्लोमैटिक वैमन्स में वह आपका अंतिम कदम है। मगर डिप्लोमैटिक वैपन्स अभी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। आपको पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करनी पड़ेगी कि यह दुरुस्त है या नहीं, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसकी चर्चा हो सकती है। मगर अभी डिप्लोमैटिक वैमन्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। जब तक राजनयिक उपाय पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होते युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी चर्चा हो रही है तो उसे एक सही दिशा देना जरूरी है, ताकि हमारे देश में गलत वातावरण पैदा न हो सके।

मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप भरोसा कीजिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो करना है, उन्होंने सब कुछ किया है। इतना ही नहीं, अपनी जान भी देने की अगर जरूरत हुई तो हमारे नेताओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी है। हम कहना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए, देश हित में सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाये जायेंगे, अगर वे सही कदम होंगे, हमें ऐसा लगता है कि सरकार सही कदम ही उठायेगी, इसका हमें भरोसा है, उसमें हमारी तरफ से सहकार मिलने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इस देश और संसद का हर आदमी उसमें मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उपाध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पुन: समवेत होने के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.15 पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 26, डा. राम चन्द्र डोम,— उपस्थित नहीं, श्री समीक लाहिड़ी—उपस्थित नहीं।

नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएं।

निमय 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में फसल बीमा योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना में लाभार्थियों को बीमे का हफ्ता भरना पड़ता है और बैंक भी किसान लोगों से हफ्ता क्रॉप लोन से जमा कराती है। लेकिन फसल का उत्पादन पर्याप्त न होने पर उन्हें बीमे की रकम देते समय पूरे जिले और तालुका की फसल को मद्देनजर रखते हैं। अगर फसल 50 प्रतिशत से ज्यादा रहे तो किसानों को पिक बीमा योजना से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले और तालुका की पैदावार को ध्यान में न रखते हुए व्यक्ति विशेष की पैदावार को ध्यान में रखा जाए जिससे गरीब व नुकसान उठाने वाले किसानों को इस योजना से लाभ मिल सके जिसके लिए यह योजना सरकार ने शुरू की है।

(दो) महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों की सूची में लोधी जाति को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात व आंध्र प्रदेश में लोधी जाति की उपस्थिति शासकीय सूची में दर्ज है जहां इस लोधी जाति को अन्य पिछड़ी जाति के रूप में दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन देश के महाराष्ट्र राज्य में लोधी जाति की उपस्थिति को महाराष्ट्र सरकार स्वीकार नहीं कर सकी। तत्संबंध में अनेकों सांसदों एवं लोधी जाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी राज्य स्तर पर तथा स्थानीय स्तर पर इसका अनेक बार प्रयास किया है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में

*सभा पटल पर रखे माने गये।

भंडारा, वर्धा, अमरावती, जलगांव, नांदेड़, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, सोलापुर, जालना, उस्मानाबाद, गोंदिया, चन्द्रपुर, नागपुर, अकोला, मुम्बई सहित अनेक जिलों में यह जाति बाहुल्य में उपस्थित है एवं महाराष्ट्र राज्य में लोध, लोधा, लोधी जाति के अधिसंख्य लोग सामाजिक दृष्टि व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अत:, केन्द्र सरकार से निवेदन है कि लोधी जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित करें ताकि देश में पिछड़ी जाति में अधिसूचित इस लोधी जाति के महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अपना अधिकार मिल सके।

(तीन) महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र-शहर जलगांव महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से है। मध्य रेलवे के मुंबई-नागपुर खंड पर स्थित जलगांव स्टेशन से सूरत के लिए सीधी रेल लाइन जाती है।

विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफायें जलगांव से सिर्फ 50 कि.मी. की दूरी पर हैं, जहां पर देश-विदेश से पर्यटक भारी संख्या में जलगांव आते हैं। मगर जलगांव रेल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की काफी कमी है।

इस क्षेत्र के विकास के लिए जलगांव रेल स्टेशन पर और अधिक सुविधा मुहैय्या कराने की आवश्यकता है।

अत: मेरा अनुरोध है कि जलगांव रेल स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाए तथा जलगांव रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा बहाल किया जाए।

(चार) बिहार के नवादा जिले में झारखण्ड सीमा से लगते हुए रजौली क्षेत्र में फाइरिंग रेंज की शीघ्र स्थापना किये जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के नवादा जिले में फायरिंग रेंज स्थापित करने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय में लंबित है, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस क्षेत्र के आतंकवाद से निपटने में एवं बिहार, झारखंड दोनों राज्यों को आतंकवाद से मुक्त करने हेतु फायरिंग रेंज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।

अत: मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि बिहार झारखंड के बांदा स्थित बिहार राज्य के नवादा जिले के रजौली अनुमंडल की पहाड़ियों में अविलम्ब फायरिंग रेंज स्थापित की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश में जाफराबाद-जंघई रेल लाइन की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे की जफराबाद-जंघई रेलवे लाइन लगातार जर्जर होती जा रही है। उस रेलवे लाइन की समुचित देख-रेख के साथ सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता है। यदि वहां रेल मार्ग मजबूत हो जाए तो शाहगंज जौनपुर जफराबाद से होकर जंघई के लिए सीधी गाड़ियों को एक नया रेल मार्ग मिल जाएगा और मुम्बई के लिए आजमगढ़ जौनपुर से सीधी ट्रेन की मांग भी पूरी की जा सकती है तथा जौनपुर इलाहाबाद के लिए तीव्र गति की गाड़ियां भी चल सकती हैं।

(छह) पृथक तेलंगाना राज्य बनाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सिफारिशें किये जाने के बावजूद लम्बे समय से चली आ रही यह मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्र सरकार पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और उनके दुख-दर्द को समझेगी। इतिहास का महत्वपूर्ण सबक है कि जितने छोटे राज्य होंगे देश उतना ही मजबूत होगा। पृथक तेलंगाना राज्य सृजित होने से तेलंगाना क्षेत्र की चहुंमुखी प्रगति होगी और वहां की जनता का आर्थिक विकास होगा।

(सात) लघु विनिर्माण इकाइयों के हितों की रक्षा करने हेतु एल्युमिनियम पर आयात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): आयात को नियंत्रित करने तथा घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए; जहां उत्पादन लागत अधिक हो वहां स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान के लिए, सरकार निसन्देह सीमा शुल्क लगा सकती है अथवा इसमें वृद्धि कर सकती है लेकिन एल्युमिनियम धातु के मामले में स्थिति एकदम विपरीत है। भारत में एल्युमिनियम की उत्पादन लागत विश्व में सबसे कम है और इस धातु के सस्ते आयात को कोई खतरा नहीं है। फिर भी एल्युमिनियम पर 30.8 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। यह आयात शुल्क एल्युमिनियम के

बर्तनों और वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं लगाया गया है बल्कि कच्चे धातु के मूल्य को ऊंचा रखने, यहां तक कि इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से भी अधिक रखने के लिए ऐसा किया गया है।

इससे निश्चित रूप से गौण उत्पादकों के लिए एल्युमिनियम के वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी जिससे एल्युमिनियम के बर्तनों और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और ये वस्तुएं गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, परिणामस्वरूप लघु विनिर्माण इकाइयां बन्द हो जाएंगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

अत: मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि कच्चे एल्युमिनियम पर से आयात शुल्क या तो कम कर दे या हटा लें ताकि घरेलू धातु की लागत आयातित धातु के समतुल्य हो।

(आठ) बिहार में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, बिहार में जिन ग्रामीण इलाकों में एमएआरआर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, वहां यह अब बिल्कुल ही विफल है। एस.टी.डी. सुविधा की स्थिति भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर ग्रामीण/शहरी इलाकों में विद्युत की आपूर्ति खराब है। जिन एक्सचेंजों में विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है, वहां भी जब शाम को कर्मचारी चले जाते हैं तो शाम से सवेरे तक टेलीफोन एक्सचेंज प्राय: बंद ही रहता है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर यह आवश्यक है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों को शीघ्रातिशीघ्र डब्ल्यू एल ए/जी एस एम के माध्यम से जोड़ा जाए तथा सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में स्थायी रूप से वैकल्पिक बिजली सप्लाई की व्यवस्था जनरेटर या अन्य माध्यम से कराई जाए। इसके अलावा जिन इलाकों में टेलीफोन की सुविधा ओवर हैड तार के माध्यम से की गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ओ.एफ.सी. के द्वारा जोड़ दिया जाए। इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही पटना में विदेश संचार निगम लिमिटेड का इंटरनेशनल गेटवे भी शीघ्रातिशीघ्र स्थापित कराया जाए। बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में मोबाइल टेलीफोन की भी व्यवस्था कराई जाए।

[अनुवाद]

(नौ) कर्नाटक में कोत्तूर और हरिहर के बीच बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री कोलूर बसवनागौड (बेल्लारी): कोत्तूर-हरिहर के बीच आमान परिवर्तन का काम बहुत पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। कोत्तूर से होसपेट तक का आमान परिवर्तन कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और बाकी बचे कार्य को पूरा करने की अत्यंत आवश्यकता है। होसपेट-कोत्तूर लाईन पर जहां आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है, रेलगाड़ी चलाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। अत: मैं केन्द्र सरकार के माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कोत्तूर से हरिहर के बीच आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

(दस) यूरिया विनिर्माताओं द्वारा ली गई अधिक राजसहायता की वसूली किये जाने की आवश्यकता

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सरकार के यूरिया निर्माताओं को 1977 से राजसहायता दी हुई है। राजसहायता ईंधन की लागत से जुड़ी हुई है। यूरिया इकाइयां कम ईंधन खपत करने वाले बन गए और 1994 के बाद से वे ईंधन पर कम से कम खर्च करने लगे। इसकी वजह से उनको दी जानी वाली राजसहायता में कमी की जानी चाहिए थी। लेकिन यूरिया निर्माता 1997 के बाद भी पहले की तरह ही राजसहायता लेते रहे। जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक विभाग ने इन इकाईयों से मार्च 2000 तक वसूल की जाने वाली 3000 करोड़ से अधिक राशि की संगणना की और इसी प्रकार 2001 से अब तक वसूल की जाने वाली राशि एक हजार एक सौ करोड़ रुपए बैठती है। विचित्र बात है कि इस संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह निर्धारित सीमा से अधिक ली गई राजसहायता की संगणना करें तथा ब्याज सहित उक्त धनराशि तुरन्त वसूली करें।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में कॉफी बागान लगाने की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार काफी को खेती को गैर-वानिकी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है और इसलिए वन क्षेत्र

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

में कॉफी के बागान लगाने की अनुमति नहीं है। आंध्र प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिक तापमान के कारण कॉफी बागान के लिए सघन छाया की जरूरत पड़ती है। इसी कारण आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र के अच्छे-खासे हिस्से में काफी-बागान लगे हुए हैं। विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में भी 4000 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में काफी बागान लगे हुए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश राज्य में कॉफी उगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत छूट दे। इससे वन क्षेत्र में झूम खेती रोकने, तथा वृक्ष रहित वन भूमि पर वृक्ष लगाने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

(बारह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चिलविला रेलवे क्रॉसिंग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): प्रयाग एवं अयोध्या दो प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की नगरी हैं। अयोध्या से भगवान श्री राम इसी मार्ग से विन्ध वन वनवास हेतु गए थे, ऐसी मान्यता हिंदुओं में है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसी कारण इसे रामवन मार्ग का नाम दिया है। इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोन्डा ही नहीं वरन् नेपाल तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला यह अति महत्वपूर्ण मार्ग है।

किन्तु प्रतापगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश के चिलविला रेलवे क्रासिंग पर कई घंटे जाम लग जाता है जिससे तीर्थ यात्रियों, विदेशी यात्रियों तथा अन्य यात्रियों को जाम में फंसना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर मैं रेल मंत्रालय से चाहूंगा कि रेलवे क्रासिंग चिलविला में अतिशीघ्र एक पुल का निर्माण कराया जाए।

(तेरह) महाराष्ट्र में काम के बदले अनाज योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, केन्द्र सरकार ने हाल ही में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आरम्भ की है। महाराष्ट्र में पिछले 30 सालों से रोजगार गारंटी योजना लागू है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण गरीबों को रोजगार मुहैय्या करवा रही है। इसी योजना के तहत काम के बदले गरीबों को अनाज मुहैय्या कराने हेतु सरकार ने योजना बनाई परन्तु महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण रोजगार योजना के लागू होने के बाद अब रोजगार गारंटी योजना के तहत काम के बदले अनाज हेतु दिया जाने वाला अनाज नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि काम के बदले अनाज योजना बहुत अच्छी थी। इससे गरीबों को अनाज मिल रहा था तथा प्रतिदिन दो-तीन लाख लोगों को काम मिल रहा था।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करे तथा संपूर्ण रोजगार योजना के तहत भी काम के बदले अनाज दिये जाने की स्कीम को जारी रखे ताकि गरीबों को काम के बदले अनाज मिलता रहे तथा काम के बदले अनाज योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की उपयोजना के तौर पर स्वीकृत किया जा सके।

(चौदह) मुंगेर में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना करने हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): महोदय, बिहार राज्य का मुंगेर जिला मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। मुंगेर जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्वीकृति के लिए बिहार सरकार ने 1992-93 में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के उद्योग विभाग को भेजा था, लेकिन इसके बाद से लगातार आठ वर्षों के गुजर जाने के बाद भी अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है।

मुंगेर प्राचीनतम नगरों में से एक है। आजादी के बाद मुंगेर दिन-प्रति-दिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया है। हालात यह है कि सारे कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए हैं। यदि भारत सरकार औद्योगिक विकास केन्द्र की स्वीकृति दे देगी तो वहां के बेरोजगार युवक प्रशिक्षण ले सकेंगे, जिससे कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है।

अतः मैं उद्योग मंत्री से मांग करता हूं कि बिहार के मुंगेर जिला में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करें।

(पन्द्रह) दीघा समुद्र तट को भारी कटाव से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): बंगाल की खाड़ी के 100 कि.मी. से अधिक लम्बे समुद्रतटीय क्षेत्र में तेजी से भू-कटाव हो रहा है। इससे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तथा दक्षिण 24 परगना

दो जिलों के हजारों स्थानीय लोगों की जीविका खतरे में पड़ गयी है। दीर्घा में भूमि कटाव के कारण एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र खतरे में पड़ गया है।

लगभग एक लाख हैक्टेयर धान के खेतों के समुद्र के खारे जल के कारण नष्ट होने की संभावना है। मछली के सैकड़ों तालाब, खारे पानी में डूबे जा रहे हैं।

दीर्घा समुद्र तट का कटाव से बचाव को ध्यान में रखते हुए 3.511 कि.मी. से 3.781 कि.मी. के समुद्र तट को कटाव से स्थायी बचाने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना सी डब्ल्यू सी के पास भेजी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 161.25 लाख है, लेकिन इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। जो ''राष्ट्रीय तटरक्षक परियोजना'' नामक एक अन्य योजना है जिसमें दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर, दो जिलों को शामिल किया गया है। इस पर 25480.00 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह योजना पश्चिम बंगाल के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग द्वारा जी.एफ.सी.सी. को प्रस्तुत की गई लेकिन इसे भी मंजूरी नहीं दी गई है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि दीघा पर्यटन स्थल को कटाव से बचाने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करे।

नियम 193 के अधीन चर्चा

संसद भवन पर आतंकवादी हमला—जारी

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, 13 दिसम्बर, 2001 को दिल्ली पुलसि के चार जवान, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की एक महिला सिपाही, वॉच एंड वार्ड के हमारे एक सुरक्षा रक्षक और एक माली के बलिदान ने सांसदों की रक्षा की। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके बलिदान ने न केवल संसद की रक्षा की, अपितु देश की गरिमा की भी रक्षा की। मैं इन महान बलिदानियों को प्रणाम करता हूं।

अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा के लिए सैंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अलग से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और संसद के वॉच एंड वार्ड के रक्षक अपने अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब आतंकवादियों की ओर से यह घटना की गई और हमला हुआ, तब मैं संसद भवन में ही, अपनी पार्टी शिव सेना के कार्यालय के अपने कमरे में मौजूद था, सभी सुरक्षा के इंतजाम में लगे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और कुछ भी पलों में, कुछ ही क्षणों में, लोक सभा के द्वार बन्द कर दिए गए जिसके कारण आतंकवादी लोक सभा के अंदर नहीं घुस पाए। यह हमला 11.40 बजे शुरू हुआ और 1205 बजे खत्म हो गया, लगभग 25 मिनट में पांचों आतंकवादियों को मार दिया गया।

आतंकवादी जो साधन, सामग्री लेकर लोक सभा पर हमला करने के लिए आए थे, जिस प्रकार हमारे जवानों ने बलिदान देकर उन्हें रोका, संसद और देश की गरिमा की रक्षा की, मुझे नहीं लगता कि कोई और देश ऐसा कर पाता। हम दूरदर्शन पर उसी समय जो दृश्य देख रहे थे, हमारे पुलिस के जवान, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, वे अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहे थे, बल्कि आतंकवादियों के पीछे भाग रहे थे।

हमारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। जो हमला हुआ, वे बलिदानी जत्थे थे जो मरने के लिए आमादा थे। जब कोई इंसान मरने के लिए आमादा हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसके सामने हथियार भी कुछ काम नहीं कर पाते। सैंट्रल सिक्युरिटी फोर्स, दिल्ली पुलिस या सुरक्षा रक्षक बल, उन सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई परमानैंट कोआर्डीनेशन है। इस घटना को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उनमें परमानैंट तालमेल की आवश्यकता है ताकि भविष्य में संसद पर कोई हमला न हो पाए।

देश में बंगलादेश के जो घुसपैठिए आए हुए हैं, श्री मल्होत्रा ने यहां उनका जिक्र किया। लगभग दो करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, खास तौर पर बंगलादेशी, हमारे देश में हैं। उनको इस देश से कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। इस देश में जितने भी बड़े-बड़े जुर्म हो रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनमें ये ही लोग शामिल हैं। जब किसी भी जुर्म की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि उनमें ये सब लोग शामिल हैं। इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। यह सही समय है जब इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जब शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंगलादेशी घुसपैठियों को निकालने की कार्यवाही की, जब उनको देश से बाहर निकालने के लिए रेल से पश्चिम बंगाल की ओर ले जा रहे थे, पुलिस के जवान उन घुसपैठियों को छोड़ने के लिए देश की सीमा से बाहर जा रहे थे, बड़े दुख की बात है कि तब रेल गाड़ी पर हमला किया गया, महाराष्ट्र की पुलिस पर हमला किया गया। जब भी घुसपैठियों की बात आती है, वे बंगलादेशी हों या पाकिस्तानी, यदि सरकार उनके खिलाफ

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

कोई कार्यवाही करना चाहती है, दुख इस बात का होता है कि घुसपैठियों को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है, अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, कि ये मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। जो हादसा हुआ, वह इसी का परिणाम है। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। इस देश में घर के भेदी, देशद्रोही काफी हैं। लोक सभा पर हुआ हमला इसी का परिणाम है।

हम किन लोगों को बचाने जा रहे हैं, हम किन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं? चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव को देश की सुरक्षा से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। चुनावों के नतीजे आएंगे, जाएंगे, चुनाव होते रहेंगे, राजनैतिक उथल-पुथल होती रहेगी, कभी कोई दल सत्ता में होगा, कोई दल विपक्ष में होगा, लेकिन हम किन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यहां पर जब पोटो का जिक्र हुआ, मल्होत्रा जी यहां पर बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हुआ, अखिलेश जी खड़े होकर बोल रहे थे कि क्या मुशर्रफ को पोटो रोक सकता है। पोटो मुशर्रफ के लिए नहीं है, पोटो उनके लिए है, जो घर के भेदी हैं, इस देश में रहकर इस देश को स्वाहा करने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): पोटो लागू है, पोटो का कानून जारी है, पोटो से संसद पर हमला नहीं रुक पाया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: जो देश से द्रोह करना चाहते हैं, उनके लिए पोटो है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: जब इन्होंने कहा तो मैं कह रहा हूं। अगर ये मेरा नाम नहीं लेते तो मैं कतई नहीं कहता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप यह क्या कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: नाम लेकर कहेंगे तो क्या अटैक नहीं करेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने उनके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की, मुलायम सिंह जी। उन्होने जो कहा, मैंने उसका जिक्र किया। पोटो देशद्रोहियों के लिए है, जो राष्ट्रभक्त हैं, देशप्रेमी हैं, उनको पोटो से डरकर रहने का क्या कारण है, ये पोटो से किसलिए डर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको पोटो का डर किसलिए है। टाडा का भी कोई मिसयूज नहीं हुआ था, टाडा के नाम से कौन लोग चिल्ला रहे थे, मुम्बई के अन्दर जो बम विस्फोट हुए, एक दिन में 12 जगह पर बम विस्फोट हो गये, करोड़ों रुपये की हानि हो गई, सैकड़ों लोग मारे गये तो किन लोगों ने यह सब किया था, इसके अन्दर कौन लोग थे और जब पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही थी और पुलिस ने एक्शन ले लिया तो कौन टाडा में पकड़े गए थे? क्या राष्ट्रभक्त पकड़े गये थे, कोई देशप्रेमी पकड़े गये थे। जो इस कारनामे में शामिल थे, वे पकड़े गये थे, सरकार के ऊपर दबाव लाया गया कि टाडा को हटाया जाये। महाराष्ट्र में बंगलादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ऊपर दबाव लाया गया कि टाडा को हटाया जाये। महाराष्ट्र में बंगलादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दबाव लाया जाता है कि यह कार्रवाई रोकी जाये। हर देशद्रोही के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ा, यह कौन सी राजनीति है। क्या यह देश के हित के लिए है, यह कोई राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है, देश की राजनीति नहीं है।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष जी, देशद्रोही की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। जो लोग अयोध्या मंदिर गिरवा रहे थे, क्या वे देशद्रोही नहीं थे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, छः दिसम्बर की अयोध्या की बात तो अयोध्या वाले भी भूल गये, वह खाली संसद में याद है। हर छः दिसम्बर को संसद में यह बात निकलती है, उसे अयोध्या वाले तो भूल गये। उनको तो उनमें कोई इण्टरैस्ट नहीं रहा है, वह खाली यहां पर सदन में निकाली जाती है।

अध्यक्ष जी जब वर्ल्ड ट्रेड सैण्टर पर हमला हुआ, दो इमारतें गिराई गईं, लगभग सात हजार लोग मारे गये तो सारा देश और उनकी पार्लियामेंट जार्ज बुश के साथ खड़ी हो गई। सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ और सारे अधिकार जार्ज बुश को दिये गये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसीलिए जार्ज बुश और अमेरिका तालिबान और अलकायदा को खदेड़ने में सफल हो गया, लेकिन हमारे यहां पर दो तरह की भाषा बोली जाती है कि सरकार अच्छी बात करती है तो हम समर्थन करेंगे। कौन तय करेगा कि सरकार ने अच्छा किया या बुरा किया? सरकार ने सही कदम उठाए राष्ट्रहित में तो हम समर्थन करेंगे। कौन तय करेगा कौन सा कदम सही है और कौन सा सही नहीं है? जब राष्ट्रहित का मामला आए तो विपक्ष की ओर से कहने की आवश्यकता थी कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे और राष्ट्र उनके साथ खड़ा होगा। राष्ट्र अभी भी उनके साथ है। ...*(व्यवधान)* यह राजनीति की भाषा नहीं है। आज देश की जनता यह चाहती है ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्रिकेट के ग्राउंड में पिच किसने खोदी थी?

श्री अनंत गंगाराम गीते: जो पांच आतंकवादी मारे गये हैं, वे सभी पाकिस्तानी थे इसलिए खोदी थी। हम जो कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इस देश में जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वे बंगलादेशी हों, पाकिस्तानी हों या अन्य किसी देश के हों, उन्हें खदेड़ना चाहिए। इस संबंध में जो भी कार्रवाई करनी है, सरकार वह करे। मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने मानवता बहुत बार दिखाई है। चाहे लाहौर की बस यात्रा हो, वह भी मानवता का ही प्रतीक थी, चाहे रमजान में एक तरफा सीज फायर की घोषणा हो, यह भी मानवता थी।

श्री मुलायम सिंह यादव: यही बात जब मैंने कही थी तो मुझे कहा गया था कि गांधी जी की रिवाल्वर रखी है। जब मैंने कहा था कि यह करो तो आपके नेता ने कहा था मुलायम सिह को कि गांधी की रिवाल्वर रखी है। जब ये लोग बहस में कह रहे हैं तो यह देशभक्ति है और जब हमने कहा तो हम देशद्रोही हो गए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम किसी की राष्ट्रभक्ति पर आशंका नहीं उठा रहे, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: टाडा में बंद सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, क्या आपके कहने के अनुसार वह भी द्रोही है?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसमें परिवार के सभी लोग भी थे। जब एक के ऊपर जुर्म साबित होता है, कोई पकड़ा जाए, उस पर जुर्म साबित हो जाए और उसके साथ-साथ जो पकड़े गए हैं, उनको छोड़ने के लिए कहा था। यह नहीं कहा था कि जिन्होंने जुर्म किया है, उनको टाडा में छोड़ दिया जाए। पुलिस तलाशी लेती है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए तो जो लोग शामिल हैं, क्या उसके परिवार को पुलिस हिरासत में नहीं रखेगी, उनको छोड़ देगी। उनको भी पकड़ती है, लेकिन बाद में जुर्म साबित होने पर अमुक व्यक्ति को पकड़ लेती है और बाद में परिवार वालों को छोड़ देती है।

प्रधान मंत्री जी ने रमजान के दिनों में एक तरफा सीज फायर की घोषणा की, मानवता के लिए की। लेकिन आतंकवादियों द्वारा हर पल जो मानवता की हत्या हो रही है, उसको मानवाधिकार कहने का अधिकार किसी को नहीं है। उनको सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। देश आपके साथ है।

कुंवर अखिलेश सिंह: जब तक अमेरिका नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं करने वाले।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अमेरिका से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार और हमारी सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए यही वक्त है, आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का यही समय है। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, कानून तो बनाना ही चाहिए, लेकिन कानून के साथ-साथ कठोर कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

आज पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ है, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि अभी मुम्बई को टार्गेट किया जाएगा। फिर खबरें आएंगी कि चेन्नई को टारगेट किया जाएगा। एक-एक शहर को टार्गेट किया जा रहा है। आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में जो शांति बनी है, वह कायम रहे। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में दंगे हों। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में शांति बनी रहे और इसीलिए इस प्रकार के जो हमले किये जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ने की आवश्यकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। सारी दुनिया आज हमें समर्थन देगी। यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में टिप्पणी की गई। मुझे तब यह सुनते हुए आश्चर्य हुआ। यदि सुरक्षा में कमी होती तो शायद हम आज यहां पर मौजूद नहीं होते। इसीलिए जिन जवानों ने बलिदान किया है, उस पर सारे देश को गर्व है, फक्र है। युद्ध के क्या परिणाम हैं, यह सारी दुनिया जानती है। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो लेकिन आज इस हालात में हमें दुश्मन ने लाकर खड़ा किया है और यह संदेश इस सदन की ओर से जाने की आवश्यकता है, यह संदेश इस सरकार की ओर से जाने की आवश्यकता है, यह

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

संदेश इस सरकार की ओर से जाने की आवश्यकता है कि हमारे दुश्मन चाहे कितने भी सपने इस देश को तोड़ने के और यहां दंगा-फसाद कराने के देखते हों लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है।

जब आतंकवादी जहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये खबरें बार-बार आती हैं कि उनको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती हैं, मैं मुलायम सिंह यादव जी से सहमत हूं कि उन ट्रेनिंग सेंटर्स को उड़ा दिया जाये। मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें दो राय नहीं हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खासकर माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब यह घटना हुई, हमला हुआ, सबसे पहले यदि कोई पार्लियामेंट हाउस के हालात को देखने के लिए निकला तो वह हमारे गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले जबकि टार्गेट उन्हें ही बनाया गया था। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: पूरी पार्लियामेंट टार्गेट पर थी। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: पार्लियामेंट तो टार्गेट थी लेकिन जो हमला हुआ था, वह होम मिनिस्टर के कार्यालय पर ही हुआ था और ऐसी स्थिति में डिफेंस मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री भी निकले। लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री जी जिन्होंने संसद भवन को देखा कि क्या स्थिति है, सबसे पहले, दुनिया को, देश की खबर दी कि यहां के सारे सांसद सुरक्षित हैं, सबसे पहले देश को खबर गई कि जो पांच आतंकवादी यहां आये थे, वे सब के सब मार दिये गये हैं। हमारे सुरक्षा रक्षकों ने यहां पर लड़ाई लड़ी है, उनकी जितनी सराहना की जाये, उतनी कम है। इसलिए जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, वे चाहे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के हों, उन्हें देशद्रोही ही मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

अपराह्न 2.40 बजे

[अनुवाद]

संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मृत्यु के बारे में उल्लेख

गृह मंत्रालय (श्री लालकृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास देने को एक दुखद समाचार है।

आज सुबह, मैं गोलीबारी में मारे गए आठ व्यक्तियों का उल्लेख कर रहा था। दिल्ली पुलिस का एक और हवलदार श्री विजयेन्द्र सिंह जो अस्पताल में भर्ती था, और उस दिन घायल हो गया था, का आज देहांत हो गया। अतः मैं महसूस करता हूं कि आज प्रातः दिया गया मेरा वक्तव्य उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं श्री विजेन्द्र सिह के देहांत के बारे में सभा को सूचित न कर दूं।

मुझे विश्वास है कि आप सभी श्री विजयेन्द्र सिंह को श्रद्धांजलि देने में मेरा साथ देंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सभा दिल्ली पुलिस के हवलदार श्री विजयेन्द्र सिंह जो आतंकवादी हमले के दौरान घायल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

नियम 193 के अधीन चर्चा

संसद भवन पर आतंकवादी हमला—*जारी*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत दुःख का विषय है कि हमें हमारे सुरक्षा बलों और हमारी संसद के वाच एंड वार्ड कर्मचारियों के कुछ अति उत्तम सदस्यों, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, का शोक मनाना पड़ रहा है। वास्तव में यह त्रासदी है।

मैं महसूस करता हूं कि आज की चर्चा अति महत्वपूर्ण चर्चा है, बल्कि यों कहे कि यह सदन के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री ने देश के संकल्प को व्यक्त किया है कि 'भारत के लोग एक हैं और देश से आतंकवाद मिटाने के लिए कृत संकल्प है।

हम इस विषय को उसी दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं, किन्तु मुझे अपने विनम्र विचार व्यक्त करने चाहिए कि पहले दिए गए कुछ भाषणों में उस भावना का खुलासा नहीं हुआ है, जो गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में किया है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं।

दिनांक 13 दिसम्बर को बहुत ही गंभीर घटना हुई, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पर सुविचारित आक्रमण था। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लोगों के महान बलिदानों के बाद

स्थापित की गई थी और यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति इस देश के लोगों की कतिपय मूल प्रतिबद्धताओं पर आधारित है जैसे कि संसदीय लोकतंत्र के लिए है।

हम 13 दिसम्बर की घटना की पहले ही पुरजोर निंदा कर चुके हैं और इस निंदा को पुनः दोहराते हैं। वास्तव में आतंकवाद के मामलों में हम सदा यही कह चुके हैं कि इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। यह पक्षपाती मामला नहीं होना चाहिए। देश के लिए और आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध देश की रक्षा के लिए हमें एक हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने इस घटना की निंदा की है।

मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने न केवल इस संसद भवन के लिए बल्कि संसद भवन नामक देश के संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण भवन की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। मुझे विश्वास है कि अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लोगों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए समुचित कदम उठाने में हम सब आपका साथ देंगे क्योंकि मैं उन्हें लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का प्रतीक मानता हूं। किन्तु वास्तव में 13 दिसम्बर को क्या हुआ?

हम सभी सदन के अन्दर थे, कुछ समय के लिए, आपने एक बैठक बुलाई थी और हम वहां थे।

यह वज्रपात की तरह था। यद्यपि हमें यह सूचित किया गया है कि यहां आक्रमण संभव था,—मैंने माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य को दो बार अच्छी तरह पढ़ा है—हमने कुछ नहीं पाया, जो हमने पहले प्रैस में न पढ़ा हो। कुछ नया नहीं बताया गया है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री यहां है। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की परिस्थिति में क्या आप समझते हैं कि लोगों के लिए विशेषकर संसद में विपक्षी दलों के लिए सूचना का एक मात्र स्रोत विशेषकर, समाचार-पत्र और समाचार माध्यम होंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुदलीय संसद की बात की है। राष्ट्र के सामने गंभीर संकट है और संसदीय लोकतंत्र के भवन पर आक्रमण हो चुका है, एक बहुत ही जघन्य घटना हुई। आज तक, विपक्ष जो भारतीय लोगों के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, शायद प्रतिशतता में बहुमत का, उसे टेलीविजन अथवा समाचार पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से आदरपूर्वक मनन करने का अनुरोध कर रहा हूं। क्या इसी तरीके से आप आतंकवाद और आतंकवाद के खतरे से लड़ेंगे? जब कभी माननीय प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया है, हम उनकी बैठकों में गए हैं। हमने सरकार को हमारे समर्थन का वचन दिया है, चाहे वह युद्ध विराम हो, चाहे युद्ध को पुनः आरंभ करना हो, क्या वे कोई एक भी घटना बता सकते हैं जहां हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रति कोई कमजोरी दिखाई हो। आज तक, हम नहीं जानते हैं कि बहुत सी अटकलबाजियां क्यों होती रही है।

महोदय, यहां तक कि आज समाचार पत्रों से मुझे एक बात पता चली है कि माननीय गृह मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यह विवादास्पद है कि किस लोहे के गेट से—संसद भवन के गेट संख्या एक अथवा गेट संख्या दो से उन्होंने प्रवेश किया। संभवतः, हमने समाचार पत्रों में देखा है कि यह गेट संख्या एक था। किन्तु उन्होंने संसद मार्ग की ओर से प्रवेश किया। यह भी विवादास्पद है कि वहां पांच व्यक्ति थे अथवा छह। मैं इन सभी बातों का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं। कुछ ब्यौरे, अधिक नहीं- क्योंकि ये ऐसे मामले हैं, हमें केवल समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वे अटकलबाजी भी कर रहे हैं। मैं समाचार माध्यमों को दोष नहीं देता हूं। उन्होंने अद्भुत भूमिका निभाई है। मैं नहीं जानता कि इलेक्ट्रानिक मीडिया को कैसे बधाई दें। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, किन्तु उन्होंने इसे किया। कम से कम लोगों ने देखा है और यह लगभग आंखों देखें हाल की तरह था और उससे वास्तव में हमने जाना कि क्या हो रहा है। आज तक हमारी सूचना का एक मात्र स्रोत है, मीडिया।

महोदय, हमने इस पर आपत्ति की है। यह आश्चर्यजनक है कि जब भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पास सूचना थी कि संसद भवन पर हमले की संभावना थी, जिसके बारे में हम सभी चिन्तित थे, उन्हें फिक्की की बैठकों में उसके बारे में बात करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करने के लिए जन्म दिन का इन्तजार किया और सभी का पोटो मुद्दे से संबंध है।

महोदय, कृपया सरकार का कार्यकरण देखें। हम कहते रहे हैं कि इतिहास में ऐसे कई अवसर रहे हैं, देश से संबंधित मामले और मुद्दे हैं जहां मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा वे बताएं कि विपक्ष ने देशभक्ति में कहां पर कमी दिखाई है, यद्यपि हमें देशभक्ति पर भाषण दिया जाता है। हमें कुछ माननीय सदस्यों से सदन के भीतर देशभक्ति के बारे में सुनना पड़ता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से चाहूंगा कि वह इसके बारे में कुछ बताएं।

विपक्ष को छोड़िए, क्या लोक सभा अध्यक्ष को विश्वास में लिया गया था? क्या राज्य सभा के सभापति को विश्वास में लिया गया था? आज, इस घटना के बाद आप सदन में सुरक्षा उपायों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ठीक पाते हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया कि सदन में अथवा सदन के बाहर अथवा परिसर में कोई पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं होने चाहिए और विशेषकर जब हमें प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जैसे व्यक्तियों से चेतावनी मिल रही है। क्या यह आशंका थी कि हम सदन में अथवा सदन के बाहर किये जा रहे उचित सुरक्षा उपायों पर एतराज करेंगे? कुछ नहीं किया गया। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें आपने नहीं बताया है, क्या आपको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अधिकारिक रूप से सूचित किया गया है। यह संसद भवन पर आक्रमण है। आओ हम इकट्ठे बैठे और पता करे कि क्या किया जाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूरी ईमानदारी से जानना चाहता हूं। दिनांक 13 दिसम्बर की दोपहर के बाद से, हमने बहुत से प्रबंधन किए है-और ठीक है, मैं इन पर एतराज नहीं कर रहा हूं-विशेष प्रावधान किये जा रहे हैं, अधिकाधिक सुरक्षा कर्मचारी, पुलिस और क्या नहीं। क्या यह 13 से पहले अथवा 13 को नहीं किया जा सकता था? निरस्त्र लोग उन्हें रोकने आए और उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी जान की तुलना में हमारी जानों की कीमती समझा और इस तरह से अपने को बलिदान कर दिया कि मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका कैसे वर्णन किया जाए, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। हमारी रक्षा के लिए निशस्त्र लोगों ने अपनी जानें दी। क्या ऐसे लोग वहां नहीं हो सकते जैसे आज हमारे पास सदन के बाहर थे? मुझे शक की कोई बात नहीं लगती कि इस संसद की सीमा में कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता यदि ऐसा उचित प्रबंध होता। किस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने देश के लिए टिप्पणी की? यदि यह हमारी सतर्कता की और यदि उन्होंने हमारी गुप्तचर एजेंसियों पर भरोसा किया, तो तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए थे। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है-हमने समाचार पढ़े, समाचार माध्यमों में देखा है- कि उन्होंने भारत सरकार को कुछ समय पहले ही चेतावनी दे दी थी।

मैं माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, यह मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है किन्तु चूंकि वे इस देश में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, उनका कर्त्तव्य बनता है कि वे लोगों को स्पष्ट करें कि विपक्ष को विश्वास में लेकर कोई भी स्पष्ट कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

इस सभा में विपक्षी पार्टियों को प्रत्येक स्तर पर, सोच-विचारकर भारत सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। पोटो को अत्यन्त महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक माना गया था। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नही है, मुझमें इतना दुस्साहस नहीं है कि एक अध्यादेश केवल तब पारित किया जाता है, जब तत्काल कार्यवाही आवश्यक है और सभा का सत्र नहीं है। दिनांक 24 अक्तूबर, 2001 को सरकार ने अपने विवेक से निर्णय लिया कि कोई तत्काल कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक था। मैं जानना चाहता हूं-मैं यह कह रहा हूं किन्तु कभी कोई उत्तर नहीं दिया गया है-कि इस अध्यादेश के तहत क्या कार्यवाही की गई है। क्या इसे व्यवहार्य बनाया गया है? क्या कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है? क्या कोई नामित प्राधिकरण स्थापित किया गया है? जैसा कि मैंने कहा है, मैं नहीं जानता। कृपया मुझे सही जानकारी दें क्योंकि मैं केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का कोई ओर स्रोत नहीं है। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो इस घटना के आधार पर दर्ज कराई जाती है, भी पोटो के अधीन नहीं है, यह भूमि के साधारण कानूनों के अधीन है। मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं।

तो, पोटो और पोटो के लिए यह सब कोलाहल क्यों हो रहा है, जैसे कि पोटो से सब कुछ ठीक हो जायेगा? दो अत्यन्त प्रतिष्ठित मंत्रियों ने, जो कि इस सरकार के विधि मंत्री और श्री एम. वैंकेय्या नायडू इस क्षण वे यहां उपस्थित नहीं है-से कम नहीं है-कहा था और मैं एक बार पुन: टेलीविजन पर जो कुछ सुना था, उस पर निर्भर कर रहा हूं कि पोटो गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में केवल सुनवाई के लिए संगत है। मेरे विचार से श्री उमर अब्दुल्ला ने भी यह कहा था। इस तरह से विधि मंत्रालय द्वारा गुमराह किया गया है। मैं इस जोशीले और युवा मंत्री की प्रशंसा करता हूं। वह अत्यन्त निष्कपट और अत्यधिक योग्य हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनायें उनके साथ हैं।

किन्तु ऐसा कहा गया था तो यह शोर-शराबा क्यों जैसे कि हम अपराधी हों और हममें देशभक्ति की कमी है क्योंकि हम पोटो का विरोध कर रहे हैं? कृपया इस घटना को पोटो के साथ न जोड़ें। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं अथवा हम यहां गलत हैं, जब किसी ने कहा कि यह 24 अक्तूबर, 2001 से विद्यमान है और यह घटना 13 दिसम्बर अर्थात् 50 अथवा 51 दिन अथवा लगभग उस दिन के बाद घटी? इस अध्यादेश के अंतर्गत कितने लोगों को नजरबंद किया गया है? कितने आतंकवादी गुटों को घेरा गया है? इस कानून के अंतर्गत कितने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया गया है?

हमें बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर घाटी में एक मकान पर कब्जा किया हुआ है और उसे तत्काल छुड़ाया जाना है। मैं एक बात जानना चाहता था। इस पोटो पर, यदि सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लिया होता चूंकि पोटो को लागू करने

अथवा अध्यादेश को घोषित करने की कोई अत्यावश्यकता नहीं है- तो शायद स्वीकार्य कानून अथवा कानून के ढांचा के संबंध में सही विचार-विमर्श और सुझावों के बाद निर्णय लिया गया होता। आखिरकार सुझावों को सरकार ने स्वीकार करना है। आपने कभी कठोर कानूनों को पारित करने जैसे मामलों पर विपक्ष के साथ विचार-विमर्श करना उचित नहीं समझा अथवा कभी निर्णय नहीं लिया। जब आप यहां थे, तो आपने टाडा जैसे अधिनियमों की अत्यधिक निन्दा की थी। आप सभी ने इसके दुरुपयोग के असंख्य उदाहरणों का उल्लेख किया था। आज वह औचित्य माना जाता है।

जब मैंने किसी सिद्धांत के आधार पर पोटो का विरोध किया —हो सकता है, मैं गलत हूं, हो सकता है मेरा मूल्यांकन गलत हो-किन्तु मैं यहां खड़ा होकर किसी को भी मेरी देशभक्ति को चुनौती देने की अनुमति नही दे सकता। हम यहां किसी की दया पर नहीं है। आज देशभक्ति और पोटो समर्थन समानार्थी बन गये हैं। यह ऐसे किसी देश को, जो बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, चलाने का कोई तरीका नहीं है।

मैं पूर्ण विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृपया हमें बतायें कि हमने कब आतंकवाद का समर्थन किया अथवा हम कब आतंकवाद विरोधी सरकार के रवैये के समर्थक नहीं रहे। इसीलिए यह इस देश की त्रासदी है कि महत्वपूर्ण मामलों को विवादास्पद मामले बना दिया जाता है, देश की सुरक्षा संबंधी मामलों को पक्षपातपूर्ण मुद्दे बना दिया जाता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि भाजपा अथवा रा.ज.ग. का मुख्य वक्ता अथवा मुख्य सचेतक संसद के प्रांगण में खड़े होते हैं और लोगों को मीडिया के माध्यम से माइक्रोफोन पर बोलते हैं कि 'हमें पाकिस्तान पर अब निश्चित रूप से हमला करना चाहिए; हमें पूरी तरह से उनके पीछे लग जाना चाहिए।' क्या यह माइक्रोफोन के माध्यम से वाद-विवाद करने का मामला है। क्या यह ऐसा मामला है, जिसका अत्यन्त कड़ाई से अथवा लापरवाही से उल्लेख किया जाये?

हमने देखा कि इस सरकार का एक सहयोगी दल जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो आप सभी जानते हैं। आज इस देश में बंगलादेशियों की घुसपैठ का उल्लेख भी मिल रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

क्या यह भारत सरकार का मामला है कि 13 दिसम्बर की घटना भी बंगलादेशी घुसपैठ, बंगलादेश से भागकर आये, का परिणाम थी? हम यह जानना चाहते हैं, क्योंकि माननीय गृहमंत्री ने कहा है कि वे सभी पाकिस्तानी हैं। महोदय, जब हमने उन्हें निर्दोष ठहराया, हमने सीमा-पार आतंकवाद की निन्दा की है; हमने छद्म-युद्ध की निन्दा की; और हमने कभी भी गृह मंत्री के इस मूल्यांकन के संबंध में कोई विवाद नहीं किया है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। हमने तालिबान की निन्दा की है। महोदय, हमारी पार्टी ने भी कश्मीर में, पंजाब में, उत्तर-पूर्वी भारत में, त्रिपुरा में और अन्य स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता, कामरेड खोये हैं। तत्पश्चात् अचानक आप इस सभा के समक्ष यह उठाया जा रहा है। महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। मैं इतिहास को परिवर्तित करने के प्रयास का कड़े शब्दों में विरोध करता है।

महोदय, मैंने कल टेलीविजन पर डा. मुरली मनोहर जोशी जी को देखा क्योंकि इस देश में जानकारी प्राप्त करने का हमारा स्रोत नहीं है। हम संसद में है। लोगों ने हमें निर्वाचित किया है। यह संसदीय प्रजातंत्र, बहु-दल संसद और बहु-दल प्रणाली है। हमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों संबधी मामलों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, किन्तु हमें स्वयं को केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित रखना पड़ता है। कल डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा, 'वे सभी जो पोटो का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र-विरोधी हैं। ...*(व्यवधान)* अन्य मंत्रियों द्वारा भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई हैं।

महोदय, मैं मानता हूं कि मैं पोटो के गुणों में नहीं जा रहा हूं, किन्तु श्रीमान गृहमंत्री जी, आज आपके ही हाथ में बहुत कुछ पोटो है। आप अपनी सभी शक्तियों के साथ, आप अपने सभी संसाधनों के साथ, अपने पीछे भारत सरकार की समस्त शक्ति के साथ आप पांच लोगों को संसद की प्रसीमा में घुसने से नहीं रोक सके।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हम आतंकवाद की इस विपत्ति को समाप्त करने की सभी समुचित कार्यवाही करने के विरुद्ध नहीं हैं। कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। किन्तु हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कृपया चाल धीरे-धीरे बढ़ाये। आप यह न भूलें कि हमारे अलावा हमारा पड़ोसी देश भी परमाणु शक्ति सम्पन्न देश हैं। केवल हम ही नहीं, केवल हमारी पार्टी अथवा मैं ही नहीं है, जो सरकार से हर बात पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार युद्ध का पूरा खतरा उठाने की मूड में है। हमें कैसे पता चलेगा, यदि आप जाकर उनके अड्डों को समाप्त कर दें? मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी ऐसा समय नही आयेगा किन्तु आइये इस पर पुन: विचार करने से पहले सभी संभावनाओं का पता लगा लें।

महोदय, जहां तक राजनयिक मार्ग का प्रश्न है, हमें पूरे विश्व में जनमत तैयार करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से हम आज तीसरी दुनिया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। हमने वह स्थिति खो दी है। एन ए एम आज अव्यवस्थित है। भारत ने अपनी श्रेष्ठता खो दी है। हमारे देश की विदेश नीति आज पूर्णत: पक्षपातपूर्ण विदेश नीति बन गई है। अत: हम सुझाव दे रहे हैं कि कोई कठोर कार्यवाही करने से पहले और माननीय गृह मंत्री द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है-सभी-आगा पीछा तथा सभी मुद्दों पर उचित रूप से विचार किया जाये। अब माननीय गृहमंत्री ने कहा है कि निर्णायक सबूत पाये गये हैं। हमें इन निर्णायक सबूतों को दूसरों को भी क्यों न दें ताकि विश्वव्यापी जनमत भारत के पक्ष में जुटाया जा सके क्योंकि विगत में भारत की भूमिका की सराहना की गई है कि हमने अत्यधिक होशियारी के साथ कार्यवाही की है?

भारत ने इस प्रकार से कार्यवाही नहीं की है, जो जटिलता पैदा करेगा। अत: हम कहते हैं कि यह सामग्री दूसरों को दें और देखें कि विश्वव्यापी जनमत हमारे पक्ष में ही जुटे। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि हमें किसी अन्य एजेन्सी को अधिकार देना चाहिए, अपितु हमारी ओर से निर्णय लेने का अधिकार अथवा हमारी ओर से कार्यवाही करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के पास रहने दें। यह सब मैं नहीं कह रहा हूं। किन्तु निश्चित रूप से, जैसा कि आपने देखा है, 11 सितम्बर के बाद विश्व जनमत जुटाया गया था। हमारी सरकार को हमारे पक्ष में विश्वव्यापी जनमत जुटाने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए था, जिससे कि उन पर दबाव पड़ेगा। हम यह व्यक्त कर रहे हैं कि कृपया अत्यन्त सावधानी बरतें।

भूतपूर्व सेना अध्यक्षों जनरल मलिक ने कहा था, जनरल शंकर रॉय चौधरी ने कहा था और जनरल कृष्णा राव ने कहा था; वे सभी हमारे देश की तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष रहे हैं- सभी ने इसके विरुद्ध सलाह दी है। श्री जसजीत सिंह, जो इन मामलों में अत्यन्त प्रख्यात है, ने इसके विरुद्ध सलाह दी है। ये वे लोग हैं, जो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त हैं, जो स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो दुष्परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो प्रदेश के बारे में जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। अत: हम पर उग्र राष्ट्रवादिता का मुलम्मा न चढ़े। हमें सभा में अथवा बाहर ऐसी टिप्पणियां नहीं देनी चाहियें, जो कठिनाईयां पैदा करे, जो दिमाग में अनिश्चिततायें, सन्देह पैदा करे।

हम यह क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं जानता और यह सरकार को हमें बताना है क्योंकि टिप्पणी में कुछ नहीं है। एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दैनिक ने रिपोर्ट किया कि:

> ''सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक सोमवार को हुई। सेनाध्यक्षों ने सशस्त्र सेनाओं के विचार व्यक्त किये। आतंकवादी प्रशिक्षण कैम्पों के विरुद्ध हमला करने का थोड़ा-सा ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये कैम्प अभ्यास करवाने और चांदमारी प्रशिक्षण के केन्द्र मात्र ही है। इन पर हमला करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सीमा पर तैनात सेना में कितनी वृद्धि अथवा कमी होती है। इसके साथ ही कई पाकिस्तानी कैम्प पाकिस्तान की सीमाओं में कहीं अन्दर स्थित है करांची स्थित जैस-ए-मोहम्मद के मामले में। सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति को बताया गया था कि नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने पर चार माह से छह सप्ताह का युद्ध हो सकता है और चरम स्थिति में परमाणु युद्ध भी हो सकता है। परमाणु हथियार का पहला प्रयोग पाकिस्तान की रोकने की योजना में तर्काधार है।''

लगता है कि इन विचारों, सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति में चर्चा की गई है। मैं नहीं जानता कि वे सही हैं अथवा गलत। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भी अपने वक्तव्य में कोई संकेत नहीं किया है कि सरकार क्या करना चाहती है।

हमें माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य प्रमुख मंत्री जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके कुछ प्रमुख संगठनों द्वारा दी गई टिप्पणियों पर चिन्ता हो रही है। विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा भी यह कहा गया था:

> ''यह कि भारतीय मुसलमानों को राम को स्वीकार करना चाहिए। यदि दोनों देशों के बीच के चल रहे विवाद को सदा के लिए सुलझाने का एकमात्र तरीका पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध है तो विश्व हिन्दू परिषद् भी इसका समर्थन करती है।''

इस संगठन के नेता ने कहा है:

> ''भारत के मुसलमानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे हिन्दुत्व से परिवर्तित हैं। इसका निर्णय मुसलमानों को करना है। तथापि, चूंकि मुसलमान हिन्दू परिवर्तित हैं, उन्हें अपनी विगत विरासत को स्वीकार करना चाहिए। वे राम और हिन्दू विरासत को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते?''

संसद से संबंधित इस गंभीर घटना, इस देश के संसदीय लोकतंत्र पर हमले के संबंध में इस प्रकार के वक्तव्य ऐसे संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिये जा रहे हैं जो सत्ता पार्टी के सबसे करीबी हैं। निस्संदेह ये सभी वर्गों के लोगों विशेषकर मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के बीच अत्यंत गंभीर चिन्ता पैदा करने में सहायता कर रहे हैं। हम इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

सभी प्रकार की बातें कही गई हैं। हम इससे बचना चाहते थे। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं और मुझे आशा है कि वे उसका उत्तर देंगे-निश्चय ही, हम माननीय गृह मंत्री महोदय की प्रतिष्ठा को जानते हैं कि सरकार का क्या निर्णय है और सरकार आगे की कार्रवाई का किस प्रकार निर्णय करना चाहती है।

महोदय, सभा को बिल्कुल भी विश्वास में नहीं लिया गया है। समाचारपत्रों की कुछ कतरनों को वक्तव्य में शामिल किया गया है। वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मांग है कि किसी राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा की तरह समझा जाए तथा उसे इस सरकार के किसी चुनावी लाभ के उद्देश्य से दलगत राजनीतिक मुद्दे की तरह न माना जाए। उनको अवसर के अनुरूप उठने दें। आतंकवाद के विरुद्ध इस देश के लोगों का क्या संयुक्त विचार होना चाहिए था, और उसके विरुद्ध इस देश का क्या संयुक्त संघर्ष होना चाहिए था, यह सरकार उसे बांटने का प्रयास कर रही है तथा उसे एक विवादास्पद मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है जैसा कि सरकार के अब तक के दृष्टिकोण से स्पष्ट हुआ है। लोगों के एक वर्ग को बहुत ही सतर्कतापूर्ण तरीके से अनदेखा किया जा रहा है और वह वर्ग इस देश का विपक्ष है। हम इसकी निन्दा करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार को उन सभी कदमों, जो उसने उठाए हैं, की जानकारी देनी चाहिए। इस सरकार को इस देश के लोगों तथा उन लोगों, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, के परिवारों को स्पष्टीकरण देना होगा कि सरकार संसद भवन पर किसी संभावित हमले की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई तथा ऐसी कार्रवाईयां, जो घटना के बाद की गई हैं, पहले क्यों नहीं की गई। सरकार को इस संबंध में राष्ट्र को स्पष्टीकरण देना होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, अचानक आपने मेरा नाम ले लिया इसलिए केवल दो-चार मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बहस को सही पर्सपैक्टिव में रखने का प्रयास किया है। इससे पहले श्री शिवराज पाटील ने कुछ बिन्दु उठाए। लेकिन दो-चार बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए। पहला सवाल यह है कि अगर इनको पहले से ज्ञात था और जैसा इनके भाषण से भी मालूम होता है कि इनको हमले के बारे में मालूम था, तो क्यों कार्यवाही नहीं की गई? वह कार्यवाही न करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं गृह मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि यदि वे कम बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे यही निवेदन रक्षा मंत्री जी से भी करना है। गृह मंत्री जी ने घटना के तुरन्त बाद कहा कि संसद का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे छः लोग मारे गए थे। सारे विश्व में संसद की मर्यादा को आघात पहुंचा था। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमें चारों ओर से सहानुभूति मिल रही है। क्या इस सहानुभूति के लिए हम अपने को बड़े मर्यादित समझते हैं? क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज तक नौ लोग शहीद हो गए जिनके परिवार के लोग सारी जिन्दगी इन दुख को अपनाएंगे और न मालूम उसे कैसे झेलेंगे। उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह है या नहीं? यदि कोई एम.पी. नहीं मरा, कोई मंत्री नहीं मरा तो देश के लिए कोई खतरा नही हुआ, संसद के लिए कोई खतरा नहीं हुआ। याद रखिए, उन्होंने वीरता दिखाई, उन्होंने धीरज दिखाया, उन्होंने संकल्प दिखाया, उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। लेकिन अखबारों के जरिए, जैसे सोमनाथ जी कहते हैं, हमें भी जो खबर मिली है, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ इसलिए बच गया क्योंकि उन्होंने जो तार लगाए हुए थे, वे कार के टकराव से टूट गए और वे एक्सप्लोजन नहीं कर पाए, नहीं तो छः की जगह साठ लोग चले जाते, संसद चली जाती, हममें से कितने सदस्य चले जाते। गृह मंत्री जी, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। इस सरकार को न मालूम क्या हो गया है, हर पद को अमर्यादित कर देने का जैसे इन्होंने संकल्प कर लिया है।

विरोधी पक्ष के हमारे एक मित्र, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा कि श्री बुश ने सारे देश को एक कर दिया। क्या आपको याद है कि जिस समय 11 सितम्बर की घटना हुई, श्री बुश ने देश के सारे लोगों को, चाहे छोटे थे या बड़े थे, सबको न केवल निमंत्रित किया, बल्कि जो लोग विदेश में थे, उनको स्पैशल हवाई जहाज भेजकर बुलाया था। मैं जानता हूं कि आज सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी राष्ट्र भक्ति, सारा देश प्रेम हमारे उधर की ओर बैठे हुए साथियों के अंदर है। लेकिन जो दूसरे लोग चुने गए हैं, उनको भी देश के बारे में कुछ मालूम है, उनको भी इस देश के बारे में थोड़ी पीड़ा है। क्या उनकी ओर आपको ध्यान देने का अवसर नहीं मिला? क्या पांच-छः दिनों में आपको यह अवसर नहीं मिला? मान लीजिए, हमारे जैसे लोग जो किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, यहां बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनसे भी बात करने का आपको अवसर नहीं मिला-क्यों नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला, आपकी कैबिनेट की कौन सी सिक्योरिटी की कमेटी बैठती है, कौन से कैबिनेट के लोग बैठते हैं, वे रक्षा मंत्री, जिनको एक दिन आप अकारण इस्तीफा दिलवाते हैं और दूसरे दिन अकारण वापस ले लेते हैं, जिनके नाम पर संसद नहीं चलती, वे देश की सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, सोमनाथ चटर्जी उसके बारे में बात नहीं कर सकते, मुलायम सिंह जी बात नहीं कर सकते। आपने शायद येरननायडू को बुलाया होगा, वे राजग के सदस्य हैं।

[श्री चन्द्रशेखर]

मुझे आपसे यह निवेदन करना है ...*(व्यवधान)* भाषण तो मैं नहीं देता हूं मैं तो कभी-कभी भाषण देता हूं, वह भी अध्यक्ष महोदय ने कहा तो बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिए, इस प्रशस्ति गान से आप लोग कोई इतिहास नहीं बना रहे हैं। इस सरकार की जो कमजोरी है, अनिर्णय की कमजोर सरकार है, उसे आप और कमजोर बना रहे हैं, इनके अनिर्णय को मत बढ़ाइये। चापलूसों में और समर्थकों में थोड़ा ही अन्तर होता है, आप समर्थक होने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

मित्रों और चापलूसों के बीच बहुत कम अंतर होता है। इस सरकार के चापलूस बनने की कोशिश मत कीजिए।

[हिन्दी]

यह स्थिति ऐसी नहीं है। आज मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि स्थिति भयंकर है। लड़ाई की बात वे लोग करते हैं, जिन्होंने कभी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं। इसी संसद में मैंने अकेले कहा था कि प्रशंसा के शब्द मत करो। आज अणुबम का देश होने के कारण अणुशक्ति का आपने बड़ा घोष किया था। आज हम और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं। हम पहले उनका नाश कर देंगे या वे हमारा पहले नाश कर देंगे, पता नहीं। वीरता कहने में अच्छी लगती है, लेकिन लड़ाई भोगने में बड़ी बुरी होती है। लड़ाई की बातें बन्द कर देनी चाहिए।

विश्व जनमत की बातें बड़े जोर से हमारे विदेश मंत्री करते थे, विश्व जनमत की बातें हमारे लोग करते थे, वह विश्व जनमत कहां गया। आज अमेरिका के मंत्री के बयान से आपके सारे हौसले पस्त हो गये। पता नहीं, वह लड़ाई आप कर पाएंगे या नहीं, लड़ाई को बातें आज चलेंगी या नहीं। अमेरिका का एक बड़ा आदमी कहता है कि आज पाकिस्तान आपसे सहयोग करने के लिए तैयार है, आप अपनी सारी सूचना उसके पास दीजिए। मैं नहीं जानता, गृह मंत्री वह सूचना देने वाले हैं या नहीं। हम तीसरे देश के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार करने वाले नहीं थे, लेकिन आज खुलेआम हस्तक्षेप हो रहा है और सरकार उस पर मौन है, चुप है। क्या यह देश की मर्यादा के अनुरूप है, क्या अमेरिका के अखबारों में इस संसद के ऊपर हुए आक्रमण के बारे में कोई चर्चा हुई है? अगर चर्चा हुई है तो कितनी हुई है। जो पीड़ा, जो वेदना और जो सहयोग का उत्साह आपने दिखाया था, क्या उसका शतांश भी अमेरिका की ओर से दिखाया जा रहा है। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन सब लोग अपने देश के लिए जीते और मरते हैं, उनको आज हमारे पड़ोसी की मदद चाहिए, जिसको आप अपना दुश्मन कह रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई उनके किनारे हो रही है, उनके सहयोग से वे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे-आगे बढ़कर उनको सहयोग की बातें करके अपने को छोटा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके सामने अपने को छोटा दिखाना, विपक्ष के सामने अपने को बहादुर बताना, देश की जनता को भ्रम में रखना यही सरकार का रुख है। कारगिल की लड़ाई से लेकर आज तक की घटनाएं यही बताती हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत शान्ति का देश है और इसीलिए आप लाहौर गये थे। पांच हजार वर्षों के अपने स्वर्णिम इतिहास में जब दुनिया में भारत सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली देश था, हम कभी अपनी फौजों को लेकर विदेश में नहीं गये। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभ्यता और संस्कृति की बात करने वालों, लड़ाई की बात इतनी आसानी से मत करो। लड़ाई में खतरनाक खेल होता है और उस खतरनाक खेल को खेलकर न केवल आप इस देश का नुकसान करेंगे ...*(व्यवधान)*

डॉ. जसवन्तसिंह यादव (अलवर): मैं नहीं बैठूंगा, मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। जो लोग हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उनके बारे में आप शान्ति की बात करें, यह शोभा नहीं देता। ...*(व्यवधान)* वे देश को भरोसा दें और उनके बारे में भी कुछ सोचें। आप शान्ति की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, वे लड़ाई के मैदान से आ रहे होंगे, मैं तो शान्ति के बीच में ही पैदा हुआ हूं, मैं तो शान्ति में हूं।

मैंने कभी लड़ाई देखी नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: क्या करना चाहिए, यह बताना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: आप तो प्रधान मंत्री रह चुके हैं, आप सुझाव दें कि क्या करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव तो यह है कि अगर इन सदस्यों को सद्बुद्धि दे सकें कि संसद में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कैलाशो, आप बीच में इस तरह उठ कर डिस्टर्ब न करें।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, ये हमसे लड़ लें, लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि आप पाकिस्तान से लड़ाई की बात न करें। मैं यह बात कहता रहूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा लड़ाई खतरनाक खेल है। लड़ाई में आप अकेले हो जाओगे। लड़ाई से इस देश का नाश होगा, पाकिस्तान का नाश होगा। इस विनाश के रास्ते से आप अलग रहें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपस में बात न करें। आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष जी, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनको भेज दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम तो इसी संसद में है और यहीं का कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह काम देखने के लिए सेना है, हमारी आर्मी के लोग हैं। यह निर्णय वही करेंगे कि कब लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से लड़नी चाहिए। वही यह सलाह प्रधान मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को देंगे। अगर उनकी सलाह है कि लड़ाई लड़ना जरूरी है, तो लड़ लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस समय भी मैं उसका विरोध करता रहूंगा। अकेले भी रहूंगा तो विरोध करता रहूंगा। मैं लड़ाई के खिलाफ हूं और लड़ाई के विरुद्ध मैं अपनी आवाज उठाता रहा हूं। मैंने अकेले भी एटम बम बनाने का विरोध किया था। आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि एटम बम रक्षा का हथियार नहीं है, वह आक्रमण का हथियार है। उससे रक्षा नहीं होती, आक्रमण होता है। भारत एक आक्रामक देश नहीं है। भारत को आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैंने उग्रवाद को भी थोड़े दिन तक देखा है। मैं जानता हूं कि उग्रवाद से कैसे निपटा जाता है। इस तरह के भाषणों से उग्रवाद नहीं रुकता है। उग्रवाद रुकता है कठोर निर्णय से, उग्रवाद रुकता है संकल्पशक्ति से। अनिर्णय की सरकार उग्रवाद को नहीं रोक सकती। जो सरकार फैसले नहीं ले सकती, वह उग्रवाद नहीं रोक सकती। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले उग्रवाद को नहीं रोक सकते। ...*(व्यवधान)* जो लोग ऐसा करते हैं, उग्रवाद इस तरह से नहीं रुकता। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उग्रवाद बुरा है। उग्रवाद को जब धर्म का सहारा मिल जाता है तो वह अत्यंत भयंकर हो जाता है। अगर एक तरफ से उग्रवाद धर्म के आधार पर चल रहा है, तो उसी तरह का उग्रवाद धर्म के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति इस देश में नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं तो यह देश पहले बर्बाद हो जाएगा। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी चुपचाप बैठे हैं, ताकि ये लोग अपने भाषण को पूरा कर सकें। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है।

मैं जब बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं कि इसका विरोध होगा। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो इतिहास के प्रति अनजान हैं, जो भविष्य के बारे में अनजान हैं जिनको समझ नहीं है। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जिनको भारत के भविष्य के बारे में न चिंता है न भारत के अतीत को वे जानते हैं। ...*(व्यवधान)* जिन्होंने संसदीय परम्परा को न समझा है, इसीलिए इसी तरह के लोगों ने हमारे पड़ौस के देश में उग्रवाद पैदा किया है और इसी तरह का उग्रवाद हमारे देश में पैदा करने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)* उग्रवाद से उग्रवाद बंद नहीं होता। उग्रवाद शांति की बातों से बंद होता है। उग्रवाद समझदारी से बंद होता है। ...*(व्यवधान)* इसके लिए अभी हमारे मित्र अटल जी के शांति के प्रस्ताव का बड़ा समर्थन कर रहे थे और अब शांति शब्द से ही इन बेचारों को पीड़ा हो रही है। इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता था। ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैं बोलने के खिलाफ था, मैं चुपचाप सुन रहा था लेकिन आपने बड़ी कृपा की और मुझे बोलने के लिए कहा। इन सद्बुद्धि वालों से भगवान मेरी रक्षा करे, बस यही मेरी प्रार्थना है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): शांति एक तरफ से नहीं होती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर क भारत की संसद पर हमला हुआ। यह हमला केवल भारत की संसद पर ही नहीं था बल्कि यह हमला देश के लोकतंत्र, हमारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. येरननायडू]

स्वतंत्रता और हमारी परंपराओं पर किया गया था। उस दिन आठ लोगों की मौत हुई। उन्होंने अपनी बड़ी बहादुरी और साहस के बल पर भारत की संसद तथा संसदविदों की रक्षा की।

11 सिम्बर को, विश्व व्यापार केन्द्र के टावरों तथा पेंटागन की इमारत पर हमले हुए थे। भारत की संसद पर उसी प्रकार का हमला हुआ है। आतंकवादियों ने हमलों के लिए विश्व में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और सबमे बड़ा आर्थिक शक्ति तथा सबसे बड़े लोकतंत्र को चुना।

भारत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। पहले लाल किला पर हमला हुआ था। यह एक महान स्थान है। प्रत्येक वर्ष, 15 अगस्त को, हम वहां भारत की स्वतंत्रता संबंधी समारोह आयोजित करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भवन पर भी हमला हुआ था। अब, 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला हुआ है। इन सबसे आतंकवादियों के बुरे इरादों का पता चलता है। आतंकवादियों के संगठन का एक केन्द्र है तथा स्थानीय यूनिटें भी हैं। उनके पास एक सुसज्जित तंत्र भी है। हमें ऐसी सभी गतिविधियों को रोकना होगा।

भारत में, पिछले 20 वर्षों से, हम आतंकवाद और सीमा-पार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। इस कारण से, हमने अब तक 61,000 लोगों को खो दिया है। आतंकवाद के कारण, देश का आर्थिक रूप से उतनी तीव्र गति से विकास नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। शत्रुओं द्वारा यह आतंकवाद फैलाए जाने के साथ ही, आर्थिक विकास में और कमी आई है। इन सब बातों से बचने के लिए भारत सरकार ने पोटो अध्यादेश लागू किया है। यह समय की मांग है और हमें एकजुट होना चाहिए।

अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, वह घटना घटी। 24 घंटे बीतते ही, अमेरिकी कांग्रेस ने तत्काल एक बैठक बुलाई और उसने श्री बुश के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार का सर्वम्मति से समर्थन किया। सभी राजनीतिक दलों ने अमेरिकी सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों का समर्थन किया। अब, हम आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। परंतु सुबह से ही, मैं विचारों में मतभेद देख रहा हूं और यह भी देख रहा हूं कि हम कैसे हर बात का खंडन कर रहे हैं। इस प्रकार के मतभेद देश के हित में नहीं हैं। मेरी पार्टी, तेलुगू देशम की अपनी राय है और इसे अन्य मुद्दों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता; यह एक अलग मुद्दा है।

हमारे विचारों में अंतर हो सकता है। सभा आर्थिक नीति जैसे मामलों अथवा अन्य ऐसे राजनीतिक मुद्दों के संबंध में विभक्त हो सकती है किन्तु यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा हमारे देश की संप्रभुता और लोकतंत्र से संबंधित है। इस सरकार के अस्तित्व को ही आतंकवादियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हमें एक साथ मिलकर रहना होगा भारत की भूमि से आतंकवाद को समाप्त करना होगा अन्यथा, कोई आर्थिक विकास नहीं होगा। जब तक कि हम इस बुराई को दूर करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, हम शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकते।

अपराह्न 3.31 बजे

[**माननीय उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

पूर्व में, सरकार ने अनेक विधान अधिनियमित किए हैं। माननीय सोमनाथ बाबू यहां बैठे हैं। हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम दलितों पर अत्याचार से संबंधित है किन्तु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम दहेज का प्रतिषेध कर पाएंगे अथवा दलितों पर होने वाला अत्याचारों का निवारण कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि हमने इन विधानों को उनके वास्तविक रूप में अधिनियमित नहीं किया है। ऐसा न केवल सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है बल्कि क्रियान्वयन एजेंसियों पर भी निर्भर है। जब तक कि हम कोई उचित ढंग से लागू न करें, हम यह नहीं कह सकते कि यह खराब विधान है अथवा अच्छा विधान है। मेरे राज्य में हम पिछले कई वर्षों से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मेरे राज्य में अधिक विकास नहीं हो पाया है। तेलंगाना जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधान सभा ने मोका (एम ओ सी ए) अधिनियमित किया है। इसी प्रकार से, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक विधान अधिनियमित किया है। तब से ही, महाराष्ट्र में अत्यधिक सुधार हुआ है। मैंने इसके बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा है तथा मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया है। हाल ही में मैंने इस बारे में एक लेख में पढ़ा है कि राजस्थान सरकार का विचार इसी प्रकार का विधान अधिनियमित करने का है। अतः, आर्थिक विकास में वृद्धि करने और सभी तरह के उग्रवाद को रोकने के लिए, हमें एक अलग विधान की व्यवस्था करनी चाहिए। हालात अलग-अलग रुख में जा रहे हैं। अब, लोगों का विचार भी बदल गया है।

सरकार ने पोटो लागू किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश के लागू होने के तुरंत बाद, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वस्तुतः तीन सुझाव देते हुए पोटो का समर्थन किया। मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल ने भी उन सुझावों को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलो ने

भिन्न-भिन्न सुझाव दिए। सीमा-पार आतंकवाद को रोकने के लिए, यदि विपक्ष सुझाव देना चाहे तो हमारे पास अभी भी गुंजाइश है। इस पर विचार करते समय, जब सभा में पोटो को पुनः पुरःस्थापित किया जाएगा, तब हम कई सुझाव दे सकते हैं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज भाजपा सत्ता में है। कल कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है। जो भी पार्टी सत्ता में हो, मैं मानता हूं कि प्रत्येक की रुचि इस सीमा पार आतंकवाद को रोकने की होगी। आतंकवाद सभी बुराइयों का मूल कारण है। अतः, कम से कम इस मुद्दे पर, हमें संपूर्ण विश्व के समक्ष सर्वसम्मति दिखानी होगी।

अमेरिका पर आतंकवादियों के हमले के बाद, पूरे विश्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया। हर व्यक्ति विश्व व्यापार केन्द्र और पेंटागन पर हुए हमले के बारे में बात कर रहा था जिसमें लगभग 12,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है। परंतु अब भारत पर हमला हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं इस हमले को विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए हमले से भी ज्यादा गंभीर हमला मानता हूं। अतः, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारी इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं है। हम यहां केवल अपने विचारों का ही आदान-प्रदान कर रहे हैं। अभी तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अनेक अन्य सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। मैं कहता हूं कि हमें सभा में गरिमा और शालीनता बनाए रखनी होगी। संपूर्ण विश्व का ध्यान हमारी ओर है। हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष ने भी कई सुझाव दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों की राय लेने के पश्चात्, चूंकि सरकार को आसूचना एजेंसियों पर आधारित मूल वास्तविकताओं की जानकारी है, अतः, यदि सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करना चाहती है, तो तेलुगू देशम पार्टी ऐसी कार्रवाई का पूरा-पूरा समर्थन करेगी। अपनी भूमि से सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के लिए, हम इस सरकार का समर्थन करेंगे। अन्यथा, कोई आर्थिक विकास नहीं होगा तथा हमारे देश का कोई भविष्य नहीं होगा। हमें आतंकवाद का सामना करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, जब एक विशेष परिस्थिति में एक अनइयू, अनप्रीसीडेंटेड अटैक इंडियन पार्लियामेंट में हुआ, उसकी चर्चा हम लोग आज यहां कर रहे हैं। थर्सडे को अटेक हुआ था, फ्राईडे को ओबिचुअरी हुई शनिवार और रविवार को छुट्टी थी तथा सोमवार को ईद थी, इसलिए आज हाउस बैठा। हाउस बैठने के पहले स्पीकर साहब ने एक ऑल पोलिटिकल पार्टी लीडर्स की बैठक बुलाई थी। उस समय यह डिसाइड हुआ था कि आज प्रश्न-काल नहीं होगा। प्रश्न-काल कैंसिल करके, जो टेरेरिस्ट अटैक हुआ है उस पर गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद डिसकशन होगा।

महोदय, मैंने देखा कि जब अपोजिशन पार्टी से आवाज उठी तो गवर्नमेंट ने इसे तुरंत मान लिया, क्योंकि हमारे देश में यह सबसे महत्वपूर्ण इशु है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इशु अन्य कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर, बड़े मोनुमेंट की रक्षा करने के लिए उस दिन कुर्बानी दी, आज भी जो आदमी अस्पताल में जिन्दगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था, उसका देहान्त हो गया, उसके लिए हमें बहुत ही दुख है। उस दिन इन लोगों ने कैसे अपनी जिन्दगी देकर हम लोगों को और लोकतंत्र को बचाया था। यह बात भी सच है कि इन लोगों ने क्यों जिन्दगी दी है, कुर्बानी दी है-चाहे पार्लियामेंट का स्टाफ हो, सीआरपीएफ, श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री जगदीश प्रसाद यादव, विजेन्द्र सिंह, इन सबका पार्लियामेंट में एक स्टेचु बनाना चाहिए। आज हमारे नेता से भी ज्यादा इन लोगों ने अपनी जिन्दगी की कुर्बानी देकर साबित कर दिया है-"जो खून गिरा संसद पर, वह खून था हिन्दुस्तानी, इसलिए बताई कहानी कि हम न भूलें इसकी कहानी।"

महोदय, जब कभी कोई महत्वपूर्ण इशु आता है तो पोलिटिशियन, पोलिटिशियन के मुताबिक बात करते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता है तब पोलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे तीन-चार माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर दुख हुआ, लेकिन पाटिल जी का भाषण थोड़ा सोबर था, बाकी माननीय सदस्यों के भाषण में पोलिटिक्स ज्यादा थी। अगर हम संसद में बैठ कर ऐसा मैसेज दें कि हम ये चाहते हैं और अपोजिशन वाले ये चाहते हैं तो बाहर के लोगों के मन में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहां बाहर से कई लोग आते हैं। टीवी पर भी लोग देखते हैं और टेरेरिस्ट भी देखते हैं। ये देखने के बाद वे प्लान करते हैं। जब राजीव गांधी जी का देहान्त हुआ था तब चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। क्या तब वह राजीव गांधी जी की जिन्दगी बचा सके थे, वे नहीं बचा सके। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हम चन्द्रशेखर जी की इज्जत करते हैं। 21 मई को जब राजीव गांधी जी का देहान्त हुआ, उस समय हम लोग कलकत्ता में एक मीटिंग में गए हुए थे। हमने देखा, उनके पास कोई सिक्युरिटी नहीं थी। हमने उनसे कहा कि आपके पास कोई सिक्युरिटी नहीं है तब उन्होंने कहा कि सिक्युरिटी देकर ये लोग इतनी बात करते हैं कि हम पसन्द नहीं करते हैं, हम मर भी

[कुमारी ममता बनर्जी]

जाएंगे तब भी इन्हें नहीं पूछेंगे। यह चीज हमने भी देखी है। इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थीं, जब उनका घर में देहान्त हो गया तो सिक्युरिटी कुछ नहीं कर पाई। सिक्युरिटी वाले ने ही उनका मर्डर कर दिया था। हम सब को और हमारे हाउस को भी इस बात का पता है। आज परिस्थिति थोड़ी अलग है। आज ग्लोबल टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, लोकल टेररिज्म भी है। स्टेट स्पोंसर्ड और क्रास बार्डर टेररिज्म भी है। टेररिज्म, आज हमारे समाज में कैंसर के मुताबिक हो गया है। इस टेररिज्म से लड़ने के लिए हम चाहते हैं, अगर हिम्मत है,

[अनुवाद]

आइए हम एक साथ मिलकर एक पंक्ति का संकल्प पारित करें। मैं सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के सदस्यों सहित सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यह कहते हुए एक पंक्ति का संकल्प पारित करें कि आतंकवाद का सामना करने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई करनी है, वह हम करेंगे। हम यह कार्य सरकार पर छोड़ते हैं और सरकार को आतंकवाद से लड़ने के लिए नीतिगत निर्णय लेने दें।

[हिन्दी]

सर, अमरीका बड़ा देश है लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तो वहां के लोगों ने सरकार से सिक्योरिटी फैल्योर के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा। अगर हमारी कोई फैल्योर है भी तब भी कोई नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई फैल्योर नहीं हुई है। यह समय फैल्योर का नहीं बल्कि डिसीजन लेने का है। सदन से यह मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। यह वक्त नहीं है जब यह कहा जाए कि सरकार को यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब के माननीय चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह के पास तो बुलैट-प्रूफ कार थी, सिक्योरटी भी थी लेकिन आत्मघाती बम ने उनकी जान ले ली। आत्मघाती दस्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए में कोई भी बात डिस-क्लोज करके नहीं करनी चाहिए। मैं संसदीय सुरक्षा के स्टॉफ को और मीडिया को उनके साहस के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। आज भी हमारे ए.एन.आई. के एक रिपोर्टर की हालत अस्पताल में गंभीर है। वे लोग हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं जब लोकतंत्र पर आघात होता है, जब संसद पर आघात होता है। बाहर जनता आतंकवाद के कारण मरती है और जम्मू और कश्मीर में तो यह रोज हो रहा है।

हमारे देश का बॉर्डर पाकिस्तान, बंगला देश, नार्थ-ईस्ट, चाइना, बर्मा और नेपाल से लगा है। नेपाल में इमरजेंसी चालू है। बंगलादेश में माइनोरिटीज पर अत्याचार चल रहा है। हमारे शिव-सेना के माननीय गीते जी ने कहा कि बंगला देशी हिंदू डरते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह बात सच नहीं है। होम-मिनिस्टर बाद में कहते हैं कि वे पाकिस्तानी हैं, बंगला देशी नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बंगलादेश की जो स्थिति हैं वहां पर माइनोरिटीज को इधर-उधर फेंक देते हैं। इसलिए हमको इसके ऊपर भी आपस में बैठकर कुछ ठोस करना चाहिए जिससे वहां कोई गलत फीलिंग न जाए। पहले तो एक ही देश था।

यह घटना होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि

[अनुवाद]

कि हम इसकी निन्दा करते हैं।'' तब उन्होंने कहा था, ''यह एक नाटक है।''

[हिन्दी]

अगर संसद पर अटैक ड्रामा है तो मैं इसके उत्तर में सोचती हूं कि उनकी बात का जवाब देना ठीक है या नहीं लेकिन हमारा देश हमको सबसे प्यारा है, इसलिए मैं कह रही हूं यह जानते हुए भी कि आई.एस.आई. मेरे कहने के बाद मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हम डरते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर हमारी संसद के ऊपर अटैक ड्रामा है तो मुशर्रफ जी को एक पॉलिटिकल ट्रॉमा है। उस पॉलिटिकल ट्रॉमा को लेकर वह पॉलिटिकल ड्रामा इंडिया में करते हैं। इंडिया से इसके बारे में स्टॉंग मैसेज जाना चाहिए। अब पाकिस्तान ने कहा है कि ज्वाइंट इंवैस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के आदमी मरेंगे और हम ज्वाइंट इंवैस्टिगेशन करके बैलेंस कर देंगे, यह बात नहीं हो सकती है।

अमरीका के ऊपर जब आघात आया तो हर देश उस ग्लोबल टैररिज्म से लड़ने के लिए तैयार था। उस टैररिज्म के खिलाफ था। लेकिन जब हमारी संसद के ऊपर अटैक हुआ तो हमने देखा कि वैसा ही स्टॉंग स्टेटमेंट अमरीका की तरफ से नहीं आया, जैसा हमारी तरफ से गया था। किसी देश के बारे में बोलना तो ठीक नहीं लगता है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, वह अपने पांव पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लीयर ताकत है तो हमारे पास भी है। अगर वह हमें पीटेंगे तो हम पिटेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं। हम उनसे शक्तिशाली हैं।

मैंने माननीय मुलायम सिंह जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसा असर न पड़े, कोई ऐसा मैसेज न जाए कि

[अनुवाद]

हम मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

हम मुसलमानों की प्रशंसा करते हैं। कल कोलकाता में रैड रोड पर जो जमात हुई उसमें इमाम ने मैसेज दिया-

[अनुवाद]

हम संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की निन्दा करते हैं।

[हिन्दी]

मैं सूचना के लिए यह बात बता रही हूं। आजादी की लड़ाई हुई।

[अनुवाद]

शाहनवाज खान कौन है वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का दाहिना हाथ थे। विभाजन के समय, पाकिस्तान ने उन्हें अपने यहां ठहरने की पेशकश की थी। परंतु उन्होने कहा था: ''नहीं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। मैं भारत के लिए युद्ध करूंगा और भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा।''

[हिन्दी]

ऐसे मुसलमान हमारे देश में बहुत से हैं।

[अनुवाद]

आतंकवाद का संबंध किसी जाति या किसी पंथ अथवा किसी धर्म से नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद ही है।

[हिन्दी]

लेकिन हमें एक बात का दुख है। आप सब के खिलाफ एक्शन लीजिए। एक्शन क्या लेना चाहिए ऐसा सजैशन किसी की तरफ से नहीं आया। आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने अपनी जान देकर संसद को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, मैं सोचती हूं।

[अनुवाद]

वे विजेता हैं। उन्होंने इस लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमारा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने अपने भाइयों और बहनों को खो दिया है। इसलिए, मैं इस सभा से अपील करती हूं कि हमें यह कहते हुए एक संकल्प पारित करना चाहिए कि जो भी आवश्यक कार्यवाई की जानी है, हमें सरकार पर भरोसा करना होगा।

[हिन्दी]

आप सरकार को विश्वास में लीजिए और यह काम सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

चिल्लाईये नहीं ...*(व्यवधान)*

महोदय, वे बंगाली भाषा में कुछ अश्लील शब्द बोल रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूं। अतः, मैं उसका उत्तर देना नहीं चाहती हूं।

सी.पी.एम. के सदस्य देशभक्ति की बात कर रहे हैं। मुझे उन सदस्यों से देशभक्ति का सबक नहीं लेना है क्योंकि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विश्वासघात किया; उन्होंने भारत को उस वक्त धोखा दिया जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और जब चीन ने भारत के साथ युद्ध किया, तब भी विश्वासघात किया। प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी है। ...*(व्यवधान)* वे बंगला भाषा में कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे देशभक्ति का सबक नहीं पढ़ना है।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): तथ्यों को पूरी तरह तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मेरे बोलने में बाधा मत पहुंचाइए। मुझे आपसे देशभक्ति पर सबक नहीं लेना है। आप लोग आज कह रहे हैं कि आपने तालिबान आदि का समर्थन नहीं किया। आप लोगों ने कोलकाता में एक रैली निकाली। प्रत्येक व्यक्ति को इन सब बातों की जानकारी है।

[हिन्दी]

मैं यहां इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन आप लोग बंगाली में ऐसा कुछ बोले जो मेरे कान में आई इसलिए

[कुमारी ममता बनर्जी

मैं इस पर बोल रही हूं। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। इसे स्टेटवाइज नहीं करना चाहती। इस तरफ के साथी पहले गांधी जी के बारे में भी गलत बात कहते थे लेकिन पचास वर्ष बाद कहा कि हमने गलती की। इसी प्रकार नेताजी के बारे में गलत बात कहते थे लेकिन बाद में कहा कि हमने गलती की। अब ऐसा मत कीजिए। इस समय ऐसी बात करने का समय नहीं है। अगर देश में टैरारिज्म चलेगा तो हम और आप नहीं बचेंगे। केवल आप और हम बचें रहेंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। लोकतंत्र को बचाना है तो स्ट्रौंग स्टैप्स उठाने पड़ेंगे। हम मौत से नहीं डरते हैं। हम मौत के साथ लड़ते हैं। जिन्दगी एक संघर्ष है। हम हिम्मत कभी नहीं हारते। हम हिम्मत कभी नहीं हारेंगे और जीतेंगे। हिन्दुस्तान इस लड़ाई में जीतेगा। तिरंगे झंडे के बारे में प्यार से कहेंगे कि ''झंडा ऊंचा रहे हमारा'' ''सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' हम ऐसा लैसन सब को दे सकते हैं।

[अनुवाद]

यदि हम एक साथ है, तो हम विश्व को चुनौती दे सकते है। यदि हम एक साथ हैं, तो हम आतंकवाद को चुनौती दे सकते हैं। यदि हम एक साथ हैं और यदि हम संगठित हैं, तो हम इस देश का निर्माण कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सरकार या मंत्री या देश के किसी मुद्दे के विरुद्ध किसी पक्षपाती प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे। हम विपक्ष द्वारा लाए गए किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे। हम माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में इस सभा में दो राय नहीं है। उन्होंने कहा है:

> ''संसद पर हुए हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें जान लेना चाहिए कि भारत की जनता एक है और देश से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है।''

हम संसद में भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के विरोध में नहीं है। वक्तव्य के अंतिम पैराग्राफ में यह संदेश है। इसलिए जहां तक आतंकवादियों और हमारी सम्प्रभुता पर प्रश्न चिह्न लगाने की उनकी मंशा का विरोध करने का संबंध है, इसमें कोई रुखाई नहीं होनी चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सभा में दो मत हैं।

मुझे विश्वास है कि सभा में सरकार का भी मत है कि ऐसा कोई भी दल या व्यक्ति नहीं है जो 14 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किए गए संकल्प और गृह मंत्री के वक्तव्य के अंतिम भाग के संदेश के पक्ष में नहीं है। अत: किसी भी दल या व्यक्ति पर कोई अभिप्रेरणा लगाने का प्रयास करना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

हम संसदीय लोकतंत्र नाम की प्रणाली में कार्य कर रहे हैं। श्री जॉर्ज बुश अमेरिका में क्या कर रहे हैं, मुझे उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, दुनिया के अन्य भागों में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मुझे उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, और मुझे इस ऐतिहासिक संसद में पं. जवाहरलाल नेहरू के समय से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक बनाई गई परम्परा का अनुसरण करना चाहिए। हम इसके अलावा और किसी बात की तुलना नहीं कर सकते।

माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सभा के समक्ष है। उन्होंने हमें घटना का अधिकारिक रूप बताने का प्रयास किया। हममें से अनेक उस दिन सभा में थे। उस दिन हममें से अनेक लोग यह उचित ठहराने का प्रयास कर रहे थे कि यह घटना क्यों हुई अथवा यह घटना क्यों घटित नहीं होनी चाहिए थी। सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम यह नहीं कह रहे कि हम एक नहीं हैं, हम सब एक हैं। जब गत मास 19 तारीख को संसद का सत्र आरम्भ हुआ तो उससे पूर्व, अधिकांश सांसदों, अधिकांश नेताओं को, जिनको दिल्ली में किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा मिली हुई थी, पुलिस उपायुक्त, दिल्ली का पत्र मिला कि नवीनतम संवीक्षा से पता चला है कि जहां तक दिल्ली की सुरक्षा का संबंध है, स्थिति में सुधार है-अर्थात् कोई खतरा नहीं है, इसलिए सभी सुरक्षा वापस ली जाती है।

यहां तक कि श्री शफी कुरैसी, पूर्व राज्यपाल और कश्मीर घाटी के प्रमुख नेता दिल्ली में रहते हैं। उन्हें भी अन्य नेताओं की तरह उपायुक्त से यह पत्र मिला था कि स्थिति सुधर गई है तथा उनकी सुरक्षा भी वापस ली गई थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। स्वयं मैंने यह बात गृह मंत्री जी को बताई थी-शायद उस दिन डा. राजेन्द्र प्रसाद का जन्मदिन था। उन्हें यह पत्र मिला था। मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। ऐसा क्यों किया गया था। श्री आडवाणी इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझसे चिट भेजने को कहा। मैंने चिट भेजा और तीन दिन पश्चात् सारा मामला ठीक हो गया।

उस दिन, संसद का सत्र प्रारम्भ होने से दस दिन पूर्व, पुलिस उपायुक्त समझ रहे थे कि दिल्ली में सुरक्षा सुधर गई है और अब

खतरा नहीं है इसलिए सुरक्षा गार्ड वापस ले लिए गए थे। साथ ही, माननीय गृह मंत्री ने सम्भवतया उनकी रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक रूप से बताया कि भारतीय संसद, आस्ट्रेलियाई संसद और ब्रिटिश संसद को आतंकवादियों से खतरा है। मुझे बताया गया है कि हो सकता है मेरी बात गलत हो, वह मेरी बात ठीक कर दें, उन्होंने अपने ढंग से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों को ध्यान रखने और इस खतरे का संज्ञान लेने के लिए सावधान कर दिया था।

इसलिए गृह मंत्री जी से मेरा पहला सवाल यही है। यही समय है कि हम न केवल अपनी एकता को व्यक्त करें बल्कि इसकी संवीक्षा भी करें। यदि हमें पता था कि संसद को आतंकवादियों से खतरा है तो हमने सही काम क्यों नहीं किया? आपके पुलिस आयुक्त को लगता है कि दिल्ली में सुरक्षा की स्थिति सुधर गई है और इसलिए सुरक्षा गार्ड वापस लिए गए थे। क्या इससे माननीय गृह मंत्री की संसद पर संभावित हमले की घोषणा करने की समझ और पुलिस उपायुक्त, दिल्ली के निर्धारण में कोई तालमेल नजर आता है? हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। इससे यह पता नहीं चलता कि कौन गलत है और कौन सही।

माननीय प्रधान मंत्री ने घटना से 12 घंटे पूर्व मुंबई में पूरे देश को बताया कि संसद को निशाना बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण नम्रभाव से सभा को बताना चाहता हूं कि उस दिन श्री सोमनाथ चटर्जी मुझे सावधान कर रहे थे कि मैं बहुत अधिक न बोलूं और मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा।

जिस दिन हमने सभा में डोडा की घटना पर चर्चा की थी उस दिन मैं वाद-विवाद के बाद किसी काम से माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में गया और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि जिस तरह से डोडा, जम्मू रेलवे स्टेशन और लाल किले की घटनाएं हुई हैं, मुझे डर है कि किसी दिन आत्मघाती दस्ते संसद पर हमला कर सकते हैं। उस समय महासचिव भी मौजूद थे। मैंने कहा था कि बिना हथियारों के बेचारे वाच एंड वार्ड कर्मचारी लौह द्वार पर हमारी जांच करते हैं, हमारी शक्ल देखते हैं, स्टिकर देखते हैं, हमें सैल्यूट करते हैं और हमें आने देते है। इसलिए मैंने कहा था कि विजय चौक पर फव्वारे के पास लौह द्वार के सामने तथा संसद मार्ग पर गोल चक्कर के सामने हरेक वाहन की जांच करने के लिए एक और सुरक्षा कॉरडोन होना चाहिए तथा हमें किसी को भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा करने से यातायात जाम होने की असुविधा हो सकती है किन्तु मैंने उनसे अनुरोध किया ऐसा होना चाहिए अन्यथा समस्या हो जाएगी। आज जब मैं देखता हूं कि आज से ऐसा ही शुरु हो गया है, मुझे बहुत दु:ख हुआ और मैंने सोचा कियदि सत्र के पहले दिन से ही ऐसा किया जाता तो संभवतया आतंकवादियों को लौह द्वार पर ही पकड़ लिया जाता।

महोदय, मैं यहां कोई लाभ लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि एक साधारण सासंद के दिमाग में यह बात थी कि संसद के लिए खतरा था और उसके घटित होने की संभावना थी तो सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया? गृह मंत्री ने गुप्तचर रिपोर्टों का हवाला देते हुए कि अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन संसद को निशाना बना रहे हैं, यह कहकर कि वह गोपनीय बातचीत करना चाहते हैं तथा पवित्रता की मांग है कि आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता तथा इसलिए कुछ सुरक्षा उपाय करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए-क्या यह कह कर गृह मंत्री ने अध्यक्ष को विश्वास में लिया था? क्या उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री के रूप में उन्हें लगता है कि सांसदों और मंत्रियों की सुरक्षा दांव पर है, खतरा दिखाई पड़ रहा है और वह प्रणाली को सुधारना चाहते हैं? क्या उन्होंने अध्यक्ष की अनुमति या सलाह मांगी थी? यदि अध्यक्ष और गृह मंत्री के बीच ऐसा हुआ था तो हमें इसका पता नहीं और यदि ऐसा नहीं हुआ था तो हमें इसका खेद है।

महोदय, जिन्होंने हमें बचाया है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और करते रहेंगे। इस घटना के दिन जब माननीय अध्यक्ष ने हमें बुलाया तो मैंने भी सुझाव दिया था कि कभी उचित समय पर हमें संसद की सुरक्षा में अपना जीवन अर्पित कर देने वालों की स्मृति में संसद के सामने एक छोटा सा आर्च या स्मारक बनवाना चाहिए ताकि भावी सांसद आकर देखें कि भारत की सर्वोच्च संस्था संसद को बचाने वाले ये हैं। हमें विश्लेषण करना चाहिए कि यदि उपराष्ट्रपति की गाड़ी एक मिनट पहले चली गई होती तो क्या होता? उपराष्ट्रपति का जाने का समय क्या था? उन्हें राज्य सभा स्थगित होने के ठीक बाद जाना था। उनके सुरक्षा गार्ड उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे किंतु उन्हें थोड़ी देर हो गई। यदि वह देर नहीं होती तो क्या होता? फर्ज कीजिए, मैं एक बात सोचता हूं, सरकार को विपक्ष का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने कारगिल का मुद्दा उठा लिया। यदि हमने वह मुद्दा नहीं उठाया होता और दोनों सभाएं उसी क्षण स्थगित नहीं हुई होतीं तो क्या होता? यह भाग्य की बात नहीं है। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): पूर्ण विनाश भी हो सकता था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हां, पूर्ण विनाश भी हो सकता था। इसलिए जब कभी ऐसा होता है, सुरक्षा विश्लेषक बिंदुवार विश्लेषण करते हैं कि क्या हुआ था और क्या हो सकता था। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि आतंकवादियों की कार में विस्फोटक था, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना था। पुलिस आयुक्त ने कहा कि 31 कि.ग्रा. था। यह हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था क्योंकि गृह मंत्री के वक्तव्य में यह ब्यौरा नहीं था। तथापि उन्होंने कहा था कि विस्फोटक बरामद हुए थे। यदि उनमें विस्फोट हो जाता तो कितना विनाश होता? यदि आतंकवादियों के मरने के बाद कार से तार न निकाला होता तो क्या होता?

महोदय, गृह मंत्री जी को याद होगा कि उस दिन मैं, स्वयं गृहमंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री शिवराज पाटील, हम सब भागकर संसद द्वारा रिकार्ड किए गए क्लोज्ड सर्किट टी.वी. के टेप देखने के लिए अध्यक्ष के कक्ष में गए थे।

अपराह्न 4.00 बजे

मेरे विचार से, हो सकता है मेरी बात पूरी तरह से गलत हो। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय ने हमें दो बार क्लोज्ड सर्किट टी.वी. दिखाने का प्रयास किया। मैंने देखा कि कार आई और संसद भवन के एक बड़े वाहन के पास खड़ी हुई। पहले केवल तीन आदमी उतरे और बायीं ओर द्वार सं. 12 की तरफ जाने लगे। फिर चौथा द्वार सं. 1 की तरफ बढ़ने लगा। फिर एक कार से उतरा, दो-तीन कदम आगे बढ़ा और वापस कार में आ गया। उसने कोई चीज ली और एक और आदमी के साथ बाहर आया। मैंने तुरंत हिसाब लगाया कि वे छह आदमी थे। हो सकता है ऐसा न हो। किंतु क्लोज्ड सर्किट टी.वी. से मुझे ऐसा ही लगा कि अंतिम आदमी जो गया था और बाहर आया, दूसरा था। इसलिए मीडिया में यह भ्रम बना हुआ था कि आतंकवादी छह थे।

अब, नि:संदेह हम केवल आपके ही कथन पर विश्वास करेंगे क्योंकि आपको अंतिम क्षण तक की वास्तविक स्थिति पता है। इस बात का किसी दूसरे को ज्ञान नहीं हैं।

आपकी स्थिति से निपटने की क्या आकस्मिक योजनाएं हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपने सार्वजनिक रूप से कहा है कि संसद को लक्ष्य बनाया गया था, क्या इसके लिए आपने सदन को विश्वास में लिया है? क्या आपने कोई आकस्मिक योजना बनाई थी यदि यह राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या संसद भवन में हो सकता है तो फिर आकस्मिक योजना क्या थी? यदि कोई आकस्मिक योजना थी तो बताइए कि उसके मुताबिक ऐसी स्थिति में लोगों को किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता था। घायल लोगों को उपचार के लिए किस निकटतम स्थल पर ले जाने की बात थी? क्या उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जाना था? लेकिन वस्तुस्थिति तो यह है कि इस अस्पताल में पिछले दस दिनों से सी टी स्कैन कार्य नहीं कर रहा था। क्या यही आकस्मिक योजना थी?

आपने राष्ट्र को यह संदेश दिया कि देश पर हमला हो सकता है और संसद भवन पर हमला हो सकता है। चूंकि आप गृह मंत्री है; आप राष्ट्र और संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। चूंकि आप गृह मंत्री है; आप राष्ट्र और संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। परंतु आपके पास ऐसी स्थिति से निपटने की कोई आकस्मिक योजना नहीं थी।

सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जब वह इस पद पर थे और पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तो उन्होंने कहा था, यह कार्यवाही वृत्तांत में भी शामिल है कि "मुझे अपने घर में कोई सुरक्षा नहीं चाहिए और यह सभी के लिए खुला है। कोई भी यहां आ सकता है और ठहर सकता है।" क्या सरकार की सुरक्षा के बारे में यही अवधारणा है कि रक्षा मंत्री का घर हर किसी के लिए खुला है। जॉर्ज फर्नान्डीज, लाल कृष्ण आडवाणी या प्रियरंजन दासमुंशी नाम का कोई भी सामान्य आदमी यह कह सकता है कि मेरा घर सबके लिए खुला है। परंतु रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के सांस्थानिक कार्यालयों को खेल का मैदान नहीं बनाया जा सकता है। वहां पर किसी को भी खुले आम जाने नही दिया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यही वे मुद्दे हैं जहां पर आपकी सरकार की समग्र सुरक्षा संकल्पना में गंभीर खामियां हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा "संसद को निशाना बनाया जा सकता है" 12 घंटे के भीतर ऐसा हो गया। परंतु आपके पास ऐसी संभाव्य स्थित से निपटने की कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। आप अपना यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों ने मुकाबला किया और वे वीरगति को प्राप्त हुए। हां, ऐसा ही हुआ है। परंतु क्या यह काफी है? वे मारे नहीं जाते यदि वह कार संसद भवन के अंदर नहीं घुसती।

यह सच है कि कई लोग स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी का संदर्भ देते हैं। वह आज जीवित नहीं है। यह सच नही है कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। उन्हें बताया गया था परन्तु धर्मनिरपेक्षता में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें अपने घर से कुछ लोगों को बाहर निकालने से रोक दिया। मैं ऐसा पूरे अधिकार से कह रहा हूं। हम सभी आतंकवाद के विरोधी हैं। स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश में राष्ट्रपिता धार्मिक आतंकवाद के पहले शिकार थे। सभी जानते हैं कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनाए जाने वाले किसी भी प्रकार के उपायों का समर्थन करने में कांग्रेस पार्टी किसी से पीछे नहीं है। आडवाणी जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपने वक्तव्य के पैरा सं. 9 में ठीक ही कहा है कि:

> "इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर केवल एक ही है कि पाकिस्तान दो राष्ट्रों के असमर्थनीय सिद्धांत से बना है, जो स्वयं ही लोकतंत्र के अत्यधिक विरल परम्परा वाला धर्म आधारित (मजहबी) राष्ट्र है-एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, आत्मविश्वास से भरपूर और निरंतर प्रगति कर रहे भारत की वास्तविकता से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया है........."

श्री आडवाणी जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने पाकिस्तान की तुलना में हमारे देश और सरकार का वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम लगातार मांग करते रहे हैं। हम दशकों से किसी भी प्रकार के आतंकवाद, किसी प्रकार के भय, किसी देश पर हमले का विरोध करते रहे हैं क्योंकि राष्ट्र के ढांचे को नष्ट करने वाले प्रयासों को सहन नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण सदन में इस मामले पर एकता होनी चाहिए।

हम जैश-ए-मोहम्मद का विरोध करते हैं। हम इस प्रकार के मजहबी राष्ट्र का विरोध करते हैं। हम सभी प्रकार की धर्मांधता और कट्टरपंथी दृष्टिकोण का भी विरोध करते हैं।

श्री गीते हमें बता रहे थे और हमें यह भी सलाह भी दे रहे थे कि एक देशभक्त को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मैंने उनकी बातें सुनी। श्री आडवाणी को दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम को अफगानिस्तान' में युद्ध के दौरान अनावश्यक बयानबाजी बंद करने के लिए चेतावनी देने से किसने रोका था। क्या हमने उन्हें रोका? क्या विपक्ष ने कोई याचिका दी थी कि वे उन्हें बुलाकर चेतावनी नहीं दे। वे हमें कैसे दोष दे सकते हैं।

हम शाही इमाम के कथन की भर्त्सना करते हैं। हम बजरंग दल और शिव सेना के कथन की भी भर्त्सना करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं। बजरंग दल को रोकना और शाही इमाम को रोकना हमारा काम नहीं है, यह उनका काम है। यदि वे निष्क्रिय हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, टाल-मटोल करते हैं और देश को सही दिशा नहीं दे सकते, तो विपक्ष को क्यों दोष देते हैं? यह उस समय की सरकार की जवाबदेही है कि किसी स्थिति का मुकाबला किस प्रकार किया जाए, केवल शब्दाडंबर से काम नहीं चलेगा।

इसलिए, जब हम यह कहते हैं कि यह सुरक्षा से संबंधित बड़ी भारी भूल है। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम सरकार गिराना चाहते हैं या गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का मुद्दा जिस बड़े रूप में सामने आया है, सरकार संभवत: उसका अंदाजा नहीं लगा सकी है और इस जोन के लिए आकस्मिक योजना नहीं तय कर सके।

हमें यह निस्संकोच स्वीकार करना चाहिए कि 1140 बजे से 1214 बजे तक कमरे में बंद थे और मैं दूसरे कमरे में बंद था। माननीय गृह मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार गोली चलने की आवाज संभवत: 1210 बजे और 1212 बजे सुनी गयी थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि यह 1140 बजे शुरू हुई परन्तु यह नहीं बताया है यह सब कब समाप्त हुआ। संभवत: यह 1210 बजे या 1212 बजे समाप्त हुआ था मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मैं श्री कुलदीप नैय्यर, श्री संजय निरूपम, श्री शिवराज पाटील और मैडम (श्रीमती सोनिया गांधी) को हर मिनट की सूचना दे रहे थे। वे स्वयं भी टेलीफोन पर गोलियां चलने की आवाज सुन रही थी।

1140 बजे से 1214 बजे तक ये सब घटित हुआ लगभग 24 से 25 मिनट तक संसद के बाहर अफवाहें थी।

[हिन्दी]

दस आदमी घुस गए, आदमी घुस गए, सबको घर से फोन आ रहा था।

[अनुवाद]

बताइए कि बाहर मौजूद सुरक्षा प्रणाली को जानकारी देने के लिए क्या तात्कालिक तंत्र उपलब्ध था ताकि उनसे सम्पर्क किया जा सके, वस्तुस्थिति की जानकारी दी जा सके और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उस वक्त क्या समय हो रहा था? उन्होंने एक बार मुझे हल्के ढंग से बताया था और मैं समझता हूं कि जब मैंने उनसे बात की थी यदि मैंने सही ढंग से सुना था तो उन्होंने पुलिस आयुक्त से एक दल भेजने के लिए कहा। कब उन्होंने सूचित किया? 1140 बजे से 1214 बजे तक शिव सेना के संजय निरूपम और मैं उस लॉज में बातें कर रहे थे कि तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद ली जानी चाहिए क्योंकि वे कुछ डीटोनेटर भी लगा सकते हैं। हम नहीं जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है। इसलिए हम सभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे अपनी कहानी गढ़ रहे थे और कल्पना कर रहे थे।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

माननीय रक्षा मंत्री अपने कमरे में थे। कब श्री आडवाणी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन एस जी) को बुलाया? यह रिपोर्ट में नहीं है। कब उन्होंने लोगों को पूरी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बुलाया? यह रिपोर्ट में नहीं है। इससे भी आश्चर्यजनक यह है कि मैंने पाया कि सेना भी संसद परिसर के अंदर मार्च कर रही थी। मेरे मन में श्री आडवाणी के लिए पूरा आदर है पर जहां तक मैं समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना कोई भी सेना को संसद के भीतर नहीं बुला सकता है। मैं तकनीकी व्यवस्थाओं की बात नहीं कर रहा; हम सभी उस समय परेशान थे। शायद किसी ने ऐसा किया, पर प्रश्न यह है कि क्या इसमें कोई समन्वय था?

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा इस हमले के पीछे हैं, हमें खुशी है कि उन्होंने यह जानकारी हमें दी। परन्तु जम्मू-कश्मीर विधान सभा की घटना में, केन्द्र सरकार की अधिकारिक सूचना जिसकी विदेश सचिव, श्रीमती चोकिला अय्यर ने दूसरे ही दिन पुष्टि की, यह थी कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा की घटना के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। गृह मंत्री के संसद में वक्तव्य देने से पहले विदेश मंत्री ने 14 तारीख को प्रसारित एक कार्यक्रम में कहा था, पहले श्रीमती चोकिला अय्यर और फिर विदेश मंत्री जिन्होंने अशरफ जहांगीर से बात की थी कि लश्कर-ए-तैयबा जिम्मेदार है।

आप दूरदर्शन पर विदेश मंत्री के साक्षात्कार का टेप ले कर देख सकते हैं। उस साक्षात्कार में मैंने उन्हें यह कहते सुना कि 'यह लश्कर-ए-तैयबा' है, श्रीमती चोकिला अय्यर ने दुहराया कि जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर विधान सभा में ऐसा किया; लश्कर-ए-तैयबा ने इस दिन ऐसा किया। यहां उच्चायुक्त है। यह आपको हमारा संदेश है। आप कार्रवाई कीजिए, आदि।'

जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि उप आयुक्त द्वारा संसद सदस्यों को लिखे गये पत्र कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, से लेकर आपके वक्तव्य कि संसद पर हमला हो सकता है और उस दिन विदेश मंत्री की तुरंत प्रतिक्रिया कि आपका सामंजस्य नहीं हैं और आपके इन सारे प्रयासों में पर्याप्त समन्वय का अभाव है। जब आपने के.सी. पंत की मदद से हुर्रियत से बात करने का निर्णय लिया, हमने आपको नहीं रोका। जब आपने बातचीत रोक देने का निर्णय लिया, हमने आपको नहीं रोका। जब आपने फिर से आगे बातचीत करने का निर्णय लिया, हमने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की बल्कि हमने यह कहा कि आपके रा.ज.ग. के सहयोगी जम्मू-कश्मीर में इस देश के संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला को शामिल नहीं किया गया था उनसे परामर्श नहीं लिया गया। यह हमें ऐसा आभास होता है कि देश के ऊपर सभी संभावित खतरों और देश में सभी आतंकवादी गतिविधियों का सरकार द्वारा सुसंगत तरीके से सामूहिक रूप से सामना नहीं किया जा रहा है। इसे हम चूक कह सकते हैं और हम महसूस करते हैं कि आपको इसका जवाब देना होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह 'पोटो' से जुड़ा हुआ नहीं है। वे अनावश्यक रूप से इस बीच में ला रहे हैं। यहां तक कि श्री आडवाणी भी मुझसे सहमत होंगे कि 'पोटो' हो या 'पोटो' नहीं हो। हमें भारतीय जनता की इच्छाशक्ति से एक होकर आतंकवादियों का मुकाबला करना है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। किसी वक्ता द्वारा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि यदि उस दिन यह घटना मुम्बई में होती, जहां 'टाडा' पहले से लागू है, पर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन वे आए और उन्होंने संसद पर हमला किया, 'पोटो' पहले से ही लागू था और फिर भी हम श्री जिलानी को ढूंढ नहीं पाए और उन लोगों से सम्पर्क नहीं कर पाए जब तक कि यह घटना घट गयी। माननीय गृह मंत्री मैं सुरक्षा में चूक का प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 13 तारीख की घटना के बाद हमें अचानक पता लगा कि प्रधानमंत्री के निवास, विपक्ष के नेता के घर की सुरक्षा और श्री आडवाणी के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। यह समझ 13 तारीख के बाद विकसित हुई। यदि आपको पता है कि संसद पर हमला हो सकता है और प्रधानमंत्री निवास, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लाक और राष्ट्रपति भवन सहित पूरा क्षेत्र ही अति संवेदनशील है। मैं जानना चाहूंगा कि यह घटना घटित होने से पहले ही इस व्यवस्था पर विचार क्यों नहीं किया गया। घटना घट जाने के बाद आपने ऐसा किया। इससे हमें सबक मिलता है। यह सच है कि सरकार ने संभवत: इसे रोका, संभवत: उसे इसके बारे में जानकारी थी पर उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिला।

अब मैं श्री चंद्रशेखर के बारे में बात नहीं कह रहा हूं। वे भारत के प्रधानमंत्री थे। हम सभी यह जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को पद से हटने के बाद 10 वर्षों तक कानून के अनुसार एस पी जी सुरक्षा प्रदान की जाती है। वह भाग समाप्त हो गया है। आपने उनकी बुलेट प्रूफ कार सहित सभी कुछ ले लिया। यदि आप यह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको पोटो जैसे कानून की जरूरत है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या आपके सुरक्षा संबधी ज्ञान ने आपको यह संदेश दिया है कि श्री चंद्रशेखर सहित देश के इन राजनेताओं को इस विधि के अंतर्गत सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। उच्च स्तर पर किसे सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए? क्या आपका उत्तर है 'नहीं'। आपके नेतृत्व वाली इस

सरकार की सुरक्षा संबंधी जानकारी यह है, जिसमें कुछ कमी हैं। हम आपके प्राधिकारों के बारे में प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जनादेश के आधार पर ही आप गृह मंत्री हैं और इसी जनादेश के आधार पर आप सरकार चला रहे हैं। इसलिए, हमने अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा। यदि हम इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते तो हम स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे; हम नियम 184 के अधीन प्रस्ताव ला सकते थे; और हम अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते थे। हम मात्र एक दल ही नहीं हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्र का वह आंदोलन जो राष्ट्र के संघर्ष के दिन से आरंभ हुआ था।

ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय हम दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। हम किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं रखते। हम यह महसूस करते हैं कि हमारा संकल्प एक ही है। मैं इस सभा के प्रत्येक सांसद और प्रत्येक दल जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं का आदर करता हूं। वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं; वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के प्रति उनका प्रेम और उनकी निष्ठा के प्रति प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हम लोगों में आपस में मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है हमें आपका एक एजेंडा पसंद नहीं किंतु इस समय मैं यही महसूस करता हूं कि सुरक्षा को बनाए रखने में आपने अपनी भूमिका नहीं निभायी है, इसका अर्थ यह नहीं हैं कि मैं देशभक्त नहीं हूँ। यह संदेश क्यों फैलाया जा रहा है?

किसी ने पोटो को इसमें खींचने का प्रयत्न किया। दरअसल 'पोटो' नाम का कोई मुद्दा नहीं है बल्कि समय और क्षण ही मुद्दा है। मैं आज बहुत दुःखी हूं। 11 सितम्बर को जार्ज बुश ने हमले का सामना किया और उन्होंने तुरंत ही लोगों और विश्व को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम सभी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शमिल हो गए। इस घटना के बाद जब हम संसद में मिले तो पहले ही दिन हमने एक संकल्प किया और 11 सितम्बर की घटना के शिकार हुए लोगों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए हमने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी एकजुटता का संकल्प पारित किया। अब तक, हमारी संसद पर हमला हुए 96 घंटे बीत चुके हैं। क्या आप सभा को यह बता सकते हैं कि विश्व के कितने देश आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए हैं और कितने देशों ने अपने-अपने सदनों में हमारी संसद पर हुए हमले की निन्दा की है और इस घटना के शिकार लोगों के लिए दो मिनट के लिए सहानुभूति प्रकट की है? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम आज कितने अलग-अलग हैं?

भारत, इस्तेमाल होने वाली भूमि नहीं है। भारत मात्र एक सरकार ही नहीं है। आज आप सतारूढ़ दल के रूप में वहां बैठे हैं; किसी दिन हम वहां बैठ सकते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के मूल्य पर किसी और के इशारों पर नहीं नाच सकते। जो हुआ है, उससे मैं बहुत हैरान हूं। सितम्बर से कंधार के पतन तक बार-बार शिष्टमण्डल दिल्ली में दस या पंद्रह मिनट आकर मात्र 'ठीक है'-'ठीक है' कह रहे हैं किंतु कोई भी यह नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में व्याप्त बाहरी ताकतों ने विश्व शक्ति के सहयोग से इस देश की प्रगति और इसकी उपलब्धियों को 1950, 1960 और 1970 के दशकों में जानबूझकर बर्बाद किया है। हम किसी से भी यह बात नहीं कहलवा सके।

श्री चंद्रशेखर सही हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मंच जो कि काफी जोश दिलाने वाला था कई कारणों से प्रयोग नहीं किया जा सका। भारत कोई पहल नहीं कर सका।

[हिन्दी]

अटल जी हमारे देश के प्रधान मंत्री है।

[अनुवाद]

इस घटना के बाद अब तक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या रही है? 11 सितम्बर से लेकर 17 सितम्बर तक पूरे विश्व ने अपने विचार व्यक्त किए हैं किंतु 13 दिसम्बर से लेकर 18 दिसम्बर तक विश्व की किसी भी संसद में यह कहकर संवेदना भी प्रकट नहीं की गई कि, 'भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां कुछ हुआ है। हम, अपने यहां के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का अभियान छेड़े हुए हैं। अफगानिस्तान की लड़ाई भी समाप्त हो गई है। अब, हमें यह पता लगाना है कि जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अपनी कार्यवाहियां कहां से संचालित कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा वक्तव्य प्राप्त हुआ है? क्या आप इस मुद्दे को उठा पाए हैं? क्या आपने राष्ट्र को बताया है कि आप अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और हमने पाकिस्तान को विश्व-समुदाय में अलग-थलग कर दिया है? आप यह सब नहीं कर पाए। हम टोनी ब्लेयर या जार्ज बुश के इशारों पर नहीं जायेंगे। हमारा राष्ट्र प्रभुता सम्पन्न है। हमारा अपना एजेंडा है। हमारे अपने हित हैं।

ये पं. जवाहर लाल नेहरू के जमाने के दिन नहीं है; ये श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने के दिन भी नहीं है; ये दिन श्री राजीव गांधी के समय के भी नहीं है, ये दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय के भी नहीं हैं। ये दिन यहां बैठे हुए हम लोगों के और वहां बैठे जनरल परवेज मुशर्रफ के हैं। इस उपमहाद्वीप के आयाम और उसकी भू-राजनैतिक स्थितियां बदल चुकी हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[हिन्दी]

लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था। ''जय जवान, जय किसान।''

[अनुवाद]

वे ताशकंद से लौट नहीं सके। हमने इस देश के शासन को तीन से भी अधिक दशकों तक चलाया है। हम सरकार के दायित्व को जानते हैं। हम जानते हैं कि जिम्मेदारी क्या चीज है। हमें 1948, 1962, 1965 और 1971 के वे भयंकर क्षण याद हैं। हमें कारगिल युद्ध भी देखा है। क्या हमने कभी भी-भले ही इस ओर हों या उस ओर-मुद्दे को सीमाओं से बाहर ले गए हैं।

मुझे 3 दिसम्बर, 1971 का वह दिन याद है जब श्रीमती इंदिरा गांधी सुबह, संसद में सभी नेताओं से मिलीं और उन्होंने कहा, ''मुझे खतरे का आभास हो रहा है क्योंकि बंग्लादेश स्वतंत्र हो रहा है। मुझे पश्चिमी मोर्चे पर खतरे का आभास हो रहा है।''

तब सीपीआई (एम) नेता श्री धीनेन भट्टाचार्यजी ने उनसे पूछा: ''क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' उन्होंने कहा, 'यदि आप सभी मुझे समर्थन दें तो मैं तैयार हूं।' उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे कोलकाता चली गईं। शाम को 5.30 बजे वे कोलकाता मैदान में एक बैठक को संबोधित कर रही थीं। उस समय मैं युवा कांग्रेस की अध्यक्ष था। उन्हें एक कागज मिला जिसमें लिखा था कि भारत में पांच स्थानों पर आक्रमण किया जा चुका है। उन्होंने वहीं कहा कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हम लौट आए किंतु उससे पहले वहां सर्वदलीय बैठक थी। उन्होंने वहां स्थिति स्पष्ट की। हर दूसरे दिन बाबू जगजीवन राम बताते थे कि बंग्लादेश में क्या हो रहा है। हमने ऐसा लोकतंत्र देखा है।

महोदय, यह घटना 13 दिसम्बर 2001 को हुई थी। आज 18 दिसम्बर है। अब आप वक्तव्य दे रहे हैं। हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं क्या आपकी सरकार के लिए यह उचित नहीं था कि वह सभी नेताओं की बैठक बुलाती तथा उसमें हमारी संसद पर हुए हमले पर बातचीत की जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह बैठक 14 को, 15 को, 16 को या 17 को बुलाई जाती। हम बाद में समझें कि हमें यह सूचना मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हमें इस प्रकार का समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमारी प्रतिक्रिया कैसी रही? हम अधिक नहीं कर पाए। हम मात्र आपको बात सुन पाए और अपने विचार व्यक्त कर पाए कि हम इसके अभिन्न अंग हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष या विपक्ष में किसी मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत के लोकतंत्र और भारत के लोगों की प्रभुसत्ता से जुड़ा यह एक साझा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम लोगों में मतभेद क्यों? हम ऐसा नहीं करते किंतु आप सब कुछ गुप्त रखते हैं। संसद खतरे में है यह जानने का अधिकार मात्र आपको ही है। केवल माननीय प्रधान मंत्री को ही इस पर चर्चा करने का अधिकार है।

मुम्बई में, शरद पवार जी के जन्म दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि 'संसद पर हमला हुआ है। केवल आप ही यह जानते हैं। क्या संसद को यह जानने का अधिकार नहीं है?

आप यह सभी कहते हैं कि आपकी प्राथमिकता 'पोटो' है। तो इसे लाने से आपको किसने रोका है? क्या हमने रोका कि पोटो नहीं आना चाहिए? आप पोटो लाए। सभा में आपका बहुमत है। हम लोकतांत्रिक दल हैं। हमें इसके विरोध का अधिकार है। हमें यह तर्क करने का अधिकार है कि पोटो की आवश्यकता क्यों नहीं है। यही हमारा विचार है।

महोदय, 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ था। आपने 12 तारीख की कार्य सूची में 'पोटो' संबंधित विधेयक को रखा था ...*(व्यवधान)* हमें इन सबका खुलासा नहीं करना चाहिए। हमारा कुछ तालमेल तो है ही। हमने यह कभी नहीं कहा कि आप यह विधेयक मत लाइए। आपने इसे सूची में रखा। इसे अंतिम दिन करना ही आपकी प्राथमिकता थी। हमने यह कभी नहीं कहा कि आपने यदि यह विधेयक प्रस्तुत किया तो आप चिंता न करें, इसका हम पूरा समर्थन करेंगे। हमारे अपने कुछ विचार हैं और हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपने अनुभवों से यह सीखा है इसलिए हमने टाडा को हटाने की स्वीकृति दी थी। हमने ऐसा क्यों किया? उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। हमारी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी ने भी काफी जोर-शोर से यह कहा कि टाडा को इस प्रकार जारी क्यों रखा जाना चाहिए। हमने टाडा को हटाया क्योंकि हमने इसमें इसका काफी अधिक दुरुपयोग पाया। हमने अनुभव से यह सीखा है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में हम अनुभव से ही सीखते हैं। यह कोई अपराध नहीं है। हमने अनुभव से सीखा है। इसलिए अपनी ओर से हम कहते हैं कि यदि आप हमें कहें, यह एक अवैध अधिनियम है जो स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है; मौजूदा अधिनियम यह है जो स्थिति से निपटने में कारगर नहीं है और यह भारतीय दण्ड संहिता है जो स्थिति से निपटने में कारगर नहीं है क्योंकि हमारी जानकारी है, तब हम अपने विचार आपके साथ बांट सकते थे। इसलिए, हमने यह पूछा किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि हम सरकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं?

सरकार ने कहा कि वे जनरल मुशर्रफ को बातचीत के लिए बुलाना चाहते हैं। क्या हमने कहा कि "उन्हें न बुलाइए"? सरकार ने कहा कि वे हिजबुल मुजाहिद्दीन के मामले में कश्मीर घाटी में युद्ध विराम चाहते हैं तो क्या हमने उन्हें ऐसा करने से मना किया?

आई सी-814 विमान अपहरण के मामले में आप कंधार गए। उसी दिन से यह सब शुरू हो गया था। तालिबान या पाकिस्तान से बातचीत के लिए कितने अंतरराष्ट्रीय बल या कितने राष्ट्र आगे आए? श्री बिल क्लिंटन का मुशर्रफ को एक टेलीफोन करना ही पर्याप्त था। कंधार में क्या हो रहा है? क्या किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? जब आपने यह पाया कि विश्व समुदाय की कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो आपको अजहर मसूद को रिहा करना पड़ा। श्री जसवंत सिंह उसे कंधार तक छोड़ने गए थे।

जब से आपने पद ग्रहण किया है, उसी दिन से मैं यह कहता रहा हूं कि हमारे समक्ष आतंकवाद का खतरा है। मैंने कभी इंकार नहीं किया किंतु आपने अंतरराष्ट्रीय राय बनाने के लिए इसका सही दिशा में इसका विश्लेषण ही नहीं किया और न ही आकस्मिक सुरक्षा, जिसकी मांग की गई थी, को लेकर कोई घरेलू राय बनाई गई। आप यह कर ही नहीं पाए।

महोदय, आपकी उपस्थिति में विदेशों से उच्च पदाधिकारी आये, उन्होंने आपका आतिथ्य स्वीकार किया, संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और आतंकवादियों को 'जेहादी' बोलकर उन्हें महिमामंडित किया। मैं समझ सकता हूं कि मेहमान के सामने आप कुछ नहीं कह सके। लेकिन आपको उन्हें दो टूक जवाब देने में सात दिन लग गये। आप पहले ऐसा नहीं कर सके। आप पहले सोचते ही रहे। आपने सोचा कि आप अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर लेंगे। आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? आप कृपया एक भी ऐसा मुद्दा बतायें। जिस पर विपक्ष ने आपका साथ न दिया हो और यह आभास न होने दिया हो कि हम सब एक हैं।

हम सब एक हैं। जी हां, आलोचना तो हुई है। जब पंडित जी जैसे इस देश के एक महान व्यक्ति से, जो उस समय प्रधान मंत्री थे, क्या इस ओर बैठे सदस्यों ने यह सवाल नहीं किया था कि हमारी शांति वार्ता और पंचशील के बावजूद चीनी सीमा पर क्या हुआ, चीन ने किस तरह हमला किया, जी.के. कृष्णामेनन ने क्या किया, अच्छी जीपें क्यों नहीं दी गईं? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल यह कहते हुए विपक्ष को जवाब नहीं दिया था कि "कृष्णा मेनन जी, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, निर्दोष, ईमानदार और महान व्यक्ति हैं। आप पद छोड़ दीजिए।" और उनके स्थान पर श्री यशवंतराव चव्हाण जी ने आकर पदभार नहीं संभाला था? यह भारत की संसद है। उस दिन भी संसद में एकता थी लेकिन पंडित नेहरू ने कार्यवाही की। क्या ऐसा ब्रिटेन में युद्ध के दौरान नहीं हुआ था जब इंग्लैंड युद्ध में जीत रहा था और प्रधान मंत्री बदल दिया गया? क्या तब यह प्रश्न किया गया था कि इंग्लैंड की पराजय इसलिए हुई क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी? इसलिए, सरकार की गलती अथवा त्रुटि पर प्रश्न करना असहयोग नहीं है, बल्कि यह तो आपकी व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। समूचे विपक्ष पर देशद्रोही होने का आरोप न लगायें। कम से कम हम तो ऐसा नहीं मानते। इसलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, हमने अपने उप-नेता के माध्यम से सुबह अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। यह नापाक इरादों के विरुद्ध जनता के एकजुट होने की घड़ी है। यह सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प करने की घड़ी है। यह घड़ी संयम और सूझ-बूझ के साथ काम करने की भी है जब आप अंतर्राष्ट्रीय समीकरण अथवा सूझ-बूझ के समीकरण को देखें और समझें या फिर अलग-अलग रहें, उसके बाद जो उचित लगे, कार्यवाही करें। हमने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम आपको सहयोग देंगे। लेकिन निष्कर्ष निकालने में जल्दी न करें। कुछ लोग कह रहे हैं, प्राधिकृत किया जाए। प्राधिकृत करने की क्या बात है? संविधान के अधिदेश के अनुसार संकट की घड़ी में राष्ट्र की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। यदि प्रधानमंत्री संसद में कहें कि उन्हें इस परिस्थिति से निपटने के लिए और अधिकार चाहिए, तब यह प्रश्न कर सकते हैं कि आप और अधिकार दे रहे हैं या नहीं। कम से कम प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है। वे कल क्या कहते हैं, हमें कल पता चलेगा। कम से कम श्री आडवाणी ने अपने वक्तव्य में ऐसा नहीं कहा है। इस संदेश के अतिरिक्त उन्हें किस प्रकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता है? अतः आप अपनी बात हमसे क्यों कहलाना चाहते हैं? यह प्रस्ताव उचित नहीं है। महोदय, इसलिए, मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से कहता हूं कि उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्हें घटना घटित होने के बाद में नहीं बल्कि पहले सोचना चाहिए। और वे गृह मंत्री हैं उन्हें चाहिए कि गृह मंत्रालय की आन्तरिक तैयारी के अनुसार ही अपने सार्वजनिक भाषण को आंकना चाहिए। उनकी बात सार्वजनिक भाषण के अनुरूप होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्लियामेंट के गेट से कोई भी घुस सकता है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[अनुवाद]

यह बात मेल नहीं खाती। अत: उन्हें चाहिए कि वे इन सब बातों में सामंजस्य बनाएं।

मैं गृह मंत्री के उद्धरण से अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा, 'धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक भारत बनाम मजहबी भारत'। याद रखिए, इसमें वर्तमान समय में देश के अन्दर एक विशेष वर्ग से देश की जनता के बीच एकता को खतरे का सवाल भी है। वे और अच्छी तरह जानते हैं और मुझे आशा है कि हम यह कार्य संविधान और देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं के अनुसार ही करेंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 60 वर्ष पहले ब्रिटेन की लड़ाई के बाद विन्सटन चर्चिल ने कहा था कि मानव संघर्ष के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जबकि बहुत अधिक लोगों को, बहुत कम व्यक्तियों का बहुत ही अधिक ऋणी होना पड़ा है। ये शब्द आज संसद में बैठे हुए हम सभी लोगों और संसद के माध्यम से पूरे भारत के लिए समान रूप से उचित, उपयुक्त और सच्चे हैं। इस सम्मानित सदन की लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य के रूप में था हम लोगों के माध्यम से प्रत्येक भारतीय उन आठ सुरक्षाकर्मियों का बहुत अधिक ऋणी है जिन्होंने हम सभी को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया और उन्हीं की वजह से हम आज के दिन देख रहे हैं।

13 दिसम्बर की समानता अमेरिका के 11 सितम्बर से की गई है और यह सही भी है। 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर किया गया हमला अमरीका पर किए गए हमले से छोटा था लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के प्रजातांत्रिक मंदिर पर किए गए हमले के लिहाज से तुलना की जाए तो बहुतायत प्रतीकात्मक था।

लेकिन मेरे विचार से 13 दिसम्बर के आक्रमण को 11 सितम्बर की तरह बताते समय हमें अपनी प्रतिक्रिया पर भी गौर करना चाहिए। अमरीका द्वारा, 11 सितम्बर के आक्रमण पर व्यक्त की गई प्रतिक्रिया के मुकाबले भारत ने 13 दिसम्बर के आक्रमण पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की है इस प्रक्रिया में हमने क्या किया? जहां तक मुझे याद है कि 11 सितम्बर की घटना के बाद राष्ट्रपति बुश और उनकी सरकार के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई गई। राष्ट्रपति बुश और उनकी सरकार की बात छोड़िये, खुफिया एजेन्सियों के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा गया। हमें नासमझी नहीं दिखानी चाहिए। 11 सितम्बर को जो कुछ हुआ वह खुफिया एजेन्सियों की बहुत बड़ी असफलता थी। अमरीका पर इतने बड़े पैमाने पर हमला कभी नहीं हो सकता था, लेकिन हो गया। लेकिन कांग्रेस में, सीनेट में, या उसके बाहर यहां तक कि मीडिया में भी किसी ने सीआईए या एफबीआई के प्रमुख का त्यागपत्र मांगा? नहीं, किसी ने नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अमरीका को मालूम है कि संकट की घड़ी में कैसे एकजुटता प्रदर्शित की जाती है।

दुर्भाग्य से हमारे मामलों में स्थिति दु:खद है लेकिन यह सच है। हमने अपने बहादुर सुरक्षाकर्मियों और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली उस महिला का दाह संस्कार भी नहीं किया और पहले ही दोषारोपण शुरू कर दिया कि 'अमुक, अमुक जिम्मेदार हैं, अमुक सुरक्षा एजेन्सी असफल रही है' आदि ...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे मालूम हैं कि सुरक्षा तंत्र की असफलता क्या होती है। मैं जम्मू और कश्मीर का रहने वाला हूं। मैंने सिक्योरिटी की सफलता के उदाहरण देखें हैं, दुर्भाग्य से मैंने उनकी असफलता भी देखी है। यदि 13 दिसम्बर को सिक्योअरिटी असफल रही होती तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण किन्तु सच होता और हममें से बहुत से लोग आज यहां नहीं होते। इस पवित्र संस्था का एक भाग जहां से कि मैं बोल रहा हूं इस प्रकार खड़ा न होता। इसका श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है, उनकी बहादुरी को जाता है और उस की गई व्यवस्था को जाता है जिनकी वजह से अत्यन्त भयानक संभावित खतरे में भी हम मजबूती से खड़े रहे।

प्रधानमंत्री के मुम्बई में दिए गए भाषण का अनेकों बार उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने इस सच का उल्लेख किया था कि संसद निशाने पर है। माननीय आडवाणी जी, गृह मंत्री ने इस सच का उल्लेख किया था कि संसद निशाने पर है। हां, संसद निशाने पर थी। हमें ज्ञात है कि संसद निशाने पर थी। हमें पता है कि संसद बहुत लम्बे समय से निशाने पर रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, बीच में व्यवधान न डालिए।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, एक अक्टूबर को विधान सभा परिसर, श्रीनगर में हुए जघन्य अपराध के बाद हमें पता था कि शायद संसद को भी निशाना बनाया जाए और हमने ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं जम्मू और कश्मीर का रहने वाला हूं और जो कुछ भी घटित होता है उस पर पूरा ध्यान देता रहता हूं। मैंने स्वयं देखा है कि दोनों गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सी आई एस एफ और आईटीबीपी के और जवान तैनात किये गए हैं और जिप्सी में

सवार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमाण्डों जो कि त्वरित कार्रवाई बल है-मुख्यत: आत्मघाती आक्रमण को विफल करने के लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तत:, हम इस बात से चाहे जितना भी सहमत या असहमत हों, लेकिन जब एक या अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को सामने रखकर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं तो ऐसे लोगों से सुरक्षा कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इस आक्रमण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक माली के अतिरिक्त किसी भी संसद सदस्य, मंत्री या सिविलियन को अपनी जान नहीं देनी पड़ी, सच में संसद में तैनात सिक्योअरिटी के प्रति यही श्रद्धांजलि है।

इस बारे में बहुत कहा गया है कि इस आक्रमण के बाद किस प्रकार भारत विश्व में अलग-थलग पड़ गया है और विश्व ने इसकी निन्दा करने में हमारा साथ नहीं दिया है। विपक्ष के सदस्य इस बात का उल्लेख करते हैं कि वे सूचनाएं समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाचारपत्रों में इस सच को नहीं पढ़ पाए कि राष्ट्रपति बुश ने उसी दिन हमारे प्रधान मंत्री से बात की, प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने प्रधान मंत्री वाजपेयी से उसी दिन बात की ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): नहीं आप सही बात बोलिए। वे प्रधान मंत्री नहीं थे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंगरप्पा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। 13 दिसम्बर को जो आतंकवादी घटना घटी उसकी निन्दा में लगभग संसार के सभी देशों इस घटना की निन्दा के संदेश मिले। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अब तक केवल एक देश ने इसे आतंकवादी घटना मानने से इंकार किया है, उसने इसे सशस्त्र घुसपैठ का नाम दिया है। हमें ज्ञात है कि जो देश इस कार्य के लिए जिम्मेदार है इसे स्पष्टत: स्वीकार नहीं करेगा और वह नहीं कहेगा- ''कि यह आतंकवादी कार्यवाही है और हम इसकी निन्दा करते हैं।''

अत: उन्होंने जो निन्दा की है, वास्तव में, वह उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। मेरे सहकर्मी ने भी उल्लेख किया कि संसद ने अमरीका पर 11 सितम्बर को हुए हमले की निन्दा करने के लिए एक संकल्प पारित किया और उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि कितने देशों ने हम पर हुए आक्रमण की निन्दा की है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने 11 सितम्बर को हुए आक्रमण की निन्दा की तो इसका यह मकसद नहीं था कि यदि कल हम पर हमला होता है तो वे इसकी निन्दा करेंगे। यह ऐसा नहीं था कि यदि आज हम बैंक में कुछ जमा कर रहे हैं तो कल हमें वापिस मिलेगा। हमने निन्दा की क्योंकि हमने महसूस किया कि हमें निन्दा करनी चाहिए और हमने ऐसा किया और सारे विश्व के देशों ने भी इस घटना की निन्दा की है।

इस सरकार ने किस प्रकार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और किस प्रकार हमारी वजह से कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय वास्तविकता यह है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण राजग सरकार के सत्ता में आने से काफी समय-पूर्व किया गया था; तथ्य यह है कि हमने अब आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। संपूर्ण विश्व अब यह मानता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के निकृष्टतम स्वरूप का शिकार है और मुसीबत की घड़ी में वह हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों को केवल एक बार ही भाग्यशाली होना था; परंतु सुरक्षा बल प्रत्येक बार सौभाग्यशाली होंगे। यह बात 13 दिसम्बर के इस आक्रमण के बारे में भी सच है। जहां तक आतंकवादी प्रवेश कर सके, इसमें एक बार भाग्य में उनका साथ दिया, परन्तु सुरक्षा बलों को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा।

यह कहा गया था कि इस आक्रमण से पूर्व उपयुक्त सुरक्षोपाय क्यों नहीं किए गए। 13 दिसम्बर से पहले जो सुरक्षोपाय अब किए गए हैं, पहले क्यों नहीं किए गए। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को, जिसमें स्वयं मैं भी शामिल हूं, आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या संसद के प्रत्येक सत्र के शुरू होने से पूर्व हमें एक परिपत्र नहीं मिलता कि सुरक्षा के मद्देनजर कृपया सभा में मोबाइल-फोन न लेकर आयें। हममें से कितने लोग इसे मानते हैं? यह देखिए मेरा मोबाइल फोन।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह चालू स्थिति में है?

श्री उमर अब्दुल्ला: जी नहीं, यह बंद है ...*(व्यवधान)* परंतु सच यह है कि यदि हमें यह लगता हो कि, इसका कोई लाभ नहीं है तो हम किंचित मात्र भी असुविधा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अब, चूंकि हम 13 दिसम्बर देख चुके हैं, इसलिए अब अचानक प्रत्येक सदस्य यह कह रहा है कि हमें यह बहुत पहले करना चाहिए था परंतु जब हम अधिक सुरक्षोपाय करना चाहते थे तो कोई भी सदस्य उसे मानने को तैयार नहीं था। कितने सांसदों को हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरने में वास्तव में सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ है। इसमें से कितने लोग मेटल डिटेक्टर से होकर संसद में प्रवेश करने के इच्छुक होते हैं। हम ऐसा नहीं

[श्री उमर अब्दुल्ला]

करते क्योंकि हमें लगता है कि हम इस सबसे ऊपर हैं। जी, नहीं, सदस्य के रूप मे ...*(व्यवधान)* हम इसे मानें या न मानें परन्तु यह सच है। वास्तविक तथ्य यह है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, वास्तविकता यह है कि जब तक हमारे अपने घर में आग नहीं लगती तब तक हम फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाते। यदि आग पड़ोसी के घर में लगी हो, तो हम परवाह नहीं करते। जब वह आग हमारे घर तक पहुंचती है, केवल तभी हम कार्यवाही करते हैं। अब, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक बनने के लिए 13 दिसम्बर जैसी घटना के घटने का इंतजार किया। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और अधिक सावधानी से दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, देश में आम आदमी की यही राय है। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं? पाकिस्तान स्थित कैंपों पर हमला करने की बात की जा रही है। सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की बात की जा रही है। कूटनीतिक प्रयास की भी बात करने के बारे में कहा जा रहा है। मैं विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं। नि:संदेह, हमारा प्राथमिक प्रयास, हमारा मुख्य लक्ष्य कूटनीति है। हमारी कोई गैर-जिम्मेदार सरकार नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश, कृपया ऐसी टिप्पणी न करें।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, यदि भारत सरकार या फिर राजग सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानती, अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और वचनबद्धताओं के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं होती, तो कारगिल युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा पार करके हम जो कुछ उस समय करना चाहते थे, कर सकते थे। अपने देश अपने लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति हमारी, जो जिम्मेदारियां हैं, वहां जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने यथासंभव संयम और अत्यधिक परिपक्वता का परिचय दिया है।

ऐसा कहकर कोई भी सरकार चाहे वह आज सत्ता में बैठी राजग सरकार हो या कल को चाहे कांग्रेस सत्तारूढ़ हो जाये यह नही कह सकेगी कि यदि आवश्यक हुआ तो, अपने देश और अपनी सीमाओं को बचाने के लिए वह बल प्रयोग नहीं करेगी। यहां तक कि हम भी आज ऐसा नहीं कहेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी और हमने यह महसूस किया कि कोई विकल्प शेष नहीं है तो अपनी सीमाओं को रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा, हम वह करेंगे। परंतु पहला विकल्प के रूप में हम इस पर विचार नहीं करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में, बल प्रयोग, हिंसा और लड़ाई इस राजग सरकार का पहला विकल्प कभी नहीं रहा। मैं इतना आश्वासन आपको, इस सभा को दे सकता हूं और हम देश को भी आश्वस्त कर सकते हैं।

अत्यधिक वरिष्ठ और योग्य संसदविद् और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चंद्रशेखर भी इस तथ्य के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। जब कोई भी हमारे विरुद्ध लड़ाई नहीं कर रहा है तो यह उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है। परंतु वास्तविकता यह है कि पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से भारत आतंकवाद की लड़ाई का शिकार रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध 15 वर्षों की लड़ाई में, भारत के 61,000 से अधिक सिविलियन मारे गए, जो भारत द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में मारे गए लोगों की संख्या से अधिक है। हमारे 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस लड़ाई में केन्द्रीय सुरक्षा बलों और अर्द्ध-सुरक्षा बलों ने 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): वास्तविक आंकड़ा 64,000 करोड़ रुपये है।

श्री उमर अब्दुल्ला: ठीक आंकड़ा देने के लिए आपका धन्यवाद। क्या यह लड़ाई नहीं है। मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं कि यदि आवश्यकता पड़ी और यदि हम पर लड़ाई थोपी गई, तो हम उसका सामना करेंगे।

पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति हैं, इस तथ्य के बारे में काफी कहा गया है और हमें लड़ाई करने से रोकने के लिए यह पर्याप्त है। मैं न चाहते हुए भी यह नहीं कर पा रहा हूं कि पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई होने पर, वह परमाणु बम का प्रयोग करेगा, नि:संदेह यह बात अलग है कि इससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ जाये। वास्तविकता यह है कि भौगोलिक कारण सबसे बड़ा कारण है, जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप भारत और पाकिस्तान के आधार पर नजर डालिए और फिर बताइये कि कौन सा देश परमाणु युद्ध की विभीषिका, झेल कर पुन: उठ पायेगा। जवाब हमारे सामने हैं। अत:, यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमें हमेशा बात करनी चाहिए क्योंकि हम जितना अधिक इस बारे में बात करेंगे, उतना ही हम अपने सुरक्षा विकल्पों को सीमित करेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए।

हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने का डर नहीं है। हमें जहां कही राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में निर्णय लेना पड़ा, वहां हमें इस बात से कभी डर नहीं लगा। पोखरण-2 पर के निर्णय से भारत इस प्रकार अलग-थलग पड़ गया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। परन्तु हमारे मनोबल, हमारी राजनीतिक पहल और

अंततः अपनी योग्यता से ऐसी स्थिति से उबरने ने यह सुनिश्चित कर दिया कि हम कुछ समय के लिए ही अलग थलग पड़ गए थे। यदि ऐसा करना अर्थात् कुछ देशों से अलग-थलग पड़ना भारत की सुरक्षा के हित में होता तो हम फिर ऐसा करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी, तो हम बार-बार ऐसा करेंगे।

अब, मैं आपके प्रति ईमानदारी बरतते हुए, इस अवसर का प्रयोग पोटो की बात करने के लिए नहीं करूंगा क्योंकि यह चर्चा पोटो पर नहीं है। परंतु चूंकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक ही वाक्य में पोटो का और मेरे संबंध में उल्लेख किया अतः मैंने सोचा कि मैं भी अपने कुछ विचार सभा के समक्ष रख सकता हूं जिन्होंने, मुझे कहने के लिए प्रेरित किया। वास्तविकता यह है कि मेरा अभी भी यह विश्वास है कि पोटो कानून आवश्यक है। मेरे दल का मानना है कि यह आवश्यक है और इसीलिए जम्मू और कश्मीर सरकार इसे पहले ही राज्य में लागू कर चुकी है। परंतु फिर भी सच्चाई यह है कि आप कानून बना सकते हैं। वे कानून कठोर कानून हो सकते हैं, उनका दुरुपयोग हो सकता है और हो सकता है, वे उतने प्रभावी भी, न हों, जितनी आपने आशा की हों। अब यहां यह बात कही गई है, विपक्ष के लगभग प्रत्येक वक्ता ने यह कहा कि पोटो होने के बावजूद भी ऐसा आक्रमण हुआ। मैं कोई वकील नहीं हूं परन्तु यदि ऐसा ही है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भी है, जिसके अनुसार हत्या दण्डनीय अपराध है। उससे क्या हत्या करने पर रोक लगी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है परंतु यह तथ्य है कि चूंकि हत्यायें हो रही है इसलिए आप धारा 302 का पालन करना छोड़ दें। आपके पास कानून है, आप जितने चाहे लोगों को सजा दे सकते हैं। पोटो के मामले में भी ऐसा ही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक आतंकवादी पोटो के अंतर्गत आ जायेगा और आप प्रत्येक आतंकवादी अपराध को समाप्त कर देंगे। तथापि, कम से कम इन संगठनों पर रोक लगाने के लिए और यदि आवश्यक हुआ तो उनकी धन संपत्ति लेने के लिए कानूनी व्यवस्था होना आवश्यक है।

विपक्ष की ओर से पोटो के कुछ उपबंधों, विशेष तौर पर जमानत संबंधी उपबंध में संशोधन करने के बारे में उल्लेख किया गया था। जैसाकि मैंने कहा है मैं कोई वकील नहीं हूं, परन्तु मुझे बताया गया था कि भारतीय न्यायाधीश जिस प्रकार निर्णय देते हैं, उससे उनका कहना है कि 'बेल नॉट जेल' एक नियम है। यदि ऐसी बात है तो क्या जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा को सजा देने के लिए आप उन्हीं मानदंडों का प्रयोग करेंगे, जो किसी छोटे जेबकतरे या छोटे से अपराधी को सजा देने के लिए करते हैं? स्पष्ट तौर पर इसका उत्तर नकारात्मक है। ये ऐसे कट्टर आतंकवादी है, जो संसद पर हमला करने में समर्थ है और अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं और फिर भी आप उन्हें उसी प्रकार से न्याय और जमानत संबधी सुविधायें देना चाहते हैं जो किसी छोटे अपराधी को दी जाती है।

अब, मेरे विचार से ऐसा करना एकदम सरल है। परन्तु इस तर्क का कोई विशेष अर्थ नहीं है आप नियम को सरल बनाना चाहते हैं। आप पोटो को इतना सरल बनाना चाहते हैं जैसाकि कोई अन्य भारतीय कानून। अब दोष-सिद्धि की साढ़े-छह प्रतिशत की दर यह दर्शाती है कि भारत में साढ़े तिरानहवें प्रतिशत अपराधी बच जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का कानून आतंकवादियों पर लागू हो ताकि साढ़े तिरानवहवें प्रतिशत आतंकवादी, जो अन्यथा पकड़े जाते, इस तरह छूट जायें? मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, उस पर श्री मणि शंकर अय्यर को काफी असहमति हो सकती है परन्तु मुझे विश्वास है कि चर्चा के दौरान जब उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा, तो वह मेरे भाषण की धज्जियां उड़ा देंगे। परन्तु उसके लिए मैं तैयार हूं।

महोदय, ऐसा कहा गया है कि अपराध स्वीकार किए जाना मान्य नहीं होना चाहिए। अपराध स्वीकृति को मान्यता न देना किस प्रकार स्वीकार्य है। अन्यथा आप इस प्रमाण की सत्यता किस प्रकार सिद्ध करेंगे? यदि इस 13 दिसम्बर के अपराध के लिए गिरफ्तार लोग ...*(व्यवधान)* और यदि उनकी अपराध स्वीकृति को न माना गया ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, वह यहां पोटो की बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, यदि आप कार्यवाही-वृत्तांत का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि माननीय गृह मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में 'पोटो' का कोई जिक्र नहीं किया है। श्री मुलायम सिंह यादव ने ही अपनी शुरुआती टिप्पणियों में विपक्ष की ओर से 'पोटो' का मुद्दा उठाया। अब यदि हम उनके तर्कों का खण्डन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि विपक्षी सदस्य ने इस मुद्दे को चर्चा में उठाया है। अन्यथा, हम इस बात से बहुत खुश थे कि पोटो का मुद्दा निर्धारित समय पर अलग मंच पर उठाया जाएगा। किन्तु मैं समझता हूं कि अब, जब वे इस मुद्दे को उठा ही चुके हैं तो उनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

महोदय, क्या कारण है कि वे स्वीकारोक्ति को पोटो में शामिल करना नहीं चाहते? परन्तु वे कर्नाटक-महाराष्ट्र तथा संगठित अपराध कानूनों के संदर्भ में स्वीकारोक्ति पर काफी खुश हैं।

[श्री उमर अब्दुल्ला]

इसलिए भारत के क्षेत्रीय माफियाओं के संस्वीकृत बयानों को स्वीकार किया जाना जायज है, परन्तु लश्कर-ए-तोयबा या जैश-ए-मोहम्मद तथा उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों की स्वीकारोक्ति को स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। वास्तव में यह कैसे संभव है मैं आश्वस्त हूं कि बहस के दौरान किसी न किसी चरण में यह मुद्दा आएगा और तब वस्तुतः मैं राज्यों तथा केन्द्र में इस कानून को लागू किए जाने संबंधी अलग-थलग सोच या इसमें कमी को जानना पसंद करूंगा। शायद कोई हमें यह समझाने का प्रयास करे कि राज्य में और केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व इस कानून को लागू किए जाने तथा तत्संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन को लेकर किस प्रकार से मतैक्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ही मिनटों में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। यह कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। इस नए कानून में हमने पहले तो यह सुनिश्चित किया है कि सभी बयान कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के सामने दिए जाएंगे। दूसरों, उन्हें 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तथा तीसरे यदि इस बात की थोड़ी भी भनक मिलती है कि उन्हें यंत्रणा दी गयी है तो उनकी स्वतंत्रता चिकित्सीय जांच करवायी जाएगी। वे अब और क्या चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है तथा शायद यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है-कि वे बीच में बातचीत सुनने (इन्टरसेप्ट) को साक्ष्य का अंश नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनके विचार में यह साक्ष्य का अंश बन ही नहीं सकता। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि वे 'इन्टरसेप्ट' को साक्ष्य का अंश नहीं मानना चाहते? जहां तक मैच फिक्सिंग का सवाल है, उस मामले में यह बातचीत सुनना साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। परन्तु जहाँ तक लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिद्दीन तथा अन्य आतंकवादी संगठनों का सवाल है, जहां हम मात्र इन्टरसेप्ट के माध्यम से ही साक्ष्य प्राप्त कर पाते है। वे नहीं चाहते हैं कि इस इन्टरसेप्ट को अंग माना जाए। अब, यदि मुझे पता चलता है कि मेरी जान को खतरा है अथवा हमें ज्ञात होता है कि माननीय गृह मंत्री की जान को खतरा है, तो क्या आप सोचते हैं कि वे इसके बारे में हमें लिखकर भेजेंगे? क्या आप सोचते हैं कि लश्कर-ए-तोयबा हमारे पास इस प्रकार का एक पत्र लिखकर भेजना कि अब्दुल्ला जी, हमारी हिट लिस्ट में आपका नम्बर पहला है तथा हम आपको जान से मार देंगे।' अथवा, 'आडवाणी जी, हमने अपनी हिट लिस्ट में आपका स्थान ए-वन प्लस रखा है। स्पष्ट है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। हम टेलीफोन और अन्य माध्यमों से उनके बीच हो रही बातचीत को सुनकर ही इन सब बातों का पता लगा पायेंगे। यदि ेस साक्ष्य को मान्यता नहीं मिलती है तो आप आतंकवादियों के .वरुद्ध कार्रवाई कैसे कर पाएंगे?

महोदय, मैं इन मुद्दों को इस बहस में नहीं लाना चाहता था। किन्तु जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा नाम पोटो के साथ जोड़ा गया और इसलिए मैंने इस सभा के समक्ष अपनी तत्संबंधी धारणाओं के बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझा।

महोदय, मैं एकाध सामान्य सी बात कहने के बाद अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। मैं कश्मीरी हूं तथा मुझे भारतीय होने का उतना ही गर्व है कि जितना आप सबको। मेरा सदन के भीतर और सदन से बाहर आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि सभी मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है और सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा।

...*(व्यवधान)*

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं आपसे सहमत नहीं हूं ...*(व्यवधान)* आपको हमने सुन लिया है। अब आप हमें सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): आप अपने सहयोगियों को समझायें। हमें आपकी देशभक्ति पर पूरा विश्वास है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री उमर अब्दुल्ला : देखिये जब आप बोल रहे थे, तो मैंने बैठकर आपकी बात को सुना। अब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, तो आप मेरी बात सुनिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, यह सब क्या हो रहा है?

श्री उमर अब्दुल्ला : मेरा संदेश इस सदन के बाहर जाता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? मेरी बात सुनिये ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं एक बहुत ही प्रासंगिक बात कहने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, आप अगले वक्ता हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : वे इस बात को भाजपा के लिए कह रहे हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं यह बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है? ...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि किसको कितनी सहानुभूति है यह सहानुभूति कहां है और क्यों है। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बातों का राजनीतिकरण करने की कोशिश न करें। मेरा संदेश अधिक व्यापक है। मेरा संदेश उन लोगों के लिए है ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): आपकी भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री उमर अब्दुल्ला : क्या मैं जो कह रहा हूं वह आपको पसंद नहीं है। यदि आपको पसंद नहीं है तो बताएं ...*(व्यवधान)*

जिस मामले की व्यापक रूप से चर्चा हो रही है उसकी सच्चाई है कि उदाहरणार्थ जो निर्दोष कश्मीरी लोग मकानों के लिए 2000 रु. किराया देते थे अब उन से कहा जा रहा है कि "चूंकि आप कश्मीरी हैं, इसलिए आप 3,000 रु. से भी अधिक दो।" इसी प्रकार की बातों को मैं प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तविकता यह है कि यहां या गोवा या मुम्बई में रहने वाला हर कश्मीरी व्यापारी आतंकवादी नहीं है। मैं इस बात को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज, अधिकाधिक संख्या में कश्मीर के लोग इस देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के लोग जो केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ मिलकर सिर्फ इसी अपराध से नहीं बल्कि अन्य सभी घटनाओं से निपट रहे हैं, वे भी कश्मीरी है। वे भी मुसलमान हैं किन्तु वे इस देश के लिए प्रत्येक दिन अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। यह कुछ बातें हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, अब व्यवधान मत डालिए।

श्री उमर अब्दुल्ला : ध्यान रखिए। जब मैं बोलता हूं तो ये मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं होती। सच्चाई यह है कि जब मैं यहां बोल रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं। इसलिए जब कभी मैं भावनाओं को अभिव्यक्त करता हूं तो सिर्फ मैं अपनी ही भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। मैं सत्ता पक्ष में बैठे हर एक सदस्य की भावनाओं को व्यक्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मुझे कहना था उसे मैंने कह दिया। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि यह सरकार दोनों ही प्रकार से, कूटनीतिक तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग कर पाकिस्तान के गलत मंसूबों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। परन्तु हम कोई भी निर्णय लेने से पहले भारत की जनता की भावनाओं, सलाह और सुरक्षा को निश्चित तौर पर सर्वोपरि ध्यान में रखेंगे।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा वाकया पेश आया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, फिर शोर शुरू कर दिया। कृपया शान्त रहिए। माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। हम एक बहुत ही गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राशिद अलवी : पार्लियामेंट पर हमला हुआ और सिर्फ यह हमला पार्लियामेंट के ऊपर नहीं था, यह हमला हिन्दुस्तान की आजादी पर, हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी पर था। यहां मैं यह बात भी नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की इंटेलीजैंस फेल हो गई। यह कहा जाना कि हिन्दुस्तान की इंटेलीजेंस फेल हो गई, गलत है। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की पुलिस फेल हो गई। मैं मुबारकवाद पेश करता हूं हिन्दुस्तान की इंटैलीजेंस को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हिन्दुस्तान की पुलिस को, लेकिन अगर कोई फेल हुई है, तो हिन्दुस्तान की सरकार फेल हुई है।

अपराह्न 4.56 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

एक दिन पहले, बाम्बे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो सकता है। अगर इंटैलीजेंस फैल

[श्री राशिद अलवी]

होती, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे पता चल सकता था कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर हमला हो सकता है। हिन्दुस्तान अमरीका को इत्तला देता है कि उस पर टैररिस्ट्स का अटैक हो सकता है, हिन्दुस्तान इंग्लैंड को इत्तला देता है कि उस पर टैररिस्ट्स का अटैक हो सकता है, लेकिन इस बात के मालूम होने के बावजूद कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर टैररिस्ट हमला कर सकते हैं, सरकार खामोश रहती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

चेयरमैन सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे तमाम एहतियाती तदाबीर, जो इंतजामात आज हो रहे हैं, वे इससे पहले क्यों नहीं हुए। वे लोग जिन्होंने कुरबानी दी, उन्हें मैं खिराजे अकीकत पेश करता हूं। अगर दुनिया के अंदर किसी अन्य मुल्क में यह वाकया पेश आया होता, तो मैं नहीं समझता कि वहां की सरकार एक लम्हे के लिए भी बाकी रहती।

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, तब से इस प्रकार के वाकये हो रहे हैं। यह कोई पहला वाकया नहीं है, चाहे कारगिल का वाकया है, चाहे प्लेन हाईजैक कर के कंधार ले जाने का वाकया हो, चाहे लाल किले का वाकया हो, चाहे कश्मीर असैम्बली का वाकया हो, हर वाकये के बाद सरकार आती है और कहती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आई.एस.आई. का हाथ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह बाधा उचित नहीं है। शांति रखिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें। आप से अनुमति लेकर तो मैं बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, बीच में बाधा डालना उचित नहीं। कृपया बैठिए।

श्री राशिद अलवी : देश यह सुनते-सुनते अब थक चुका है कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज पूरे देश के टैररिज्म से खतरा है, सरकार इस टैररिज्म को खत्म करने के लिए क्या करना चाहती है?

चेयरमैन साहब, शिवराज पाटिल जी तकरीर कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस मर्ज की दवा बताएं कि क्या है। कितनी तकलीफ की बात है कि जो लोग सरकार के अंदर बैठे हैं, वे यह पूछ रहे हैं कि दवा क्या है। डाक्टर मरीज से पूछ रहा है कि दवा क्या है।

अपराह्न 5.00 बजे

यह बात तो हमें पूछनी है कि टेरोरिज़्म को कैसे खत्म करना है। पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक मैसेज चला गया। मैं आपसे बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जब किसी सरकार के ऐतबार खत्म हो जाता है तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं रहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी कमजोरी का इजहार मत कीजिए, इस बात का इजहार मत कीजिए कि पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर यह एहसास है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी डैमोक्रेसी, पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में जब आई.एस.आई. छापामारों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो उनके विरुद्ध इन्होंने पहल की थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे टोका-टाकी उचित नहीं है।

श्री राशिद अलवी : यह दुनिया बड़ी जालिम है। किसी कमजोर आदमी को जिन्दा देखना नहीं चाहती, किसी कमजोर कौम को जिन्दा देखना नहीं चाहती, किसी कमजोर मुल्क को जिन्दा देखना नहीं चाहती। यह कोई मजाक का सवाल नहीं है। अगर सारी दुनिया को यह एहसास हो गया कि हमारा मुल्क कमजोर है तो वह सही मैसेज नहीं होगा। कमजोरी का ऐहसास दिलाना कि हमारी पार्लियामैंट के ऊपर हमला हो सकता है, हमारी पार्लियामैंट के ऊपर टैरोरिस्ट्स आकर हमला कर सकते हैं और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, दुनिया को यह मैसेज जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को जब अमरीका पर हमला हुआ, पूरी दुनिया ने अमरीका का साथ देने की कसम खाई, लेकिन 13 तारीख को जब इस मुल्क पर हमला हुआ तो उसी अमरीका ने, जो टैरोरिज़्म के खिलाफ लड़ाई करने की बात करता था, कहा कि हिन्दुस्तान को अपनी हिफाज़त करने का हक जरूर हासिल है लेकिन सोच-समझ कर फैसला करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अमरीका के ऊपर हमला हुआ तो हम अपनी जमीन देने को तैयार थे, अपना आसमान भी देने को तैयार थे। हमने मैसेज दिया कि हम अमरीका की हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आज जब इस मुल्क को जरूरत है तो वह इस तरह की जबान बोलने के लिए तैयार नहीं है।

अभी हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री यहां बोल कर गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप किसलिए खड़े हुए हैं? कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, शान्ति रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कह कर गए - एक तरफ उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर बात की और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनैशनल आइसोलेशन में अगर हिन्दुस्तान चला जाता है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री यहां इस बात को आरग्यू करके गए। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब हम इतने अंधेरे से गुजर रहे हैं, इतनी तारीखी के साथ गुजर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे लोग जो ट्रैजरी बैंचेज पर बैठे हुए हैं, संजीदा नहीं हैं। वे इतने बड़े खतरे को महसूस नहीं कर रहे हैं। आज भी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा यहां मदरसों की बात कह कर गए कि नेपाल की सीमा पर जितने मदरसे हैं, वहां टैरोरिस्ट्स बसते हैं। आज ही वे यह कह कर गए हैं जो संजीदगी नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक मदरसे का नाम बताने की कोशिश करें, बताएं कि किस मदरसे के अंदर टैरोरिस्ट्स हैं। ...*(व्यवधान)* मदरसों की बात हमने नहीं की, आपने की है। ...*(व्यवधान)*

श्री मल्होत्रा यहां कह कर गए कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, उनमें टैरोरिस्ट्स बसते हैं।

मुलायम सिंह जी, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने भी एक बात कही कि अगर 50 हजार, एक लाख, दो लाख मुसलमान टैरेरिस्ट हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाये। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा कि अगर 30-40 हजार मुसलमान टैरेरिस्ट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान के नाम के साथ टैरेरिस्ट क्यों जोड़ा जाता है? ...*(व्यवधान)* टैरेरिस्ट की बात आती है तो मुसलमान का नाम लिया जाता है, यह क्या वजह है कि इस हाउस के अन्दर खड़े होते हैं ...*(व्यवधान)* टैरेरिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। इस पार्लियामेंट के अन्दर ...*(व्यवधान)* जी फरमाइये। इसके अन्दर दूसरे लोग भी शामिल हैं, जिन लोगों के घरों पर रहकर उन लोगों ने प्लानिंग की। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री राशिद अलवी : मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहनी पड़ रही है।

सभापति महोदय : श्री बृजभूषण सिंह, आप बार-बार बाधा खड़ी करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : मैं बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि उमर फारूख अपने अहसासात कहकर गये कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हैं। इस तरीके का जब भी वाकया आता है तो मुसलमानों को इसके अन्दर जोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं भी कहना चाहता हूं और बी.जे.पी. के तमाम एम.पीज. से कहना चाहता हूं कि अपने आबोवज्जात की फेहरिस्त पार्लियामेंट में पेश करो, हमारे आबोवज्जात ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे आबोवज्जात जेलों के अन्दर रहे, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जामा मस्जिद के किनारे जो खूनी दरवाजा है, वह इसलिए खूनी दरवाजा कहलाता है कि वहां पर हमारे आबोवज्जात को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। कुतुब मीनार के पीछे जाकर देखो कि वहां पर जो उस जमाने के पेड़ और उनके गुद्दे हैं, वे आज भी इतिहास बताने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे आबोवज्जात को रस्सी के फंदे पर डाल दिया गया था, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए फांसी दे दी गई थी और यह वह वक्त था, जब ये लोग अंग्रेज का साथ दे रहे थे। आज हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का मुसलमान किसी के सहारे जिंदा नहीं है। मैं बी.जे.पी. की सरकार को यह बता देता हूं कि उनके जिस तरीके के बयानों से, इस तरीके की बातों से इस मुल्क के अन्दर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

पोटो की चर्चा बार-बार की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप पोटो लागू कीजिए। आप पार्लियामेंट के अन्दर इसे पास कीजिए, अगर आप पास कर सकते हैं। पोटो तो आज भी लागू है और 13 दिसम्बर को भी लागू था और आपने उस गिलानी को, जिस गिलानी की बात आप बार-बार कह रहे हैं, उस गिलानी को आपने पोटो के अन्दर क्यों नहीं बन्द किया, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको गिलानी को पोटो के अन्दर बन्द करने से किसने रोका था? ...*(व्यवधान)* आप गिलानी को पोटो के अन्दर बन्द करते, आप टेरेरिस्ट लोगों को पोटो के अन्दर बन्द करते, अपोजीशन के अन्दर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, लेकिन आपने किसी को पोटो के अन्दर बन्द नहीं किया। गिलानी

[श्री राशिद अलवी]

इस देश के खिलाफ खिलवाड़ करता रहा और आप उसको बन्द नहीं कर पाये। ...(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टाडा के अन्दर जितने लोग इस मुल्क के अन्दर गिरफ्तार हुए, 1.5 परसेंट लोगों को उसमें सजा हुई है, 98.5 फीसदी लोग 10-10 साल जेलों के अन्दर रखकर छोड़ दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि वे लोग जो दस साल तक जेलों में रहे और 10 साल के बाद अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके घर वालों का और उनका कौन जिम्मेदार है, जब अदालत ने छोड़ दिया। ...(व्यवधान) जम्मू कश्मीर के अन्दर 13 हजार लोगों पर टाडा लगाया गया था और 13 हजार लोगों पर टाडा लगाने के बाद सिर्फ 584 केसेज तय हुए, बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया गया। पंजाब के अन्दर 17,800 लोगों को टाडा के अन्दर बन्द किया गया, लेकिन उनमें से ...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मियलादुतुरई): महोदय, वे लोग सभा में लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हमारे मंत्री यहां बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री के अपने राज्य मंत्री भी यहां बैठे हैं। कृपया उनसे कहिए कि वे अपने समर्थकों को नियंत्रित करें।

श्री थावर चन्द गेहलोत (शाजापुर): नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

श्री राशिद अलवी : सच्चाई बड़ी तल्ख होती है। सच्चाई को बर्दाश्त करना हरेक के बस की बात नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये ऐसे ही शोर करते रहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर 17800 केस टाडा के अंदर रजिस्टर्ड हुए। ...(व्यवधान) ऐसे कैसे होगा कि आप सरकार भी चलाएं और विपक्ष का काम भी करें। सच्चाई सुनने को आप लोग तैयार नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आडवाणी साहब के आने के बाद ये थोड़ा तमीज सीख जाएंगे और मेरी बात को सुनेंगे।

पंजाब के अंदर 17800 केस टाडा के अंदर रजिस्टर्ड किए गए। जिनमें से 10562 केसेज में चार्जशीट ही फाइल हुई, बाकी 6000 केसेज में चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। इन 10562 केसेज के अंदर 9182 लोगों को छोड़ दिया गया। सिर्फ चंद सौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेरे पास पूरे देश का डाटा है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में या जम्मू-कश्मीर में कितने केस टाडा के अन्दर रजिस्टर्ड हुए और कितने लोगों को छोड़ा गया। मुझ से ज्यादा होम मिनिस्टर साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टाडा के अंदर कितने लोगों को छोड़ा गया और कितने लोगों को सजा मिली।

पोटो के खिलाफ हम लोग इसलिए नहीं है कि हमें इससे खतरा है। हम भी आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। लेकिन पोटो इसको नहीं रोक पाएगा। पोटो की मुखालफत सारा विपक्ष इसलिए कर रहा है कि वह राजनीति और सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। संसद के पास होकर अगर पोटो को लागू किया गया तो हिन्दुस्तान की अक्लियतों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। संसद के पास होकर अगर पोटो को लागू किया गया तो हिन्दुस्तान की अक्लियतों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो लोग आज भी संसद के अंदर यह बात कह रहे हैं कि नेपाल के किनारे बने हुए मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहता हूं। मैं कई बार हाउस में इस बात को कहा है, मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूं कि एक भी मदरसे का नाम बताने का वे कष्ट करें, जहां आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। आप बताएं कि कितने मदरसों से कितने आतंकवादियों को आपने गिरफ्तार किया है, ताकि लोगों को पता चले कि मदरसों के अंदर वाकई आतंकवादी पलते हैं। अगर हाउस के अंदर विजय कुमार जी यह बात कहें कि नेपाल के किनारे बने मदरसों में आतंकवादी पलते हैं और बाहर से पैसा आता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर साहब सबूत के साथ देश को बताएं कि कितने मदरसों के अंदर इस तरीके का वाकया होता है। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं, राशिद अलवी, उसकी मुखालफत करके उनको गिरफ्तार कराने में आपकी मदद करूंगा। बेबुनियाद बातें करके इस देश में फिरकापरस्ती और साम्प्रदायिकता फैलाकर पोटो को एक साम्प्रदायिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आप हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा न करें।

चुनाव आता है और चला जाता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा और चला जाएगा, लेकिन चाहे संसद के ऊपर हमला हो, चाहे पोटो की बात हो, उसको राजनीतिक हथियार में इस्तेमाल न करें। अगर भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने यह साजिश की कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को, अक्लियतों को और दूसरे कमजोर तबकों को इस तरीके के जाल में फंसाने की कोशिश की, इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो यह कोई मुनासिब बात नहीं होगी।

इस देश में जब भी आतंकवाद की बात की जाए, उससे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को न जोड़ा जाए। इस देश के मुसलमान सेक्युलर मुसलमान हैं।

इस देश के अंदर हिन्दू भी टैररिस्ट हो सकता है और मुस्लिम भी टैररिस्ट हो सकता है और हम कहना चाहेंगे कि जो भी टैररिस्ट हैं, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कि टैररिस्ट जो भी हो, चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि टैररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। टैररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं तो आपसे कहता हूं कि कनॉट प्लेस के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, हम भी उसमें ताली बजाने का काम करेंगे लेकिन टैररिज्म के छाते के अंदर इस देश के अंदर कम्युनैलिज्म पैदा नहीं कीजिए। ...*(व्यवधान)* जो कोई भी इस देश के अंदर टैररिज्म करते आये हैं, हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अपनी लीडर मायावती जी की ओर से इसको कंडैम करते हैं। इस देश के अंदर सैकुलर फैबरिक मजबूत करने का काम कीजिए। इसे कमजोर करने का काम मत कीजिए।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): सभापति महोदय, हमारे देश के दुश्मनों ने 13 दिसंबर, 2001 को बन्दूक से एक नया इतिहास रचना चाहा। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने मिनटों में उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमने अपने उन आठ साहसी सुरक्षा कर्मियों को खो दिया जिन्होंने लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन की गरिमा एवं पवित्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी।

मैं सभी आठ सुरक्षा कर्मियों के शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में अपने दल डी.एम.के. के साथ शरीक हूं। अब हम ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया है कि इस नापाक इरादे के पीछे स्पष्ट तौर पर लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ रहा है। उन्हें सीमा पार से पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी, आई.एस.आई. और उनके आकाओं का प्रमाणिक रूप से समर्थन प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व एकजुट होकर आतंक की इस घड़ी में हमारे प्रजातंत्र के ऊपर हुए इस हमले की निन्दा करें। हमारे सामने यह एक बड़ी चुनौती पेश की गयी है। हमें इस चुनौती को आतंकवाद को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देने के अवसर के रूप में बदल देना चाहिए।

13 दिसंबर को जो घटना घटी वह अकेली ऐसा घटना नहीं है। देश के अनेक भागों में पहले भी अनेक ऐसे हमले हो चुके हैं। लालकिले में आतंकवादियों का घुसना, आई.सी.-814 का अपहरण, 1 अक्तूबर को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला इन सभी के पीछे इन्हीं संगठनों का हाथ रहा है जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने कहा है। हमारे दल. डी.एम.के. की मान्यता है कि बहुदलीय प्रजातंत्र का अस्तित्व सिर्फ तभी बना रह सकता है जब हमारा देश सुरक्षित हो। हमारे लिए राजनीतिक मतभेदों, जाति, पंथ और धर्म की भिन्नताओं के बावजूद एकजुट होकर कार्य करना सबसे जरूरी है। हम देश की सुरक्षा के सवाल पर समझौता नहीं कर सकते। जब कभी भी देश की संप्रभुता, एकता और अखण्डता बनाए रखने की बात आती है तो इसके लिए डी.एम.के. हमेशा अपने कतिपय प्रजातांत्रिक विचारों का त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश का एकता बनाए रखी जानी चाहिए और आतंकवाद का सामना करना चाहिए। डी.एम.के. पार्टी देश की शांति, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता है।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि 13 दिसंबर को संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला भारतीय प्रजातंत्र पर हमला है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।

महोदय, हम पिछले दो सालों से इस सभा में सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा करते आ रहे हैं। जब कभी भी हमने सीमापार आतंकवाद पर चर्चा में भाग लिया है, हम सरकार को याद दिलाते रहे हैं तथा उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए यह कहते रहे हैं कि सरकार को आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाना चाहिए। मुझे पता है कि आतंकवाद से निपटना काफी कठिन है। इसलिए आतंकवाद से कठोरता के साथ निपटा जाना चाहिए। भारत की जनता को आतंकवादी हमले से बचाने के लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, इस संबंध में कानून बनाये गये हैं।

करीब 25 वर्ष पूर्व सन् 1976 में ही उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया। यह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उस राज्य में अग्रिम जमानत के उपबन्धों के प्रवर्त्तन का लोप करने के बारे में था। उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम की पुष्टि की थी। उच्चतम न्यायालय की खंड पीठ ने भी उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अग्रिम जमानत के उपबंधों के प्रवर्त्तन का लोप किए जाने संबंधी निर्णय की पुष्टि की थी। अतएव महोदय, इस समस्या से कानूनी आधार पर सख्ती से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। निस्संदेह हरेक व्यक्ति द्वारा इसका स्वागत नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के मेरे नेता डा. जयललिता ने इसका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया था: उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के उपरांत 1991 से 1996 तक एल.टी.टी.ई. का मुकाबला किया था। यही कारण है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करायी गई है।

[श्री पी.एच. पांडियन]

हम सभी सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हैं क्योंकि उनके सुरक्षा घेरा व उनके द्वारा आतंकवादी हमले को विफल किए जाने के बिना हम आज यहां बहस करने के लिए जिन्दा नहीं होते।

सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान प्रोत्साहित कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने भी ऐसी कई सर्वदलीय बैठकों में भाग लिया है जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उपस्थित थे। पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। यहां भी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद दोनों गुटों के पीछे पाकिस्तान की आई.एस.आई. ही है। जब पाकिस्तान की आई.एस.आई. प्रधानमंत्री कार्यालय, लाल किला, गृह मंत्री और इस संसद पर आतंकवादी हमलों को प्रोत्साहित कर रही है तो संकट की इस घड़ी में हम सबको एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। आतंकवादियों ने राष्ट्र को बहुत बड़ी चुनौती दी है। जब ओसामा बिन लादेन के ग्रुप ने पेंटागन पर हमला किया विश्व व्यापार केन्द्र पर हमला किया और उसे तहस-नहस कर दिया, उस समय वहां के विपक्ष के डेमोक्रेट्स ने श्री बुश के नेतृत्व वाली सरकार पर कोई दोष नहीं लगाया। इसी प्रकार, जब आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जब यह मुद्दा हमारे पूरे राष्ट्र से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को आगे विनाश से बचाने आगे आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* चेतावनी अच्छी बात नहीं है।

इस बारे में मुद्दा उठा था कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए या नहीं। सभा में यह प्रश्न उठा था कुछ हद तक इसका उत्तर विदेश मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने दिया भी था।

प्रत्येक कार्यवाही के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि कोई कार्यवाही होती है और आप कोई प्रति-कार्यवाही नहीं करते तो इस दुनिया में कायम नहीं रह सकते। हीरा ही हीरे को काटता है। इस तरह, मैं माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार से यह अपील करूंगा कि आतंकवाद को कुचलने के लिए समय की मांग के अनुसार निरोधात्मक और कठोर उपाय किए जाएं। इस समय हमारा यही कर्त्तव्य है और सरकार का यही संवैधानिक कर्त्तव्य होना चाहिए।

जब पोटो की बात उठी थी, तब मेरे नेता ने कहा था कि हम पोटो का परिपूर्ण समर्थन करते हैं। फौजदारी कानून के अनुसार, अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए कानून के अन्तर्गत मनाही है और जिसके लिए दण्ड का प्रावधान है। यदि अधिक कानून होंगे तो अधिक अपराध होंगे, कम कानून होंगे तो कम अपराध होंगे, यदि कोई कानून नहीं होगा तो कोई अपराध भी नहीं होगा। अपराध कानून की ही उपज है ...*(व्यवधान)* साहित्यिक लेखक, लॉर्ड मैकाले ने 1860 में भारतीय दण्ड संहिता का प्रारुप तैयार किया था। यही काफी है किंतु इसके बावजूद हम नई शिक्षा नीति, नई औद्योगिक नीति और नई वस्त्र नीति लाए। कुछ नया तो होना ही चाहिए तभी लोग उसे स्वीकार करेंगे। यह भी भारतीय दण्ड संहिता से लिया गया है और पोटो, आतंकवादियों के लिए निश्चित तौर पर कठोर संकेत साबित होगा। हमारे यहां कोई भारतीय आतंकवादी नहीं है। भारतीय भूमि पर हम भारतीयों को आतंकित करने की अनुमति किसी भी विदेशी या पाकिस्तानी आतंकवादी को नहीं देंगे। हमारे संसद भवन पर पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कैसे किया? हमने इसे बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? वे भारतीय आतंकवादी नहीं हैं। उन्हें हमारे देश में भ्रम पैदा करने सरकार में अस्थिरता पैदा करने, और आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के लिए आई.एस.आई. ने तैयार करके यहां भेजा है।

हमने एक दिन आई.एस.आई. द्वारा परिचालित 500 रुपये के जाली नोट दिखाये थे। माननीय गृह मंत्री इस संबंध में जानते हैं। हाल ही में श्री शरद पवार ने आई.एस.आई. परिचालित एक हजार रुपये का जाली नोट दिखाया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए किया जाता है। अब समय आ गया है कि हमें आतंकवादियों पर नियंत्रण पाना होगा। हमें आतंकवाद खत्म करना होगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और हमें आतंकवादियों को समाप्त कर देना होगा ...*(व्यवधान)* कोई भी लोकतंत्रवादी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। हम संसद में विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम यहां किसी को आतंकित नहीं कर रहे हैं। यह स्थान चुन कर आए प्रतिनिधियों की सभा का है। मैं यह कहूंगा कि हमें आतंकवाद का खात्मा करने के लिए और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार का साथ देना होगा। उस सीमा तक, सरकार के लिए जो भी संभव हो, वह आतंकवाद को रोकने/करने के लिए कोई भी कानून पारित करे। हम इसके व्याकरण में नहीं जाएंगे। हम केवल आतंकवादियों का खात्मा चाहते हैं, हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे। इसीलिए मेरा दल आतंकवाद उन्मूलन के लिए आपके साथ खड़ा है। हमें कठोर कानून बनाना होगा। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी टाडा को कायम रखा। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 9 के साथ-साथ टाडा 1984 और टाडा 1987 के अधिनियमों को बनाए रखा।

1987 में जब टाडा पारित हुआ उस समय एक अलग सरकार थी और अब पोटो को भाजपा सरकार लाई है। इस तरह, आतंकवाद

पर अंकुश लगाने के बारे में दोनों सरकारों का विचार एक सा ही है और हम दोनों के बीच में है। अब, यह भाजपा सरकार 2001 में पोटो पुर:स्थापित करने जा रही है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): किंतु अभी आपको एक दूसरा कानून भी पारित करना है।

श्री पी.एच. पांडियन : किंतु राज्य सरकारों को, आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी कानून पारित करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसीलिए, मैंने उत्तर प्रदेश का 1976 का उदाहरण उद्धृत किया। राज्य फौजदारी कानून पारित करने और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी की अग्रिम जमानत मना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा सकता है। अन्तरिम जमानत आतंकवादी के लिए नहीं है बल्कि यह एक स्थानीय निवासी के लिए है, जिसका पता है कि वह कहीं जाएगा नहीं। यह प्रावधान है।

श्री बंगरप्पा : वह कानून पहले से ही मौजूद है।

श्री पी.एच. पांडियन : यदि सरकार चाहे तो वह आतंकवादी को इस प्रावधान की सुविधा से वंचित रख सकती है। हमें पोटो और संसद भवन पर आतंकवादियों के हमले का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। देश के हर राज्य में आतंकवादी संगठन नहीं हैं सिवाए कुछ छुट-पुट संगठनों के जो कुछ राज्यों में हैं। मौजूदा हालात में यह कानून जरूरी है और ऐसे कानून के अभाव में ही संसद पर यह आतंकवादी हमला हो गया। आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए यह एक उत्तम उदाहरण है।

तो, मैं यह कहूंगा कि उस दिन संसद भवन पर हमले की घटना वाकई खेदजनक थी। हम सभी केन्द्रीय कक्ष में मौजूद थे और हम आतंकित नहीं थे। हम सभी भारतीय हैं और हमारे इरादे भी आतंकवादियों की तरह मजबूत हैं किंतु हमारा एक संयमित व्यक्तित्व है। अत: उस दिन जब हमला हुआ तब सभी सदस्य केन्द्रीय कक्ष में थे और हम जानते थे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। सौभाग्यवश आज हम सभी यहां यह चर्चा करने के लिए एकत्र है कि हमारे संसद पर आतंकवादी हमला कैसे हुआ। यदि हमले के तुरंत बाद यह कानून 'पोटो' पुर:स्थापित कर दिया गया होता तो यह तुरंत ही पारित कर दिया गया होता क्योंकि उस दिन स्थिति पूरी तरह भिन्न थी। सभी इस बारे में सोच रहे थे। अब तीन दिन बीत गए हैं और लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं किन्तु उस दिन सभी उस पर दृढ़ थे। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए जाते।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): किंतु एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है।

श्री पी.एच. पांडियन : एफ.आई.आर. केवल पहला दस्तावेज है। यह अंतिम दस्तावेज नहीं है। जांच-पड़ताल के पश्चात् आप इसमें काफी कुछ जोड़ सकते हैं। एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है ताकि कानून अपना काम करे ...*(व्यवधान)* उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है किंतु बाद में जांच-पड़ताल के पश्चात्, उसी व्यक्ति पर धारा 302 भी लगाई जा सकती है। इसी तरह, जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगते हैं तो सरकार को पोटो के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल करना होगा। यह कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए एफ.आई.आर. अंतिम दस्तावेज नहीं है। कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन सुरक्षा कर्मियों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा जीवन बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस अवसर के अनुकूल कार्यवाही करे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोके। मैं सरकार को चेताऊंगा कि उस दिन एक प्रयास किया गया था। उसके बाद इसमें सफलता नहीं मिलनी चाहिए। एक अपराध का प्रयास किया जा सकता है। असफल होने पर वे बाद में पुन: प्रयास करेंगे। इसलिए चौकस रहें, होशियार रहें और आतंकवादियों के खात्मे का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, आज बहुत गंभीर सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है। वैसे तो पूरी दुनिया इस समय आतंकवाद से ग्रसित हो चुकी है लेकिन 13 दिसम्बर की घटना से पूरे देश में एक दहशत का वातावरण बना। मैंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। हम 8-9 सांसद प्रथम तल पर खड़े थे। जिस समय गोलियों की आवाज आ रही थी, हम लोग उस समय यह समझ नहीं पा रहे थे कि वहां गोलियां चल रही हैं या कुछ और हो रहा है?

अपराह्न 5.37 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग की दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं तब हमने महसूस किया कि परिसर में कोई घटना घट रही

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

है। मैं आरोप की नीयत से नहीं बल्कि सीधे तौर पर दो-तीन सवालों के बारे में गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं। संसद में हमले की बात पहले से थी। जैसे पहले तपस्वी और मुनि तपस्या करके दिव्य दृष्टि प्राप्त करते थे और पूर्वानुमान लगा लेते थे कि क्या होने वाला है, उसी तरह किसी सरकार की दिव्य दृष्टि उसकी खुफिया एजेंसी हो सकती है। खुफिया एजेंसी ने सूचना दी थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वहां के पुलिस कमिश्नर ने भी सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम यह मान कर चलते हैं कि सरकार सतर्क थी। कारण, यहां चार स्तर की सुरक्षा व्यवस्था थी। जब हम गाड़ी में आते हैं तो शीशे से पदाधिकारी देखते हैं कि गाड़ी में क्या जा रहा है। लोक सभा के सुरक्षा कर्मी भी वहां रहते थे, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोग भी वहां रहते हैं। आज भी मैं जब अपने आवास से संसद आ रहा था तो मालूम हुआ और अखबार में भी पढ़ा था कि गेट नम्बर एक से सभी गाड़ियां आएंगी। मैं केवल एक सवाल जानना चाहता हूं कि जब पहले से सूचना थी तो समीक्षा के बाद सुरक्षा पदाधिकारियों ने महसूस किया होगा कि एक तरफ से गाड़ी आएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगी तथा सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चैक किया जाएगा कि कोई भी गलत आदमी हथियार लेकर गेट से नहीं गुजरेगा। जब पहले से यह जानकारी थी कि संसद पर हमला किया जा सकता है तो सुरक्षा पदाधिकारियों ने पहले से इस बारे में समीक्षा की थी या नहीं? यदि की थी तो उन लोगों ने उस समय क्यों महसूस नहीं किया कि एक तरफ से गाड़ी आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है।

मैं दूसरा सवाल यह जानना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर गिलानी गिरफ्तार हुए, उससे पहले वह कितने दिनों से दिल्ली में थे? क्या इसकी जानकारी ली गई? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि घटना के बाद दो अपराधी ट्रक से भाग कर कश्मीर तक पहुंच गए। ठीक है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने वहां रिपार्ट दी कि दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

लेकिन जैसा अखबारों में छपा कि दिल्ली से कश्मीर जाने में ट्रक को काफी समय लगा होगा। आखिर इस बीच रास्ते में ट्रक को क्यों नहीं रोका गया, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा। इसके साथ ही घटना घटने के बाद सुरक्षा में त्रुटि की बात की गई। इस सवाल को कैसे माना जा सकता है? इस सवाल को इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि अगर सुरक्षा में कमी होती और सुरक्षाकर्मियों से थोड़ी चूक हुई होती या समय पर वे काउंटर नहीं करते तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस समय हम लोग यहां भाषण नहीं कर रहे होते बल्कि कंडौलैंस करने वाला कोई नहीं होता।

सभापति महोदय, हमारा देश धर्म को बहुत मानता है। यहां पर परमात्मा की कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमारी मदद की। यदि उसने मदद न की होती तो कहते हैं जिस कार में विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे, अगर कार में लगी हुई तार का अंश न टूट गया होता और आतंकवादियों को मौका मिल गया होता तो इससे बड़ी घटना घट सकती थी। इस सब के बावजूद आतंकवादी अपनी कार्यवाही में सफल हो चुके हैं। जिस समय गोलियां चलीं, उस समय केन्द्रीय कक्ष में बहुत से सांसद और कुछ मंत्री बैठे हुये थे। बीच में एक बार यह चर्चा चली कि आतंकवादी अंदर प्रवेश कर गये हैं। यह बात सुनकर सारे लोग कमरा बंद करके बैठ गये और परेशान थे। वे लोग उस समय यह महसूस कर रहे थे कि कहीं आतंकवादी इधर न आ जाये। मेरे एक मित्र मंत्री हैं परन्तु उनका नाम मैं नहीं लूंगा। जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां थे और किस स्थिति में थे। उन्होंने बताया कि हमें तो उस समय मालूम हुआ कि आतंकवादी अंदर आ गये हैं और हमने भीतर से किवाड़ बंद करवा दिया और बगल में एक पानी की बोतल रख ली। जब हमने पूछा कि क्यों रखी तो मुझे बताया कि यदि आतंकवादी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गये, गोली से मारेगा या कहीं विस्फोट हो गया और कहीं हम मलबे के नीचे दब गये और बच गये तो यह पानी की बोतल पीकर जिन्दगी को बचा लेंगे। जहां तक इस स्थिति का प्रश्न है, आतंकवादी कहीं न कहीं सफल इसलिये हुये कि उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग में आतंक फैलाने का काम किया। मैं यह मानता हूं आतंकवादियों को 100 प्रतिशत इस काम में सफलता नहीं मिली लेकिन आंशिक रूप से सफलता मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि आतंकवाद में आई.एस.आई. का हाथ है। सरकार भी कहती है कि हमें पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। जिस दिन यह घटना घटी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बहुत अफसोस जाहिर किया लेकिन उसी दिन रात में टी.वी. पर वे भारत को धमकी दे रहे थे कि यदि भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि अब आर-पार की लड़ाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आतंकवादी कहीं भी होंगे, उन्हें ढूंढ़ लिया जायेगा। सरकार के अंदर कोई गोपनीय चर्चायें चल रही है, हमें बताया जाये। हम यह नहीं चाहते कि किसी ऐसी बात का खुलासा किया जाये जिससे आपकी रणनीति में कोई कठिनाई पैदा हो जाये लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आखिर देश इस प्रकार कब तक झेलता रहेगा। पिछले 15 वर्षों से इस देश में आतंकवाद फैलता रहा है। हम यह मानकर चलते हैं कि युद्ध में मारे गये या आतंकवाद की घटनाओं में आम नागरिक मारे गये और सेना के कई लोग मारे गये। मैं सरकार से

निवेदन करना चाहूंगा कि कभी-कभी परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है और हमें बाध्य करती है। आप युद्ध की तरफ बढ़ जाये या युद्ध न चाहे मगर कभी-कभी आदमी को विवश होकर युद्ध करना पड़ता है। महाभारत का युद्ध भी इसी तरह हुआ था। लेकिन यहां तो अमन-चैन की लड़ाई है। संसद तो भारत की आत्मा है और गांव का व्यक्ति इस सदन के प्रति केन्द्रित रहता है। यह भारत की आत्मा, सम्मान और प्रतिष्ठा है। भारत के सम्मान पर हमला किया गया है, उसकी प्रतिष्ठा पर हमला किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भगवान कृष्ण कौरवों के पास गये हुये थे।

भगवान कृष्ण कौरवों के यहां दुर्योधन से कहने के लिए गये थे कि कुछ देना चाहते हो तो पांच गांव दे दो। उन्होंने कहा था - न्याय करो तो आधा दो, अगर इसमें कोई बाधा हो, तो दे दो केवल पांच ग्राम और रख लो अपनी धरती तमाम। आदरणीय मुलायम सिंह जी, दुर्योधन ने उस समय कहा था कि - सुई बराबर भूमि नाहीं देवो - ''आ के युद्ध विराजो राजा, क्षत्रिय कुल की यही रीति है, कोई जीते कोई हारे राजा''।

इसके बाद भी कृष्ण कुन्ती के पास चले गये और वहां जाकर उन्होंने कहा कि पांडवों के लिए कोई संवाद हो तो दीजिए। कुन्ती ने कहा कि जाकर पांडवों से कह देना कि जिस दिन के लिए मां दूध पिलाती है, उस दूध की कीमत चुकाने का समय आ गया है। हम सरकार से, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री आडवाणी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह कुन्ती ने कहा था, उसी तरह इस सरकार के लिए भी अब समय आ गया है। आप इस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में जवान हुए हैं, भारत के लोगों के आशीर्वाद से आज आप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री बने हुए हैं, आज भारत का सम्मान रौंदा जा रहा है, भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाई जा रही है, इसलिए अब समय आ चुका है, चाहे सीमा लांघनी पड़े, इसका अंजाम चाहे जो हो जाए, हमें युद्ध की तरफ बढ़ना चाहिए और सीमा पार करके अपना तिरंगा लहराना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह नहीं कर पायेगी तो सरकार की तरफ जनता की निगाहें लगी हुई हैं कि अब सरकार क्या करने वाली है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बयान आ गये हैं। अब उनके दिल और दिमाग यहां केन्द्रित हो चुके हैं। यदि आपने इस मौके को खोया तो आपकी साख मिट्टी में मिल जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद। 13 दिसम्बर की घटना में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब-जब भी देश की एकता और अखंडता का सवाल खड़ा होता है तो मैं समझती हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का हो या सत्तापक्ष का हो, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। आज बहुत सारे विपक्ष के वक्ता बोले। सदन के माध्यम से दिये गये उनके वक्तव्यों से ऐसा महसूस हुआ कि मौजूदा परिस्थिति में सिर्फ सत्ता पक्ष को ही देश की चिन्ता है। कारगिल का युद्ध हुआ, उस समय भी देश का सवाल आया तो उस समय भी सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम लोग एकजुट हो गये। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 दिसम्बर को बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को कहा, मैं भी उद्धृत करना चाहती हूं कि 11 दिसम्बर को मुम्बई में प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा कि सदन पर भी आक्रमण का खतरा है। होम मिनिस्टर ने भी कहा कि सदन पर कभी भी आक्रमण का खतरा हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि खुफिया तंत्र ने हमें यह बताने का कार्य किया कि सदन पर खतरा है। आज इसी तरह के वक्तव्य होते हैं कि सदन पर खतरा है। इसकी चर्चा अनेकों बार सैन्ट्रल हॉल में बैठकर कुछ एम.पीज. के मुंह से मैंने सुनी थी कि कभी भी सदन पर आक्रमण किया जा सकता है। इसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लाक हो, हर जगह पूरे देश में आतंक का माहौल खड़ा हो गया है। जिस समय यह घटना घटी, मैं समझती हूं कि देश के जिन संसदीय क्षेत्रों से हम आते हैं, वहां के एक-एक गरीब व्यक्ति ने दूरभाष पर हम लोगों की खबर लेनी चाही कि हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ, हमारे नेता बचे हैं या नहीं। जब देश की सदन पर हमला हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा।

जब सरकार को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह आतंकवादियों द्वारा हमला हो सकता है तो सरकार ने क्या किया? लालकिले पर भी एक बार हमला हो चुका है, कश्मीर की विधान सभा पर भी हमला हुआ, विनाशकारी हमला उस समय भी हुआ, उसके पहले भी जब कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया तो डोडा में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष अमरनाथ यात्रियों की भी हत्या हुई - उस समय भी सरकार ने कहा था कि मैं किसी भी आतंकवादी को छोड़ने का काम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं घटती जा रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह आर-पार की लड़ाई की जो बात कही जा रही है, क्या यह सरकार सिर्फ कहती ही रहेगी या उस पर कुछ कार्रवाई भी करेगी? बहुत सारे लोगों का कहना है या हम भी देख रहे हैं कि हम लोगों के सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर संसद के सदस्यों की रक्षा की, यहां के अधिकारियों की रक्षा की। यह तो उनकी महानता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही तरह

[श्रीमती कान्ति सिंह]

से निर्वहन करके हम लोगों की जान बचाने का काम किया। लेकिन लोकतंत्र पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसी तरह विपक्षियों को दोष देती रहेगी? यह बात सही है कि सबको यानि सभी पार्टी के नेता को बुलाकर बातें करनी चाहिए लेकिन मैं समझती हूं कि यह सरकार सिर्फ कहती है, करती नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी ने इनके बड़बोलेपन की बात कही और कहा कि इनकी बातों में तालमेल नहीं है। देश के लोकतंत्र पर, सबसे बड़ी संस्था पर जब आक्रमण हो सकता है तो जो आम लोग हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे रख सकते हैं, उनकी हिफाजत के बारे में कैसे आश्वासन दे सकते हैं? यह सरकार कहती है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम आलोचना करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। अगर वास्तव में यह सरकार सही निर्णय आतंकवादियों के खिलाफ लेती है तो हम उनके साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से हम लोग लड़ रहे हैं। इस सदन से इस तरह का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष ही इसके खिलाफ है। हम भी उतने ही राष्ट्रभक्त हैं, हम भी अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से आरोपित करना, इतने गंभीर मामलात पर यहां चर्चा चल रही है, लेकिन एक दूसरे पर तोहमा-तोहमी, आरोप-प्रत्यारोप और टोका-टोकी करना, इससे पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? जब आप सरकार चलाते हैं तो आपको सुनने की भी सहनशीलता रखनी होगी। कहा जाता है कि-

''निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय
बिन पानी साबुन बिना निरमल करे सुभाय।''

हम आपकी निन्दा नहीं करते। आपकी जहां-जहां कमियां होती हैं, उनकी ओर हम इंगित करना चाहते हैं इस तरह की सुरक्षा जो आज सदन में आने के पहले जहां-जहां हम लोगों की गई, यह पहले क्यों नहीं किया गया? जब हमें शंका थी, जब हमारी खुफिया एजेन्सियों ने हमें बताने का कार्य किया तो हमने यह सावधानियां बरतने का कार्य पहले क्यों नहीं किया? यह सवाल तो उठेगा और यह सरकार की विफलता तो कही ही जाएगी। हमारी रक्षा करने वाले लोगों में एक महिला कमलेश कुमारी ने भी कोई कमी या कोई कोताही नहीं बरती बल्कि उसने भी अपनी जान की आहुति दी और मैं फख्र से कहना चाहती हूं कि किसी भी लड़ाई में हम महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि हम भी अपनी जान देने को तत्पर हैं।

सभापति जी, बहुत सारी बातें हैं। माननीय पाटिल साहब ने भी कहा कि जिस तरह से किसी को परेशान करने के लिए एक कोट से दूसरे कोट और दूसरे से तीसरे कोट भेजा जाता है, वैसे ही सरकार चाहती है कि विपक्ष को किसी प्रकार से बंद कर के रखे ताकि उसके खिलाफ कोई साजिश न कर सके। मैं पूछना चाहती हूं कि अरबी भाषा का दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रोफैसर गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर पोटो क्यों लागू नहीं किया गया, उसे किस धारा में बन्द करने का काम किया गया?

सभापति महोदय, ये सत्ता पक्ष के लोग है जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस समय भी देश में पोटो लागू है। जब अब भी पोटो इस देश में लागू है, तो क्यों नहीं उसे पोटो के अंदर गिरफ्तार कर के बन्द किया गया? सरकार सिर्फ पोटो का नाम लिए जा रही है, क्या सरकार का पोटो, उन लोगों को रोक सकता है, जो आत्मघाती दस्ते बनकर आते हैं?

सभापति महोदय, मौजूदा परिस्थितियों में हमारे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके तहत सरकार और पुलिस चाहे तो गुनहगारों से भली प्रकार निपट सकती है, लेकिन उनको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार जो बेगुनाह हैं, उन्हें तो बन्द पर बन्द करती जा रही है, जेल पर जेल देती जा रही है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, उन पर कड़े कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि सिर्फ राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए यह सरकार पोटो का नाम लेती है। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, टाडा का सवाल आया। टाडा में भी लगभग 76,000 लोगों को बन्द करने का काम किया गया, लेकिन कार्रवाई कितनों पर हुई, बहाल कितने हुए और बरी कितने हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह देखने की बात है। सिर्फ कानून बनाकर राजनीतिक कार्य यहां पर किया जाता है। सरकार के पास वह इच्छा-शक्ति नहीं है, आप दृढ़ संकल्पित नहीं हैं कि ऐसे आतंकवादियों को सजा दे सकें। आप तो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और वह भी जिस प्रकार से देश में जहर फैलाकर राजनीति कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है, उसे बन्द करिए।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया है, मैं सच्चाई के साथ कह रही हूं कि जो भाईचारा, जो सद्भाव देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों के बीच में बना था, जो माहौल पैदा हुआ था, वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जहर मत घोलिए जिससे देश की फिजा ही बदल जाए। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम भी उसका घोर विरोध करते हैं। अगर आप

अच्छे काम करेंगे, अच्छे कानून बनाएंगे, तो हम हमेशा आपके साथ होंगे, आपको देश के भले के लिए, अच्छे कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि हम सरकार की सराहना करेंगे; लेकिन हो क्या रहा है, दिन प्रति दिन घटनाएं घटती जा रही हैं और आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी संसद भवन के परिसर में कैसे प्रवेश कर गए, इस पर तो विचार करना चाहिए। वे जिस एम्बैसेडर कार में होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर आए, वह कहां से आया, बगैर ओरिजनल के डुल्पीकेट नहीं बन सकता है? इसलिए सरकार की ओर भी संदेह की दृष्टि जाती है कि सरकार ने इतनी लापरवाही क्यों की?

सायं 6.00 बजे

आप इस तरह का कोई संदेश भेजने का काम न करें कि विपक्ष सरकार का साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष विपत्ति के समय हमेशा राष्ट्र हित में सरकार का साथ देता है और देता रहेगा। मैं कहना चाहती हूं कि आज की मौजूदा परिस्थिति में भी सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है तो हम उसके साथ हैं।

इन्हीं चन्द बातों को कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री सनत कुमार मण्डल - उपस्थित नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, अब सभा स्थगित होनी चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री अमर राय प्रधान - उपस्थित नहीं हैं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, आज नहीं, कल।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री जी.एम. बनातवाला।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हम इसे कल जारी रख सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप सभा की मंशा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कई वक्ता अभी बाकी हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अब आपको सभा स्थगित कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं सभा से जानना चाहूंगा, यदि सभी सहमत हैं तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, आज नहीं, कल।

सभापति महोदय : ठीक है, हम यहीं समाप्त करते हैं।

अब मद सं. 28, यह सरकारी कार्य है जिसके लिए समय बढ़ाया जाना है।

सायं 6.02 बजे

स्टॉक मार्केट घोटाले और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा स्टॉक मार्केट घोटाले और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को 2002 के बजट सत्र की समाप्ति तक की अवधि के लिए और बढ़ाती है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा स्टॉक मार्केट घोटाले और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को 2002 के बजट सत्र की समाप्ति तक की अवधि के लिए और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. राम चंद्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं, आयुर्विज्ञान शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः एक सौ बारहवें और एक सौ तेरहवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : यदि सभा कार्यवाही को जारी रखना चाहती है तो हम जारी रखेंगे किन्तु यदि आप चाहते हैं कि सभा स्थगित की जाए तो हम सभा स्थगित कर देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं महोदय, कल।

सभापति महोदय : ठीक है। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 दिसम्बर, 2001/ 28 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.21.20/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।